दशम माला, खंड 38, अंक 1

गुरूवार, 30 मार्च, 1995
9 चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)



(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

30 मार्च, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद
के हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र

....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	14	इक्यानब्बेवां और तिरानब्बेवां	इक्यानवेंवा और तिरानवेंवा
विषय सूची (i)	नौवे से 5		
विषय सूची (i)	13 और नौवे से 10		
विषय सूची (ii)	2,12,20	पुर:स्थापन	पुर:स्थापित करने
विषय सूची (ii)	2,10		
विषय सूची (iii)	5 तथा 13 के पश्चात् श्री मनमोहन सिंह जोड़िए ।		
विषय सूची (iii)	3 के पश्चात " विचार करने के लिए प्रस्ताव श्री सी.के.जाफर शरीफ जोड़िए ।		
विषय सूची (iii)	पंक्ति 22 के पश्चात विचार करने के लिए प्रस्ताव श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति जोड़िए ।		
विषय सूची (iii)	नौवे से 2 "यथा संशोधित" का लोप करें ।		
34	नौवे से 3 से पहले "विवरण" पढ़िए ।		
64	नौवे से 3	(ख) से (छ) का लोप करें ।	
71	2	एजेंसियों	एजेंसियां
93	17	कोयाल मंत्रालय में	कोयला मंत्रालय के
116	नौवे से 4	2512	2521
118	नौवे से 6	मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी से पहले 2528 जोड़िए ।	
126	नौवे से 4	श्री सोमाराम केसरी	श्री सीताराम केसरी
151	9	2539	2538
154	नौवे से 12	22565	2565
159	15	श्री प्रेम चन्द्र राम	श्री प्रेम चन्द राम
178	15	2593	2594
179	नौवे से 6	जल संसाधन के पश्चात मंत्रालय जोड़िए ।	
191	नौवे से 7	में स्वतंत्र प्रभार का लोप करें ।	
193	नौवे से 13	2609	2608
228	8	1905 एक	खंड-1
234	2	1995-96	1994-95
234	3	पूरक	अनुपूरक
7,241	पाद टिप्पण में 2 पाद टिप्पण में 1	(के साथ से	
46	पाद टिप्पण में 1	के समय	से

विषय-सूची

दशम माला, खंड 39, तेरहवां सत्र 1995/1917 (शक)
अंक 13, गुरुवार, 30 मार्च, 1995/9 चैत्र, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	241, 243 और 244	1--24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	242, 245 से 260	24--58
अतारांकित प्रश्न संख्या	2455 से 2641	58--217
सभा पटल पर रखे गए पत्र		218--223
प्राक्कलन समिति		
विवरण—**प्रस्तुत**		224
लोक लेखा समिति		
अठासीवां, नवासीवां, इक्यानब्बेवां और तिरानब्बेवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		224--225
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
अड़तीसवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		225
याचिका समिति		
अठारहवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		225
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
आठवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		225
पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
(एक) तेरहवां प्रतिवेदन (दो) कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		225 226
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति		
नौवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		226
उद्योग संबंधी स्थाई समिति		
तेरहवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		226
बिहार बजट-1995-96		
विवरण—**प्रस्तुत**		226
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार), 1994-95		
विवरण—**प्रस्तुत**		226
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1995		
पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव		
श्री विद्याचरण शुक्ल		227
खण्ड-2 और 1		228
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री विद्याचरण शुक्ल		228

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 1995-96 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)-1994-95	228—236
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995	
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	236
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	236—237
श्री राम नाईक	237—238
खण्ड 2 से 4 और 1	238
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	238
विनियोग विधेयक, 1995	238—239
पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	238—239
खण्ड 2 और 3 और 1	239
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	239
लेखानुदानों की मांगें (रेल) 1995-96 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1994-95	
श्री बसुदेव आचार्य	241—242
कुमारी ममता बनर्जी	241, 242—243
श्री राम नाईक	242
श्री अनिल बसु	242
श्री सी.के. जाफर शरीफ	243
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1995	
पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	244
श्री राम नाईक	244
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	245
श्री शरद दिघे	245
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	245—246
खण्ड 2 और 3 और 1	246—247
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	247

विषय	कालम
विनियोग (रेल) विधेयक, 1995	
पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	247—248
खण्ड 2 और 3 और 1	248
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	248
जम्मू-कश्मीर बजट 1995-96 सामान्य चर्चा	
लेखानुदानों की मांगें (जम्मू और कश्मीर), 1995-96 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू और कश्मीर), 1994-95	249—253
जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995	
पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	253
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	253—254
खण्ड 2, 3 और 1	254
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	255
जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1995	255
पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	255
खण्ड 2, 3 और 1	256
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	256
बिहार बजट, 1995-96—सामान्य चर्चा	
लेखानुदानों की मांगें (बिहार) 1995-96 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार), 1994-95	256—284
श्री सुव्रत मुखर्जी	261—264
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	264—266
श्री सोमनाथ चटर्जी	266—269
श्री कड़िया मुन्डा	269—270
श्री राजवीर सिंह	270—273
कुमारी ममता बनर्जी	273—275
श्री चन्द्रजीत यादव	275—278
श्री प्रमथेश मुखर्जी	279
डा. मुमताज अंसारी	279—283

विषय	कालम
बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995	284—285
पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	284
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	284
खण्ड 2, 3 और 1	284—285
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	285
बिहार विनियोग विधेयक, 1995	285—286
पुरःस्थापन के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	285
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	285—286
खण्ड 2, 3 और 1	286
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	286
कपास परिवहन निरसन विधेयक	287—328
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री जी. वेंकट स्वामी	287—288, 318—325
प्रो. रासा सिंह रावत	288—290
श्री उमराव सिंह	290—292
श्री सैयद शहाबुद्दीन	292—295
श्री विजय कुमार यादव	295
श्री एस.वी. सिदनाल	295—299
श्री वीरेन्द्र सिंह	299—302
श्री मोहन रावले	302
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	302—306
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	306—309
कुमारी ममता बनर्जी	309—311
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	311—313
श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल	313—315
डा. लक्ष्मी नारायन पाण्डेय	315—318
खण्ड 2 और 1	326
पारित करने के लिए प्रस्ताव, यथासंशोधित	
श्री जी. वेंकट स्वामी	326

लोक सभा

गुरूवार, 30 मार्च, 1995/9, चैत्र, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

भूमिगत जल को पुनः चार्ज करने संबंधी योजना

*241. **श्री शंकरसिंह वाघेला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूमिगत जल को पुनः चार्ज करने संबंधी योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में अब तक केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने यह योजना आरम्भ की है;

(घ) किन-किन राज्यों में निकट भविष्य में यह योजना आरम्भ की जाएगी; और

(ङ) वर्ष 1994-95 और वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अन्वेषणात्मक अध्ययन करके अप्रैल, 1993 से 367 लाख रुपए की लागत पर एक योजना "भूजल पुनर्भरण का अध्ययन" क्रियान्वित कर रहा है। बोर्ड ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए 81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत, जिसे केन्द्र और राज्यों द्वारा बांटा जाना है, पर एक केन्द्र प्रायोजित योजना भी बनायी है जिस पर योजना आयोग विचार कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम को 1993 से इमप्लीमैंट करने की कोशिश की गई है। जब पानी ऊपर से नहीं आता और दाएं-बाएं से नहीं होता तो पीने के लिए और खेतों में डालने के लिए उसे भूतल से खींचने की कोशिश होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पास भूतल में पानी डालने की कौन सी स्कीम है और दो साल में क्या प्रगति हुई है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि यह योजना कर्नाटक, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ राज्य क्षेत्र चन्डीगढ़ में कार्यान्वित की जा रही है। कर्नाटक के कोनकर जिले में गौरी बिदानूर तथा मूलबंगाल तालुकों में भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का पता लगाने हेतु उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के लिए कर्नाटक के कोनकर जिले में विस्तृत जल भूवैज्ञानिक अध्ययन तथा साथ-साथ दूरस्थ सूक्ष्मग्राही तथा भूभौतिक सर्वेक्षण किये गये हैं।

गौरी बिदानूर तालुक में बन्दीहल्ला पनधारा, होसूरहल्ली धनधारा, डोड्डा, मन्चनहल्ली तथा टोकलाहल्ली में 194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पांच क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के लिए दस स्थलों का चुनाव किया गया है जिनमें सात स्थान अनुभूतल बांधों के लिये और तीन स्थान भरण कूपों के लिये हैं। इनके अतिरिक्त एरापोथनहल्ली के वर्तमान लघु सिंचाई टैंक को रिसाव टैंक में बदले जाने के लिए चुन लिया गया है। इसके अतिरिक्त, पुनर्भरण कुआ क्षेत्र भी चुन लिये गये हैं।

मूल बंगाल तालुक में नांगली पनधारा, मन्थीगनाहल्ली गांव, भोविबिकानेहल्ली-डोडाहल्ली पनधारा तथा मोटलामंगला पनधारा में 527 वर्ग किलोमीटर में चार क्षेत्र चुन लिये गये हैं। एक स्थान नांगली पनधारा में और एक स्थान बोरिबिकानेहल्ली-डोडाहल्ली में अनुभूतल बांध के लिए चुन लिया गया है। पुनर्भरण संरचना के निर्माण का काम लागत जमा आधार पर राज्य सरकारों के जरिए दिया जाना है।

महाराष्ट्र में विस्तृत जल-भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जल-मौसम विज्ञान कार्य, मृदा रिसाव अध्ययन तथा भू-भौतिक अध्ययन किये गये हैं जिनका उद्देश्य पनधारा संख्या डब्ल्यू आर-2, वरूड तहसील जिला अमरावती तथा जलगांव जिला की यवल तहसील में पनधारा संख्या टी ई-17 में पुरर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति ने पुनर्भरण संरचनाओं के लिए तैयार किये गये डिजाईन तथा लागत अनुमान मंजूर कर दिये हैं। धनराशियां राज्यों में कार्यान्वयन एजेंन्सियों अर्थात लघु सिंचाई विभागों को उपलब्ध करा दी जायेंगी। कर्नाटक में 36.29 लाख रु. और महाराष्ट्र में 54.03 लाख रु. दिये गये हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में नियंत्रण बांधों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने हेतु जल-भूवैज्ञानिक तथा भू-भौतिक अन्वेषण कार्य किये गये हैं। परियोजना की समन्वय समिति ने डिजाईन तथा अनुमानों को अन्तिम रूप दे दिया है और कार्य अप्रैल-मई 1995 में आरंभ होने की संभावना है।

संघ राज्य क्षेत्र चन्डीगढ़ में सुखना झील के साथ के इलाके का जल-भूवैज्ञानिक एवं सम्बन्ध अध्ययनों के आधार पर कृत्रिम पुनर्भरण के लिए चयन कर लिया गया है। कृत्रिम पुनर्भरण योजना को कार्यान्वित करने के लिए उपरोक्त स्थल को मंजूरी देने के लिये यह मामला चंन्डीगढ़ प्रशासन के साथ उठाया गया है। मामला संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला : मैंने तो प्रश्न बहुत शार्ट में पूछा था।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं दूसरा सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में राज्य काम करेंगे या राज्यों के मार्गदर्शन में आप अपनी राशि आबंटित करेंगे? जितने सूखाग्रस्त राज्य हैं, उनकी यह एक प्राब्लम है और दो साल से इसमें प्रोग्रैस नहीं है तो क्या ऐसे राज्यों को आप आईडैण्टीफाई करेंगे और मार्गदर्शन देंगे कि केन्द्र की टीम आ रही है इसलिए आप बतायें कि कब कैसे इसमें वाटर डिस्चार्ज करना है? इसमें राज्य अपनी ओर से प्रपोजल आपके पास रखेंगे और आप चिन्ता करेंगे? 81 करोड़ रुपया किन राज्यों में कैसे बांटा है, इसमें राज्य का प्रपोजल आपके पास आया था या अपने हिसाब से वह डिस्ट्रीब्यूट किया है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : राज्यों ने अपनी मांगे पेश कर दी हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि योजना को अभी योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी जानी है।

अतः मैं इस अवस्था में यह नहीं बता सकता कि प्रत्येक राज्य को कितना-कितना पैसा दिया जायेगा। 81 करोड़ रु. की राशि में से 39 करोड़ रु. राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने हैं तथा 42 करोड़ रु. केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने हैं।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलम्बूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि किन-किन राज्यों में कितनी-कितनी धनराशि दी गई और क्या-क्या योजना बनाई गई? राजस्थान रेगिस्तान है...

अध्यक्ष महोदय : अभी उन्होंने एक सैकिण्ड पहले जवाब दिया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सूचना आनी है।

श्री भेरू लाल मीणा : मेरा प्रश्न केवल इतना है कि राजस्थान को कितनी धनराशि दी गई?

अध्यक्ष महोदय : अभी वह निश्चित नहीं हुआ है, उन्होंने अभी बताया है।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि कई क्षेत्रों में वर्षा नहीं होने की वजह से जो जांच हुई है, उसमें यह पाया गया है कि वह क्षेत्र रेगिस्तान बन जायेगा? क्या ऐसे क्षेत्रों में, बिहार में गंगा नदी से नहर निकालकर उन क्षेत्रों के बीच में रिजर्वायर बनाकर ऊपर से पानी की मदद करने की कोई योजना सरकार के पास है? जैसे मैं नालन्दा जिले में राजगीर के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है?

अध्यक्ष महोदय : यह अण्डरग्राउण्ड वाटर का प्रश्न है, उसको आप ओवर ग्राउण्ड ले आये हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : हमारे पास ऐसी कोई योजना लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, 81 करोड़ रुपये की योजना इस मंत्रालय ने अप्रैल, 1993 में बनाई, इस प्रकार से अभी बताया गया। हमेशा यह होता है कि योजना बनती है और सरकार घोषणा करती है। बाद में उस योजना को सरकार प्लानिंग कमीशन के पास भेजती है और चूंकि प्लानिंग कमीशन का क्लियरेंस नहीं आया है, इसलिए जो पैसा बजट में देना चाहिए, वह सरकार नहीं दे पाती है। मैं जानना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन जो देरी करता है, उस भूमिका में आपने यह योजना प्लानिंग कमीशन के पास कब भेजी और अब तक इस योजना को प्लानिंग कमीशन में मन्जूर न करने का कारण क्या है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, हमने योजना आयोग के पास योजना भेज दी है। मेरे विचार से एक साल पहले भेजी गई थी। मेरे पास जानकारी नहीं है कि किस तारीख को भेजी गई थी। किन्तु 81 करोड़ रु. की यह राशि अभी आवंटित नहीं की गई है। हम योजना आयोग से परियोजना मंजूर करने का अनुरोध कर रहे हैं और मंजूरी मिलने के बाद ही इस राशि के आवंटन करने का प्रश्न उठेगा।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वाघेला : आपने प्रोपोजल कैसे भेजा?

श्री अन्ना जोशी : क्या आपको मालूम नहीं है कि प्रोपोजल कब भेजा है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैंने कहा है कि मुझे सही तारीख की जानकारी नहीं हैं। मैं सही तारीख की जानकारी आपको बाद में दे दूंगा। चूंकि यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है अतः इसे योजना आयोग द्वारा मंजूर किया जाना है। हमने अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं। हम उनको जवाब दे रहे हैं शायद अगले महीने के समाप्त होने से पहले इसे मंजूरी दे दी जाये। हम योजना को 1995-96 और 1996-97 में कार्यान्वित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि आपको बता देंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का मौका दिया है...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पानी की सतह बहुत नीचे जा रही है जिससे सिंचाई के मामले में बहुत दिक्कत उत्पन्न हो गई है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको कोई ऐसी सूचना दी है। जो 81 करोड़ रु. की भूगर्भ

योजनाएं आप राष्ट्रीय राजधानी में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चला रहे हैं, क्या ऐसी कोई योजना उत्तर प्रदेश में विकट स्थिति उत्पन्न होते देश चलाने का इरादा रखते हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, उत्तर प्रदेश में 815 ब्लाक हैं जिनमें से केवल 95 ब्लाकों को ऐसे ब्लाकों के रूप में चुना गया है जहां अति-विदोहन हो चुका है और 22 खण्ड ऐसे हैं जहां पर शत प्रतिशत विदोहण हो चुका है। अतः पानी के उपयोग की प्रतिशतता बहुत अधिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न यह है कि क्या आप इस योजना को उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित करना चाहते हैं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : लगभग सभी राज्य इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने हां कह दिया है। आपकी समस्या का समाधान होना चाहिये। आप ठीक से सुनते ही नहीं हैं। आप सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, उसे सुनते नहीं हैं।

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि एक केन्द्र प्रयोजित योजना मंजूरी हेतु योजना आयोग को भेजी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह माडल योजना है जिसे सभी राज्यों में लागू किया जायेगा और क्या राज्य सरकारों को अपनी मांगे भेजने के लिए कहा जायेगा? मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि यह योजना कहां पर लागू की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसके उत्तर से और भी भ्रम पैदा हो जायेंगे। अतः मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न को मंजूरी नहीं दी जा रही है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां पर वाटर लैवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, सरकार की तरफ से उन क्षेत्रों को डार्क और ग्रे एरिया घोषित किया जाता है। वहां किसानों को बोरिंग करने की अनुमति नहीं होती। सरकार की तरफ से जो छूट मिलती है, वह भी नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में वहां पानी नीचे चला जाता है। उन्हें नई बोरिंग करने की अनुमति नहीं है, प्राइवेट पंपिंग सैट लगाने की अनुमति नहीं है। क्या केन्द्र सरकार ऐसे क्षेत्रों के लिये कोई और व्यवस्था करेगी जिससे वहां के क्षेत्रों की सिंचाई हो सके और अच्छी खेती उत्पादित हो सके। क्या इस प्रकार की कोई योजना आपने बनायी है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, योजना का यही उद्देश्य है।

अध्यक्ष महोदय : आपने ठीक उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वाटर शैड में कौन-कौन सी ऐक्टिविटीज आती हैं? यदि एन.जी.ओज. किसी योजना के प्रस्ताव सामने लाती है तो क्या आप उन्हें मंजूर करते हैं? इस सम्बन्ध में आपकी क्या योजना है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : योजना के अनुसार विस्तृत बेसिनों के जरिए कृत्रिम पुनर्भरण के लिए लगभग 500 स्थलों, रिसाव टैंकों के निर्माण के लिए 500 स्थलों तथा अनु-भूतल बांधों एवं सम्बद्ध संरचनाओं के लिए 1000 स्थलों का अन्वेषण किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसानों को स्वतन्त्र रूप से इसको करने की अनुमति देंगे?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : हमने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वतन्त्र रूप से इस कार्य को करने के संबंध में नहीं सोचा है, यदि वे आगे आयें हम निश्चित रूप से इससे सहमत हो जायेंगे।

भारत ओमान गैस समझौता

+

*243. **श्री के.वी. शिवप्पा :**
श्री वी. कृष्णा राव :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गैस पाइपलाइन हेतु ओमान के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस परियोजना से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में गैस प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) दक्षिण गैस ग्रिड को प्रति वर्ष कितनी मात्रा में गैस की सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ), सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) करार दीर्घावधिक गैस आपूर्ति संविदा में सम्मिलित होने वाली प्रमुख शर्तों जैसे संविदा अवधि, संविदागत मात्रा, न्यूनतम मात्रा, मूल्य इत्यादि को निर्दिष्ट करता है।

(ग) परियोजना संबंधी विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है।

(घ) 20.66 बिलियन घन मीटर।

(ङ) यह आपूर्ति के लिए पंजीकृत मांग तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

श्री के.जी. शिवप्पा : उत्पादित गैस के अधिकांश भाग की सप्लाई केवल उत्तरी राज्यों को की जाती है। दक्षिण राज्यों को बहुत कम मात्रा की सप्लाई की जाती है। अब मंत्री महोदय ने दक्षिणी राज्यों को भी गैस की सप्लाई करने का निश्चय किया है जिसके बारे में दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी। मैं मंत्री महोदय को इसके किये बधाई देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ओमान से दक्षिण राज्यों के गैस की सप्लाई पर लागत अब सप्लाई की जा रही लागत से अधिक आयेगी यदि हां, तो गैस की उत्पादन लागत कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार दक्षिण गैस ग्रिड की स्थापना के प्रति वचनबद्ध है। जैसा कि उन्होंने कहा है मैंने सभी दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी और तब से इस बारे में काफी प्रगति हुई है। सभी दक्षिणी राज्य इस गैस के लिये अन्तिम-प्रयोक्ताओं का चयन कर रहे हैं और जब ओमान गैस पाईपलाईन परियोजना पूरी होगी तो इससे निश्चित रूप से दक्षिण गैस ग्रिड की गैस की सप्लाई की जायेगी।

श्री के.जी. शिवप्पा : मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यह बतायें कि दक्षिणी गैस ग्रिड को कितनी गैस की सप्लाई की जायेगी। यह गैस कब तक उपलब्ध की जायेगी।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : दक्षिण गैस ग्रिड के लिये कितनी गैस की मात्रा की वस्तुतः सप्लाई की जायेगी इस बारे में दक्षिण राज्यों के द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है। वे राज्य इस बारे में विचार कर रहे हैं और इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। जहां तक समय तालिका का संबंध है पहली पाइपलाइन जुलाई 1999 तक पूरी किये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, आप पहले तो यह बताने की कृपा करें कि जो आप ओमान से गैस पाइपलाइन ला रहे हैं उसका क्या ब्यौरा है? क्योंकि जब गैस पाइपलाइन से आ रही है वह पहले गुजरात, कच्छ में आ रही है तो आप गुजरात के बारे में क्या सोच रहे हैं? महोदय, कई सालों से गुजरात की मांग है कि वहां पीपावाव में गैस आधारित विद्युत मथक चालू करना है लेकिन गुजरात के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आप गुजरात को पीपावाव गैस आधारित विद्युत मथक के लिए कितनी गैस देने जा रहे हैं और कब देंगे?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि गुजरात के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : महोदय, इसका रिकार्ड है।

...व्यवधान

श्री शंकरसिंह वाघेला : आप गुजरात की गैस बाहर ले जा रहे हैं। अब राज्य में आपकी सरकार नहीं है तो आपकी लाइन भी बाहर नहीं जाएगी इसलिए गुजरात की गैस को आप गुजरात को दीजिए।

...व्यवधान

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने मामले को स्वयं बिगाड़ रहे हैं। आपको उत्तर नहीं मिलेगा। कृपा कर बैठ जायें।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा*।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि गुजरात में गैस की मांग है और गुजरात में गैस की मांग में हो रही वृद्धि से इस बात का पता चलता है कि गुजरात की आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर है। मैं वास्तव में गुजरात राज्य को बधाई देता हूं। यह पहला राज्य है जिसने राज्य स्तर पर अपनी स्वयं की तेल गैस कम्पनी की स्थापना की है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब ओमान गैस पाईपलाइन पूरी हो जायेगी तब विद्युत परियोजना के लिये अतिरिक्त गैस की आवश्यकता की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जायेगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। हमें इस विद्युत उत्पादन परियोजना की जानकारी है। पीपावाव का मसला लम्बित पड़ा है। जब

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ओमान से गैस मिलेगी पीपावाव परियोजना पर सबसे पहले विचार किया जायेगा। महोदय यह मेरा आश्वासन है।...(व्यवधान)

श्रीमती भावना चिखलिया : धन्यवाद।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया है*।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार जहां तक इस परियोजना का संबंध है ओमान से 20 मिलियन घन मीटर गैस आयात की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको यह मालूम है कि काफी अधिक मात्रा में बम्बई हाई में अभी भी गैस जल रही है। जब प्रश्न पूछा गया था तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था :

"धन की कमी के कारण सरकार के पास बम्बई हाई में गैस के जलने को रोकने के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं थे। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि महोदय क्या सरकार ने लागत व्यवहार्यता रिपोर्ट पर विचार किया है। और क्या ओमान से गैस का आयात करने और ओमान को उसके लिये पैसा देने की तुलना में बम्बई हाई की गैस को, जो जल रही है, उपयोग में लाना अधिक किफायती काम होगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : माननीय सदस्य ने गैस जलने का जो उल्लेख किया है वह माननीय सदस्य को मालूम है कि पश्चिमी क्षेत्र में हो रहा है। एक बहुत बड़ी करोड़ों डालर मूल्य की गैस जलने में कमी लाने संबंधी परियोजना तैयार की जा रही है। आपके माध्यम से महोदय मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वर्ष 1996 तक गैस का जलना तकनीकी दृष्टि से लगभग शून्य के स्तर तक हो जायेगा। यह बहुत बड़ी परियोजना है। यह बहुत बड़ी करोड़ों डालर की परियोजना तैयार की जा रही है। मैं उसकी प्रगति के बारे में सन्तुष्ट हूं। वर्ष 1996 तक गैस का जलना तकनीकी रूप से शून्य के स्तर पर लाया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ओमान गैस एग्रीमेन्ट का काफी विरोध हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि इस विरोध का क्या कारण है और इस विरोध के चलते ओमान गैस एग्रीमेन्ट का क्या औचित्य है?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक समाचार पत्र की खबर के सिवाय इस समझौते के विरोध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परन्तु हम उस समाचार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि हमने मुख्य शर्तों पर हस्ताक्षर किया हैं। गैस सप्लाई में दीर्घावधि समझौते पर अभी हस्ताक्षर किये जाने हैं। उस पर हस्ताक्षर तब किये जायेंगे जब ओमान द्वारा हमें दो बातों के बारे में सन्तुष्ट करा दिया जायेगा। पहली बात यह है कि उन्होंने 3500 मीटर से अधिक गहराई पर बिछाई जाने वाली इस पाईपलाइन के बारे में सभी तकनीकी मसलों को हल कर लिया है। इस तरह इसके साथ कई तकनीकी मुद्दे जुड़े हैं। व्यवहार्यता अध्ययन के दूसरे चरण का काम चल रहा है। उन्हें हमें उपलब्ध गैस की मात्रा के बारे में भी सन्तुष्ट कराना है। क्या संविदा की पूरी अवधि के लिए सप्लाई करने हेतु उनके पास गैस है? अतः इन मसलों के हल हो जाने के बाद ही जब वह हमें सन्तुष्ट कर देंगे तब उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। हमने तकनीकी मुद्दों के बारे में कार्यवाही की है। हमने एक उच्च स्तरीय तकनीकी दल का गठन किया है जिसमें हमारे देश के विख्यात लोग शामिल हैं और वह इन सभी तकनीकी मुद्दों पर विचार करेंगे। दूसरी ओर, हमें इस बात से सन्तुष्ट कराया जाना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। इस बात के बारे में हमें सन्तुष्ट कराया जाना जरूरी है। इन दोनों बातों के बारे में सन्तुष्ट होने पर ही हम दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर भारत में हमने देखा है कि गैस के अनेक स्त्रोतों का पता लगाया गया है। हममें से अनेक लोगों ने संसद में इन स्त्रोतों की विभिन्न रूप से त्रिपुरा तथा असम में स्त्रोतों के विदोहन की आवश्यकता के बारें में जोर भी दिया है। वास्तव में, मुझे याद है कि मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि त्रिपुरा-अगरतला से मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड तक गैस की सप्लाई के लिए पाईप लाइन बिछायी जायें। आज बहुत से लोग गैस का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, हालांकि यह बात प्रश्न से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है किन्तु मुझे मालुम है कि वह इसके लिये पूरे तैयार होकर आये हैं, कि पूर्वोत्तर भारत में इन योजनाओं का कार्य शुरू करने के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है? उनका इसके बारे में क्या विचार है?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मुझे माननीय सदस्य को यह बताकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जैसा कि उनको मालूम है पूर्वोत्तर भारत में इधर-उधर बिखरे हुए अनेक छोटे गैस क्षेत्र हैं। अब प्रायोगिक आधार पर एक परियोजना की स्थापना की जा रही है जिसके अन्तर्गत गैस क्षेत्र के निकट एक 'स्किड माउंटेड' यूनिट लगाया जा रहा है। यह प्रौद्योगिकी प्राकृतिक गैस को तत्काल मिडल डिस्टीलेट्स में बदल देती है। इस पर काम हो रहा है। यदि इस में सफलता प्राप्त हो गई तो यह सारे पूर्वोत्तर भारत के छोटे गैस क्षेत्रों के बारे में बड़ी उपयोगी होगी। हम इस 'स्किड माउंटेड' यूनिट के साथ परीक्षण कर रहे हैं जिसकी स्थापना की जा रही है।

जहां तक पाईप लाईन का संबंध है मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जब तक उपलब्ध गैस की मात्रा लगभग 10 मि. स्टेंडर्ड घन मीटर प्रतिदिन न हो पाईपलाइन आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होगी। परंतु हम इस दृष्टि से भी विचार कर रहे हैं कि इसे आर्थिक दृष्टि से किस तरह सक्षम बनाया जाये।

श्री वी. धनञ्जय कुमार : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या समझौते में दक्षिणी गैस ग्रिड बनाये जाने तथा ओमान

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पाईपलाईन से दक्षिणी गैस ग्रिड को गैस की निश्चित मात्रा में सप्लाई किये जाने का कोई उल्लेख है।

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि माननीय मंत्री ने अभी यह कहा है कि दीर्घावधि समझौते को अन्तिम रूप दिया जाना है, कुछ तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं और केवल ओमान ही अपेक्षित मात्रा में गैस की सप्लाई कर सकता है आदि, आदि। मुझे डर है कि इस समझौते के अन्तर्गत की जाने वाली व्यवस्था के अन्तर्गत यदि ओमान इन सभी शर्तों को पूरा करने में असफल रहा तो क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : इस पर वह तकनीकी अध्ययन के बाद विचार करेंगे ।

श्री वी. धनजंय कुमार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिणी गैस ग्रिड का वास्तव में गठन किया जायेगा। क्योंकि यह निश्चित रूप से ओमान से गैस सप्लाई पर निर्भर होगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक दक्षिणी गैस ग्रिड का संबंध है, मैं पहले भी यह बता चुका हूं, सरकार दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना के लिए वचनबद्ध है। चारों दक्षिणी राज्यों ने मिलकर एक दल का गठन किया है जो उपभोक्ता गैस का पता लगायेगा और उसे अन्तिम रूप देगा। केरल औद्योगिक विकास निगम प्रमुख एजेंन्सी है यह अध्ययन फ्रांस की एक नेशनल एजेन्सी की सहायता से कराया जा रहा है और यह अध्ययन प्रगति पर है।

जहां तक पाईपलाईन का संबंध है आपके माध्यम से मैं सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि व्यवहार्यता अध्ययन से पहले के चरण से लेकर व्यवहार्यता अध्ययन के भाग 2 तक, जिस पर काम हो रहा है, इसके सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ओमान को इस पर 100 मि. डालर खर्च करना पड़ेगा। पाईप लाईन का निर्माण चल रहा है। इसे बनाया जायेगा; इसका वित्तपोषण किया जायेगा और ओमान के द्वारा इस गैस की पाईपलाईन को बिछाने, चालू किये जाने तथा रखरखाव का काम किया जाना है। इस पर ओमान को पांच बिलियन डालर से अधिक खर्चा करना पड़ेगा। वह यह खर्चा कर रहे हैं? वे इसे तभी पूरा करेंगे जब वे इसके बारे में सन्तुष्ट हो जायेंगे। यह उनका पैसा है। इसकी कोई समस्या नहीं है बशर्ते कि तकनीकी चुनौतियों को हल किया जाये।

डा. वसन्त पवार : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री दक्षिणी गैस ग्रिड बनाने पर सहमत हो गये हैं। वर्ष 1992 में महाराष्ट्र सरकार ने गैस की सप्लाई की मांग की थी और केन्द्र सरकार को सप्लाई हेतु अनुरोध किया था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि यदि दक्षिणी गैस ग्रिड बनाया जा रहा है तो क्या महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार किया जायेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि भारत-ओमान गैस पाईपलाईन के स्थापित हो जाने पर गैस की अनुमानित लागत होगी ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : जहां तक महाराष्ट्र को प्राकृतिक गैस की सप्लाई का प्रश्न है भारत में प्राकृतिक गैस की कमी है। स्थिति इस प्रकार है कि हमारा स्वदेशी प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रतिदिन 60 मि. स्टेडर्ड घन मीटर है। गैस के इस1992 तक प्रतिदिन 260 मि. स्टेन्डर्ड घन मीटर गैस की मांग पंजीकृत थी। वर्ष 1992 के बाद हमने और आगे पंजीकरण नहीं किया है। इससे हमें अन्दाजा लग सकता है कि ओमान से भारत को प्रतिदिन केवल 56.6 मि. स्टेन्डर्ड घन मीटर गैस प्राप्त होगी। इसी कारण हमने ईरान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि व्यवहार्यता अध्ययन आरंभ किया जा चुका है और इस साल के अंत तक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। हमारा काम प्रगति पर है और मांग का यह स्तर है। इसी कारण हमने केवल ओमान के साथ ही नहीं अपितु ईरान के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भविष्य के लिये हम राष्ट्रीय गैस ग्रिड के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र की ही नहीं अपितु देश के सभी राज्यों की अपेक्षित गैस की सप्लाई हो सके।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मंत्रीजी ने जवाब में कहा है कि हमने 20.66 बिलियन घन मीटर के लिए कांट्रेक्ट किया है। यह आशंका पैदा की जा रही है कि अभी तक ओमान के पास इतना उपलब्ध नहीं है, करीब 5 बिलियन घन मीटर ही उपलब्ध है। क्या इस आशंका के बारे में आपको पता है और क्या आपने इस पर विचार किया है कि यह सही है? अगर सही है तो 20. 66 बिलियन घन मीटर न मिला तो क्या उसको आप कम करेंगे या अन्य कुछ करेंगे, कृपया इसको स्पष्ट करें?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ओमान द्वारा हमें गैस की मात्रा तथा तकनीकी मसलों के बारे में सन्तुष्ट कर दिये जाने पर हम दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। हमने एक दल बना दिया है जो ओमान के साथ समन्वय कर रहा है। ओमान को जुलाई से पहले हमें सन्तुष्ट कराना है। जुलाई में दीर्घावधि समझौता किया जाना निर्धारित है। जुलाई तक ओमान इन दोनों बातों के बारे में सन्तुष्ट करेगा अर्थात कि उनके पास 56 मि. स्टेडर्ड घन मीटर प्रतिदिन सप्लाई करने के लिये पर्याप्त गैस है जो 24 इंच व्यास की दो पाईप लाईनों के जरिए सप्लाई की जायेगी। इनमें से प्रत्येक पाईप लाईन 28.3 एम एम एस सी एम डी की सप्लाई करेगी। पहला पाईप लाईन 1999 तक पूरा किया जाना है और दूसरा पाईपलाईन उसके 18 से 24 महीने बाद पूरा किया जाना है। आज की यह स्थिति है।

श्री चन्द्रजीत यादव : अब मंत्री महोदय ने कहा है कि ओमान के सिवाए हमारा ईरान के साथ समझौता करने का भी विचार है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या व्यवहार्यता अध्ययन से इस बात का पता चला है कि भारत को प्रतिवर्ष कितनी गैस की

जरूरत है। हमारी जरूरतों को देखते हुए क्या हमारा विचार अन्य देशों के साथ भी समझौता करने का है। अब केवल तीन महीने का समय ही बचा है। मुझे विश्वास है कि सम्बद्ध व्यक्तियों ने पूरे ब्यौरे पर विचार कर लिया होगा और उन्होंने ओमान से आवश्यक आंकड़े हासिल कर लिये होंगे। इतनी बड़ी परियोजना पर हस्ताक्षर करने के लिये हमारा मूल्यांकन क्या है। हमारे व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार क्या ओमान के पास पर्याप्त गैस है? दूसरे, ओमान तथा ईरान की इन परियोजनाओं पर हमारा कितना खर्च होगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि हमारी मांग अधिक है। जैसाकि मैंने कहा है भारतीय गैस प्राधिकरण के पास प्रतिदिन 260 मि. स्टेन्डर्ड घन मीटर गैस के लिये पंजीकरण है, यह 1992 के आंकड़े हैं। योजना आयोग का आंकलन सन् 2000 के लिये 135 मि. स्टेन्डर्ड घन मीटर गैस प्रतिदिन है। हमारा उत्पादन केवल 60 मि. स्टेन्डर्ड घन मीटर गैस प्रतिदिन है। हम ओमान से प्रतिदिन 56 मि. स्टेन्डर्ड घन मीटर गैस तथा ईरान से प्रतिदिन 60 मि. स्टेन्डर्ड घन मीटर की सप्लाई की अपेक्षा करते हैं। यह भारत ईरान समझौते के अनुसार है। दोनों समझौतों में अन्तर इतना है कि ओमान ने, जैसा मैंने बताया है, व्यवहार्यता पूर्व तथा व्यवहार्यता परीक्षणों पर खर्चा किया है। हमारा अनुमान यह है कि जब तक व्यवहार्यता अध्ययन का काम पूरा होगा ओमान द्वारा 100 मि. डालर खर्च किया जा चुकेगा।

स्पष्ट है कि जब हमने ओमान के साथ समझौता किया था तो ओमान इन दोनों पाईपलाईनों के जरिए प्रतिदिन 56 मि. स्टेन्डर्ड घन मीटर गैस की सप्लाई करने को सहमत हुआ है। यह जुलाई से आरम्भ होगा। जहां तक भारत-ईरान समझौते का संबंध है इसमें भारत-ओमान समझौते से यह अन्तर है कि व्यवहार्यता अध्ययन के चरण से ही भारत तथा ईरान द्वारा मिल कर पैसा लगाया जायेगा, जैसा कि हमने किया है। व्यवहार्यता अध्ययन पर काम चल रहा है और हमने ईरान के साथ मिलकर उस पर व्यय किया है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ही दिनों में ईरान के प्रेसीडेन्ट भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यह पाईप लाईन उनके साथ बातचीत का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। दोनों ही पक्ष कार्य की प्रगति के बारे में चिन्तित हैं। जैसा कि आपको पता है ईरान में विश्व के सबसे अधिक गैस भण्डार हैं। उनके लिये भारत एक बड़ा उभरता बाजार है जो उनके निकट स्थित है। अतः दोनों देशों के लिये यह बहुत अच्छी परियोजना है और जैसा कि सदस्यों को पता है ईरान के पास गैस का असीमित भण्डार है। इसके अतिरिक्त, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है हम अन्य स्रोतों, अन्य देशों का भी पता लगा रहे हैं। हम किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं। माननीय सदस्य को मालूम है कि तेल मंत्री कुछ दिन पूर्व भारत आये थे। वह देश जापान को निर्यात करने के लिये अपने देश में एल एन जी सुविधाओं की स्थापना कर रहा है अतः हमने उनके साथ भी एल एन जी की सप्लाई के विकल्प पर विचार किया है। इस तरह देश के हितों को सुरक्षित करने के लिये हमने सभी कदम उठाये हैं ताकि देश के लिये सप्लाई के स्रोत सुरक्षित हो सकें।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आगरा में आश्वासन दिया था चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में बड़े पैमाने पर प्रदूषण को हटाये जाने का आदेश दे दिया है इसलिये वहां पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध करायी जायेगी। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आगरा का ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर तो आगरा और फिरोजबाद में कब तक प्राकृतिक गैस की उपलब्धता करा रहे हैं?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य तथा सदन को यह बताना चाहता हूं कि पर्यावरण वादियों, उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य विख्यात व्यक्तियों ने सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने जो आगरा के लिये प्राकृतिक गैस की सप्लाई से जुड़े हुए थे, -यह बहुत पुराना मसला है, जो कुछ वह चाहते थे मैंने आगरा के लिये उच्चतम न्यायालय अथवा उनसे आगे बहुत कुछ किया है। मैंने ताजमहल के लिए एक दस सूत्री कार्यक्रम तय किया है, क्योंकि ताजमहल देश के लिये ही नहीं है, यह विश्व की विरासत है। ताजमहल, फिरोजबाद अथवा मथुरा के ताजमहल तिकोन के लिये मैंने मथुरा तेल शोधक कारखाने तथा ताजमहल तिकोन में उद्योगों के लिये प्राकृतिक गैस की सप्लाई की घोषणा ही नहीं की है मैंने घरेलू गैस की प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को अगले साल तक गैस देने के आदेश जारी किए हैं। ताजमहल तिकोन में एक लाख से अधिक लोगों का नाम प्रतीक्षा सूची में है। इन सबको कनेक्शन दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त ताज तिकोन क्षेत्र में एल पी जी के आवेदकों को तुरन्त कनेक्शन दिये जायेंगे। उनको इसके लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह कम सल्फर वाले डीजल तथा कम सीसे वाले पेट्रोल की सप्लाई शुरू करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। तथा अनेक अन्य कदम उठाये जा रहे हैं। इसे दस सूत्री कार्यक्रम कहा जा रहा है। सरकार इतना ही कर सकती है और यह कदम लोगों की अपेक्षा से अधिक है।

जल का उपयोग

***244. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में सिंचाई और अन्य प्रयोजनों हेतु जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है या की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री पी.वी. रंगय्या नायडू : (क) से (ग). विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने उपयोग्य जल उपलब्धता एवं उसकी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अनेक नीतियां व कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें ये शामिल हैं; अधिशेष जल वाले थालों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का अंतरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना तथा सितंबर, 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया जाना।

राष्ट्रीय जल नीति में व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रकार के घटकों पर नीति निदेश शामिल हैं;

(i) सूचना प्रणाली।

(ii) एकीकृत थाला आयोजन तथा प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाकर जल की उपलब्धता को अधिक से अधिक बढ़ाना। जल का अंतः थाला अंतरण तथा जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग।

(iii) सतही और भूजल के संयुक्त प्रयोग तथा भूजल निष्कर्षण का विनियमन सहित भूजल विकास।

(iv) जल आवंटन प्राथमिकताएं।

(v) कमान क्षेत्र विकास दृष्टिकोण तथा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणालियों जैसी कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने सहित आधुनिक सिंचाई जल प्रबंध पद्धतियों को अपनाना।

(vi) जल की कमी और आर्थिक मूल्य बताने के लिए जल दरों को युक्तियुक्त करना।

(vii) सिंचाई प्रणालियों के भागीदारी प्रबंध को प्रोत्साहन देना।

(viii) प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अनुकूली परीक्षण आदि के जरिए जल से संबंधित मुद्दों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देना।

(ix) अनुसंधान और विकास प्रयासों का विविधीकरण, और

(ग) सिंचाई प्रणालियों का समुचित अनुरक्षण और आधुनिकीकरण।

राष्ट्रीय जल नीति के अतिरिक्त निम्नलिखित नीति कागजात तैयार किए गए हैं :

(क) प्रारूप सिंचाई प्रबंध नीति।

(ख) सिंचाई क्षेत्र में संगठनात्मक और कार्य विधि परिवर्तन संबंधी दृष्टिकोण।

(ग) प्रारूप जल सूचना विधेयक।

(घ) राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के जल के आवंटन के लिए प्रारूप राष्ट्रीय नीति मार्ग-निर्देश।

(ङ) नदी थाला संगठनों को गठित करने के संबंध में प्रारूप नीति टिप्पण।

(च) सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग की आयोजना के लिए मार्ग-निर्देश।

उपर्युक्त के अलावा, सृजित सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 1974-75 से एक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय, इसमें 22 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में फैली 189 सिंचाई परियोजनाओं में 21.32 मिलियन हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र शामिल है। विद्यमान सिंचाई सुविधाओं की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए 11 राज्यों में 114 योजनाओं के जरिए राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है जिसमें 3.36 मिलियन हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र शामिल है।

इन नीतिगत उपायों एवं कार्यक्रमों का आशय देश में जल संसोधनों का इष्टतम उपयोग प्राप्त करना है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : सारे देश में जल संसाधनों का बाहुल्य होने के बावजूद इसका वितरण बहुत असमान है और पानी की क्षमता की काफी अधिक प्रतिशतता व्यर्थ चली जाती है। क्या मैं जान सकता हूं कि कितना प्रतिशत पानी बह कर समुद्र में चला जाता है और पानी की क्षमता का कम उपयोग किस हद तक लगातार चलने वाले अन्तर्राज्यीय जल विवादों के कारण है?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : इस समय लगभग 552 घन किलोमीटर पानी का उपयोग हो रहा है। देश की उपयोग में लाई जा सकने वाली 1142 घन किलोमीटर की कुल उपलब्धता क्षमता में से लगभग 590 घन किलोमीटर पानी की क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हम अम्बित नदी जल विवादों के कारण देश के जल संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अन्तर्राज्यीय नदी के जल के उपयोग के बारे में विवादों के कारण 51 परियोजनाएं इस समय लम्बित हैं। इसमें से कुछ परियोजनाएं न्यायाधिकरणों के पास लम्बित पड़ी हैं और कुछ अभी तक न्यायाधिकरणों को निर्देशित भी नहीं की गई हैं।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जनसंख्या की भारी वृद्धि दर को देखते हुए वर्तमान 90 करोड़ की जनसंख्या के संदर्भ में सन् 2025 तक जल का गंभीर संकट उत्पन्न होने की संभावना है? यदि हां तो पानी की इस समय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है; अधिकतम उपयोग के साथ इसे कहां तक बढ़ाया जा सकता है और वर्ष 2025 तक पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कितनी कमी होने का अनुमान है?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : वर्ष 1991 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या लगभग 8460 लाख है और देश में उपयोग में लाये जा सकने वाले जल की मात्रा का अनुमान 1142 बिलियन घन किलोमीटर है। इस समय पानी की औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 1360 घन मीटर है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है सन् 2000 में मांग में वृद्धि

होने की संभावना है। अनुमान है कि इस समय के 552 घन किलोमीटर के उपयोग के स्तर की तुलना में हमें वर्ष 2000 तक उपयोग को बढ़ा कर 750 घन किलोमीटर तक ले जाना होगा। हमने अनेक कदम उठाये हैं। कुछ जल संसाधन परियोजनाओं के जरिए उपलब्ध होते हैं और अनेक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। हमें उम्मीद है कि निर्माणाधीन तथा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं से लगभग 130 घन किलोमीटर की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध हो जायेगी। इसके अतिरिक्त हम वर्षा काल में वर्षा के पानी के भण्डारण और बाद में कमी वाले सीजन में उसका उपयोग करने तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिये भी उसे उपयोग में लाये जाने पर विचार कर रहे हैं। इस प्रकार इन सभी विचाराधीन योजनाओं के साथ हमें उम्मीद है कि वर्ष 2000 तक पानी की उपलब्धता की स्थिति सन्तोषजनक होगी।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान पानी के मामले में बड़ा दुखिया प्रदेश है। उसके पानी के अपने कोई स्रोत नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कृपा करके राजस्थान के हित में यमुना जल विवाद को निपटाने का प्रयास किया था।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपका प्रश्न रलेवेण्ट नहीं होगा तो मैं डिसअलाऊ कर दूंगा।

[अनुवाद]

आपको इस बात को समझना चाहिये कि यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और उन्होंने बहुत अच्छा अनुपूरक प्रश्न भी पूछा है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस समझौते में कुछ ऐसे मुद्दे रह गए हैं जिसके कारण राजस्थान सरकार को विवश होकर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। क्या मंत्री महोदय राजस्थान के मुख्य मंत्री को बुलाकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे रह गए हैं उनको भी निपटाने का प्रयत्न करेंगे जिससे राजस्थान की धरती की प्यास बुझ सके क्योंकि राजस्थान वास्तव में सूखा प्रदेश है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे उत्तर देने के लिए अनुरोध नहीं कर रहा।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मुझे इसके लिए अलग से सूचना चाहिये।

श्री अंकुशराव टोपे : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले प्रश्न को पढ़ा लें-यह एक अच्छा प्रश्न है और उसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछें। अन्यथा समय नष्ट न करें।

श्री अंकुशराव टोपे : जैसा कि सब जानते हैं कि बांधों का निर्माण कृषकों के लिए तथा कृषि के नाम पर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकताएं तय करने में पहला स्थान पेयजल का है उसके बाद कृषि का स्थान है और उद्योग के लिये तीसरा स्थान तय है। परंतु कुछ राज्यों में प्राथमिकताओं को बदल दिया गया है। वहां उद्योग को दूसरा तथा कृषि को तीसरा स्थान दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ऐसे राज्यों को निर्देश जारी करेगी कि कृषि को पेयजल के बाद दूसरा स्थान दिया जाये।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं माननीय सदस्य के साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि पेयजल को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिये, हालांकि पेयजल के रूप में उपयोग में लाई गई मात्रा कृषि के लिये उपयोग में लाई गई मात्रा से कम होती है। राष्ट्रीय जल नीति ने पेयजल को पहली प्राथमिकता दी है और सिफारिश की है कि सिंचाई और बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं में पेयजल को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

श्री अंकुशराव टोपे : महोदय, विवाद पेयजल के बारे में नहीं है परंतु उद्योग तथा कृषि के बारे में है। पेयजल को हमेशा पहली प्राथमिकता दी जाती है और इसका कोई विरोध नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न बहुत स्पष्ट है अर्थात प्राथमिकताओं के बारे में है। उद्योग तथा कृषि में से किस की प्राथमिकता मिलनी चाहिये?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : पहली प्राथमिकता पेयजल की है और उसके बाद कृषि और फिर उसके बाद उद्योगों की प्राथमिकता है।

श्री अंकुशराव टोपे : नहीं महोदय,...(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को देखते हुए कि आठवीं योजना में सिंचाई सुविधाओं की स्थापना के लिए लगभग 40000 रु. प्रति हैक्टेयर की लागत आने का अनुमान है और लगभग 9 मि. हैक्टेयर भूमि के लिए स्थापित की गई सिंचाई सुविधाओं का उपयोग नहीं हो रहा है, सरकार द्वारा इस बात के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं कि अब तक स्थापित की जा चुकी सिंचाई सुविधाओं का उपयोग हो।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है। मेरी जानकारी यह है कि लगभग 37000 करोड़ रु. की विदेशी सहायता का उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार इस बात के लिए क्या कदम उठा रही है कि इसका शीघ्र उपयोग हो ताकि किसानों को सिंचाई सुविधाएं मिल सकें?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि स्थापित की गई सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास योजना वर्ष 1974-75 में आरंभ की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य स्थापित की जा चुकी क्षमता तथा उपयोग में लाई जा रही क्षमता के बीच के अन्तर को दूर करना और सिंचित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ 'आन-फार्म' विकास कार्यों को पूरा करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे पढ़ें नहीं। इसका सारांश बता दें।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : हमने उपलब्ध क्षमता तथा उपयोग में लाई जा रही क्षमता के बीच अन्तर पूरा करने के लिये कमान क्षेत्र विकास को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सच है कि कृषि प्रयोजनों के लिए उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव बाड्डे : यह राशि 37000 करोड़ रु. है।

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी मिलने पर उपलब्ध करा देंगे।

कुमारी उमा भारती। क्या आपने प्रश्न समझ लिया है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली एक वृहद परियोजना मंत्रीजी के विभाग के पास बहुत लम्बे समय से लम्बित है। उसमें पर्यावरण के कारण कुछ अड़चन आ गयी थी इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि उसकी आज क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय उत्तर में कहा गया है कि राष्ट्रीय जल नीति की मुख्य बात फालतू पानी वाले क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उसे अन्तरित करना है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह विचार ठीक है?

श्री लोकनाथ चौधरी : यह उनके उत्तर में कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप जारी रखें।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय मैं उत्तर में से ही पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है कि मुख्य बात फालतू पानी वाले क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी का अन्तरण करने की है। इसके लिए नदी बेसिन परियोजना भी तैयार की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस कल्पना को वास्तविक रूप देने के लिये अब तक क्या ठोस कदम उठाये गये हैं और इस दिशा में इन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न अ दूसरा भाग "स्थापित की जा चुकी क्षमता तथा उपयोग में न लाई गई क्षमता" के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी परियोजनाओं में क्षमता की स्थापना की गई है किन्तु धन की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसके कारण वह क्षमता मृतप्रायः है। उड़ीसा की दो-तीन परियोजनाओं में यह हो रहा है। उदाहरण के रूप में फेतारू तथा ब्रामनु परियोजनाओं का नाम बताया जा सकता है।

प्रश्न का तीसरा भाग इस प्रकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु आप तीन प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय यह जानकारी के लिये है। यह कहा जाता है कि देश भर में फैली 189 परियोजनाओं के अन्तर्गत 21 मि. हैक्टेयर क्षेत्र के आने का अनुमान है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश भर में फैली यह 189 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं : यदि नहीं तो उनमें से कितनी परियोजनाएं अभी पूरी की जानी हैं, जिसके कारण उनकी लागत में वृद्धि हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के केवल पहले भाग का उत्तर दें। दूसरे भाग का आप उत्तर दे चुके हैं। तीसरे भाग का उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : इस उद्देश्य को सामने रख कर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने सितम्बर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को पारित किया था जिसमें सिफारिश थी कि जल संसाधनों की आयोजना बेसिन। उप-बेसिन जैसे जलविज्ञान यूनिट के लिये की जानी है ताकि बेसिन। उप-बेसिन में पानी की सारी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सके और किसी भी बेसिन का फालतू पानी कमी वाले बेसिन में अन्तरित किया जा सके। सरकार ने फालतू पानी वाले क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी के अन्तरण की राष्ट्रीय संदर्शी योजना तैयार की है जिसके दो हिस्से हैं अर्थात हिमाचल क्षेत्र नदी विकास का घटक तथा प्रायः द्वीपीय नदी विकास घटक। राष्ट्रीय जल विकास एजेंन्सी का गठन 1982 में इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिये किया गया था। अब तक प्रायद्वीपीय घटक में चुने गये 17 सम्पर्कों में से 14 जल अन्तरण सम्पर्कों के संबंध में अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं और सम्बद्ध राज्य सरकारों को व्यवहार्यता अध्ययन मंजूरी हेतु भेज दिये गये हैं। आगे के अध्ययन आठवीं योजना में पूरे किये जाने तय हैं। इसी तरह हिमालय क्षेत्र नदी विकास घटक के बारे में अध्ययन भी किये जा रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, यह कैसा उत्तर है। मंत्री महोदय ने मेरा प्रश्न समझे बिना ही उत्तर दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं.. .**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने जिन परियोजनाओं की बात की है आप उनकी सूची भेजेंगे। यह काफी लम्बी सूची होगी।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मैं जल संसाधन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अंदर सरफेस वाटर की वेस्टेज कितनी है। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं इतनी वेस्टेज नहीं होगी, जितनी हिन्दुस्तान में है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका क्वैश्चन अच्छा है। अब इसको विस्तार से न बताएं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। पहला मेरा प्रश्न है कि हिन्दुस्तान में सरफेस वाटर की कितनी वेस्टेज हैं। मेरा असली सवाल है कि आज से तीन-चार साल कब्ल

जब नरसिंह राव साहब हमारे देश के प्रधान मंत्री बने थे, उसी वक्त नेपाल सरकार से हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह समझौता हुआ था कि नेपाल से होकर जो नदियां बिहार में आती हैं उन पर बैराज और डैम बनाये जायें जिससे न सिर्फ फ्लड कंट्रोल में मदद मिलेगी बल्कि सिंचाई के लिये बिजली का इंतजाम भी होना था। मैं जानना चाहता हूं कि उस समझौते को लागू करने के मामले में कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं। एग्रीमेंट के तहत अब तक उसका काम शुरू हो जाना चाहिये था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे भाषण मत करिये। मैंने कहा है कि आपका सवाल अच्छा है। अब आप बैठ जाईये। प्रश्न दो भागों में है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : शुक्रिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कितना पानी व्यर्थ जाता है?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : यह बताया जा चुका है कि लगभग 590 घन किलोमीटर पानी व्यर्थ बह जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इन परियोजनाओं के बारे में कितनी प्रगति हुई है?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मुझे इसके लिए अलग से सूचना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको यह जानकारी भेज दें।

श्री एम.जी. रेड्डी : महोदय, यह सच है कि दक्षिणी राज्यों के कुछ सूखा प्रवण क्षेत्र केन्द्रीय भूजल बोर्ड की सहायता के साथ एक व्यापक भूजल योजना तैयार कर रहे हैं। महोदय यह भी सच है कि सूखा प्रवण क्षेत्रों के गरीब किसान समुचित जानकारी के अभाव में कुए खोद रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड के लिए अधिक धनराशियों का आवंटन किया जाये ताकि वे व्यापक भूजल योजना तैयार कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के प्रश्न को अस्वीकार कर दूंगा।

श्री एम.जी. रेड्डी : महोदय मैं मंत्री महोदय से और अधिक धनराशियों का आवंटन करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे बात करें। वे आपकी सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न से नाराज न हों।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप रैलेवेंट क्वैश्चन पूछेंगे तो नाराज नहीं हूंगा। अगर इरैलेवेंट क्वैश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बैठा दूंगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं आपके जरिये वही प्रश्न पूछना चाहता हूं जो माननीय फातमी जी ने अभी पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार और नेपाल के बीच जो समझौता हुआ था, उससे उत्तरी बिहार में पानी के साधन उपलब्ध होने थे। क्या जल संसाधन मंत्री जी बतायेंगे कि उस एग्रीमेंट में अब तक क्या प्रगति हुई और सरकार कब कार्य प्रारम्भ करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कह दिया है कि आपको लिखकर भेजेंगे।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, यह कोई मामूली मामला नहीं है। मंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि क्या एग्रीमेंट हुआ था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से नहीं उठती है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार राज्य में सोन सिंचाई परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है,

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह भी गलत जा रहा है।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के सामने बिहार राज्य के सोन नदी के आधुनिकीकरण का सवाल लंबित है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सोन जल योजना का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, यदि हां, तो कब तक कर दिया जायेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास जानकारी है?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : जी नहीं। मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े होकर यह बता दें कि जानकारी आपके पास उपलब्ध नहीं है। यह उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं उनको लिखकर सूचित कर दूंगा।

श्री मृत्युन्जय नायक : महोदय मैं सिंचाई के जल के उपयोग के बारे में सरकार की चिंता की सराहना करता हूं। जहां तक पानी के व्यर्थ बह जाने का संबंध है मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देंगे जहां पर नहर-प्रणाली तो उपलब्ध है किन्तु आखिरी हिस्सों के क्षेत्रों तक पानी पहुंचने की पूरी व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय मैंने बताया है कि हमारी केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास योजना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप आधुनिकीकरण करके पानी को बड़े पैमाने पर उपयोग में लायेंगे?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, यदि राज्य सरकार कोई प्रस्ताव भेजेगी...

अध्यक्ष महोदय : अतः उत्तर है "हां"।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : जी हां।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सिंचाई एवं अन्य परियोजनाओं के लिये जल की व्यवस्था करने की बात कही है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बहुत से स्थान हिन्दुस्तान में ऐसे हैं, जैसे हमारे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में पहाड़ का क्षेत्र है, जहां सिंचाई का कोई साधन न होने के कारण कोई पैदावार नहीं हो पाती है, जो ऐसा गंगा का मैदान है, जो उ.प्र. के इलाहाबाद से बिहार के पहाड़ क्षेत्र तक फैला हुआ है, ऐसे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, गांधीजी ने अपनी एक पुस्तक ग्राम स्वराज्य में लिखा है कि कम खर्च में किस तरह से सिंचाई की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। विस्तार में न जाइए। कम पैसे से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जाए, यह पूछिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : हां, अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि कम खर्च में किस तरह से परियोजनाओं का निर्माण पहाड़ जैसे क्षेत्र में किया जा सकता है और जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बहने वाले नालों से बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर के या मैदानी भागों में बहने वालों नालों पर छोटे-छोटे बांध बनाकर, उस पानी को रोक कर किस तरह से उसका सदुपयोग किया जा सकता है और सिंचाई की जा सकती है, क्या इस संबंध में आपने कोई प्रारूप बनाया है?

अध्यक्ष महोदय : आप यह पूछिए इसको जल्दी करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : चूंकि यह एक अच्छा सुझाव है हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने हां, कह दिया है। आप को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रामवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष इसी सदन में एक प्रश्न पूछा था कि हमारे देश का जल विदेश में चला जाता है और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसके लिए इसी सदन के एक भूतपूर्व मंत्री डा. के.एल. राव ने इस समस्या के समाधान के लिए उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों का एक ग्रिड बनाने की योजना बनाई थी जिसके माध्यम से सारे देश में जहां भी पानी की कमी होगी, वहां इस ग्रिड में से पानी पहुंचाया जा सकता है और देश के बेकार पानी का उपयोग किया जा सकता है, उस योजना के सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या वह योजना सरकार के विचाराधीन है, या सरकार ने उसको छोड़ दिया है, तो मुझे जल संसाधन मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा था कि वह योजना उनके विचाराधीन है, उसे छोड़ा नहीं गया है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब ओमान से गैस भारत में आ सकती है, तो इसी भारत के उत्तर और दक्षिण भाग में बहने वाली नदियों का ग्रिड क्यों नहीं बनाया जा सकता है जिससे देश के पानी का सदुपयोग हो सके? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, क्या आप उस योजना को हमारे यहां लागू करने पर विचार कर रहे हैं या फिर आपने उस योजना को पुनः ठंडे बस्ते में बांध दिया है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, माननीय सदस्य को कैप्टन दस्तूर तथा डा. के.एल. राव की सिफारिश के बारे में संभ्रांति है। कैप्टन दस्तूर ने गारलैण्ड कनाल स्कीम की सिफारिश की थी और डा. के.एल. राव ने गंगा-कावेरी के सम्पर्क की बात की थी। इन दोनों योजनाओं को व्यवहारिक नहीं पाया गया है। इसी कारण मैंने अपने उत्तर में कहा है कि हम दो घटकों-हिमालय क्षेत्र नदी घटक तथा प्रायःद्वीप घटक पर विचार कर रहे हैं। जहां तक प्रायःद्वीप घटक की बात है हमने 14 अध्ययन कर लिये हैं। हम पहले उस घटक में पड़ने वाली नदियों के बेसिनों को आपस में जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद ही हम अन्तर-क्षेत्रीय सम्पर्कों के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले हमें फालतू पानी की उपलब्धता का मूल्यांकन करना है। ये सिफारिशें कुछ अनुमानों के आधार पर की जाती हैं। अतः पहले हम यह पता लगाना चाहते हैं कि प्रत्येक बेसिन में कितना पानी उपलब्ध है। उसके बाद ही हम योजनाएं तैयार कर सकते हैं और राज्य सरकारों की सहमति हासिल कर सकते हैं। इन सभी अध्ययनों को पूरा करने के बाद ही हम उत्तरी तथा दक्षिणी नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उत्तम किस्म का कोयला

*242. **श्री जगमीत सिंह बराड़ :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्तम किस्म के कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोयला धोवनशालाएं स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुल कितनी उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमानतः कुल कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए स्रोतों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक स्रोत से कितनी-कितनी पूंजी उपलब्ध होने की आशा है; और

(च) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उपलब्ध उत्तम किस्म के कोयले की कुल मात्रा सातवीं योजना के अंत में उपलब्ध मात्रा की तुलना में कितनी अधिक होगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान 4 कोयला वाशरियां, दो कोककर कोयला के लिए तथा दो अन्कोककर कोयला के लिए, जोकि वर्तमान में कोल इंडिया लि. में निर्माणाधीन हैं, चालू की जाएंगी। इन चार वाशरियों पर पूंजीगत निवेश 501.91 करोड़ रु. की राशि का होने का अनुमान लगाया गया है। इस संबंध में निवेश को आंशिक रूप से कोल इंडिया लि. के आंतरिक संसाधनों से और आंशिक रूप से सरकार की बजटीय सहायता से किया गया है।

(च) धुले हुए (सीधे फीड सहित) कोककर कोयले तथा उच्च ग्रेड के अकोककर कोयले की कोल इंडिया लि. से वर्ष 1996-97 में (आठवीं योजना के अंतिम वर्ष) अनुमानित उपलब्धता की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान (सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में) उपलब्धता को नीचे दर्शाया गया है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

ग्रेड	1989-90	1996-97	प्रक्षिप्त वृद्धि
धुला हुआ कोककर कोयला (सीधे फीड सहित)	9.05	12.43	3.38
उच्च ग्रेड अ-कोककर कोयला ("ए", "बी" और "सी")	58.90	79.79	20.89

कोयले का उत्पादन

*245. **कुमारी उमा भारती :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में कोयले का कितना उत्पादन हुआ और कोयले के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या कोयले के उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (ख) और (ग). वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कोयले के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था।

(क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य की तुलना में उत्पादित किए गए कोयले की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :

(मिलियन टन में)

1991-92		1992-93		1993-94	
लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
228.00	229.28	238.20	238.26	245.24	246.04

(घ) और (ङ). सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंतिम वर्ष अर्थात् वर्ष 1996-97 तक 300 मि. टन के कोयले के निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इसे विद्यमान खानों तथा चालू खानों और नयी परियोजनाओं से प्राप्त किया जाना है। 9वीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए कोयले की मांग को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। किन्तु, वर्ष 2006-07 के लिए मांग का प्रक्षेपण पूर्व में योजना आयोग द्वारा स्थायी तौर पर लगभग 460 मि. टन होने का अनुमान लगाया गया है। इस मांग को विद्यमान क्रियाकलापों, नई परियोजनाओं तथा आयात द्वारा पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

पैट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण

*246. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण की एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित करने हेतु कुछ तरीकों का अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;,

(ग) क्या ऐसी कोई योजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पैट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करने के लिए, संभाव्यता की पहचान करने हेतु अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की स्थापना की गई है। अभिभाव परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के माध्यम से पैट्रोलियम उत्पादों के अव्ययकारी क्रियाकलापों को कम करते जाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) ऊर्जा लेखा परीक्षा, ऊर्जा प्रयोग अध्ययन, ईंधन प्रयोग अध्ययन, विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं का प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां आदि।

(ख) उपभोक्ता क्षेत्र में मिट्टी के तेल और एल पी जी स्टोवों जैसे ईंधन कुशल उपकरणों के प्रयोग का विकास और संवर्धन।

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन कुशल क्रियाकलापों और उपस्कर आदि का संवर्धन।

(घ) परिवहन क्षेत्र में ऐसी कार्य पद्धतियों को अपनाना, जो बढ़ी हुई तेल कुशलता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायक हों।

(ङ) कृषि क्षेत्र आदि में ईंधन कुशल सिंचाई पम्पसेटों का मानकीकरण वर्तमान पम्पसेटों का सुधार।

(ग) और (घ). पैट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है। इनमें कम कुशल भट्ठियों के स्थान पर अधिक कुशल भट्ठियां लगाना, पैट्रोलियम उत्पादों के रिसाव को कम करने के लिए बेहतर पम्पों का प्रयोग, गैस दहन प्रबंधन में सुधार, कुशल मशीनरियों का प्रयोग, एल पी जी और मिट्टी के तेल के कुशल स्टोवों की अभिकल्पना और विपणन, एसटीयू में आदर्श गैराजों की स्थापना, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रायोजित करना, आदि।

सिंचाई के लिए राज सहायता

*247. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस समय सिंचाई के लिए राज सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इसे बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार इस समय निम्नलिखित योजनाओं में सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता दे रही है :

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि समतल करने/आकार देने, फील्ड चैनलों/स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई तथा भूजल विकास के लिए आर्थिक सहायता एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की पद्धति पर राज्यों और केन्द्र के बीच समान रूप से 50:50 के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों, सहकारी समितियों और सामुदायिक कार्यों के लिए ग्राह्य है। इस समय इस पद्धति के अंतर्गत दरें निम्नलिखित हैं :

(क)	छोटे किसानों	लागत का 25 प्रतिशत
(ख)	सीमांत किसानों	लागत का 33.33 प्रतिशत

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित छोटे व सीमांत किसानों के लिए दरें लागत के 50 प्रतिशत पर समान हैं। सामुदायिक लघु सिंचाई कार्यों के लिए छोटे सीमांत किसानों के लिए दर 50 प्रतिशत है। जिसे इन कार्यों से लाभान्वित हुई भूमि के हिसाब से बांटा जाता है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 में 301 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी। (राज्य वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।)

2. मिलियन कुंए योजना : यह योजना वर्ष 1988-89 से जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत कृषकों तथा मुक्त बंधुआ मजदूर, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। के लिए खुले सिंचाई कुंए उपलब्ध कराना है। वर्ष 1993-94 के दौरान 95436 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। (राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है)।

3. "कृषि में प्लास्टिक का उपयोग" योजना के अंतर्गत कृषि मंत्रालय ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए निधियां निर्मुक्त कर रहा है। वर्ष 1993-94 के दौरान 2690 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी। (राज्यवार विवरण के रूप में संलग्न है)।

4. कृषि मंत्रालय तिलहन उत्पादन और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजनाओं के अंतर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहा है। चालू वर्ष 1994-95 के दौरान स्प्रिंकलर सेटों के लिए क्रमशः 1678 लाख रुपए और 492 लाख रुपए उपलब्ध किए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विद्यमान सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण और उनका बेहतर उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा अनेक नीति और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं;

(I) वर्ष 1987 में राष्ट्रीय जल नीति का अपनाया जाना (II) वर्ष 1974-75 से केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन (III) देश में चुनिंदा वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं में वर्ष 1987 से विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना (IV) जल प्रबंध अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रयासों पर बल, और (V) मसौदा प्रबंध नीति बनाना।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	जल संसाधन मंत्रालय का कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिलियन कुंआ योजना	कृषि मंत्रालय के कृषि संबंधी कार्यक्रम में प्लास्टिक का उपयोग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	7386.03	350.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	96.75	8.59
3.	असम	0.50	2431.35	16.76
4.	बिहार	23.12	14487.42	43.70
5.	गोवा	0.25	104.54	9.82
6.	गुजरात	14.02	2711.26	103.12
7.	हरियाणा	80.50	651.28	51.31
8.	हिमाचल प्रदेश	2.00	332.18	49.12
9.	जम्मू व कश्मीर	37.63	471.52	29.44
10.	कर्नाटक	3.13	4959.40	450.00
11.	केरल	58.00	1871.50	93.00
12.	मध्य प्रदेश	0.32	9359.17	91.50
13.	महाराष्ट्र	15.00	8051.78	595.31
14.	मणिपुर	—	124.01	8.59
15.	मेघालय	—	145.10	8.59
16.	मिजोरम	—	61.13	23.13
17.	नागालैंड	2.54	155.54	8.59
18.	उड़ीसा	25.19	5991.20	112.50
19.	पंजाब	—	490.29	25.80
20.	राजस्थान	—	3888.40	30.19
21.	सिक्किम	—	56.63	8.59
22.	त्रिपुरा	—	161.07	9.71
23.	तमिलनाडु	—	6676.85	345.31
24.	उत्तर प्रदेश	37.85	17999.52	93.19
25.	पश्चिम बंगाल	0.96	6618.96	32.81
26.	अन्य	—	153.14	100.75
	कुल	301.01	95436.72	2690.02

पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

*248. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खनिज तेल और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1994-95 के लिए पैट्रोलियम उत्पादों का आयात बिल गत वर्ष की तुलना में कम रहने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) और (ख). वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 5.44 बिलियन डालर के निवल मूल्य पर 27.43 मि.मी. टन कच्चा तेल तथा 13.893 मि.मि. टन पैट्रोलियम उत्पाद आयात करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ). 1994-95 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों का निवल आयात बिल, 1993-94 के दौरान लगभग 1.76 बिलियन डालर की तुलना में 2.20 बिलियन डालर होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

विदेशी नागरिक

***249. श्री राम कापसे :**
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार भारत में राज्यवार किस-किस देश के कितने-कितने विदेशी नागरिक रह रहे थे;

(ख) उनमें से कितने नागरिकों के पास वैध वीजा-पत्र थे;

(ग) क्या बड़ी संख्या में ऐसे विदेशी नागरिक समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है/किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 1.1.1994 को, वैध दस्तावेजों के साथ भारत में रह रहे पंजीकृत विदेशी नागरिकों की संख्या 1,25,470 थी। इस बारे मे राष्ट्रीयता-वार और राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण I और II हैं। 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

(ग) और (घ). "कानून और व्यवस्था" राज्य का विषय है, इसलिए समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले विदेशी नागरिकों से, प्रचलित कानूनों के तहत निपटने की जिम्मेदारी राज्य/संबंधित प्राधिकारियों की होती है। इस प्रकार के आंकड़ों को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

विवरण-I

दिनांक 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार भारत में मौजूद पंजीकृत विदेशियों की देश-वार रिपोर्ट।

क्र.सं.	देश	संख्या
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	7,486
2.	अफगानिस्तान स्टेटलैस	14
3.	अल्जीरिया	17
4.	अंगोला	31
5.	अर्जेन्टीना	29
6.	आर्मिनीया	2
7.	आस्ट्रेलिया	854
8.	आस्ट्रिया	132
9.	बेहरीन	260
10.	बंगलादेश	498
11.	बारबाडोस	3
12.	बेल्जियम	228
13.	बेलाईज	3
14.	बोट् सवाना	10
15.	ब्राजील	49
16.	ब्रिटिश ओवरसीज	1,998
17.	ब्रिटिश प्रोटेक्टिड	237
18.	ब्रिटिश सबजेक्ट एण्ड कालोनीस	223
19.	बुल्गारिया	7
20.	कम्बोडिया (कम्पूचिया)	3
21.	कनाडा	1,945
22.	चिलि	7
23.	चीन	2,229
24.	चीन (ताईवान)	13
25.	चीन स्टेटलैस	283
26.	चीन तुर्क	2
27.	कोल्म्बिया	14
28.	कोस्टारिका	5
29.	क्रोएशिया	6
30.	क्यूबा	1
31.	साईप्रस	1
32.	चेक	80
33.	डेनमार्क	158
34.	जिबोनी	25
35.	डोमिनीकन गणतंत्र	3
36.	इक्वाडोर	5
37.	मिस्र	79
38.	इथियोपिया	663
39.	फिजी	189
40.	फिनलैण्ड	42
41.	फ्रांस	5,989
42.	नाम्बिया	16
43.	ज्योर्जिया	2

1	2	3
44.	जर्मनी	1,173
45.	घाना	44
46.	यूनान	14
47.	गिनी बिसाऊ गणंतत्र	1
48.	युयान गणतंत्र	13
49.	हांगकांग	3
50.	हंगरी	20
51.	इन्डोनेसिया	247
52.	ईरान	1,894
53.	ईराक	115
54.	आयरलैण्ड	215
55.	इजराइल	81
56.	इटली	614
57.	जमैका	3
58.	जापान	853
59.	जॉर्डन	1,982
60.	कजाखिस्तान	1
61.	केन्या गणराज्य	6,294
62.	कोरिया (उत्तरी)	57
63.	कुवैत	71
64.	लाओस	11
65.	लाटविया	1
66.	लेबनान	29
67.	लेसोथा	3
68.	लाइबेरिया गणराज्य	1
69.	लीबिया	7
70.	लिथोरिया	8
71.	लिथुआनिया	10
72.	लक्समबर्ग	2
73.	मालागैसी (मदगासकर)	4
74.	मालावी	30
75.	मलेशिया	3,844
76.	मालदीव	456
77.	माल्टा	35
78.	मौरिटानिया	40
79.	मौरिशस	389
80.	मैक्सिको	55
81.	मंगोलिया गणराज्य	25
82.	मोरोक्को	14
83.	मोजाम्बिक	35
84.	म्यांमार (वर्मा)	322
85.	नामिबिया	4
86.	नेपाल	18
87.	नीदरलैंड्स	409
88.	न्यूजीलैंड	246
89.	नाईजीरिया	277
90.	नार्वे	188
91.	ओमान	81
92.	अन्य	15
93.	पख्तून	1,093
94.	पाकिस्तान	15,708
95.	फिलीस्तीन	462
96.	पनामा	16
97.	पैरागुवे	1
98.	पेरू	24
99.	फिलीपींस	220
100.	पोलैण्ड	157
101.	पुर्तगाल	952
102.	कतर	11
103.	रोडेशिया (जिम्बाबवे)	75
104.	रोमानिया	64
105.	रूस	1,564
106.	खाण्डा गणराज्य	11
107.	समोआ(पश्चिम)/ टोगोलीज	1
108.	सऊदी अरबिया	21
109.	सेनेगल	2
110.	सिशिल्स	99
111.	सिंगापुर	1,462
112.	सोमालिया	1,471
113.	दक्षिणी अफ्रीका	121
114.	दक्षिण कोरिया	238
115.	स्पेन	271
116.	श्रीलंका	6,447
117.	स्टेटलैस	143
118.	स्टेटलैस(मलेशिया)	11
119.	स्टेटलैस (वियतनाम)	91
120.	तंजानी स्टेटलैस	4
121.	सूडान प्रजा. गणतंत्र	4,081

1	2	3
122.	सूरीनाम गणतंत्र	5
123.	स्वीडन	316
124.	स्विट्जरलैण्ड	329
125.	सीरिया	42
126.	तकाकिस्तान	1
127.	तंजानियां	690
128.	थाईलैण्ड	739
129.	तिब्बत	27,719
130.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	61
131.	ट्यूनीशिया	2
132.	तुर्की	17
133.	युगान्डा	190
134.	यूक्रेन	20
135.	संयुक्त अरब अमीरात	162
136.	यूनाइटिड किंगडम	9,733
137.	यू.एस.ए.	5,824
138.	उरूग्वे	1
139.	उजबेकिस्तान	4
140.	वेटिकन सिटी	17
141.	वेनेजुएला	19
142.	वियनतनाम	80
143.	यमन(पी डी आर)	472
144.	यमन अरब गणतंत्र (दक्षिण)	4
145.	यूगोस्लाविया	40
146.	जायरे	4
147.	जाम्बिया	133
	सकल योग	1,25,470

विवरण–II

दिनांक 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार भारत में मौजूदा पंजीकृत विदेशियों की राज्यवार रिपोर्ट।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	37
2.	आंध्र प्रदेश	2,697
3.	अरुणाचल प्रदेश	NR
4.	असम	1,785
5.	बिहार	1,007
6.	चंडीगढ़	1,470
7.	दादरा और नगर हवेली	2
8.	दमण और दीव	458
9.	दिल्ली	11,373
10.	गोवा	1,711
11.	गुजरात	10,300
12.	गुजरात(अहमदाबाद)	2,850
13.	हरियाणा	37
14.	हिमाचल प्रदेश	22,910
15.	जम्मू और कश्मीर	99
16.	कर्नाटक	147
17.	केरल	3,292
18.	लक्षद्वीप और मिनी कायद्वीप समूह	1
19.	मध्य प्रदेश	3,969
20.	महाराष्ट्र	11,233
21.	महाराष्ट्र(नागपुर)	452
22.	महाराष्ट्र(पूना)	6,076
23.	मणिपुर	24
24.	मेघालय	624
25.	मिजोरम	117
26.	नागालैंड	1
27.	उड़ीसा	336
28.	पांडिचेरी	5,510
29.	पंजाब	2,679
30.	राजस्थान	4,778
31.	सिक्किम	5
32.	तमिलनाडु	9,303
33.	तमिलनाडु (मद्रास)	4,551
34.	त्रिपुरा	14
35.	उत्तर प्रदेश	9,830
36.	पश्चिम बंगाल	2,338
37.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)	2,924
38.	पश्चिम बंगाल (24 दर गुणा)	530
	सकल योग	1,25,470

[हिन्दी]

हाथ से मैला उठाना

*250. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शताब्दी के अंत तक हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा को समाप्त करने हेतु कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस परियोजना के अन्तर्गत वांछित सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस परियोजना के तीव्र कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ख). सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात 31 मार्च, 1997 तक मैला ढ़ोने की अमानवीय प्रथा के उन्मूलन के लिए मार्च, 1992 में शुरू की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं :

(क) सर्वेक्षण के माध्यम से सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पहचान तथा वैकल्पित व्यवसायों में उनकी रूचि देखने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम,

(ख) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और अन्य अर्ध-सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के विभिन्न विभागों के निकटतम स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में, अभिज्ञात ट्रेडों में प्रशिक्षण, और

(ग) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता, सीमान्त धन ऋण और बैंक ऋण द्वारा विभिन्न ट्रेडों में पुनर्वास ।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, नगर पालिका और स्थानीय निकायों एवं स्वैच्छिक संगठनों के संस्थानों द्वारा लाभग्राहियों की पसन्द के वैकल्पिक व्यवसायों में प्रशिक्षण के साथ-साथ 150 रुपये प्रति मास की दर से स्टाइपेंड भी देने की व्यवस्था है।

पुनर्वास कार्यक्रम के वित्तीय पैकेज में 50,000 रुपये की अधिकतम परियोजना लागत की व्यवस्था है। 10,000 रुपये की पूंजी की आर्थिक सहायता या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक सीमान्त धन ऋण के रूप में 4 प्रतिशत की ब्याज की रियायती दरों पर भी प्रदान किया जाता है। शेष राशि भी रियायती डी.आर.आई. योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमें, निचले स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियो हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को दिन प्रति दिन के कार्यान्वयन, मानीटरिंग के साथ-साथ, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के साथ समन्वय व सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिला कलैक्टर/उपायुक्त जिम्मेदार है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर अभी तक अभिज्ञान किए गए सफाई कर्मचारियों की संख्या 7,79,349 है। वर्ष 1992-93, 1993-94 के दौरान प्रशिक्षित व पुनर्वासित किए गए लाभग्राही और वर्ष 1994-95 के लिए प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इस योजना का कार्यान्वयन केवल वित्तीय वर्ष 1992-93 से ही शुरू किया जा सका, क्योंकि वर्ष 1991-92 के लिए निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, मंत्रिमंडल द्वारा 22 मार्च, 1992 को इस योजना के अनुमोदन के बाद मार्च, 1992 में ही निर्मुक्त की गई थीं। इस योजना का कार्यान्वयन शुरू में मंद गति से चला लेकिन कल्याण मंत्रालय व एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा लगातार मानीटरिंग और समीक्षा के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष में गति पकड़ ली है। मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरू की गई गहन समीक्षा से पता चलता है कि बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ खंडों को छोड़कर सभी राज्यों में सफाई कर्मचारियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। कुछ राज्य सरकारों ने यह भी सूचना दी है कि उन्हें कुछ समुदायों, इलाकों को सर्वेक्षण से छोड़ दिए जाने के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसलिए उन्होंने आदेश दिए हैं कि इन गलतियों को ठीक करने के लिए सर्वेक्षण किया जाए। इन समीक्षाओं में इस योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारणों का भी उल्लेख है। ये हैं:

(1) राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति विकास निगमों को केन्द्रीय सहायता अंतरण करने में देरी,

(2) स्टाइपेंड की अपर्याप्तता,

(3) प्रशिक्षण की अवधि,

(4) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में वाणिज्यिक बैंकों की अनिच्छा।

कल्याण मंत्रालय ने स्टाइपेंड की दर व प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव योजना आयोग को पहले ही भेज दिया है। इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा एस.सी.डी.सी. को निधियों के देरी से अंतरण करने के मामले को भी राज्य सरकारों के साथ उठाया है और चालू वर्ष में स्थिति में सुधार हुआ है। इसी प्रकार वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में वाणिज्यिक बैंकों की अनिच्छा के बारे में सूचित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र उधार के अंतर्गत इस योजना में लाभग्रहियों को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने भी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम (93 का 64) के अनुसरण में 12 अगस्त, 1994 को एक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। यह आयोग इस योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरे करता रहा है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के कार्यकरण की समीक्षा और संशोधनों का सुझाव, यदि कोई हो, देने के लिए कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य और जिला स्तरीय मानीटरिंग समितियों का गठन किया गया है।

विवरण

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

क्र. सं.	अभिशात राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	सफाई कर्मचारियों की संख्या	1992-93		1993-94		1994-95	
			प्रशिक्षित	पुनर्वासित	प्रशिक्षित	पुनर्वासित	प्रशिक्षित	पुनर्वासित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	7453	-	989	500	2556	28,00	5565
2.	असम	5651	-	-	-	61	690	500
3.	बिहार	40249	-	-	-	-	-	-
4.	गुजरात	40000	-	623	-	973	-	-
5.	हरियाणा	18436	-	-	833	1295	3000	4000
6.	हिमाचल प्रदेश	4760	115	10	151	123	कोई प्रस्ताव नहीं	
7.	जम्मू और कश्मीर	3548	-	-	275	-	कोई प्रस्ताव नहीं	
8.	कर्नाटक	5825	-	166	107	कोई प्रस्ताव नहीं	-	-
9.	केरल	1339	-	-	144	166	12	119
10.	मध्य प्रदेश	80072	11395	10194	19892	12383	10000	10000
11.	महाराष्ट्र	126691	1248	1675	644	2792	2000	6000
12.	उड़ीसा	17122	209	26	1080	805	2000	1500
13.	पंजाब	26819	130	-	4102	1138	4000	4000
14.	राजस्थान	87938	528	178	2147	1543	5040	7450
15.	तमिलनाडु	35561	-	-	-	2556	2430	10500
16.	उत्तर प्रदेश	226189	1868	4620	1065	15213	10000	60000
17.	पश्चिम बंगाल	30000	-	-	103	-		
18.	दिल्ली	17420	-	505	103	196	360	6312
19.	पांडिचेरी	476	-	93	-	93		
20.	नागालैंड	1800	-	-	-	-	-	-
	कुल	157,77,349	15,579	18,913	22115	41,950	42332	1,43,946

[अनुवाद]

तेल की खोज

*251. **श्री संदीपन भगवान थोरात :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में तेल की खोज के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उनकी तुलना में वास्तविक उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विदेशी पूंजी निवेश से आरम्भ की गई प्रमुख परियोजनाओं और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हाल ही में स्वीकृत किये गये विदेशी पूंजी निवेश वाले प्रस्तावों का तथा विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र के लिए आये प्रस्तावों सहित विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ओ एन जी सी और ओ आई एल के संबंध में पिछले तीन वर्षों (1991-92 से 1993-94) के दौरान

तेल की खोज के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि क्रमशः विवरण-I और विवरण -II में दिए गए हैं।

(ख) 1995-96 के दौरान तेल की खोज (सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी वेधन) के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

ओ एन जी सी

भूकम्पीय सर्वेक्षण

भूमिगत

		इकाई
2डी	एस एल के	22375
2डी	जी एल के	3675
3डी	एस एस के	694

अपतटीय

2डी+3डी	एल के	43000

अन्वेषण वेधन (तटीय+अपतटीय)

हजार मीटर	629.01
कूप	242

आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल)

भूकंपीय सर्वेक्षण

		इकाई
2डी डेप्ट	एस एल के एम	1800
2डी कंट	जी एल के एम	1700
3डी डेप्ट	एस क्यू के एम	200
अन्वेषण		
वेधन	हजार मीटर	73.5

(ग) अन्वेषण बोली के चौथे दौर के अंतर्गत भारत सरकार ने तीन उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए। इनमें से दो संविदाएं भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए परिसंघ के पास हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है :

ब्लाक	अन्वेषण चरण-I के लिए कार्य कार्यक्रम और बजट	उपलब्धि	अभ्युक्तियां
केजी-ओएम-90/1	(1) वर्तमान भूकंपीय आंकड़ों के 500 एलकेएम का पुनर्संसाधन	आंकड़ों के 350 एलके एम का पुनर्संसाधन किया गया	संविदा पर 19.2.1993 को हस्ताक्षर किए गए
	(2) नए आंकड़ों के 500 एलकेएम का अर्जन, संसाधन और निर्वचन	नए आंकड़ों के 518एल के एम का अर्जन, संसाधन और निर्वचन किया गया	
	(3) 7 वर्षीय अन्वेषण अवधि के लिए प्रस्तावित व्यय 22.65 मिलियन अमेरिकी डालर हैं।		
सीवाई-ओएस-90/1	वर्तमान खोज के संबंध में मूल्यांकन कार्यक्रम अनुमानित लागत 300,000 अमेरिकी डालर होने की परिकल्पना है।	प्रगति पर हैं	संविदा पर 30.12.1994 को हस्ताक्षर किए गए। कार्य कार्यक्रम 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने की शर्त पर संविदाएं देना अनुमोदित किया है।

ब्लाक	परिसंघ का नाम
1. जी के-ओएन-90/2	पान एनर्जी रीसोर्सेज, यू एस ए -रेक्सवुड-ओकलैंड ज्वाइंट वेंचर, यू एस ए -स्टर्लिंग रीसोर्सेज, आस्ट्रेलिया -पान पेसीफिक पैट्रोलियम एन एल, आस्ट्रेलिया -ट्रांस एशिया कंसल्टेंट्स, इंडिया

2. आरजे-ओएन-90/1	शैल, मीदरलैंड्स
3. जीके-ओएस/5	रेक्सवुड-ओकलैंड, यू एस ए
4. केजी-ओएस/6	कमांड पैट्रोलियम होल्डिंग्स, आस्ट्रेलिया -वीडियोकान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया.
5. सीवाई-ओएस/2	वाल्को एनर्जी इंक, यू एस ए-हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं., इंडिया टाटा पेट्रोडायन, इंडिया
6. बीबी-ओएस/5	एस्सार आयल लिमिटेड,
7. आरजे-ओएन-90/4	एस्सार आयल लिमिटेड
8. आरजे-ओएन-90/5	एस्सार आयल लिमिटेड

उपर्युक्त में से क्रम संख्या 2,7, और 8 के ब्लाक राजस्थान में स्थित हैं, ब्लाक जी के-ओ एन-90/2 गुजरात में और ब्लाक जी के-ओ एस/5 और बी बी ओ एस/5 क्रमशः गुजरात-कच्छ अपतट और बम्बई अपतट बेसिनों में स्थित हैं।

विवरण-I

ओ. एन. जी. सी.

अन्वेषण कार्य निष्पादन

क. **भूकम्पीय सर्वेक्षण**

वर्ष	लक्ष्य (ब.अ.)					
	भूस्थित			अपतटीय		
	विभागीय	संविदागत		विभागीय		
	2डी-एसएलके	3डी-एसएसके	2डी-जीएलके	3डी-एस क्यूकेएम	2डी-एलके	3डी-एलके
1991-92	21350	538	4920	-	21000	9000
1992-93	22050	538	3475	-	10500	9000
1993-94	20695	599	4005	-	18500	10000

वर्ष	उपलब्धियां					
	भूस्थित			अपतटीय		
	विभागीय	संविदागत		विभागीय		
	2डी-एसएलके	3डी-एसएसके	2डी-जीएलके	3डी-एस क्यूकेएम	2डी-एलके	3डी-एलके
1991-92	40703	575	2362	23	22474	4690
1992-93	26745	634	3340	-	28330	4976
1993-94	24720	901	2608	-	25028	7482

ख. अन्वेषण संबंधी वेधन

वर्ष	लक्ष्य (ब.अ.)					
	भूस्थित		अपतटीय		कुल	
	मीट्रेज हजार मी.	कूप (संख्या)	मीट्रेज हजार मी.	कूप (संख्या)	मीट्रेज हजार मी.	कूप (संख्या)
1991-92	393.78	136	183.27	74	577.05	210
1992-93	353.44	130	188.58	75	542.02	205
1993-94	300.79	115	84.04	35	384.83	150

वर्ष	उपलब्धियां					
	भूस्थित		अपतटीय		कुल	
	मीट्रेज हजार मी.	कूप (संख्या)	मीट्रेज हजार मी.	कूप (संख्या)	मीट्रेज हजार मी.	कूप (संख्या)
1991-92	421.44	168	167.23	61	588.67	229
1992-93	387.99	170	176.15	69	564.14	239
1993-94	335.76	138	96.27	33	432.03	171

विवरण-II

आयल इंडिया लिमिटेड

		1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
भूकम्पीय सर्वेक्षण	इकाई						
2डी डेप्ट	एसएलेएम	3000	4211.2	2800	2900.2	3000	2230.4
2डी कंट	जीएलकेएम	2050	2952.8	1250	2023	2400	2705.6
3डी डेप्ट	एसक्यूकेएम	300	300	100	3.49	–	218.7
2डी कंट (अपतटीय)	जीएलकेएम	5955	6222	–	–	–	–
अन्वेषण संबंधी वेधन	हजार मी,	38	42.98	48	24.93	31.7	38.14

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी को राजस्व की हानि

*252. श्री राजेश कुमार :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को राजस्व की भारी हानि हो रही है क्योंकि विज्ञापनों का अधिकांश लाभ विदेशी कंपनियों को मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारण हो रही राजस्व की हानि से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु विज्ञापन एजेंसियों के साथ कोई बैठक नहीं गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) हालांकि अभी तक कोई घाटा नहीं हुआ है तथापि, राजस्व वृद्धि की दर चिन्ता का विषय है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). आकाशवाणी और दूरदर्शन विज्ञापन क्षेत्र के साथ नियमित रूप से पारस्परिक कार्यवाही करते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल ड्रिलिंग

***253. श्री फूलचन्द्र वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी अनिवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में तेल ड्रिलिंग की अनुमति हेतु आवेदन किये हैं;

(ख) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान अनुमति दी गई और तत्संबंधी प्रमुख शर्तें क्या हैं; और

(ग) ये कम्पनियां कब तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देंगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उन अनविसी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है, जिन्होंने बोलियों के विभिन्न दौरों के अंतर्गत तेल और गैस के अन्वेषण/विकास के लिए अपनी बोलियां भेजी है :-

अन्वेषण दौर	अनिवासी भारतीयों की संख्या	बहुराष्ट्रीय कंपनियां
चौथा दौर	1	21
पांचवां दौर		5
छठा दौर		10
सातवां दौर		5
आठवां दौर		6
मध्यम/छोटे आकार के क्षेत्रों का विकास		
(1) प्रथम प्रस्ताव	- मध्यम/छोटे आकार के क्षेत्र	23
(2) द्वितीय प्रस्ताव	- मध्यम/छोटे आकार के क्षेत्र	14

(ख) पिछले वर्ष के दौरान दिए गए/हस्ताक्षरित ठेकों का ब्यौरा निम्नवत है :

अन्वेषण दौर	
ब्लाक	**परिसंघ का नाम**
सीवाई-ओएस-90/1	एच ओ ई सी भारत, वाल्को एनर्जी इंक. यू एस ए टाटा पेट्रोडायन इंडिया
केजी-ओएस/6	वीडियोकोन इंटरनेशनल भारत और कमांड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया का परिसंघ
जीके-ओएस/5	रेक्सवुड ओकलैंड जाएंट वेंचर, यू एस ए
बीबी-ओएस/5	एक्सार आयल लिमिटेड भारत
आरजे-ओएन-90/4	
आरजे-ओएन-90/5	
सीवाई-ओएस/2	हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी, भारत, टाटा पेट्रोडाइन इंडिया और वाल्कों एनर्जी यू एस ए का परिसंघ

छोटे/मध्यम आकार के क्षेत्रों का विकास

छोटे आकार के क्षेत्र		परिसंघ का नाम
कैम्बे	(1)	गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन, भारत
हजीरा		
मातार	(2)	निको रिसोर्सेज, कनाडा
साबरमती		
भांदुत		
असजोल	(1)	एच ओ आई सी, भारत
	(2)	पेट्रोडाइन इंक यू एस ए
	(3)	जी एस पी सी एल, इंडिया
ढोल्का	(1)	जोशी टेक्नोलाजीस, इंक यू एस ए
वेवल	(2)	लार्सन एण्ड टूब्रो, भारत
इन्दरौरा, बकरोल, लोहार		सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलाजीस, नई दिल्ली
रावा	(1)	वीडियोकान पैट्रोलियम लिमिटेड, नई दिल्ली
	(2)	कमांड पैट्रोलियम, इंडिया प्रा. लि., आस्ट्रेलिया
	(3)	रावा आयल (सिंगापुर) प्रा. लि., सिंगापुर
मध्य और दक्षिण तापसी	(1)	रिलायंस इंडिया का परिसंघ
मुक्ता, पन्ना	(2)	एनरोन, यू एस ए

अन्वेषण ब्लाकों के ठेके, उत्पादन हिस्सेदारी ठेके हैं और कच्चे तेल और संबद्ध गैस के संबंध में ठेका अवधि 25 वर्ष तक है। कम्पनियों को बोनसों और सांविधिक उदग्रहणों के भुगतान में छूट प्राप्त है। इन ठेकों के अंतर्गत उत्पादित तेल के संबंध में भारत सरकार के पास अस्वीकृति का प्रथम अधिकार होगा और कम्पनियों को तेल का उनका हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर दिया जाएगा। अन्वेषण और/अथवा विकास चरण पर उद्यम में ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा प्रतिभागिता का प्रावधान किया गया है और ओ एन जी सी/ओ आई एल उद्यम में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक प्रतिभागिता हित रख सकती हैं। वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

भारत सरकार, कम्पनियों और ओ एन जी सी के बीच उत्पादन हिस्सेदारी करारों के अंतर्गत मध्यम आकार के क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इन उद्यमों में ओ एन जी सी का प्रतिभागिता हित 40 प्रतिशत है। संयुक्त उद्यम उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विकास करेगा और परियोजना से सरकार को मिलने वाले लाभ पैट्रोलियम के हिस्से के अतिरिक्त, सरकार को रायल्टी, उपकर और आयकर देय होगा। गैस का मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों पर आधारित है। सरकार को बेचे गए तेल के अपने हिस्से के लिए ठेकेदार के घटकों को, जिनमें ओ एन जी सी सम्मिलित है, तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का भुगतान किया जाएगा। तथापि, ठेकेदार के तेल के हिस्से के संबंध में सरकार के पास अस्वीकृत का प्रथम अधिकार है।

भारत सरकार के साथ उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों के अंतर्गत, ओ एन जी सी/ओ आई एल की प्रतिभागिता के बिना कम्पनियों द्वारा अपने बलबूते पर छोटे आकार के क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। कम्पनियों को रायल्टी और उपकर जैसे सांविधिक उद्ग्रहणों का भुगतान करना होगा। कम्पनियों के हिस्से के तेल का भुगतान अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर किया जाएगा।

(ग) केवल वाणिज्यिक खोज की स्थिति में ही अन्वेषण ब्लाकों में वाणिज्यिक उत्पादन का प्रश्न उठेगा। पश्चिमी अपतट में पन्ना क्षेत्र, कृष्णा-गोदावरी अपतट में रावा क्षेत्र और गुजरात में भांदुत और ढोलका क्षेत्रों में उत्पादन पहले से ही जारी है। खोजे गए अन्य क्षेत्रों में वाणिज्यिक उत्पादन इन क्षेत्रों की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद आरम्भ होगा।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षा

***254. श्रीमती रीता गौतम :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चल रही सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति का गठन कब तक कर लिया जायेगा;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सिंचाई परियोजाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या वैकल्पिक उपाय किए गये हैं?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) आठवीं योजना नीति में उन परियोजनाओं के वित्त पोषण को प्राथमिकता देने जिन्होंने पर्याप्तरूप से प्रगति की है तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए परिव्यय करने की व्यवस्था की गयी है। अड़चनों को दूर करने के लिए चुनिन्दा परियोजनाओं का प्रबोधन किया जाता है।

[अनुवाद]

तेल शोधन क्षमता

*255. **श्री गोपी नाथ गजपति : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शताब्दी के अंत तक तेल शोधन क्षमता बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). तेल शोधन क्षेत्र के अंतर्गत सरकार ने निजी निवेश को अनुमति दे दी है। 56.40 एम एम टी पी ए की विद्यमान शोधन क्षमता के प्रति निर्गत आशय पत्रों के अनुसार, सभी परियोजनाओं के क्रियान्वित हो जाने के पश्चात ई ओ यू रिफाइनरियों को सम्मिलित करते हुए देश के अंतर्गत कुल शोधन क्षमता 144 एम एम टी पी ए के आस-पास होना प्रत्याशित है। यह क्षमता पैट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी चूंकि वर्ष 2001-2002 में यह मांग लगभग 102 एम एम टी पी ए होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

खानों के मुहानों पर कोयला

*256. **श्री नवल किशोर राय : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों के मुहानों पर जमा किए जाने वाले कोयले की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान खानों के मुहानों पर कितनी मात्रा में कोयला जमा किया गया ओर उसका विक्रय मूल्य क्या था;

(घ) क्या इन मुहानों पर जमा किए गए कोयले की मात्रा की समय-समय पर जांच की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 के दौरान की गई ऐसी जांच का ब्यौरा क्या है; और

(च) खानों के मुहानों पर जमा कोयले की मात्रा का माप किस प्रकार किया जाता है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). वर्तमान स्टाक नीति के अनुसार किसी कोलियरी के मिट-हैड पर स्टाक तीन महीने के उत्पादन से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि किसी सहायता कंपनी के लिए समग्र रूप में पिट-हैड पर कोयले का स्टाक उत्पादन के एक महीने के बराबर होना चाहिए।

(ग) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने सूचित किया है कि दिनांक 1.4.1994 की स्थिति के अनुसार उनकी खानों मे कोयले का पिट-हैड स्टाक 49.49 मि.टन था। को.इं.लि. की खानों से कोयले की औसत बिक्री कीमत 401.00 रु. प्रति टन है।

(घ) और (ङ). कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों के लिए निश्चित रूप से मापन की लागू सहिताबद्ध समान प्रक्रिया के अनुसार आवधिक रूप में जांच की जा रही है। इसके अतिरक्त, कोलियरियों द्वारा कोयले के स्टाक का मासिक रूप में मापन, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तिमाही रूप में मापन, सहायक कंपनियों द्वारा छमाही रूप में मापन किया गया और वर्ष 1993-94 के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा वार्षिक रूप में मापन किया गया।

(च) को.इं.लि. बोर्ड द्वारा निश्चित रूप से मापन किए जाने के लिए समान प्रक्रिया के लिए संहिता-बद्ध किए गए मार्ग-निर्देशन के अनुसार कोयले के स्टाक का भूमिगत मापन सर्वेक्षकों के दल द्वारा किया जाता है, जिसकी योजनाओं की रूपरेखा यथा हस्ताक्षरित कोलियरी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध की जाती है। किसी मापन दिवस को बंकरों तथा वैगनों में उपलब्ध कोयले को ही हिसाब में लिया जाता है।

पैट्रोलियम उत्पाद

*257. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि वास्तविक रूप से खर्च की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार ने तेल शोधन के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए अनुमति दी है। 56.40 मि.मी. ट. प्रति वर्ष की विद्यमान क्षमता के प्रति विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तारण/उनके अवरोध को दूर करने, नयी ग्रासरूट रिफाइनरियों, संयुक्त उद्यम कम्पनियों एवं ई ओ यू समेत निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को स्थापित करने के पश्चात देश की कुल शोधन क्षमता 144 मि.मी. ट. प्रति वर्ष के लगभग होने का अनुमान है। चूंकि वर्ष 2001-2002 में पैट्रोलियम उत्पादों की मांग करीब 102 मि.मी. टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है अतः यह क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की शोधन कंपनियों के संबंध में 8वीं योजना के परिव्यय गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

कम्पनी का नाम	अनुमोदित 8वीं योजना का परिव्यय	वास्तविक 1992-93	व्यय** 1993-94	1994-95 (अप्रैल-दिसं.94)
आई.ओ.सी.*	2704.00	374.54	686.90	909.34
एच पी सी एल*	420.00	178.74	230.41	117.48
बी पी सी एल*	380.00	56.17	61.95	23.13
एम आर एल	456.00	203.88	102.23	43.72
सी आर एल	836.00	94.93	148.06	57.09
बी आर पी एल	247.00	45.31	82.30	42.24
एन आर एल	-	-	32.00	86.54

निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों आदि के संबंध में व्यय पर इस मंत्रालय द्वारा निगरानी नहीं रखी जाती है।

*रिफाइनरी एवं विपणन

** अनंतिम

कोयला एकर्कों में घाटा

***258. डा. महादीपक सिंह शाक्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. के कई सहायक एकक और कोयला खनन उद्योग मे कार्यरत सरकारी क्षेत्र के अन्य एकक पिछले कई वर्षों से निरन्तर घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना घाटा हुई है;

(घ) क्या इन एककों में 1991-92 के बाद पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितना अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया;

(च) क्या इन वर्षों के दौरान इन एककों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लिमिटेड का दानकुनी कोयला काम्पलेक्स, कोल इंडिया लि. की दो सहायक कंपनियों ओर सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. कुछ वर्षों से घाटा उठा रहे हैं।

(ख) से (छ). एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (छ). पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एककों द्वारा अर्जित किए गए लाभ/उठाए गए घाटे को (कोयला मूल्य विनियमन लेखे में समायोजन किए जाने से पूर्व) नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रु.में)

	(+)लाभ/ (-) हानि		
	1991-92	1992-93	1993-94
भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.)	(-)380.10	(-)370.26	(-) 341.87
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.)	(-)326.39	(-)354.28	(-)477.98
दानकुनी कोयला काम्पलेक्स (डी.सी.सी.)	(-)22.95	(-)40.76	(-)36.57
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.)	(-)205.07	(-)122.11	(+) 16.26

इन एककों/कंपनियों की कुल पूंजीगत निवेश में वृद्धि हो गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए पूंजीगत निवेश को नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रु.में)

	1991-92	1992-93	1993-94
भारत कोकिंग कोल लि.	161.91	227.89	235.81
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	356.40	421.20	364.13
दानकुनी कोयला काम्पलेक्स	1.68	1.40	0.82
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	188.28	406.45	544.98

भारत कोकिंग कोल लि., ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और दानकुनी कोयला काम्पलेक्स में क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) उत्पादन लागत पर प्रभावी रूप से नियंत्रण।

(2) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें अतिरिक्त (फालतू) श्रमशक्ति का पुनः नियोजन किया जाना शामिल है।

(3) उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार किए जाने के लिए भूमिगत खानों में कोयला लदान को यंत्रीकृत किया जाना।

(4) पर्याप्त वर्क-शाप सहायता, कलपुर्जों के प्रबंधन में सुधार तथा उपकरणों के पुनर्वासन द्वारा हैवी अर्थमूविंग मशीनरी की उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार किया जाना।

(5) दानकुनी कोयला काम्पलेक्स के कोयले के लिए प्रबलित अयस्क (फैरी-एलाय) उद्योग मे नए विपणन का अन्वेषण और दानकुनी कोयला काम्पलेक्स की थिरीमिरी कोयला क्षेत्र से निम्न फास्फोरस कोयले की व्यवस्था किया जाना।

जहां तक सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. का संबंध है, प्रबंधन ने उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार किए जाने के लिए कदम उठाए हैं और कंपनी ने वर्ष 1993-94 के दौरान कुछ सीमान्तिक लाभ दिखाया है।

[अनुवाद]

खनिज तेल

*259. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 में देश में खनिज तेल का अनुमानतः कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान देश में खनिज तेल के उत्पादन का प्रति वर्ष क्या लक्ष्य तय किया गया है;

(ग) खनिज तेल के उत्पादन संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने का आधार क्या है; और

(घ) उत्पादन के अनुमानित लक्ष्यों की प्राप्ति होने की स्थिति में खनिज तेल के आयात में कितने प्रतिशत कमी होने की संभावना है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (घ). वर्ष 1995-96 के दौरान ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य लगभग 37.1 मिलियन टन निर्धारित किए गए हैं। बाद के वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य अभी तक नियत नहीं किए गए हैं।

कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्यों के नियतन के आधारों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) प्रत्येक अंचल/क्षेत्र में वसूली योग्य भंडारों का शेष।

(2) रिजर्वायर में दबाव अनुरक्षण का प्रभाव।

(3) मुख्य विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन कार्यक्रम।

(4) पिछले वर्ष में बढ़ाए गए भंडारों से उत्पादन।

(5) बढ़ाई गई तेल वसूली प्रक्रियाओं का वाणिज्यीकरण।

[हिन्दी]

तेल के कुओं में आग लगना

***260. श्री दत्ता मेघे :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर तेल के कुओं में आग लगी;

(ख) इसके क्या कारण थे;

(ग) इसके फलस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(घ) इन कुओं में लगी आग को बुझाने में कितने दिन लगे; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (घ).

1. आयल इंडिया लि. के असम स्थित कूप काधालोनी-9 में 21.6.1994 को आग लगी।

कारण :—

केसिंग दबाव बढ़ने लगा और रिग ने आग पकड़ ली।

अनुमानित हानि :-

लगभग 8 करोड़ रुपए।

आग बुझाने में लगे दिनों की संख्या : 27 दिन।

2. आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित ओ एन जी सी के कूप पसरलपुडी-19 ने 8.1.1995 को आग पकड़ ली।

कारण :-

जांच की जा रही है।

अनुमानित हानि :-

हानि का अनुमान लगाया जा रहा है।

आग बुझाने में लगे दिनों की संख्या :- 61 दिन

(ङ) आग लगने जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले पूर्वोपायों और सुरक्षा उपायों पर ओ एन जी सी द्वारा पहले ही स्थायी निर्देश जारी किए गए हैं। इन घटनाओं के बाद आवश्यक एहतियाती उपाय करने के लिए कम्पनी द्वारा और निर्देश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर क्षेत्रीय सेवा का प्रसारण समय

2455. श्री सुव्रत मुखर्जी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर क्षेत्रीय सेवाओं के प्रसारण समय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कम्प्यूटर ऐनिमेशन का उपयोग

2456. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्मों में कम्प्यूटर ऐनिमेशन का किस सीमा तक उपयोग किया गया है;

(ख) क्या भारतीय फिल्मों में कम्प्यूटर ऐनिमेशन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कुछ कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) भारत में फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में होने के कारण सरकार को यह जानकारी नहीं है कि भारतीय फिल्मों में कंप्यूटर ऐनिमेशन का किस सीमा तक प्रयोग किया जाता है।

(ख) और (ग). फिल्मों के निर्माण में कम्प्यूटर ऐनिमेशन के प्रयोग के बारे में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। तथापि यह देखना और निर्णय करना निर्माताओं/निर्देशकों का काम है कि फिल्मों के निर्माण में कंप्यूटर ऐनिमेशन का वे कैसे और किस सीमा तक प्रयोग करना चाहते हैं।

पैट्रोलियम पदार्थों को लाना-ले जाना

2457. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि रेलवे पर पैट्रोलियम पदार्थों को लाने-ले जाने की निर्भरता को कम करने के लिए देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाइपलाइन तेल टैंक और तेल टर्मिनल सुविधाएं स्थापित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो रेल से पैट्रोलियम पदार्थों को लाने-ले जाने की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर परिकल्पित इस परियोजना पर अनुमानत कितनी राशि व्यय होगी;

(ग) इसके लिए किस तरह से धनराशि जुटाई जायेगी; और

(घ) ऐसी सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). यह समाचार बन्दरगाह सुविधाओं, देशभर में पाइपलाइनों, तेल टैंकेजेज और तेल टर्मिनलों जैसी ढांचागत सुविधाओं की अनुमति निजी क्षेत्र के लिए खोलने के संबंध में है। सरकार ने इसके लिए आवश्यक अनुमानित धनराशि की गणना नहीं की है क्योंकि इसका वित्त पोषण निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। इसी कारण यह भी नहीं बताया जा सकता कि ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध होंगी।

तेल [illegible] प्राकृतिक गैस संसाधन

2458. डा. खुशीराम [illegible]रोमल बेरवाणी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री [illegible]लाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कच्छ के रण (डेजर्ट ऑफ कच्छ) की पट्टी में तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की सुरक्षा हेतु कोई विशेष सुरक्षोपाय किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गुजरात राज्य के अंतर्गत कच्छ के रेगिस्तान क्षेत्रों में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा अब तक किए गए अन्वेषण प्रयासों से कोई तेल एवं गैस भंडार स्थापित नहीं हुआ है। अतएव, इस क्षेत्र में विशेष सुरक्षा संबंधी कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता है।

व्यवस्था [illegible]

[हिन्दी]

धन का आवंटन

2459. श्री महेश कनोडिया : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से धन के आवंटन में वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा केरल के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में वार्षिक योजना 1995-96 के लिए निधि आबंटनों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद इसमें वृद्धि के लिए केरल सरकार की ओर से योजना आयोग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

2460. श्री खोलन राम जांगडे : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मध्य प्रदेश ऑयल सलेक्शन बोर्ड" में सदस्यों के रूप में शामिल किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस बोर्ड को पैट्रोल पम्प की डीलरशिप का आबंटन करने की सिफारिश करने हेतु कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ग) क्या इस बोर्ड की सिफारिशें बाध्यकारी हैं;

(घ) इस बोर्ड ने मध्य प्रदेश में पैट्रोल पम्प की डीलरशिप के आबंटन हेतु अब तक कुल कितने मामलों की सिफारिश की है; और

(ङ) सरकार ने कितने मामलों में ऐसी सिफारिशों को स्वीकार किया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). तेल विपणन कम्पनियों के विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कारों के आधार पर, पैट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रिब्यूटरों के चयन के लिए सरकार द्वारा तेल चयन बोर्डों (ओ.एस.बी.) का गठन किया गया है। तेल चयन बोर्डों की सिफारिशों को सरकार के पास विचारार्थ नहीं भेजा जाता। आशय पत्र जारी करने के लिए यह सिफारिशें उनके द्वारा संबोधित तेल कम्पनियों को भेजी जाती हैं। मध्य प्रदेश के तेल चयन बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है :-

1. न्यायमूर्ति एच.एल. गुप्ता (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष

2. श्री शिव बालक पासी – सदस्य-1

3. श्री रत्नाकर पाण्डेय – सदस्य-2

मध्य प्रदेश के तेल चयन बोर्ड ने जनवरी, 1995 तक 97 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए, योग्यता सूचियों की सिफारिश की है।

रसोई गैस कनेक्शन

2461. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताज प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जिलों तथा आगरा में 31 दिसंबर, 1994 तक रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या कितनी थी;

(ख) सरकार ने इन लोगों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई है; और

(ग) इन लोगों को कब तक गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 31.12.1994 की तिथि के अनुसार ताज ट्रेपिजियम क्षेत्र में करीब 1.08 लाख व्यक्ति एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(ख) और (ग). सरकार ने 1.1.1996 तक की प्रतीक्षा सूची को 1.4.95 तक निपटाने की योजना बनायी है।

रसोई गैस की एजेंसियां

2462. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में बंद की गई रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनके बन्द किए जाने के क्या कारण हैं तथा इनमें से कितनी एजेंसियों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है; और

(ग) उन एजेंसियों का क्या ब्यौरा है जिनके खिलाफ जांच पड़ताल पूरी नहीं की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में तीन एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को बंद (समाप्त) कर दिया गया है। इनमें से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) जी, कोई नहीं।

सिंचाई परियोजनाएं

2463. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राज्यीय जल विवादों अन्य अंतर्राज्यीय मुद्दों से जुड़े बिहार की सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन विवादों/मुद्दों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) तिलैया धाधर, कोनार दिक्परिवर्तन, जमानिया पम्प नहर, कनहर जलाशय और कादवान जलाशय नामक ऐसी पांच वृहत परियोजनाएं हैं जिनमें अन्य अन्तर्राज्यीय मुद्दे शामिल हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय में जुलाई, 1992 में आयोजित अन्तर्राज्यीय बैठक में, तिलैया धाधर तथा कोनार दिक्परिवर्तन के अंतर्राज्यीय पहलुओं का समाधान किया गया था। बिहार सरकार को परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान तैयार करना तथा निवेश स्वीकृति प्राप्त करनी है। जमानिया पम्प नहर के संबंध में, केन्द्रीय जल आयोग में चार अंतर्राज्यीय बैठकें हुई, अंतिम बैठक जनवरी, 1994 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में नहर का संरेखण तथा करमनासा नदी को पार करने का जरिया मुख्य बकाया मामले हैं। बिहार द्वारा करमनासा नदी पार करने पर जुलाई, 1994 में प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण को उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है। कादवान जलाशय तथा कनहर जलाशय परियोजनाओं के संबंध में भी असहमति के बिन्दुओं पर प्रत्यक्ष मतभेदों को कम करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में चार अंतर्राज्यीय बैठकें हुई। तथापि, 5.8.94 तथा 30.8.94 को आयोजित बैठक में बिहार के भाग न लेने और 20.12.94 को आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश के भाग न लेने के कारण, विचार-विमर्श पर कोई निर्णय नहीं हो सका। इन परियोजनाओं से जुड़े अंतर्राज्यीय मुद्दों को उपरोक्त भाग (ख) के अंतर्गत संदर्भित विवरण में पहले ही दर्शाया गया है।

बेसिन राज्यों के बीच सोन जल की बंटवारे के लिए पारस्परिक मान्य प्रस्ताव बनाने के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति भी 30.10.92 को गठित की गई थी। उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने बेसिन राज्यों अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच सहमति तथा असहमति के बिन्दु बताते हुए अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 1993 में प्रस्तुत की। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष असहमति के बिन्दुओं पर प्रत्यक्ष मतभेदों को कम करने के लिए वर्ष 1994 में तीन अंतराज्यीय बैठकें पहले ही आयोजित कर चुके हैं।

विवरण

बिहार में सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें अन्तर्राज्यीय विवाद शामिल है, की विद्यमान स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	शामिल राज्य	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	नवीनतम अनुमानित लागत करोड़ रुपए	तकनीकी परामर्शी समिति की तारीख	अन्तर्राज्यीय मुद्दे का ब्यौरा
परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत की गयी सिंचाई/बहु प्रयोजनी परियोजना किन्तु अन्तर्राज्यीय मुद्दों के कारण विचार आस्थगित किया गया							
नयी							
1.	तिलैया धाधर परियोजना (वृहद)	बिहार	बिहार और पश्चिम बंगाल	15.12.81	46.74	3/83	बिहार सरकार को पूर्ण बाढ़ भंडारण के लिए मैथन बांध पर भूमि अधिग्रहण तथा तिलैया बांध की लागत के बंटवारे जैसे शामिल मुद्दों पर दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति प्राप्त करनी है।
2.	कोनार दिक्‌परिवर्तन परियोजना (वृहद)	बिहार	बिहार और पश्चिम बंगाल	24.4.82	93.61	3/84	बिहार सरकार को कोनार बांध की लागत के हिस्से, जिसका बिहार द्वारा भुगतान किया जाना है, तथा पंचेट जलाशय पर भूमि के अधिग्रहण के लिए दामोदर घाटी निगम की सहमति प्राप्त करनी है।
अंतर्राज्यीय मुद्दों के हल सहित राज्य सरकारों के साथ पत्राचार की जा रही सिंचाई/बहु प्रयोजनी परियोजनाएं							
नयी							
1.	जमानिया पम्प नहर (वृहत)	बिहार	बिहार और उत्तर प्रदेश	19.11.90	94.87	-	बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में नहर के संरेखन के मुद्दे तथा करमनासा नदी को पार करने के जरिये के मुद्दे को हल करना है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	शामिल राज्य	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	नवीनतम अनुमानित लागत करोड़ रुपए	राज्य सरकार को वापिस भेजने की तारीख	अन्तर्राज्यीय मुद्दे का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7	8
अन्तर्राज्यीय और अन्य मुद्दों के कारण राज्य सरकार को वापिस भेजी गयी सिंचाई और बहु प्रयोजनी परियोजनाएं							
1.	कन्हर जलाशय (वृहद)	बिहार और मध्य प्रदेश	15.12.84	184.80	12/88		राज्य सरकार को निम्न प्राप्त करना अपेक्षित है : 1. पूर्व-वाराडिह बांध (कन्हर जलाशय परियोजना) के 0.16 मिलियन एकड़ फुट जल का उपयोग

1	2	3	4	5	6	7	8
							करने तथा बांध की लागत का बंटवारा करने के लिए उनकी सहमति के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की सहमति। 2. जल मग्नता के अन्तर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश राज्य की सहमति।
2.	कदवान जलाशय (वृहद)	बिहार	बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश	6/90	656.60	7/90	बिहार सरकार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की उनके क्षेत्रों में भूमि की जल मग्नता के लिए सहमति प्राप्त करनी है।

[अनुवाद]

कोयला खानें

2464. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग को रक्षित कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला खानों को स्वामित्व में लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये खानें किन-किन स्थानों में होंगी और इन खानों पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इन्हें कब तक स्थापित कर दिया जायेगा; और

(ग) इससे कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियों, जो पहले सीमेंट उद्योग को कोयले की आपूर्ति करती थीं, की आय में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांचा) : (क) सरकार (कोयला मंत्रालय) ने सीमेंट उद्योग को ग्रहीत खपत के लिए अपनी कोयला खानें रखे जाने की अनुमति देने संबंधी निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय आरक्षण नीति

2465. डा. वसंत पवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आरक्षण नीति तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार भी प्राप्त किए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग). आरक्षण की एक राष्ट्रीय नीति है जिसके तहत केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान्य जनसंख्या की तुलना में उनकी जनसंख्या के अनुपात में अलग-अलग है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य में आरक्षण निर्धारित करने में जनसंख्या अनुमान को ध्यान में रखा जाता है बशर्ते कि कुल आरक्षण सीमा इन्दिरा साहनी व अन्य-बनाम-भारत संघ तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार 50 प्रतिशत होगी।

[हिन्दी]

विकलांग छात्रों को सहायता

2466. श्री ललित उरांव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विकलांग छात्रों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विकलांग छात्रों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार विकलांग छात्रों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). कल्याण मंत्रालय विकलांग विद्यार्थियों सहित सभी श्रेणियों के विकलांगों की शिक्षा, स्थापन और पुनर्वास के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अधीन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है :-

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता

2. विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र तथा उपकरण खरीदने, लगवाने के लिए सहायता।

3. विशेष स्कूल की स्थापना के लिए संगठनों की सहायता।

(ग) सहायता सीधे स्वैच्छिक संगठनों को दी जाती है, राज्य सरकारों को नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्यवार निर्मुक्त अनुदान के ब्यौरे विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण–I

विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों की सहायता के अधीन दिए गए अनुदान के बारे में राज्यवार सूचना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि			
		1991–92	1992–93	1993–94	1994–95
				(रु लाख में)	1445.00**
1.	आंध्र प्रदेश	75.00	133.12	162.34	
2.	असम	1.72	1.11	3.01	
3.	बिहार	25.69	45.65	27.05	
4.	चंडीगढ	1.85	1.12	1.16	
5.	दिल्ली	80.79	88.96	109.09	
6.	गोवा	5.24	5.08	4.04	
7.	गुजरात	34.00	19.20	22.42	
8.	हरियाणा	7.47	10.19	12.65	
9.	हिमाचल प्रदेश	2.90	11.75	0.00	
10.	जम्मू और कश्मीर	3.17	5.00	3.48	
11.	कर्नाटक	57.90	124.09	122.17	
12.	केरल	51.96	69.71	59.71	
13.	मध्य प्रदेश	6.70	5.95	15.61	
14.	महाराष्ट्र	67.04	112.12	79.66	
15.	मणिपुर	0.00	8.37	8.40	
16.	मेघालय	5.22	3.24	2.98	
17.	मिजोरम	0.99	0.49	0.00	
18.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	
19.	उड़ीसा	5.51	12.29	10.97	
20.	पांडिचेरी	0.78	0.00	0.00	
21.	पंजाब	3.21	13.05	7.42	
22.	राजस्थान	17.5	16.16	22.74	
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	
24.	तमिलनाडु	44.43	53.28	69.66	
25.	त्रिपुरा	1.57	0.79	3.11	
26.	पांडिचेरी	97.24	122.00	156.01	
27.	पश्चिम बंगाल	82.15	95.34	150.13	
		680.12	960.06	1053.81	1445.00

**1994–95 के लिए राज्यवार सूचना वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद समेकित की जाएगी।

विवरण–II

विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र तथा उपकरण खरीदने के लिए सहायता की योजना के अधीन दिए गए अनुदान के संबंध में राज्यवार सूचना का विवरण

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि			
		1991–92	1992–93	1993–94	1994–95
				(रु लाख में)	1400.00**
1.	आंध्र प्रदेश	8.50	8.04	8.43	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.00	
3.	बिहार	13.50	14.36	44.00	
4.	गुजरात	17.00	21.80	26.40	
5.	गोवा	0.30	0.50	0.36	
6.	हरियाणा	5.75	6.50	8.00	
7.	कर्नाटक	6.00	3.75	21.00	
8.	केरल	1.00	0.00	0.37	
9.	मणिपुर	1.00	1.25	0.00	
10.	मध्य प्रदेश	12.20	10.50	5.25	
11.	महाराष्ट्र	23.00	23.75	29.46	
12.	उड़ीसा	12.00	15.36	78.00	
13.	पंजाब	1.00	1.25	0.62	
14.	राजस्थान	50.50	60.70	126.50	
15.	तमिलनाडु	18.50	22.82	25.12	
16.	उत्तर प्रदेश	437.50	442.50	441.75	
17.	पश्चिम बंगाल	36.30	12.70	47.50	
18.	चंडीगढ़	15.25	25.35	32.85	
19.	दिल्ली	41.25	25.80	87.91	

**1994–95 के लिए राज्यवार सूचना वित्त वर्ष की समाप्ति पर समेकित की जाएगी।

विवरण–III

विशेष स्कूल की स्थापना के लिए संगठनों को सहायता की योजना के अधीन दिए गए अनुदान के बारे में राज्यवार सूचना

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान स्वीकृत राशि			
		1991–92	1992–93	1993–94	1994–95
				(रु लाख में)	50.00**
1.	मध्य प्रदेश	निल	निल	1.10	
2.	तमिलनाडु	निल	निल	0.27	
3.	राजस्थान	निल	निल	0.24	
4.	उत्तर प्रदेश	निल	निल	8.34	
				9.95	50.00

**1994–95 के लिए राज्यवार सूचना वित्त वर्ष की समाप्ति की बाद समेकित की जाएगी।

रसोई गैस एजेंसियों और पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र

2467. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आवंटित की गई तथा 1995-96 के दौरान आवंटित की जाने वाली रसोई गैस एजेंसियों और पैट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को आवंटित की गई/की जाने वाली रसोई गैस एजेंसियों और पैट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) गत चार वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये निर्धारित कोटे में से सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को कितनी गैस एजेंसियों तथा पैट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन किया गया?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल चयन बोर्ड के माध्यम से अनेक अनुमोदित विपणन योजनाओं के अंतर्गत 1116 खुदरा बिक्री केन्द्र और 619 रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित किए गए थे। उपरोक्त में से 339 खुदरा बिक्री केन्द्र और 149 रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित रिक्तियों के बदले में आवंटित की गई। पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। वर्ष 1995-96 के दौरान आवंटित किए जाने वाले संभावित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या अनेक कारकों जैसे विज्ञापित की जाने वाली जगहों, तेल चयन बोर्ड द्वारा लिये जाने वाले साक्षात्कार और अनेक जगहों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले लोगों पर निर्भर करता है। विज्ञापन के बाद डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटन में आमतौर पर 6 से 12 महीने का समय लगता है। 1988-93 और 1992-94 के खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस विपणन योजनाओं में क्रमशः 1519 खुदरा बिक्री केन्द्र और 623 डीलरशिप/डिस्ट्रब्यूटरशिप सम्मिलित किए गए थे। उपरोक्त के साथ-साथ 1993-96 और 1994-96 विपणन योजनाओं में क्रमशः 1040 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 1023 रसोई गैस डिस्ट्रब्यूटरशिप शामिल की गई हैं। विपणन योजनाओं में शामिल 25 प्रतिशत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) कोई नहीं।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

2468. श्री एन.वी. राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). मच्छु-1 सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण को 8.12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 8/93 में परामर्शदात्री समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए, जबकि "मित्तो सिंचाई परियोजना के पुनरूद्धार" पर राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों की अनुपालना करनी है। इसके अतिरिक्त 235 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक एकीकृत सिंचाई विकास परियोजना प्रस्ताव, जिसमें 5 वृहद और 19 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करके सिंचित कृषि उपज बढ़ाने की परिकल्पना की गई है, 10/92 में गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ था, जिसके लिए बाह्य सहायता का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन स्वीकृतियां यथा स्थिति प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियां

2469. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने आतंकवादियों के विरूद्ध कार्यवाही की निगरानी हेतु आतंकवाद को विफल करने वाले समर्पित दलों के गठन की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सराकर ने आतंकवादियों के विरूद्ध कार्यवाही की निगरानी हेतु कोई पृथक दल बनाने का भी निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्यों को समर्थन और सहायता देने पर भी सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). जी हां, श्रीमान। राज्यों को, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों से आसूचना समन्वित करने, उसका विश्लेषण करने तथा पड़ोसी राज्यों और भारत सरकार की संबंद्ध एजेंसियों के बीच समन्वयपूर्वक अभियान चलाने के लिए ग्रुप/टास्क फोर्स गठित करने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आतंरिक सुरक्षा) के अधीन एक विशेष कक्ष का पहले हीं गठन किया जा चुका है। स्टेट

टास्क फोर्स/कक्ष केन्द्रीय कक्ष के साथ एक संस्थागत रूप में नियमित रूप से विचार-विमर्श करेंगे। केन्द्र सरकार, अतिरिक्त अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध करवा कर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवा कर, आधुनिक शस्त्र तथा राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण के लिए अनुदान उपलब्ध करवा कर, राज्यों को सभी संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है।

विदेशी सहयोग

2470. डा. आर. मल्लू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने संगठनों को विदेशी सहयोग मिल रहा है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संगठनों द्वारा किन-किन देशों में सहयोग प्राप्त हुआ और सहयोग की राशि कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वर्ष 1990, 1.1.91 से 31.3.1992 और 1992-93 के दौरान जिन संगठनों ने विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, उनकी राज्य-वार संख्या का विवरण- I संलग्न है।

(ख) 1990, 1991-92 (1.1.91 से 31.3.92) और 1992-93 के दौरान विभिन्न देशों से प्राप्त विदेशी अभिदाय का विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

1990, 1.1.1991 से 31.3.92 और 1992-93 के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले संगठनों की राज्यवार संख्या

1	2	1990 3	1991-92* 4	1992-93 5
1.	अंडमान और निकोबार	7	7	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	979	877	970
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1
4.	असम	116	110	127
5.	बिहार	319	340	408
6.	चण्डीगढ़	9	6	11
7.	दादरा और नगर हवेली	13	13	10
8.	दिल्ली	405	320	477
9.	गोवा दमण और दीव	108	112	132
10.	गुजरात	427	420	525
11.	हरियाणा	49	48	50
12.	हिमाचल प्रदेश	38	34	44
13.	जम्मू और कश्मीर	18	20	21
14.	कर्नाटक	838	768	796
15.	केरल	1386	1314	1344
16.	लक्षद्वीप	0	0	0
17.	मध्य प्रदेश	298	283	323
18.	महाराष्ट्र	904	827	989
19.	मणिपुर	87	100	140
20.	मेघालय	87	85	91
21.	नागालैण्ड	30	28	32
22.	मिजोरम	7	6	8
23.	उड़ीसा	255	278	373
24.	पांडिचेरी	50	46	55
25.	पंजाब	68	65	68
26.	राजस्थान	93	88	134
27.	तमिलनाडु	1532	1597	1763
28.	त्रिपुरा	6	6	8
29.	उत्तर प्रदेश	461	477	480
30.	पश्चिम बंगाल	723	730	812
31.	सिक्किम	3	4	3
	योग	9316	9012	10201

* 1.1.1991 से 31.3.92 तक (15 महीने)

विवरण II

1990, 1991-92 और 1992-93 के दौरान विभिन्न देशों से प्राप्त विदेशी अभिदाय

क्रमांक	देश	विदेशी अभिदाय की राशि (हजार रुपयों में) 1990	1991-92**	1992-93
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	152	323	-
2.	अल्जीरिया	82	134	-
3.	अंगोला	-	-	3
4.	अंगिला	-	-	-
5.	एंटीगुआ और बरबूदा	193	3	208
6.	अर्जेन्टीना	281	356	1815
7.	आस्ट्रेलिया	162692	222964	291506
8.	आस्ट्रिया	99718	144666	190671
9.	बहामा	8	121	92
10.	बहरीन	3452	5614	8840
11.	बंगलादेश	254	411	3733
12.	बारबाडोस	190	-	60

1	2	3	4	5
13.	बेल्जियम	138089	253912	249684
14.	बेलिजे	–	31	–
15.	बेनिन (गणतंत्र)	–	–	–
16.	भूटान	1527	2417	4478
17.	बोलीविया	–	–	–
18.	बोट्सवाना	8	137	151
19.	ब्राजील	2898	737	215
20.	ब्रेमिन (हम्बर्ग स्टेट)	1904	–	–
21.	ब्रुनेई	344	560	9
22.	बुल्गारिया	184	42	165
23.	बुरकिन फासो	–	430	–
24.	बर्मा	72	32	51
25.	बुरूंडी	–	–	–
26.	साइकोस द्वीप समूह	–	–	–
27.	केमरून	76	–	–
28.	कनाडा	366813	543408	517299
29.	केप वर्डे द्वीप समूह	–	–	5
30.	कारडाइन मशाल द्वीप समूह	–	–	–
31.	केमान द्वीप समूह	–	–	–
32.	केन्द्रीय अफ्रीकी गणतंत्र	–	–	–
33.	चाड	–	–	–
34.	चिली	562	335	1081
35.	चीन	204	1074	3251
36.	कोलंबिया	142	232	571
37.	कोमोरस (संघीय इस्लामी गणतंत्र)	–	–	–
38.	कांगो (जनवादी गणतंत्र)	–	–	–
39.	कोस्टारिका	3	11	6
40.	क्यूबा	81	–	–
41.	साइप्रस (गणतंत्र)	62	81	58
42.	चेकोस्लोवाकिया	–	121	6
43.	डेनमार्क	56302	73317	108330
44.	डोमीनिका	2	–	–
45.	जिबोती	50	–	–
46.	भूमध्य गिनी (गणतंत्र)	–	219	–
47.	मिस्र	574	215	172
48.	अल इक्वेडोर	2	2	–
49.	अल सल्वाडोर	–	–	–
50.	इथियोपिया	92	318	3523
51.	फिजी	411	216	2470
52.	फिनलैंड	14518	21445	17859
53.	फ्रांस	202960	351873	338807
54.	गारबोन	–	401	–
55.	जाम्बिया	–	853	–
56.	जर्मनी (जी.डी.आर.)	1000	–	–
57.	जर्मनी (एफ.आर.जी.)	2259609	3324282	3452940
58.	घाना	1421	261	–
59.	यूनान	2117	242	264
60.	ग्रेनाडा	24	25	–
61.	ग्वाटेमाला	10	2	–
62.	गिनी	48	3	143
63.	गिनी बिसऊ	–	–	–
64.	गुयाना	–	–	18
65.	हैवाजी	–	–	–
66.	हैसन	31	–	608
67.	होली सी	215	1181	56
68.	हांगकांग	37904	34195	45879
69.	हंगरी	36	328	368
70.	आइसलैंड	653	607	961
71.	इन्डोनेसिया	10499	3755	3620
72.	ईरान	146	–	254
73.	इराक	26	1233	–
74.	आयरलैण्ड	31023	51155	41869
75.	इजरायल	179	193	370
76.	इटली	704053	1130869	1194818
77.	आइवरी कोस्ट	–	–	–
78.	जमैका	102	69	164
79.	जापान	58135	56137	124776
80.	जोर्डन	282	33	783
81.	कम्पूचिया	7	115	4
82.	केन्या	2830	3001	5434
83.	किरीबाटी	–	3	–
84.	कोरिया-उत्तरी (डी.पी.आर.)	616	3316	1143
85.	कोरिया-दक्षिणी (गणतंत्र)	2747	4360	3925
86.	कुवैत	23936	33452	71259
87.	लाओस	4	99	1
88.	लेबनान	24322	44	69

1	2	3	4	5
89.	लेसोथो	5	–	–
90.	लाइबेरिया	184	32	–
91.	लीबिया	18	276	310
92.	लीचटेंसटीन (गणतंत्र)	–	–	–
93.	लोअर सेक्सोय	4	65	–
94.	लक्जेम्बर्ग	9691	15432	19294
95.	मकाऊ	–	1	–
96.	मालागासी गणतंत्र (मेडागास्कर)	–	–	–
97.	मालावी	141	537	263
98.	मलेसिया	3698	9707	10663
99.	मालदीव	64	133	15
100.	माली	52	60	40
101.	माल्टा	10558	15488	17242
102.	मारीतानिया	–	2	5
103.	मारीशस	335	728	380
104.	मैक्सिको	2231	1162	979
105.	मंगोलिया (पीपल्स रिपब्लिक)	–	–	–
106.	मोन्टेसरट	–	–	–
107.	मोरक्को	90	–	–
108.	मोजाम्बिक	37	120	34
109.	नाऊरू (गणतंत्र)	29	589	–
110.	नेपाल	6557	8197	9375
111.	नीदरलैण्ड्स	601252	815991	1157637
112.	नीदरलैण्ड्स एन्टिल्स	–	237	–
113.	न्यू केलेन्डोनिया	–	2237	–
114.	न्यूजीलैण्ड	31361	28198	16810
115.	निकोरागुआ	–	25	–
116.	नाईजर (गणतंत्र)	116	341	10
117.	नाईजीरिया	1521	2372	899
118.	नार्वे	61963	88016	117741
119.	ओमान (सल्तनत)	5222	5776	13243
120.	पाकिस्तान	174	1319	1236
121.	पनामा	297	2295	199
122.	पापुआ न्यू गिनी	15	8	117
123.	परागुवे	–	–	–
124.	पेरू	11	5	–
125.	फिलीपीन्स	13548	26461	28627
126.	पौलेण्ड	97	366	169
127.	पुर्तगाल	1938	2077	2857
128.	कतार	4626	6872	9713
129.	रीनलैण्ड फाल्ज	–	330	–
130.	रोमानिया	1072	1344	330
131.	रवान्डा	102	6	–
132.	सान मारीनो	–	–	–
133.	सरार लैण्ड	–	–	60
134.	सऊदी अरब	37628	72912	101535
135.	सेल्सविंग आइलोलेस्टीन	–	–	–
136.	सेनेगल	–	13	–
137.	सिसली	403	360	–
138.	सियेरा लियोन	–	–	–
139.	सिंगापुर	22320	32004	46095
140.	सोसायटी आइलैण्ड	–	–	–
141.	सोलोमान आइलैण्ड	312	–	–
142.	सोमालिया	125	–	–
143.	स्पेन	167396	285902	363532
144.	श्रीलंका	729	2635	1942
145.	सेन्ट क्रिस्टाफर एण्ड नेविस	–	–	–
146.	सेन्ट विन्सेट एण्ड द ग्रेंडेनीज	–	356	170
147.	सेन्ट लूसिया	147	6	–
148.	सूडान	125	12	–
149.	सूरीनाम	–	–	–
150.	स्वाजीलैण्ड	138	358	2303
151.	स्वीडन	244969	276537	240901
152.	स्विटजरलैण्ड	527721	742742	915147
153.	सीरिया (अरब गणतंत्र)	127	514	785
154.	ताईवान	198	2292	4381
155.	तन्जानिया	34	1022	1586
156.	थाइलैण्ड	3880	9635	8517
157.	टोगो	57	978	1026
158.	टोंगा (किंगडम)	–	–	30
159.	त्रिनिनाद तथा टोबेगो	161	415	2891
160.	ट्यूनिशिया	236	160	373
161.	तुर्की	78	209	24
162.	टर्क्स तथा साइकोस आइलैण्डस	429	–	552
163.	तुवालू	–	–	–

1	2	3	4	5
164.	यूगान्डा	–	190	82
165.	संयुक्त अरब अमीरात	31535	67341	66133
166.	यूनाइटेड किंगडम	1181177	1279981	1753387
167.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2038441	3600581	3597313
168.	सोवियत रूस	150	6334	1
169.	उरूग्वे	–	64	72
170.	वेनुतु	–	–	64
171.	वेनेजुएला	1641	1037	402
172.	वियतनाम (समाजवादी गणतंत्र)	–	–	171
173.	पश्चिमी समोआ	–	–	42
174.	यमन अरब गणतंत्र	20	80	70
175.	यमन पी.डी.आर.	7	17	12
176.	युगोस्लाविया	65	398	154
177.	जायरे	34	13	–
178.	जाम्बिया	144	76	107
179.	जिम्बाब्वे	250	45	922
180.	छोटे दानदाता	220217	422952	642073

** 1.1.1991 से 31.3.92 तक (15 महीने)

राज्यपालों को स्वविवेकी अनुदान

2471. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यपालों के मामले में भी एक करोड़ रुपये के उस प्रकार के स्वविवेकी अनुदान के प्रावधान का कोई प्रस्ताव मिला है, जैसा कि संसद सदस्यों के लिए "स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं" के अंतर्गत उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

जेल प्रबन्ध प्रणाली

2472. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जेल प्रबंधन प्रणाली को मजबूत और तर्कसंगत बनाने हेतु एक विस्तृत और समान कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कानून में महिला कैदियों का उपचार, पुलिस हिरासत में मौत और बिना दोष सिद्ध कैदियों जैसे पहलुओं को शामिल करने का विचार है; और

(ग) यह कानून कब तक बना दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सिंध चरण द्वितीय परियोजना

2473. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिंध चरण द्वितीय परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). 20 मेगावाट की दो यूनिटों की स्थापना के लिए तथा बाद में उसमें 20 मेगावाट की और एक यूनिट जोड़ने के प्रावधान सहित सिंध नदी परियोजना फेज-II के विद्युत घटक को 186.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अप्रैल 1993 में तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए इस योजना पर विचार किये जाने से पूर्व, राज्य सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत स्थायी पंजीकरण संख्या

2474. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहयोग (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आवेदकों को स्थायी पंजीकरण संख्या जारी करने के संबंध में कोई समय/सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई स्वयंसेवी संगठन, जिन्होंने दो-तीन वर्ष पूर्व आवेदन किया था, वे पूर्ववृत/परिचय पत्र की जांच न किये जाने कारण अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं; और

(ङ) लंबित आवेदन पत्र कब तक निपटा दिए जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). आज की तारीख में, 1.1.93 को या इससे पहले प्राप्त कुल 670 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं। इन सभी मामलों में एसोसिएशनों के पूर्ववृत्तों/परिचय पत्र का सत्यापन किया जा रहा है। इन एसोसिएशनों को, इन मामलों के अंतिम निपटान के लिए कुछ अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करनी पड़ती है। 468 एसोसिएशनों से सूचना अभी तक प्रतीक्षित है। इन आवेदन पत्रों की एसोसिएशनों से पूरी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटा दिए जाने की सम्भावना हैं। शेष 202 मामलों में, एसोसिएशन ने अतिरिक्त सूचना हाल ही में भेजी हैं। इन मामलों पर कार्रवाई की जा रही है और अगले दो महीनों के दौरान इन्हें निपटा दिए जाने की सम्भावना है।

सकल घरेलू उत्पाद

2475. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकल घरेलू उत्पाद का स्तर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष क्या था;

(ख) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित स्तर क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का क्षेत्र-वार योगदान कितना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ग). वर्ष 1994-95 के लिए क्षेत्र-वार ब्यौरों सहित गत तीन वर्षों के दौरान कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कारक लागत पर, 1980-81 मूल्यों पर आधारित वर्ष 1994-95 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुमान 245306 करोड़ रुपये है। वर्ष 1995-96 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

जाली मुद्रा

2476. श्री मृत्युन्जय नायक :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1995 के "ब्लिट्ज में "भारतीय मुद्रा की साख को गहरा धक्का" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रारूप जल सूचना विधेयक

2477. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वद्दे :
श्री शरत पटनायक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रारूप जल सूचना विधेयक तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह विधेयक कब तक पुरःस्थापित कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) जल सूचना विधेयक का मसौदा मुख्यतः सांख्यिकी के संकलन एवं प्रकाशन, केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा सांख्यिकी प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा रिकार्ड, सूचना और प्रतिबन्धित आंकड़े प्राप्त करने के उनके अधिकार के साथ-साथ सूचना मंगवाने के लिए उनकी शक्तियों के सम्बन्ध में है। इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित संबंधित सांख्यिकी सूचना प्राप्त करने की अनुमति होगी और इसी प्रकार राज्य सरकार को भी केन्द्रीय सरकार से उक्त सूचना प्राप्त करने की अनुमति होगी। इससे जल वैज्ञानिक आंकड़ों अथवा विकास संबंधी योजनाओं के प्रचालन और निष्पादन सम्बन्धी आंकड़ों सहित आंकड़ों की आसानी से उपलब्धता और परिशुद्धता सुनिश्चित होगी। तथापि, केन्द्रीय सरकार के लिए यह प्रावधान है कि वे राष्ट्रीय हित के कुछ प्रतिबन्धित आंकड़ों को श्रेणीबद्ध और विनियमित करें।

(ग) जल सूचना विधेयक के मसौदे पर राष्ट्रीय जल बोर्ड में विचार-विमर्श किया गया है और इसे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अगली बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

नशीली दवाओं का सेवन

2478. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री बलराज पासी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस समय हेरोइन के सेवन का शिकार हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) नशीली दवाओं के दुरूपयोग की स्थिति संबंधी तीव्र मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हेरोइन का व्यसन अधिकांशतः शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत नशीले पदार्थों जैसे अफीम और चरस सेवन की बुराई है।

(ख) और (ग). ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में नशीली दवाओं के व्यसनियों को परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाएं मुहैया कराने हेतु सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से नशीली दवाओं के विरूद्ध चेतना सृजन, परामर्श और सहायता एवं निर्व्यसन सह-पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त नशीली दवाओं की मांग कम करने तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र व्यापी बहु मीडिया चेतना जागरण अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को परम्परागत मीडिया जैसे लोक थियेटर तथा संचार के अन्य अन्तर्वैयक्तिक माध्यमों के जरिए बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

ग्रामीण विकास

2479. डा. परशुराम गंगवार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु पचास प्रतिशत संसाधन आवंटित करने संबंधी नीति का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). : आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कुल बजटीय सहयोग 57 प्रतिशत तक होता है। यह परिव्यय कृषि ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, परिवहन, ग्रामोद्योग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा तथा जलापूर्ति जैसे प्रमुख विकास शीर्षों के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में

2480. श्री पंकज चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का प्रसारण करने के संबंध में कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की कितनी फिल्में प्रसारित की गयीं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषा फिल्मों के प्रदर्शन हेतु पात्रता मानदण्ड विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय/क्षेत्रीय नेटवर्क पर विभिन्न भाषाओं में प्रसारित फिल्मों की संख्या विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

फीचर फिल्में, जो किसी निम्नलिखित मानदण्ड को पूरा करती हैं अथवा जिन्होंने निम्नलिखित राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जैसी भी स्थिति हो, की दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण हेतु विचार किया जाता है।

(1) वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ फीचर फिल्म (सभी भाषाओं में एक साथ) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

(2) निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार।

(3) लोकप्रिय तथा स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु पुरस्कार।

(4) राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हेतु नरगिस दत्त पुरस्कार।

(5) परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म।

(6) अन्य सामाजिक समस्याओं जैसे निषेध, महिला और बाल कल्याण, दहेज विरोधी, मादक द्रव्यों के सेवन आदि पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म।

(7) भारतीय भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हेतु राष्ट्रपति का "रजत कमल" पुरस्कार।

(8) राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में "प्रशंसा प्रमाणपत्र" प्राप्त करने वाली फिल्में।

(9) किसी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के भारतीय पेनोरमा तथा मुख्य धारा खण्ड में प्रविष्टि।

(10) सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हेतु राज्य सरकार पुरस्कार।

(11) सर्वश्रेष्ठ निर्देशन हेतु राज्य सरकार पुरस्कार।

(12) कोई दो राज्य सरकार पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्में (उपरोक्त के अतिरिक्त)।

(13) ऐसी फिल्में, जिन्होंने रजत जयन्ती मनाई हो (25 सप्ताह तक लगातार प्रदर्शित होने वाली) तथा "यू" प्रमाण पत्र प्राप्त।

(14) विदेश में आयोजित किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार प्राप्त फिल्में।

विवरण–II

दूरदर्शन द्वारा प्रसारित क्षेत्रीय भाषा फीचर फिल्मों की संख्या

भाषा	वर्ष					
	1992		1993		1994	
	रा.	क्षे.	रा.	क्षे.	रा.	क्षे.
असमिया	5	26	4	30	4	54
बंगला	25	77	8	126	8	170
गुजराती	4	65	4	52	3	34
कन्नड़	4	60	4	83	3	145
कोंकणी	–	5	1	–	–	2
मलयालम	8	63	5	61	3	53
मणिपुरी	4	4	2	4	1	3
मराठी	5	42	5	50	3	43
नेपाली	–	4	–	2	–	–
उड़िया	5	26	6	28	4	24
पंजाबी	5	18	6	14	1	11
सिंधी	–	3	–	1	–	–
तमिल	7	66	6	65	6	62
तेलुग	7	66	3	63	5	57

रा. - राष्ट्रीय नेटवर्क

क्षे. - क्षेत्रीय नेटवर्क

स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2481. श्री नरेश कुमार बालियान : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांसद "स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" के अंतर्गत अपने चुनाव क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) इस उद्देश्यों के लिए जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार, लोक सभा के माननीय सदस्य केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही विकास कार्य करवा सकते हैं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

सिंचाई क्षमता

2482. श्री रतिलाल वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में कुल कितनी सिंचाई क्षमता उत्पन्न की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों में कुछ नई सिंचाई परियोजनाएं आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) गुजरात में वर्ष 1993-94 के दौरान 52000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की आशा है।

(ख) और (ग). गुजरात सरकार ने आठवीं योजना में शामिल करने के लिए 27 नई मझौली सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव किया था। 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा एक सांकेतिक प्रावधान भी आवंटित किया गया था। 1994-95 के दौरान एक योजना नामशः ओजाट-II के लिए केवल 4 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। निर्माणाधीन और नई सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सिंचाई क्षमता का सृजन एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। आठवीं योजना के लिए 628000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का लक्ष्य है। 1992-94 की अवधि के दौरान 102150 हेक्टेयर की उपलब्धि प्राप्त होने की आशा है। 1994-95 के दौरान 55000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है। वास्तविक उपलब्धि सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियों के आवंटन पर निर्भर करती है। 1995-96 एवं 1996-97 की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पुलिसकर्मियों के लिए पुनः रोजगार ब्यूरो

2483. श्री जनार्दन मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिसकर्मियों के लिए पुनः रोजगार ब्यूरो की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को ऐसी सुविधा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस ने ओल्ड पुलिस लाइन, दिल्ली में अपर पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में एक पुनर्नियोजन ब्यूरो की स्थापना की है। ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिसकार्मिकों को प्राइवेट संगठनों में रोजगार प्राप्त करने में उनकी मदद करना है।

(ग) से (ङ). चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है इसलिए अपने सेवानिवृत्त पुलिसकार्मिकों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करने का काम संबंधित राज्यों का है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के कुएं में आग

2484. श्री देवी बक्स सिंह : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में पसारलापुडी के तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए एक अमरीकी कम्पनी को ठेका दिया गया था;

(ख) क्या ठेका देने से पूर्व संबंधित कम्पनी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता सुनिश्चित कर ली गयी थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संबंधित कम्पनी के कहने पर कीमती उपकरणों का आयात किया गया था, जो इस समय बेकार पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संपूर्ण मामले में न्यायिक जांच कराने का विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। विदेशी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार जुटाए गए अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग अग्निशमन कार्यों के लिए किया गया। ओ एन जी सी द्वारा भावी प्रयोग के लिए भी इनका रख-रखाव किया जाएगा।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

अजमेर में आई.एस.आई. केन्द्र

2485. श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्रीमती शीला गौतम :
डा. मुमताज अंसारी :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "नवभारत टाइम्स" में "अजमेर में आई.एस.आई. का केन्द्र होने की आशंका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). अजमेर में आई.एस.आई. केन्द्र के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। तथापि सरकार द्वारा इस संबंध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

कावेरी जल विवाद

2486. श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी जल विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण कब तक अपनी अंतिम रिपोर्ट दे देगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल बेसिन राज्यों एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने अधिकरण के समक्ष अपने मामले प्रस्तुत किए हैं। अधिकरण ने गवाहों से जिरह शुरू की है। तमिलनाडु राज्य की ओर से 5वें गवाह की जिरह चल रही है। सुनवाई की अगली तारीख 20 और 21 अप्रैल, 1995 निश्चित हुई है।

(ख) अधिकरण द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता है।

तेल ड्रिलिंग केन्द्र

2487. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा आयल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कुछ तेल ड्रिलिंग केन्द्रों का निजीकरण करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गुजरात में 12 छोटे आकार के क्षेत्रों के लिए संविदाएं निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार

छः कम्पनी समूहों को दी गई हैं :-

कम्पनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र
गुजरात स्टेट पैट्रोकैमिकल्स का.लि.(जी एस पी सी एल), अहमदाबाद, नाइको रीसोर्सेज, कनाडा	हजीरा, कैम्बे, भांदुत मातार और साबरमती
सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलाजी लि., नई दिल्ली	इंदरोरा, बाक्रोल और लोहार
लार्सन एण्ड टूब्रो, बम्बई-जोशी टेक्नालाजीज, यूएसए	ढ़ोलका, बावेल
इंटरलिंक ज्योफिजिका, बड़ौदा	बाओला
एच ओ ई सी, बड़ौदा, जी एस पी सी एल, अहमदाबाद, पैट्रोडायन, यू एस ए	आसजोल

सरकार ने गुजरात में निम्नलिखित ब्लाक में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए संविदा देने का भी अनुमोदन किया है :-

ब्लाक का नाम	कम्पनी का नाम
गुजरात कच्छ तटीय बेसिन में जे के-ओएन-90/2	परिसंघ, जिसमें मैसर्स पान एनर्जी, रिसोर्सेज आफ यू एस ए, स्टर्लिंग रिसोर्सेज आफ आस्ट्रेलिया, ओकलैण्ड आयल कम्पनी आफ यू एस ए, पान पेसिफिक पेट्रोलियम एन एल आफ आस्ट्रेलिया और ट्रांस एशिया कंसल्टेंट्स आफ इंडिया शामिल है।

[हिन्दी]

विकलांग बच्चे

2488. श्री सूरज मंडल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए देश में विद्यालयों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी संख्या है;

(ख) आज तक मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे बच्चों के विकास के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

2489. डा खुशीराम डुंगरोमल बेरवाणी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण का कोटा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अतिरिक्त जल को दूसरी ओर ले जाना

2490. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर बिहार की अधिक जल वाली नदियों से अतिरिक्त जल कम जल वाले क्षेत्र की ओर मोड़ने हेतु कोई योजना बनाई है ताकि राज्य में जल संसाधन का इष्टतम उपयोग हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए किन-किन नदियों का चयन किया गया है; और

(घ) इस संबंध में अब तक की उपलब्धि क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). सरकार द्वारा वर्ष 1980 में तैयार किए गए जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी

वाले थालों में जल अंतरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच अलग-अलग अंतःसंपर्क करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ये अध्ययन कर रहा है। हिमालयी घटक में अन्य बातों के साथ-साथ गंगा के साथ मुख्य ब्रह्मपुत्र को जोड़ने के अलावा गंगा की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष प्रवाहों को पश्चिम की ओर अंतरित करने के लिए नहर प्रणालियों को आपस में जोड़ने के साथ-साथ मुख्य गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी मुख्य सहायक नदियों पर भंडारण जलाशय के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

(ग) उत्तर बिहार में अभिज्ञात किए गए अंतःसंपर्कों में कोसी, मेची, गंडक और गंगा नदियां शामिल हैं।

(घ) अभी तक गंडक गंगा संपर्क के टोपोशीट अध्ययन पूरे किए गए हैं। अन्य संपर्कों के टोपोशीट अध्ययन तथा उनकी प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्टों को आठवीं योजना के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर गुजराती कार्यक्रम

2491. श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर गुजराती कार्यक्रमों के लिए कितना समय आबंटित किया गया है; और

(ख) अन्य कार्यक्रमों विशेषतः सौराष्ट्र की भाषा और जनजातीय लोगों की भाषाओं में बने कार्यक्रमों के लिए आबंटित समय का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) (क) और (ख). यद्यपि भाषावार कोई आवंटन नहीं किया जाता है तथापि, गुजरात में आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित/टेलीकास्ट गुजराती तथा अन्य भाषाओं के कार्यक्रमों की अवधि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

गुजरात से विभिन्न भाषाओं में प्रसारित/टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की अवधि

भाषा	दूरदर्शन केन्द्र अहमदाबाद (मिनट प्रति सप्ताह में)	दूरदर्शन केन्द्र राजकोट (मिनट प्रति सप्ताह में)	आका. अहमदाबाद (घंटे प्रति मास में)	आका. राजकोट (घंटे प्रति मास में)	आका. भुज (घंटे प्रति मास में)	आका. सूरत (घंटे प्रति मास में)	आका. गोदरा (घंटे प्रति मास में)	आका. आहवा (घंटे प्रति मास में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजराती (संगीत सहित)	1340 घंटे	150 मिनट	287 घंटे 20 मि.	227 घंटे 30 मि.	205 घंटे 30 मि.	90 घंटे	70 घंटे 55 मि.	79 घंटे
सिंधी	15	–	12 घंटे	–	8 घंटे 40 मि.	2 घंटे	–	–
हिन्दी	15	–	51 घंटे 35 मि.	6	3 घंटे 40 मि.	2 घंटे	–	1 घंटे. 30 मि.
संस्कृत	–	–	1 घंटे 30 मि.	1	1 तिमाही में 15 मि.	–	–	–
अंग्रेजी	–	–	2 घंटे 55 मि.	2	30	30	–	– –
उर्दू	15	–	2 –	–	–	–	–	– –
जनजातिय कार्यक्रम	एक महीने में 30 मिनट	–	7 घंटे 30 मि.	–	–	9	2 घंटे 10 मि.	16 घंटे
काची (बोली)	–		–		13 घंटे	–	–	–

उपग्रह चैनल (डीडी-6) के माध्यम से प्रतिदिन 10 से 11 घंटे की अवधि के लिए गुजराती में कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाते हैं। ये डिश एन्टेना के माध्यम से समग्र देश में उपलब्ध हैं। दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में जनजातीय संस्कृति और कल्याणकारी कार्यकलापों के बारे में भी कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

आकाशवाणी बडोदरा एक वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र है और इसके द्वारा प्रतिदिन 45 मिनट की अवधि के लिए गुजराती सुगम संगीत प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से ग्रामीण दर्शकों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें जनजातीय लोगों के लिए कार्यक्रम भी शामिल होते हैं।

कोयले की खोज

2492. डा. लखन बहादुर रावल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से राज्य में कोयले की खोज करने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के कुछ क्षेत्रों में कोयले की खोज करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बिहार में कोयले की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा बिहार को कितने कोयले की आपूर्ति की जा रही है;

(च) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान राज्य में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). वर्तमान में, भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण का कार्य ईस्ट बोकारो कोलफील्ड्स के सियरी ब्लाक, साउथ कर्णपुरा कोलफील्ड के पतरातु ब्लाक, औरंगा कोलफील्ड के बनारदी-लटेहर ब्लाक, सिंधरी-चोलपाघर क्षेत्र, दमुरिया-गंधारप-केयाडीह और बिहार की राजमहल ग्रुप की कोयला क्षेत्रों के पछवारा-चिरूडीह क्षेत्र।

केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. भी इस समय कोयले का विस्तृत अन्वेषण बिहार के 5 कोयला क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जिसके बकाया आठवीं योजनावधि के दौरान भी चालू रहने की संभावना है।

(ङ) से (छ). वर्ष 1993-94 के दौरान बिहार के विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों को कोयले की लगभग 20.9 मि.टन आपूर्ति की गई थी। कोल इंडिया लि. वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार के उद्योगों की सम्पूर्ण मांग को पूरा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

तेल की खोज

2493. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लि. ऊपरी असम और दुलियाजान में नए तेल क्षेत्रों से तेल निकालने का कार्य आरम्भ करने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दुलियाजान के पास ऊपरी असम में हाल ही में खोजे गए नए क्षेत्रों/संरचनाओं से उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया गया है। वर्ष 1990-91 से ऊपरी असम में खोजे गए नए क्षेत्रों/संरचनाओं का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नवत है :-

	संरचना	तेल/गैस	स्थिति
1.	डीकाम	तेल	उत्पादन कर रही है
2.	काथालोनी	तेल	उत्पादन कर रही है
3.	हातीअली	तेल	उत्पादन कर रही है
4.	उत्तरी हैगजन	तेल	उत्पादन कर रही है
5.	माकूम	तेल*	उत्पादन कर रही है
6.	दक्षिण राजगढ़	तेल	उत्पादन नहीं कर रही, विस्तृत परीक्षण लंबित है।

मशीनरी तथा छपाई के कागजों का आयात

2494. श्री पीयूष तीरकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी नीति तैयार करने पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत भारत के समाचारपत्रों के पंजीकार के कार्यालय मशीनरी और छपाई के कागजों के आयात को नियंत्रित नहीं करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पो.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). मुद्रण मशीनरी अथवा अखबारी कागज के आयात का भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा विनियमन नहीं किया जाता। चूंकि मुद्रण मशीनरी और सम्बद्ध सामग्री के आयात के संबंध में समाचारपत्रों को सीमा-शुल्क में कुछ रियायतें उपलब्ध हैं, इसलिए भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा उन समाचारपत्रों को, जो उसके लिए आवेदन करते हैं, केवल आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं ताकि वे उन शुल्क रियायतों का लाभ उठा सकें।

इसी प्रकार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अधिसूचित सरकार की अखबारी कागज आयात नीति में निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा समाचारपत्रों को अखबारी कागज के आयात को केवल पात्रता प्रमाणपत्र ही जारी किए जाते हैं।

पैट्रोलियम क्षेत्र में सुधार

2495. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पैट्रोलियम क्षेत्र में सुधारों संबंधी उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट का प्रारूप पुनः तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उच्च स्तरीय पैनल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने किन-किन सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उनके क्रियान्वयन के मामले में सहमत नहीं है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार जिन सिफारिशों के क्रियान्वयन के मामले में सहमत है, उन्हें कब तक लागू किया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन के सदस्यों एवं शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्रचना पर एक "नीतिगत योजना दल" बनाया गया है। इन दल ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

2496. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विधि आयोग ने 1980 से पहले इस कानून में संशोधन करने की सिफारिश की थी; और

(ङ) किन-किन राज्य सरकारों ने इस कानून में संशोधन किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). पैसे की कीमत के अवमूल्यन को देखते हुए, पत्नियों, बच्चों या माता-पिताओं के लिए गुजारे भत्ते के भुगतान की सीमा को 500/- रुपए से बढ़ाकर 1500/- रुपए करने के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को संशोधित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। भारत के विधि आयोग ने अपनी 132 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि 500/- रुपए की कानूनी सीमा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

पृथक उत्तराखण्ड राज्य

2497. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री अन्ना जोशी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाए जाने संबंधी मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं से परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). सभी दलों को स्वीकार्य सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए उत्तराखण्ड आंदोलन के नेताओं से विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जा रही है। तथापि ऐसे संजीदा मामले पर किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं होगा।

जेलों में विचाराधीन कैदी

2498. डा. एस.पी. यादव :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री सनत कुमार मंडल :
डा. आर. मल्लू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेल की स्थितियों में सुधार हेतु अपने प्रयास में परीक्षण के लिए औपचारिक रूप से उपस्थित किए बिना जेलों में सड़ रहे विचाराधीन कैदियों के एक बड़े प्रतिशत के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है और इस बात पर जोर दिया है कि विचाराधीन कैदियों को शीघ्रताशीघ्र परीक्षण हेतु उपस्थित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो परीक्षणाधीन कैदियों की दुर्दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 1993-94 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि :—

"आयोग, देश की अधिकांश जेलों में, अत्यधिक भीड़-भाड़, सफाई-व्यवस्था की कमी, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव, अपर्याप्त आहार और ऐसी ही भयावह स्थितियों के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। विभिन्न कारणों से मामलों के निपटान में अन्याय पूर्ण विलंब द्वारा और जेलों के प्रशासन में कुप्रबंध, जिन्हें कि सुधारे जाने की जरूरत है, से वे गंभीर कमियां द्विगुणित होती जाती हैं।"

(ख) "जेल" राज्य का विषय है अतः जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की स्थिति की समीक्षा करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की है। यह जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की ही है कि वे जेलों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले से अपने नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं और जेल मेनुअलों के प्रावधानों के अनुसार निपटें। तथापि, देश की जेलों में असंतोषजनक स्थितियों पर केन्द्र सरकार ने लगातार चिंता व्यक्त की है। जेलों में रहने की दशा, हैल्थ हाईजीन और सुरक्षा प्रबंधों आदि में सुधार लाने के राज्य सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में भारत सरकार ने 1987 के दौरान-"जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण" की एक योजना शुरू की थी और इस पर उसने 1987-92 की अवधि के दौरान 45 करोड़ रु. की राशि जारी की थी। इस योजना को आठवीं योजना अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है; इस अवधि के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

जेलों में बढ़ रही भीड़-भाड़ से बचने के लिए विचाराधीन कैदियों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना भी अनिवार्यतः राज्य सरकार की ही चिंता है। तथापि, न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए 1989 में सरकार ने उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों की समिति (न्यायमूर्ति मलिमथ समिति) बनाई थी। समिति ने, न्याय क्षेत्रीय और प्रक्रियात्मक संशोधनों, न्यायपालिका में सुधारों, विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए अधिकरणों/आयोगों जैसे विशेष निकायों के गठन, न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों, अधीनस्थ न्यायपालिका में और अधिक पद सृजित करने जैसे मुद्दों को कवर करते हुए विभिन्न पहलुओं पर अनेक सिफारिशें कीं तथा न्यायालयों में कार्यालय-उपकरणों के आधुनिकीकरण, न्यायपालिका को और अधिक धन आबंटित किए जाने आदि से संबंधित अन्य अनेक सामान्य सिफारिशें भी कीं। इन सिफारिशों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अन्यों के साथ-साथ, सभी संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेजा गया था।

इसके अलावा, न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या से यथासंभव शीघ्रतापूर्वक निपटने हेतु रास्ता निकालने के मुद्दे पर प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 4 दिसम्बर, 1993 को हुई मुख्य मंत्रियों एवं मुख्य न्यायाधीशों की एक बैठक में विचार किया गया। इस सम्मेलन ने न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए स्वीकृत एक संकल्प में अनेक उपायों की सिफारिश की, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा उच्च न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को संस्तुत कर दिया। तत्पश्चात् विधि मंत्रियों के तीन कार्यदलों ने ग्रामीण मुकदमेबाजी, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में मामलों के बकाया और वैकल्पिक विवाद निदान के संबंध में उक्त संकल्प में निहित सिफारिशों पर विचार करने के लिए बैठकें कीं। दिसम्बर, 1993 के संकल्प और कार्यदलों द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा, विधि मंत्रियों द्वारा नवम्बर, 1994 में कलकत्ता में आयोजित अपनी शीर्ष बैठक में की गई। आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी संबद्ध प्राधिकारियों को बैठक में स्वीकृत संकल्प की संस्तुति की गई है।

[हिन्दी]

पैट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

2499. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्तमान में कितने पैट्रोल और डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का 1995-96 के दौरान गुजरात में पैट्रोल और डीजल के कुछ नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की मंजूरी प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये बिक्री केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 01.01.95 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 989 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें काम कर रही थीं।

(ख) और (ग). गुजरात की 1988-93 की विपणन योजना में 53 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को सम्मिलित कर लिया गया है जिनके लिए गुजरात के तेल चयन बोर्ड के माध्यम से चयन जारी है। इनके अतिरिक्त 1993-96 की विपणन योजना में और 75 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपों को शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

तेल की खोज

2500. श्री अनंतराव देशमुख : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने मिस्र में तेल की खोज हेतु ब्रिटिश गैस के साथ सहभागिता का समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने देश से हर अपतटीय/तटवर्ती ड्रिलिंग हेतु भी अन्य कंपनियों के साथ कोई समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड मिस्र के ऊतर जाफराना कन्सेसन में अन्वेषण के लिए ब्रिटिश गैस के समझौते को अंतिम रूप दे रही है।

(ग) और (घ). ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड ने वियतनाम में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण एवं दोहन के संबंध में पैट्रो वियतनाम के साथ एक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा की है। आगे पारस्परिक हितबद्धता वाले देशों में पैट्रोलियम के अन्वेषण तथा विकास के संबंध में

पेट्रोनास केरीगली, मलेशिया, ईरानियन आफसोर आयल कम्पनी, ईरान, कमाण्ड पैट्रोलियम, आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटिश गैस, यू के के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं।

घुसपैठिए

2501. श्री मोहन रावले :
श्री चित्त बसु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य एजेंसियों द्वारा भारत-बंगलादेश तथा भारत-पाक सीमाओं पर 1992, 1993 तथा 1994 के दौरान वर्ष-वार कितने घुसपैठिए पकड़े गए;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि/कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किये हैं/करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों में, भारत-बंगलादेश तथा भारत-पाक सीमाओं पर पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या के नीचे दिए गए वर्ष-वार ब्यौरे घुसपैठ की प्रवृत्ति में कमी दर्शाते हैं :—

वर्ष	भारत बंगलादेश सीमा	भारत-पाक सीमा
1992	37891	10994
1993	23559	4538
1994	16991	4738

(घ) किए गए उपायों में, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करने के लिए सुरक्षा बल की विस्तार योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बटालियनों में बढ़ोत्तरी करना, भूमि तथा नदी तटीय दोनों सीमाओं पर गश्त गहन करना, सीमा पर सड़क बनाने तथा बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील पट्टियों पर फ्लड लाइटिंग करना, निगरानी बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, निगरानी उपकरणों का प्रावधान करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2502. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औरंगा जलाशय, तिलैया-घाघर तथा नीलाजल सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं से कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). तीन परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है। उनकी स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती हैं।

विवरण

सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रुपए में	लाभ हजार हेक्टेयर में	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	औरंगा जलाशय योजना लाभान्वित जिला पालामू	297.81	65.20 (कृष्य कमान क्षेत्र)	7/89	योजना आयोग द्वारा 65.182 हजार हैक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र के लिए 25.40 करोड़ रुपए की लागत पर मूलतः अनुमोदित। परामर्शदात्री समिति द्वारा संशोधित प्राक्कलन पर विचार किया गया और इस शर्त पर 27.8.1993 को स्वीकृत किया गया कि क्रमशः पर्यावरण और वन मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय तथा पुनर्वास और पुर्नस्थापन पहलुओं की स्वीकृति ले ली जाए। इसके

1	2	3	4	5	6
					अलावा, प्राप्त किए जा रहे अतिरिक्त आंकड़ों को देखते हुए आवश्यक जल वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने का आवश्यकता है। इनकी बिहार सरकार से अभी प्रतीक्षा है।
2.	तिलैया धाधर सिंचाई योजना, लाभान्वित जिला, नवादा।	46.74	31.70	10/74	परियोजना को 7/82 और मार्च, 83 में तकनीकी परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत किया गया था लेकिन अन्तर्राज्यीय मुद्दों के कारण इस पर विचार करना स्थगित किया गया। जल संसाधन मंत्रालय में 7/92 में बुलायी गयी अन्तर्राज्यीय बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय जल आयोग को परियोजना की स्वीकृति के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकार से अध्ययन लागत के साथ संशोधित रिपोर्ट तथा परामर्शदात्री समिति को अन्य तकनीकी टिप्पणियों की अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह अभी प्राप्त होनी है।
3.	लीलाजल जलाशय योजना, लाभान्वित जिला हजारीबाग	33.71	36.92	8/82	केन्द्रीय जल आयोग/अन्य केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण परियोजना 2/87 में राज्य सरकार को लौटा दी गई और यह अनुरोध किया गया कि सभी टिप्पणियों की अनुपालना करते हुए संशोधित रिपोर्ट भेजी जाये संशोधित रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। केन्द्रीय जल आयोग में 28 नवम्बर, 1991 में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को निम्न प्राथमिकता दी गई। इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट

2503. श्री तरित बरण तोपदार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : सरकारिया आयोग की सिफारिशों की जांच का काम अन्तर्राज्यीय परिषद की उप समिति को सौंपा गया था, जिसने अब तक 247 सिफारिशों में से 191 पर विचार विमर्श कर लिया है। इस आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा विचार विमर्श कर लिए जाने के बाद, सरकार अपना मत प्रकट करेगी।

अर्धसैनिक बल

2504. श्री रमेश चेन्निथला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अर्धसैनिक बलों की भर्ती में राज्य-वार कोई अनुपात तय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भर्ती में केरल का हिस्सा पूरा भर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अर्द्ध-सैनिक बलों में कांस्टेबल/राईफल मैन की भर्ती, अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को उनकी जनसंख्या के आधार पर वार्षिक रिक्तियां आबंटित की जाती हैं।

(ख) अर्द्ध-सैनिक बलों में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) देश की सम्पूर्ण जनसंख्या में केरल की जनसंख्या अनुपात के आधार पर, अर्द्ध-सैनिक बलों में केरल का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप में है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	असम राईफल	सीमा सुरक्षा बल	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	के.ओ.सु.बल.	भा.ति.सी. पुलिस	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	70	2798	6301	6452	50	15671
2.	असम	4252	5698	4557	2175	59	16741
3.	अरुणाचल प्रदेश	300	91	99	82	—	572
4.	बिहार	3780	15108	14332	8382	684	42286
5.	गोवा	—	5	106	123	—	234
6.	गुजरात	—	2812	3233	4005	3	10053
7.	हरियाणा	2617	17263	10740	1600	2708	34928
8.	हिमाचल प्रदेश	2808	5842	4118	501	6579	19848
9.	जम्मू व कश्मीर	502	7553	4707	747	1884	15393
10.	कर्नाटक	35	3756	5109	4359	5	13264
11.	केरल	3630	8241	6460	2825	593	21749
12.	मध्य प्रदेश	85	7310	7198	6420	885	21898
13.	महाराष्ट्र	75	3279	7454	7659	56	18523
14.	मणिपुर	1393	1220	1411	180	10	4214
15.	मेघालय	1378	586	127	164	—	2255
16.	मिजोरम	1484	122	32	65	—	1703
17.	नागालैंड	1439	621	88	115	—	2263
18.	नेपाल	—	1848	215	—	146	2209
19.	उड़ीसा	727	2140	5124	3070	43	11104
20.	पंजाब	1047	14879	7612	1969	1574	27080
21.	राजस्थान	676	16315	9655	4269	893	31808
22.	सिक्किम	1639	87	64	42	1	1833
23.	तमिलनाडु	155	4258	7148	5418	98	17077
24.	त्रिपुरा	842	2354	1151	270	14	4631
25.	उत्तर प्रदेश	18031	27949	23556	13499	10656	93691
26.	पश्चिम बं.	2988	14202	7685	6600	218	31693
27.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	190	1	107	25	30	353
28.	चण्डीगढ़	—	21	44	65	21	151
29.	दादरा और नगर हवेली	—	—	19	16	—	35
30.	दमन और द्वीव	—	—	54	—	—	54
31.	दिल्ली	—	1443	1490	912	182	4027
32.	लक्षद्वीप	—	—	9	—	—	9
33.	पांडिचेरी	—	45	139	82	—	1266
	जोड़	50143	167847	140143	82091	27392	467616

उसार में गैस टर्मिनल

2505. श्री अन्ना जोशी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा उसार के गैस टर्मिनलों के लिए भी अतिरिक्त गैस का आबंटन किए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने लघु टर्मिनलों की स्थापना हेतु आवश्यक सुविधाओं को मुफ्त उपलब्ध कराने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार ने उसार में एक नए गैस टर्मिनल की स्थापना और महाराष्ट्र में इकाइयों को और अधिक गैस के आबंटन का प्रस्ताव किया है और टर्मिनल के लिए निशुल्क भूमि प्रदान की है। तथापि, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाली अनुमोदित गैस का पूर्ण रूप से आबंटन कर दिया गया है तथा फिलहाल और अधिक आबंटनों पर विचार करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

सेंसर बोर्ड की बैठक

2506. श्री छेदी पासवान :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड की आयोजित बैठकों का तारीख-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किस नीति/दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ये बैठकें आयोजित की गई;

(ग) क्या बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड की नीति पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) बोर्ड की नियमित बैठकें आयोजित न होने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बैठकों का तारीखवार विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	बैठकों की संख्या	बैठकों की तारीखें
1992	1	27 और 28 मार्च, 1992
1993	1	13 और 14 मार्च, 1993
1994	1	2 जुलाई, 1994

(ख) चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के 14 से 20 तक के नियमों जिनके तहत बोर्ड की बैठकें होती हैं, की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड की नीतियों का कड़ाई से क्रियान्वयन कर रहे हैं।

(घ) बोर्ड की बैठकों का आयोजन किए जाने वाले कार्य की मात्रा तथा बजट में निधियों आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर अध्यक्ष द्वारा जब कभी आवश्यक हो। किया जाता है।

विवरण

चलचित्र (प्रमाणन) नियम 1983 के नियम 14 से 20 तक की प्रति।

14. बोर्ड के अधिवेशन : (1) बोर्ड, कारबार के संव्यवहार के लिए अपना अधिवेशन साधारतया तीन मास में एक बार करेगा किन्तु यदि अध्यक्ष ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह किसी समय असाधारण अधिवेशन बुला सकेगा।

(2) बोर्ड के अधिवेशन ऐसे स्थानों पर किए जाएंगे जो अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, उस प्रयोजन के लिए नियत करे।

15. सहयोजित सदस्य : अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी एक या अधिक प्रादेशिक अधिकारियों को या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को बोर्ड के किसी विशिष्ट अधिवेशन में हाजिर होने के प्रयोजन के लिए बोर्ड के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगा और ऐसा अधिकारी या ऐसे अधिकारी तब उस अधिवेशन में बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने का/के हकदार होगा/होंगे किन्तु वह मतदान करने का/हकदार नहीं होगा/होंगे।

16. अधिवेशन की सूचना : (1) प्रत्येक सदस्य को बोर्ड के सभी अधिवेशनों की कम से कम पूर्ण सात दिन की सूचना दी जाएगी किन्तु अर्जेन्ट अधिवेशन तीन दिन पूर्ण सूचना देकर अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकेगा।

(2) सूचना में यह बताया जाएगा कि अधिवेशनों में क्या कारबार किया जाएगा और बताए गए कारबार से भिन्न कोई भी कारबार उस अधिवेशन में, अध्यक्ष की सहमति से या उसके प्रस्ताव पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

17. अधिवेशनों में साधारणतया किया जाने वाला कारबार: बोर्ड का कारबार साधारणतया उस अधिवेशन में किया जाएगा जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से बुलाया गया है :

परन्तु यदि अध्यक्ष ठीक समझता है तो वह कोई भी अर्जेन्ट मामला सदस्यों के बीच उनकी राय के लिए परिचालित कर सकेगा।

18. *गणपूर्ति : बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन में गणपूर्ति यदि अध्यक्ष उपस्थित हो तो चार सदस्यों से और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो छह सदस्यों से होगी।*

19. अधिवेशन का सभापति : बोर्ड के अधिवेशनों में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थित में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई सदस्य, सभापतित्व करेगा।

20. प्रश्न का विनिश्चय मतों की बहुसंख्या से किया जाएगा : बोर्ड के समक्ष हर प्रश्न का विनिश्चय मतों का बहुसंख्या से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, यथास्थिति अध्यक्ष का या नियम 19 के अधीन सभापतित्व करने के लिए निर्वाचित सदस्य का, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

कोयला खानें

2507. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम्पनी-वार कितनी कोयला खानों में कोयला निकालने का कार्य किया जायेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार नई कोयला खानों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) आठवीं योजनवधि के दौरान स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या तथा निवेश निर्णय की प्रतीक्षारत तैयार परियोजनाओं की संख्या, पुर्नगठित परियोजनाओं को छोड़कर, नीचे दी गई है :—

कंपनी	आठवीं योजनावधि के दौरान स्वीकृति परियोजनाओं की संख्या	निवेश निर्णय की प्रतीक्षरत तैयार परियोजनाओं की संख्या
ई.को.लि.	2	2
भा.को.को.लि.	0	1
से.को.लि.	7	11
ना.को.लि.	0	2
वे.को.लि.	8	6
सा.ई.को.लि.	11	2
म.को.लि.	1	3
ना.ई.को.	—	—
सिं.को.कं.लि.	6	9

इन परियोजनाओं पर निवेश निर्णय तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ख) और (ग). कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुमेय करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को 9.6.1993 से संशोधित किया गया है। यह संशोधन, कोयला खनन के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विद्युत के उत्पादन के लिए तथा अधिसूचित किए जाने वाले विद्युत उत्पादन तथा ऐसे अन्य अंतिम उपयोग में ताकि कंपनियां उत्खनन कार्य कर सकें। यह कोयला खनन कार्य करने के लिए कार्यरत लौह एवं इस्पात के उत्पादन में कंपनियों द्वारा उत्खनन कार्य के विद्यमान प्रावधानों के अतिरिक्त हैं। खान से उत्खनित किए गए कोयले की धुलाई किए जाने के लिए अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुंए में आग

2508. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री धर्मण्णा मोडंय्या सादुल :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पसारलापुड़ी में ओ एन जी सी तेल कुंए में तकनीकी कमियों के कारण आग लगने और बाद में इससे निपटने की कोई उच्चस्तरीय जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में ब्रैक थ्रू इन कैपिंग वैल फायर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (घ). ओ एन जी सी द्वारा स्थापित जांच समिति के निष्कर्षों का अध्ययन करने और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ). जी, हां। तथापि, मैसर्स नील एडम्स द्वारा किया गया दावा सही नहीं है।

पैराफिन वैक्स

2509. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैराफिन वैक्स का उत्पादन करने वाले एस एस आई

एककों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले स्लैक वैक्स को मुक्त व्यापार उत्पाद के अंतर्गत रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इन एस एस आई एककों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने बरौनी स्लैक वैक्स तथा पैराफिन वैक्स टाईप-3 की कीमतों में बिना कोई परिवर्तन किए हुए हल्दिया स्लैक वैक्स की कीमत 800/-रुपये पी एम टी के हिसाब से बढ़ा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो बरौनी स्लैक वैक्स, तथा पैराफिन वैक्स टाईप-3 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). स्लैक वैक्स एक मुक्त व्यापार उत्पाद है। पैराफिन मोम, टाइप-3, बनाने के लिए एस एस आई एककों द्वारा स्लैक वैक्स को संसोधित किया जाता है। एस एस आई एककों के उत्पादन आंकड़ों की इस मंत्रालय द्वारा निगरानी नहीं की जाती है। तेल कम्पनियां बाजार की दशाओं को ध्यान में रखते हुए स्लैक वैक्स सहित मुक्त व्यापार उत्पादों का मूल्य नियत करने के लिए स्वतंत्र है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ करार

2510. श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद :
श्री तारा सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि. की देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ करार करने की कोई योजना है;

(ख) प्रस्तावित करारों का ब्यौरा क्या है और इनकी क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ करार करने के बाद तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि. के कार्य निष्पादन में सुधार होगा; और

(घ) यदि हां, तो कार्य निष्पादन में कितना सुधार आयेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य निबन्धन व शर्तें निम्नवत् हैं :

- 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के प्रतिभागिता हित सहित, ठेके के हस्ताक्षर होने की तिथि से संयुक्त उद्यम में ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा जोखिम वहन करना।
- अन्वेषण अवधि के प्रथम चरण में भूकंपीय विकल्प की संभावना
- कोई हस्ताक्षर/उत्पादन बोनस/रायल्टी/उपकर भुगतान नहीं
- प्रगतिशील वित्तीय व्यवस्था
- निगम कर के उद्देश्य के लिए ब्लाकों की घेराबंदी नहीं
- गैस के विपणन के लिए संयुक्त उद्यम को स्वतंत्रता
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर तेल उद्यम के तेल के हिस्से की खरीद
- समनुदेशन का प्रावधान

(ग) और (घ). ऐसा अनुमान है कि संयुक्त उद्यम राष्ट्रीय तेल कंपनियों के अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करेंगे, अब तक अन्वेषण रहित क्षेत्रों में कार्य करेंगे और नवीनतम प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करेंगे।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार

2511. कुमारी ममता बनर्जी :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय में लम्बे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लंबित है; और

(ग) इसे कब स्वीकृति दे दी जाएगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). विद्यमान सुविधाओं में अवरोधों को दूर करके हल्दिया रिफाइनरी की क्षमता को 2.5 मि. मी. ट. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2.75 मि.मी. टन प्रति वर्ष कर दिया गया है। रिफाइनरी के ल्यूब आयल के ब्लाक को भी विस्तृत कर दिया गया है। 4.7 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक फ्री फैक्सवेटर को स्थापित कर हल्दिया रिफाइनरी की क्रेड आसवन इकाई अवरोध को दूर करने के दूसरे चरण को आई ओ सी द्वारा फिलहाल क्रियान्वित किया जा रहा है जिससे रिफाइनरी की क्षमता 0.2 मि.मी.ट.प्र. वर्ष तक और बढ़ जाएंगी अर्थात् 2.95 मि.मी. टन प्रतिवर्ष के स्तर तक पहुंच जाएगी। इसे मई, 1995 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

कोयले का उत्पादन

2512. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने प्रति वर्ष कुल कितने कोयले का उत्पादन किया;

(ख) क्या हिसाब-किताब में कोई गड़बड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) *पिछले प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में हुए कोयले के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—*

(लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन
1991-92	245.15
1992-93	240.57
1993-94	226.06

(ख) और (ग). जी, हां। कोल इंडिया लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार लेखा परीक्षित किए गए लेखों के अनुसार निवल कमी, जिसमें लेखा पुस्तिका स्टाक की 5 प्रतिशत से अधिक अन्तराल को शामिल किया गया है, को नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	निवल कमी (लाख टन में)
1991-92	3.00
1992-93	1.52
1993-94	5.80

आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियां

2513. श्री विजय एन. पाटील :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आई.एस.आई. द्वारा देश में आतंकवादी गतिविधियां फैलाए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गये हैं/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). सरकार को, पाक-आई.एस.आई. द्वारा आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों के जरिए भारत को अस्थिर करने के उसके नापाक इरादों की जानकारी है। सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और वह इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है, जिसमें आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, केन्द्र और राज्य एजेन्सियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करना, अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती को सुदृढ़ करना, गश्त गहन करना और भारत-पाक सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा पर बाड़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

तेल में हिस्सेदारी

2514. श्री अंकुशराव टोपे :
श्री एन जे राठवा :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की हिस्सेदारी के संबंध में कुछ विदेशी कम्पनियों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(घ) इन्हें कौन-कौन से स्थान आबंटित किए जाएंगे?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). भारत सरकार/ओ एन जी सी ने अब तक तेल और गैस के अन्वेषण के लिए संविदाओं पर नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार हस्ताक्षर किए हैं :

ब्लाक	परिसंघ जिसके साथ संविदाएं हस्ताक्षर किए गए हैं
केजी-ओएस-90/1	(1) आल्बिआन इंडिया इंक, यू एस ए
	(2) काप्लैक्स (इंडिया), लि., आस्ट्रेलिया
	(3) नाइको रीसोर्सेज, कनाडा
	(4) हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं. इंडिया (एचओईसी)
जीएन-ओएन-90/3	(1) एच ओ ई सी इंडिया
	(2) मफतलाल इंडस्ट्रीज इंडिया
सीवाई-ओएस-90/1	(1) वाल्को एनर्जी इंक, यू एस ए
	(2) एच ओ ई सी, इंडिया
	(3) टाटा पेट्रोडायन इंक, इंडिया

करारों के मुख्य निबन्धन और शर्तें निम्नानुसार हैं :—

संविदाएं उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं होंगी जो कच्चे तेल और सम्बद्ध गैस के मामले में 25 वर्ष तक की संविदा अवधि की होंगी। कंपनियों को बोनस और सांविधिक उदग्रहणों के भुगतान से छूट है। इन संविदाओं के अंतर्गत उत्पादन किए गए तेल के संबंध में भारत सरकार को अस्वीकृति का प्रथम अधिकार होगा और कंपनियों को उनके हिस्से के तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर भुगतान किया जाएगा। अन्वेषण और/अथवा विकास चरण में उद्यम में ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा भागीदारी के लिए व्यवस्था की गई है तथा ओ एन जी सी/ओ आई एल इस उद्यम में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत भागीदारी हित रख सकते हैं। वाणिज्यिक रूप से निकासी योग्य प्राकृतिक गैस स्रोतों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त ओ एन जी सी और भारत सरकार ने

निम्नलिखित मध्यम आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए भी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं :

क्षेत्र	राज्य/बेसिन	परिसंघ
रावा	कृष्णा गोदावरी	वीडियोकान पैट्रोलियम लिमिटेड
	अपतट	कमांड पैट्रोलियम (इंडिया) प्रा. लि. रावा आयल (सिंगापुर), प्रा. लि. सिंगापुर
पन्ना-मुक्ता	बंबई अपतट	रिलायंस इंडिया, एनरान एक्सप्लोरेशन कं. यू एस ए
मध्य और दक्षिण		
ताप्ती	तदैव	तदैव

मध्यम आकार के क्षेत्रों का विकास भारत सरकार, कंपनियों और ओ एन जी सी के बीच उत्पादन हिस्सेदारी करारों के अंतर्गत किया जाएगा। इन उद्यमों में ओ एन जी सी का 40 प्रतिशत भागीदारी हित है। संयुक्त उद्यम क्षेत्रों का विकास उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत करेगा जिसके अंतर्गत सरकार को परियोजना से मिलने वाले लाभ पैट्रोलियम के हिस्से के अलावा सरकार को रायल्टी, उपकर और आयकर देय होंगे। गैस का मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों पर आधारित है। गैस की सुपुर्दगी हजीरा में गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि. को की जाएगी। परियोजना से संविदाकार के हिस्से के तेल के संबंध में सरकार को अस्वीकृति का प्रथम अधिकार होगा। संविदा के साझेदारों, जिसमें ओ एन जी सी भी सम्मिलित है, को सरकार को बेचे गए उनके हिस्से के तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का भुगतान किया जायेगा।

गुजरात में 11 छोटे आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए भी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

कम्पनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र
गुजरात राज्य पैट्रोकेमिकल्स का. लि. (सी एस पी सी एल), अहमदाबाद, नाइको रीसोर्सेज कनाडा	हजीरा, कैम्बे, भांदुत मातार और साबरमती
सेलन एक्सप्लोरेशन टेकनालाजी लिख, नई दिल्ली	इंदरोरा, बक्रोल और लोहार
लार्सन एण्ड टूब्रो बम्बई-जोशी टेकनालाजीज यू एस ए	ढोलका वावेल
एच ओ ई सी, बड़ौदा, जी एस पी सी एल, अहमदाबाद पैट्रोडायन यू एस ए	आसजोल

छोटे आकार के क्षेत्रों का विकास ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा बिना किसी भागीदारी के कंपनियों द्वारा भारत सरकार के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अंतर्गत किया जाएगा। कंपनियों को रायल्टी और उपकर जैसे सांविधिक उद्ग्रहणों का भुगतान करना होगा। कंपनियों के हिस्से के तेल के लिए भुगतान अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर किया जाएगा।

फिल्म प्रभाग द्वारा जीते गए पुरस्कार

2515. डा. मुमताज अंसारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म प्रभाग द्वारा 1994-95 के दौरान जीते गये राष्ट्रीय पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान विदेशों में आयोजित किये गये भारतीय फिल्म सप्ताहों का देश-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) फिल्म प्रभाग की तरफ से सुश्री नीना गुप्ता द्वारा निर्देशित तथा निर्मित फिल्म बाजार सीता राम ने गैर-फीचर फिल्मों हेतु "निर्देशक की प्रथम फिल्म" वर्ग के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त किया।

फिल्म प्रभाग के बैनर के अन्तर्गत परिवार कल्याण विभाग की तरफ से श्री राजीव मोहन द्वारा निर्मित तथा श्री पुरषोत्तम बर्डे द्वारा निर्देशित फिल्म तावीज ने गैर फीचर फिल्मों हेतु "परिवार कल्याण पर श्रेष्ठ फिल्म" वर्ग के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त किया।

(ख) 1994-95 के दौरान जहां भारतीय फिल्म सप्ताह आयोजित किए गए उन देशों के नाम, उन महीनों सहित जिनमें इनका आयोजन हुआ, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1994-95 के दौरान विभिन्न देशों में फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित फिल्म सप्ताह

क्र.सं.	देश	अवधि
1	2	3
1.	इस्राइल	अप्रैल-मई, 94
2.	ब्राजील	अप्रैल-मई, 95
3.	मारीशस	जुलाई-अगस्त, 94
4.	नीदरलैंड	अक्तूबर-नवम्बर, 94
5.	जर्मनी	दिसम्बर-जनवरी, 95
6.	तुर्की	फरवरी-मार्च, 95
7.	मापुतो	अप्रैल-मई, 94
8.	कजाखिस्तान	अप्रैल-मई, 94
9.	चीन	मई-जून, 94
10.	ब्रिटेन	अक्तूबर-नवम्बर, 94
11.	डेनमार्क	अप्रैल-मई, 94
12.	कनाडा	अगस्त-सितम्बर, 94

1	2	3
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका	सितम्बर-अक्तूबर, 94
14.	तुनिस	सितम्बर-अक्तूबर, 94
15.	मोरक्को	अक्तूबर-नवम्बर, 94
16.	हांग कांग	सितम्बर-अक्तूबर, 94
17.	घाना	अगस्त-सितम्बर, 94
18.	लाकोस	दिसम्बर, 94-जनवरी, 95
19.	सीरिया	मार्च, 95

पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बन

2516. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम देश में पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की मांग पूरी करने के लिए एक नई परियोजना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई ठोस उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित छः नई तेल क्षेत्र विकास परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों पर हैं।

जल की कमी

2517. श्री पी. कुमारासामी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 फरवरी, 1995 को "द इकॉनामिक टाइम्स" मे प्रकाशित समाचार के अनुसार 2025 ई. तक भारत में जल की कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल की संभावित कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). वर्ष 1991 की गणना के अनुसार देश की जनसंख्या लगभग 846 मिलियन है तथा यह 2.41 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। जल संसाधन क्षमता की औसत वार्षिक उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर आंकी गई है। तथापि, देश के उपयोज्य जल सांसाधन 1142 बिलियन घन मीटर आंके गए हैं। इस प्रकार इस समय औसतन प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता अनुमानतः 1360 घन मीटर है जिसके कि जनसंख्या में वृद्धि होने से और भी कम हो जाने की संभावना है। तथापि देश के भिन्न-भिन्न थालों में जल की उपलब्धता में व्यापक विभिन्नता है तथा जल की कमी, जल की कमी वाले थालों के क्षेत्रों तक ही सीमित है।

जल की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनेक नीतियां बनाई हैं तथा कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इनमें से शामिल हैं; सितम्बर, 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाना तथा अधिशेष जल वाले थालों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का अंतरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना।

राष्ट्रीय जल नीति में व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रकार के घटकों पर नीति निर्देश शामिल हैं :

(i) सूचना प्रणाली।

(ii) एकीकृत थाला आयोजना तथा प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाकर जल की उपलब्धता को अधिक से अधिक बढ़ाना। जल का अंतः थाला अंतरण तथा जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग।

(iii) सतही और भूजल के संयुक्त प्रयोग तथा भूजल निष्कर्षण का विनियमन सहित भूजल विकास।

(iv) जल आवंटन प्राथमिकताएं।

(v) कमान क्षेत्र विकास दृष्टिकोण तथा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणालियों जैसी कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने सहित आधुनिक सिंचाई जल प्रबन्ध पद्धतियों को अपनाना।

(vi) जल की कमी और आर्थिक मूल्य बताने के लिए जल दरों को युक्तियुक्त करना।

(vii) सिंचाई प्रणालियों के भागीदार प्रबंध को प्रोत्साहन देना।

(viii) प्रशिक्षण, प्रदर्शन अनुकूली परीक्षण आदि के जरिए जल से संबंधित मुद्दों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देना।

(ix) अनुसंधान और विकास प्रयासों का विविधीकरण और

(ग) सिंचाई प्रणालियों का समुचित अनुरक्षण और आधुनिकीकरण

राष्ट्रीय जल नीति के अतिरिक्त निम्नलिखित नीति कागजात तैयार किए गए हैं :

(क) प्रारूप सिंचाई प्रबन्ध नीति।

(ख) सिंचाई क्षेत्र मे संगठनात्मक और कार्य विधि परिवर्तन संबंधी दृष्टिकोण।

(ग) प्रारूप जल सूचना विधेयक।

(घ) राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के जल के आवंटन के लिए प्रारूप राष्ट्रीय नीति मार्ग-निर्देश।

(ङ) नदी थाला संगठनों को गठित करने के संबंध में प्रारूप नीति टिप्पण।

(च) सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग की आयोजना के लिए मार्ग-निर्देश।

ये नीतिगत उपाय उपयोज्य जल की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं।

नल कूपों की स्थापना

2518. श्री चित्त बसु :क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भुमिगत जल बोर्ड ने पूर्वी क्षेत्र में नलकूपों की स्थापना हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने पूर्वी राज्यों, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं, में भूजल संसाधनों के अन्वेषण और विकास के लिए एक योजना तैयार की है। प्रस्तावित योजना में इसके वित्तपोषण के लिए लाभ प्राप्तकर्ताओं के हिस्से के साथ-साथ केन्द्रीय और राज्य घटकों की परिकल्पना की गई है। यह संबंधित अभिकरणों के पास परामर्श स्तर पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वैगन लोडर

2519. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974-75 में भारत कोकिंग कोल लि. में कितने वैगन लोडर थे;

(ख) वर्तमान समय में महिला व पुरुष वैगन लोडरों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये व्यक्ति माल चढ़ाने के काम में लगे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ये श्रमिक किन कामों में लगे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. में वैगन लोडरों की संख्या मार्च, 1975 में 22,233 थी।

(ख) 1.3.1995 की स्थिति के अनुसार वैगन लोडरों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

पुरुष	महिला	जोड़
2124	4824	6948

(ग) और (घ). आमतौर पर इन व्यक्तियों कोलदान के कार्य में कार्यरत किया जाता है। किन्तु, जब वैगन उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में स्थाई कामगारों को वैकल्पिक कार्यों के प्रयोग में लाया जाता है।

कोयले की आपूर्ति

2520. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेन्ट निगम को कोयले की आपूर्ति इसकी मांग के अनुपात में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय सीमेन्ट निगम को कोयले के आयात की अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). भारतीय सीमेंट निगम (भा.सी.नि.) के सीमेंट संयंत्रों को कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. दोनों ही से भारतीय सीमेंट निगम द्वारा दिए गए कार्यक्रम की सीमा तक कोयले की आपूर्ति की जा रही है। किन्तु, भारतीय सीमेंट निगम के सीमेंट संयंत्र वितीय एवं अन्य समस्याओं के कारण पूर्ण आपूर्ति नहीं प्राप्त पा रहे हैं। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. ने सूचित किया है कि इससे संयोजित भा.सी.नि. के सीमेंट संयंत्रों ने जनवरी-मार्च, 1995 की तिमाही के दौरान आवंटन का केवल 53 प्रतिशत का ही भुगतान किया है। इसी प्रकार कोल इंडिया लि. से सम्बद्ध एककों ने भी उन्हें स्वीकृत कोयला संयोजन का पूर्ण रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया है तथा संयोजन का लगभग 50 प्रतिशत छोड़ दिया है। वैगनों की उपलब्धता, भारतीय सीमेंट निगम द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करना तथा कोयला आपूर्ति के एवज् में भुगतान सहित समग्र कमियों के बावजूद कोयला कंपनियों के पास भारतीय सीमेंट निगम के सीमेंट संयंत्रों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भंडार विद्यमान है।

(घ) और (ङ). वर्तमान आयात एवं निर्यात नीति के अंतर्गत कोयले का उन्मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है तथा इस प्रकार इसके आयात के लिए सरकार से किसी तरह की अनुमति लेने/लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

जैन आयोग

2512. श्री राधनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैन जांच आयोग का गठन राजीव गांधी की हत्या

के सम्बन्ध में सभी तथ्यों तथा उन परिस्थितियों, जिनके कारण उनकी हत्या हुई का छः माह की अवधि में पता लगाने के लिए किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग की जांच अवधि को अब तक कितनी बार बढ़ाया गया; और

(ग) मामले की जांच के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच करने के लिए माननीय न्याय मूर्ति श्री एम.सी.जैन की अध्यक्षता में 23 अगस्त, 1991 को जांच आयोग का गठन किया गया था :—

(i) श्री पेरूम्बुदूर में श्री राजीव गांधी की हत्या में परिणत होने वाले घटनाक्रम और उससे संबंधित सभी तथ्य और परिस्थितियां (उन विषयों से भिन्न जो न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग को सौंपे गए विषयों के अंतर्गत आते हैं);

(ii) क्या कोई व्यक्ति या अभिकरण, हत्या का विचार करने, उसके लिए तैयारी करने और योजना बनाने के लिए उत्तरादायी थे और क्या इस संबंध में कोई षड्यंत्र किया गया था और यदि हां तो उसके सभी पहलू।

(ख) जैन जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को यथाशीघ्र किन्तु 6 मास के भीतर प्रस्तुत करनी थी। आयोग का कार्याकाल गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 6 महीने के बाद सात बार बढ़ाया गया है।

(ग) आयोग की जांच अभी जारी है।

गैस पाइप लाइन कनेक्शन

2522. श्री हरिन पाठक : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक कितने एककों/परियोजनाओं को प्राकृतिक गैस पाइप लाइन कनेक्शन दिए गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा गैस कनेक्शन जारी करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार को प्राप्त हुए कुल आवेदनों में से 1995-96 के दौरान राज्यों को कितने कनेक्शन जारी करने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इस अवधि के दौरान पन्द्रह यूनिटों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कनेक्शन दिए गए थे।

(ख) कनेक्शन केवल उन्हीं यूनिटों को दिए जाते हैं जिन्हें गैस आबंटित की गई है। आबंटन सामान्यतया गैस उपयोग संबंधी परिकल्पित आर्थिक मूल्य पर आधारित है, विद्युत एवं उर्वरक क्षेत्र को वरीयता दी जा रही है।

(ग) ऐसे कनेक्शनों के निर्गम के लिए इकत्तीस यूनिटें प्रस्तावित हैं।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों को घाटा

2523. श्री राम टहल चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों को हो रहे घाटों में कमी लाने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति के अन्तर्गत गत वर्ष कितनी सफलता मिली?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की सहायक कंपनियों में घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) सुधरी श्रमशक्ति आयोजन, जिसमें अतिरिक्त कामगारों की पुनः नियोजन शामिल है और स्वाभाविक रूप में अमितव्ययता के कारण हुए रिक्तियों के एवज् में नए कर्मचारियों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के शुरू करके कम उपयोग में आने वाले/उपयोग में न आने वाली श्रमशक्ति का कम किया जाना।

(3) सभी कामगारों के लिए सभी कार्य (ऑल-मेन-ऑल जोब) की संकल्पना की शुरूआत किया जाना।

(4) यूनिटों को लाभकारी बनाए जाने के लिए खानों का पुनर्गठन किया जाना।

(5) पर्याप्त कार्यशाला सहायता, अतिरिक्त कलपुर्जों का सुधरा हुआ प्रबंधन और उपकरणों का समय-समय पर पुनर्वास मुहैया कराके हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) की उपलब्धता एवं उपयोग में सुधार किया जाना।

(6) विद्यमान भूमि गत खानों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाना।

(7) आगतों की लागत में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोयले के मूल्यों में समय पर वृद्धि किया जाना।

(ग) इस संबंध में कई कदमों के उठाए जाने के परिणामस्वरूप कोल इंडिया लि. के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियां लाभ कमा रही हैं।

पैट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसी

2524. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय पैट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य की कुल मांग को पूरा करने में इनकी संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान राजस्थान में और पैट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसी आबंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक आबंटित कर दिया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च). 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में 941 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 189 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्य कर रही थीं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1988-93 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना और 1992-94 की एल पी जी विपणन योजना में 115 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 25 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को सम्मिलित कर लिया गया है, जिनके लिए राजस्थान के तेल चयन बोर्ड के माध्यम से चयन जारी है। उपर्युक्त के अतिरिक्त राजस्थान की 1993-94 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना और 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना में 99 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 39 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शामिल कर लिया गया है। विज्ञापन की तिथि से डीलरशिप के आबंटन में लगभग 6-12 महीने लगते हैं।

[अनुवाद]

वेतनमान

2525. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों और हैड कांस्टेबलों के वेतनमान अन्य पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के कांस्टेबलों और हैड कांस्टेबलों के वेतनमानों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). सूचना निम्न प्रकार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वेतनमान	
	कांस्टेबल (रुपए)	हैड कांस्टेबल (रुपए)
दिल्ली	950-1400 (मैट्रिक पास)	975-1660
	825-1200 (मैट्रिक फेल)	
चंडीगढ़	1000-1800	1260-2100
पंजाब	950-1800 (1050/- रुपये से प्रारम्भ)	1200-2100 (1250/- रु. से प्रारम्भ)
हरियाणा	1000-1800	1200-2040
उत्तर प्रदेश	950-1400	975-1660
राजस्थान	825-1350	950-1680

(ग) सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन का मामला, पांचवें वेतन आयोग ने अपने हाथ मे ले लिया है।

बॉटलिंग प्लांट

2526. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में भराई संयंत्रों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्तमान में पश्चिमी बंगाल राज्य में प्रचालनरत एल पी जी भरण संयंत्रों की विद्यमान भरण क्षमता को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के चैनल

2527. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर इस समय कितने भारतीय और विदेशी चैनल चल रहे हैं;

(ख) इन चैनलों के कार्यक्रम भारत के किन-किन राज्यों और कौन-कौन से देशों में देखे जा सकते हैं;

(ग) राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्रों से इन चैनलों के सभी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं और इस हेतु आधारभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्रों से संस्कृत, राजस्थानी और सिंधी भाषाओं में कार्यक्रम तैयार करने और प्रसारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार स्थानीय लोक कला, लोक गीतों और नृत्यों का प्रसारण करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन के 13 चैनलों पर कोई विदेशी चैनल रिले नहीं किया जाता है (वर्तमान में डी.डी.-3 चैनल परिचालन में नहीं है)।

(ख) देश के सभी राज्यों में दूरदर्शन के सभी चैनलों को स्थलीय रूप से अथवा उपयुक्त डिश ऐण्टीना के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन चैनलों को इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त इन्सैट पद्धति के उपग्रहों के संकेत के तकनीकी छलकाव के कारण कुछ निकटवर्ती दशों में भी प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) राजस्थान में दूरदर्शन के सभी चैनल उपयुक्त डिश एण्टीना के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। डीडी-1 और डीडी-2 चैनलों के कवरेज को स्थलीय रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में 35 अतिरिक्त ट्रांसमीटरों को स्थापित किए जाने की योजना है।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र जयपुर द्वारा नियमित रूप से इन भाषाओं में कार्यक्रमों को निर्मित और प्रस्तावित किया जा रहा है।

(ङ) और (च) दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर पहले से ही राजस्थान की क्षेत्रीय संस्कृति और लोक कलाओं पर नियमित रूप से निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है :—

(क) लोक रंग (साप्ताहिक)

(ख) लोक भारती (साप्ताहिक)

(ग) गोरबन्ध (साप्ताहिक सिंहावलोकन)

(घ) गजरो (राजस्थानी फिल्मी गीतों पर आधारित पाक्षिक)

[अनुवाद]

जी-टी.वी. पर कांग्रेस रैली का प्रसारण

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** कांग्रेस रैली के प्रसारण के बारे में 18 अगस्त, 94 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3343 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जुलाई, 1994 को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस नगरी की रैली का संयुक्त प्रसारण किए जाने के लिए जी-टी.वी. द्वारा देय 5.17 लाख रुपये की राशि का मैसर्स जी-टी.वी. को भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गैर-सरकारी टेलीविजन चैनलों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सरकार के स्पष्ट निर्देश क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. 814191 दिनांक 31.8.94 के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरदर्शन द्वारा घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने संबंधी इसकी पद्धति के अनुसार दर कार्ड में निर्धारित दरों पर भुगतान आधार पर तकनीकी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

2529. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं को अधिक लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ). योजना आयोग ने गुजरात राज्य में केन्द्र प्रयोजित स्कीमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से तैयार की जाती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जाता है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय इन स्कीमों को मानीटर करते हैं। योजना आयोग की इनके कार्यान्वयन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, योजना सामान्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के दौरान योजना स्कीमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है।

पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

2530. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की खपत दर में अनुमानतः प्रतिमास औसतन कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इस अनुमान के आधार क्या हैं;

(ग) क्या तेल समन्वयन समिति ने तेल उत्पादों की आपूर्ति में भारी कटौती की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की औसत मासिक खपत तथा खपत वृद्धि की दर संलग्न विवरण में दी है।

(ख) औद्योगिक, परिवहन तथा कृषि क्षेत्रों में एल पी जी एवं मिट्टी के तेल को छोड़कर सभी उत्पादों की पूर्ण अनुमानित मांग पर ये अनुमान आधारित हैं। मिट्टी का तेल एक आबंटित उत्पाद है तथा 3 प्रतिशत वृद्धि के लिए अनुमति दी गई है। एक पी जी की मांग के अनुमानों की संरचना, स्वदेशी उपलब्धता तथा आयात व्यवहार्यता के आधार पर की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की औसत मासिक खपत तथा प्रतिशत

(आंकड़े हजार मी. टनों में)

माह	1991-92	प्रतिशत बढ़त	1992-93	प्रतिशत बढ़त	1993-94	प्रतिशत बढ़त
अप्रैल	4394	-0.4	4973	13.2	4877	-1.9
मई	4534	-5.7	5028	10.9	4968	-.1.2
जून	4414	-4.5	5006	13.4	5008	0.0
जुलाई	4754	6.3	4732	-0.5	5012	5.9
अगस्त	4516	-1.4	4633	2.6	4724	2.0
सितम्बर	4505	6.8	4606	2.2	4555	-1.1
अक्तूबर	4915	12.2	5020	2.1	5130	2.2
नवम्बर	4756	5.3	5007	5.3	5300	5.8
दिसम्बर	5147	7.6	5039	-2.1	5523	9.6
जनवरी	5169	3.3	4936	-4.5	5257	6.5
फरवरी	4948	7.1	4895	-1.1	5017	2.5
मार्च	4922	6.7	5028	2.2	5441	8.2
योग	56974	3.5	58902	3.4	60813	3.2

अनुसूचित जातियों का उत्थान

2531. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना भी प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

अनुसूचित जाति विकास प्रमंडल की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1994-95 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता
1.	अनुसूचित जाति विकास निगम	56.97
2.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1575.89
3.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास	500.00
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1579.50
5.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	42.96
6.	अनुसूचित जाति के लिए लड़कियों के होस्टल	शून्य
7.	अनुसूचित जाति के लिए लड़कों के होस्टल	शून्य
8.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बुक बैंक	35.55
9.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का मेधा उन्नयन	शून्य
10.	कोचिंग तथा सहबद्ध	0.80
11.	नागरिक अधिकार संरक्षण/अत्याचार अधिनियम	10.52

राजभाषा

2532. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, हां।

(ख) निर्धारित मानकों के अनुसार हिन्दी में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्न प्रकार के प्रोत्साहन देय है :—

(1) मूलतः हिन्दी में टिप्पण/आलेखन करने पर।

(2) अधिकारियों द्वारा हिन्दी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने पर।

(3) आशुलिपिकों/टंककों द्वारा अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में आशुलिपि तथा टंकणों/कंप्यूटरों पर कार्य करने पर।

[हिन्दी]

विदेशों से वित्तीय सहायता

2533. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की संस्थाओं/संगठनों की क्या संख्या है जो विदेश से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संगठनों को विदेशों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या कुछ संस्थाओं/संगठनों पर विदेश से सहायता प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1994 के दौरान कितनी समस्याओं से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र स्थित 758 संगठनों ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त होने की सूचना दी है।

(ख)

अवधि	प्राप्त धनराशि
1.1.91 से 31.3.93 तक	132.58 करोड़ रुपए
1992-93	164.47 करोड़ रुपए

(ग) और (घ). 1994 के दौरान विदेशी सहायता प्राप्त करने से एक संगठन को रोका गया है और एक पंजीकृत संगठन को महाराष्ट्र में "पूर्वानुमति" के अधीन रखा गया है। यह कार्रवाई दो संगठनों के विरुद्ध विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई है।

(ङ) 1994 के दौरान महाराष्ट्र के 416 संगठनों ने पंजीकरण अथवा पूर्वानुमति के लिए आवेदन किया था ताकि वे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त कर पाने में समर्थ हो सकें।

[अनुवाद]

दोहरी नागरिकता

2534. डा. पी. वल्लल पेरुमान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मामलों के भारतीय परिषद् ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को दोहरी नागरिकता दिए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) दोहरी नागरिकता प्रदान करने पर विचार किया गया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह भारत के संविधान तथा नागरिकता अधिनियम 1995 की अवधारणा के अनुरूप नहीं है।

खुदरा बिक्री केन्द्र और डीलरशिप

2535. डा. राव गोपालन श्रीधरण : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कानपुर में भारतीय तेल निगम द्वारा प्रतिवर्ष कितने खुदरा बिक्री केन्द्र/डीलरशिप नई आबंटित की गई अथवा उनका नवीकरण किया गया अथवा पुनः वैध किया गया;

(ख) अब तक कितने केन्द्र आरम्भ नहीं किए जा सके हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन आबंटियों से सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कानपुर में एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तेल चयन बोर्ड के माध्यम से आबंटित की गई थी तथा एक डीलरशिप जो अनुकंपा आधार पर 1991 में आबंटित की गई थी उसमें, मामले की पुनरीक्षा के पश्चात्, मई, 1992 में आगे की कार्यवाही के लिए अनुमति दी गई थी।

(ख) अभी तक कोई शुरू नहीं हुई है। जमीन की उपलब्धता की समस्या ही मुख्य रूप से विलम्ब के लिए उत्तरदायी है।

(ग) और (घ). सरकार ने आवंटित से प्राप्त अनुरोध के आधार पर विशेष मामला स्वरूप एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप को स्थान को कानपुर से हटाकर दिल्ली करने का निर्णय लिया है।

तिहाड़ जेल के कैदी

2536. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में, इसकी क्षमता से अधिक कैदी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय जेल तिहाड़ की कुल 2487 कैदियों की क्षमता की तुलना में वहां 24.3.95 को 8767 कैदी थे।

(ग) जेल सं. 5, जिसकी कुल क्षमता 700 कैदियों को रखे जाने की है, का निर्माण पूरा होने के करीब है।

जेल सं. 6-क, 6-ख, 6-ग, 6-घ जिनकी कुल क्षमता 1800 कैदियों को रखे जाने की है, निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं।

दिल्ली में मण्डावली, रोहिणी, नरेला और द्वारिका में जेलों के निर्माण की योजना जारी है।

बिहार में रसोई गैस

2537. श्री लालबाबू राय : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रसोई गैस की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति कितनी-कितनी थी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). बिहार में डिस्ट्रीब्यूटरों के पास की एल पी जी के वर्तमान ग्राहकों की मांग कमोबेश पूर्णतः पूरी की जा रही है। अस्थायी रूप से हाल ही में बैकलाग को बढ़ाए गए घंटों के दौरान और अवकाश के दिनों में भराई संयंत्रों के प्रचालन के माध्यम से एल पी जी आपूर्तियों में वृद्धि करके और आस पास के क्षेत्रों में भराई संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके निपटाया जाता है।

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान बिहार राज्य में एल पी जी की बिक्रियां निम्नानुसार हुई :—

(आंकड़े टी एम टी में)

1991-92	70.1
1992-93	78.6
1993-94	86.2

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियां

2539. श्री ललित उरांव : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 31 जनवरी 1995 तक बिना कोई विज्ञापन दिए राज्यवार कितने-कितने व्यक्तियों को डीजल/पैट्रोल पम्प मंजूर किए गए; और

(ख) ऐसे मामलों में उनकी पात्रता और मंजूरी देने हेतु यह विशेष प्रक्रिया अपनाने का औचित्य क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). सरकार के विवेकाधिकारों के तहत योग्य मामलों में अनुकंपा आधार पर आवंटन किए जाते हैं। गत तीन वर्षों में अनुकंपा आधार पर आवंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या नीचे निर्दिष्ट की गई है :

1992-93	—	19
1993-94	—	52
1994-95	—	73

(जनवरी 1995 तक)

नदियों को आपस में जोड़ना

2539. श्री राम खपसे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालय पर्वत की नदियों को, पृथक-पृथक रूप से, आपस में जोड़ने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) अभिकरण ने अभी तक प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के अंतर्गत 3 संपर्कों की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी की हैं, शेष संपर्कों की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्टें आठवीं योजना के दौरान पूरी की जाएंगी। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 3 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें भी पूरी हो गई हैं। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 6 संपर्कों और हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए फील्ड सर्वेक्षण और अन्वेषण शुरू किए गए हैं। शेष कार्य चरणों में शुरू किया जायेगा और नौवीं योजना अवधि तथा उसके आगे जारी रहने की संभावना है।

(ख) और (ग). अभिकरण द्वारा किए गए अध्ययन अन्य के साथ-साथ संबंधित राज्यों को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए भेजे जाते हैं। अभिकरण द्वारा इन टिप्पणियों/सुझावों पर स्पष्टीकरणों सहित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति में चर्चा की जाती है। कुछ राज्यों ने अभिकरण द्वारा किए जा रहे अध्ययनों का स्वागत किया है जबकि कुछ अन्य राज्यों ने जल उपलब्धता अधिकरण पंचाटों में उपबंधों आदि के संबंध में अपनी आपत्तियां प्रकट की हैं। किसी सहमति पर पहुंचने के लिए इन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इन आपत्तियों पर विचार विमार्श किया जाता रहा है। संबंधित राज्यों के बीच आवश्यक करार हो जाने के पश्चात् इन संपर्क परियोजनाओं पर क्रियान्वयन के लिए विचार किया जा सकता है।

कोयले के डिपो

2540. श्री एन.वी. राठवा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात में, विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में, कोयले के कितने डिपो हैं;

(ख) इन कोयला डिपो के खोले जाने के क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या गुजरात में ऐसे और डिपो के खोलें जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वे गुजरात में, वर्तमान में कोई कोयले का स्टाकयार्ड नहीं चला रहे हैं।

(ख) से (घ). विद्यमान स्टाकयार्ड नीति के अंतर्गत नए स्टाकयार्ड स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध राज्य सरकारों का है। कोयला कंपनियां, राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रायोजकर्ता के अनुसार इन स्टाकयार्डों के प्रेषण के लिए कोयला प्रदान करेंगी। कोयला स्टाकयार्डों की जरूरत होने, उन्हें स्थापित करने तथा कोयले के संचलन का प्रायोजन किए जाने संबंधी मूल्यांकन करने का कार्य राज्य सरकारों का है।

घटिया कोयले की आपूर्ति

2541. श्री पीयूष तीरकी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घटिया इंजन तेल की आपूर्ति के कारण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की रजरप्पा परियोजना को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस कम्पनी ने इस इंजन तेल की आपूर्ति की थी;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). जी, नहीं। किन्तु, मेसर्स बालमेर लावरी कंपनी लि. (जोकि एक भारत सरकार का उद्यम है) 4,26,132/- रु. का 12.6 के.एल. ईंजन तेल की ही आपूर्ति की गई थी, जिसे निम्न गुणवत्ता वाला पाया गया था, जिसकी निम्न चिपचिपाहट थी। उपर्युक्त ईंजन तेल की खरीद संविदा के वैध दरों के एवज् में की गई थी।

(ग) जी, हां। मैसर्स बालमेर लावरी कंपनी लि. को निम्न स्तर का ईंधन तेल की आपूर्ति किए जाने के लिए उत्तरदायी पाया गया है।

(घ) इस आपूर्ति के एवज् में फर्म की राशि पर रोक लगा दी गई है और इसके बाद की मैसर्स बालमेर लावरी कंपनी लि. से खरीद के कार्य पर रोक लगा दी गई है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन से घुड़दौड़ों का सीधा प्रसारण

2542. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन से घुड़दौड़ों का सीधा प्रसारण शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जुआ और दांव लगाने संबंधी खेलों के प्रसारण पर कोई रोक लगी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। पण क्रिया पहलू के सभी संदर्भों का परहेज करते हुए दूरदर्शन पर घुड़-दौड़ आयोजनों का सीधी कवरेज को अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। तथापि, दूरदर्शन के वाणिज्यिक विज्ञापन की संहिता में केवल घुड़-दौड़ अथवा भाग्य के खेलों संबंधी पणक्रिया युक्तियों तथा संदर्शिकाओं आदि से संबंधित विज्ञापनों का निषेध है।

जल के संबंध में आंकड़े

2543. श्री चरणजीत सिंह बराड़ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रामाणिक आंकड़े तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। जल सूचना विधेयक का मसौदा कानून बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) जल सूचना विधेयक का ममौदा मुख्यतः सांख्यिकी के संकलन एवं प्रकाशन, केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा सांख्यिकी प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा रिकार्ड, सूचना और प्रतिबन्धित आंकड़े प्राप्त करने के उनके अधिकार के साथ-साथ सूचना मंगवाने के लिए उनकी शक्तियों के सम्बन्ध में है। इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित सम्बंधित सांख्यिकी सूचना प्राप्त करने की अनुमति होगी और इसी प्रकार राज्य सरकार को भी केन्द्रीय सरकार से उक्त सूचना प्राप्त करने की अनुमति होगी। इससे जल वैज्ञानिक आंकड़ों अथवा विकास संबंधी योजनाओं के प्रचालन और निष्पादन सम्बन्धी आंकड़ों सहित आंकड़ों की आसानी से उपलब्धता और परिशुद्धता सुनिश्चित होगी। तथापि, केन्द्रीय सरकार के लिए यह प्रावधान है कि वे राष्ट्रीय हित के कुछ प्रतिबन्धित आंकड़ों को श्रेणीबद्ध और विनियमित करे।

(ग) जल सूचना विधेयक के मसौदे पर राष्ट्रीय जल बोर्ड में विचार विमर्श किया गया है और इसे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अगली बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

शेल्टर होम

2544. श्री राजेश कुमार :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री तेज नारायण सिंह :
श्री बलराज पासी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और

उनके बच्चों को सामाजिक संरक्षण देने के लिए देश में, विशेष रूप से पजाब और जम्मू और कश्मीर में शेल्टर होमों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शेल्टर होमों में तकनीकी शिक्षा और आवास की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (घ). इस समय विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय गृह शैल्टर होम की कोई योजना नहीं है। महिलाओं और बच्चों के लिए लघु अवधि गृहों की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका विस्तार उन महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी आश्रय व पुनर्वास देना है जो परिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक निर्वासन, शोषण या अन्य कारणों से सामाजिक तथा नैतिक खतरे में होती है। यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में चिकित्सा देखभाल, मनोरोग उपचार केस-कार्यसेवा, व्यवसायिक थेरेपी, शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाओं आदि वाले गृहों को चलाने की व्यवस्था है। पंजाब और जम्मू और कश्मीर सहित देश में लघु अवधि गृहों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में लघु अवधि गृहों के ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लघु अवधि गृहों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	39
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	4
बिहार	12
गोवा	2
गुजरात	6
हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	12
केरल	9
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	28
मणिपुर	3
उड़ीसा	20
पंजाब	6
राजस्थान	9
सिक्किम	1
तमिलनाडु	16
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	25
पश्चिम बंगाल	28
चंड़ीगढ़	2
दादर और नगर हवेली	1
दिल्ली	6
पांडिचेरी	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
कुल	256

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2545. श्री फूलचन्द्र वर्मा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले पिछड़े राज्यों की परियोजनाओं को प्राथकिता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फील्ड इन्टरपर्सनल एक्सपेरिमेंट एण्ड इवैल्यूएशन

2546. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फील्ड इन्टरपर्सनल एक्सपेरिमेंट एण्ड इवैल्यूएशन के बारे में कोई समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रयोग किन-किन स्थानों पर किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). सूचना के सम्प्रेषण और प्रसार हेतु इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा किए गए प्रयासों को पर्याप्त रूप से प्रबलित करने और

गैर-इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसमें सहायता किए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्तः-वैयक्तिक मीडिया संबंधी नीतियों तथा पद्धतियों के पुनरानुकूलन की संभाव्यता पर विचार करने के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया की तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक फील्ड अन्तः वैयक्तिक प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में प्रयोग एवं मूल्यांकन करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने की लिए डा. कृष्ण लाल सोंधी, पूर्व सलाहकार (संचार), योजना आयोग की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 1995 को एक फील्ड अन्तः वैयक्तिक प्रयोग एवं मूल्यांकन समिति गठित की गई है जिसमें सात अन्य सदस्य हैं। आरंभ में यह प्रयोग धेनकनाल, उड़ीसा तथा नांदयाल, आन्ध्र प्रदेश में किया जाएगा। समिति का कार्यकाल छः मास है।

नेशनल रजिस्ट्री

2547. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घुसपैठियों/अप्रवासियों को रोकने हेतु भारतीय नागरिकों के लिए "नेशनल रजिस्ट्री" स्थापित करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कब तक स्थापित कर दी जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग). सीमा पर से घुसपैठ को रोकने/नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। तथापि, किए गए या किए जाने वाले उपायों में, इस समय, भारतीय राष्ट्रिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर रखना सम्मिलित नहीं है।

[हिन्दी]

नर्मदा परियोजना

2548. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने नर्मदा परियोजना को वित्तीय सहायता बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) भारत सरकार ने नर्मदा परियोजना (सरदार सरोवर परियोजना) को 29.3.1993 से विश्व बैंक वित्त पोषण से अलग कर दिया है।

(ख) अलग करने का यह निर्णय परियोजना की स्वतन्त्र पुनरीक्षा के लिए विश्व बैंक द्वारा गठित मोर्स आयोग की रिपोर्ट का परिणाम है। इस रिपोर्ट में परियोजना को अनुचित और बेबुनियाद आलोचना की गई है।

(ग) भारत सरकार ने अलग किये जाने के समय शेष अवितरित विश्व बैंक ऋण तक की राशि को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करना स्वीकार किया है।

पैट्रोलियम क्षेत्र

2549. श्री पंकज चौधरी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम क्षेत्र का निजीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्संरचना के संबंध में एक "नीति निर्धारण नियोजन ग्रुप" का गठन कर लिया गया है और इसके सदस्यों में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधक तथा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञ सम्मिलित हैं इस ग्रुप ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है।

[अनुवाद]

पीपावाव विद्युत परियोजना के लिये गैस का आवंटन

2550. श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 17 जुलाई, 1992 के अंतारांकित प्रश्न सं. 1427 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप्ती अपतटीय गैस क्षेत्रों से प्रस्तावित पीपावाव विद्युत परियोजना को गैस आवंटित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीपावाव विद्युत परियोजना को कितनी गैस आवंटित की जाएगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). हजीरा में और एच बी जे पाइपलाइन के आसपास वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से हजीरा तक गैस ले जाने का निर्णय लिया गया है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2551. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन पर कितना खर्च हुआ/किये जाने का विचार है;

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितना अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) केरल में 14 सिंचाई परियोजनाओं नामशः चालकुडी, चारकुन्नी, गायत्री, मालमपुझा, मंगलम, नैय्यर, पीची, पोथुंडी, वझानी, वालायर, चित्तुरपुझा, पम्बा, पेरियार घाटी तथा कुट्टीयाडी में एक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ख) राज्य को 1992-93 से 1994-95 तक केन्द्रीय सहायता के रूप में 2376.58 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संगत अवधि के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार का हिस्सा निम्नानुसार है :

वर्ष	कुल व्यय (लाख रुपए)
1992-93	1169.61
1993-94	1693.72
1994-95	1920.77 (प्रत्याशित)
कुल	4784.10

आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष भाग के लिए राज्य को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता, राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर प्राप्त की गई भौतिक उपलब्धियों तथा होने वाले वास्तविक व्यय पर निर्भर करेगी।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1993-94 के अंत तक आठवीं पंचवर्षीय योजना में 75.50 हजार हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र के तहत लाया गया है।

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम की मानीटरी करने के लिए तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त की जाती हैं। कमान क्षेत्र विकास कार्यकलापों की मानीटरी प्रत्येक वर्ष अधिकारियों के निरीक्षण, केंद्रीय सहायता निर्मुक्त करते तथा वार्षिक योजना पर होने वाले विचार-विमर्शों के समय की जाती है।

डीजल की मांग

2552. श्री के.वी. शिवप्पा :
श्री वी. कृष्णराव :
श्री सी.पी. मुद्दाला गिरियप्पा :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 के दौरान देश में डीजल की कुल कितनी मांग होगी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने मांग को पूरा करने के लिए डीजल आयात करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1995 के दौरान देश में डीजल की कुल अनुमानित मांग 29840 टी एम टी है।

(ख) और (ग). वर्ष 1995 के दौरान डीजल की 29840 टी एम टी की अनुमानित मांग के प्रति एच एस डी के स्वदेशी उत्पादन के 18379 टी एम टी होने का अनुमान है। कमी आयातों द्वारा पूरी की जाएगी।

सहायक नदियों में पानी की उपलब्धता

2553. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी की सहायक नदियों में पानी की उपलब्धता के बारे में कोई व्यापक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साबरी नदी पर और अधिक जलाशय बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). कृष्णा गोदावरी आयोग द्वारा गोदावरी के कुछ उप-थालों में प्राप्ति का मोटा अनुमान वर्ष 1962 में लगाया गया

था। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आंकलित की गई औसत वार्षिक प्राप्ति निम्नवत है :

उप-धारा	आयोग द्वारा आंकलित औसत वार्षिक प्राप्ति (टी.एम.सी.)	(मि.घ.मी.)
अपर गोदावरी	240	6797
प्रवारा	70	1982
पुर्ना	100	2832
मंजीरा	270	7046
मध्य गोदावरी	100	2832
मनेर	90	2549
पेनगंगा	180	5098
वर्धा	240	6797
प्रांतीता	1300	36816
लोअर गोदावरी	400	11328
इन्द्रावती	1160	32851
सबरी	480	13494

(ङ) और (घ). सबरी नदी जो गोदावरी की एक सहायक नदी है, पर जलाशय के निर्माण की कोई परियोजना तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग के पास इस समय लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण

2554. श्री रतिलाल वर्मा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए आरक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग). इसकी जांच की जाएगी।

[अनुवाद]

पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापा

2555. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री मोहन रावले :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1995 के दौरान दिल्ली में दिल्ली पैट्रोल के कतिपय खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जिन खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापा मारा गया उनका ब्यौरा और दोषियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई विवरण में दी गई हैं :

विवरण

दिल्ली में जनवरी, 1995 में खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मारे गए छापे और दोषियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे

क्र.सं.	खुदरा बिक्री केन्द्र का नाम
1.	श्याम प्रकाश एण्ड कम्पनी, जी.टी.रोड, शाहदरा।
2.	पूसा रोड सर्विस स्टेशन, नई दिल्ली।
3.	सेन्ट्रल सर्विस स्टेशन, नई दिल्ली।
4.	कुमार सर्विस स्टेशन, नई दिल्ली।
5.	शान्ति सर्विस स्टेशन, दिल्ली।
6.	के सर्विस स्टेशन, रूप नगर दिल्ली।
7.	प्यारे लाल एण्ड सन्स, दिल्ली।
8.	राजधानी सर्विस स्टेशन, दिल्ली।
9.	रामा सर्विस स्टेशन, दिल्ली।
10.	वकर्शा इन्टरप्राइजेज, दिल्ली।
11.	सी.एल.सी.पी., साहनी दिल्ली।
12.	ड्राइव वैल सर्विस स्टेशन, दिल्ली।
13.	राज सुपर सर्विस स्टेशन, दिल्ली।
14.	इन्टर सर्विस स्टेशन, दिल्ली।
15.	नाइनटीन्थ होल सर्विस स्टेशन, दिल्ली।
16.	जैन मोटर कार कम्पनी, रोहतक रोड़।
17.	दिल्ली डीजल्स, गोकलपूर इस्कोप।
18.	मोटर एड्स, पूसा रोड़।
19.	कार केयर, आर के पुरम, नई दिल्ली।
20.	एस.डी. सोइन, कुदसिया रोड़।

कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उत्पादों के कम वितरण का पता लगा था। गलत चीजों की बिक्री और आपूर्ति रोक दी गई थी और यह केवल उपकरणों को ठीक करने के बाद ही उन की बिक्री और आपूर्ति शुरू की गई थी। दिल्ली सरकार के वाट और मापतोल विभाग ने भी कार्रवाई की थी।

[हिन्दी]

कोयले की आवश्यकता

2556. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आवश्यकता का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कोयले की कुल कितनी मात्रा आवंटित की गई तथा कितनी वास्तव मे सप्लाई की गई;

(ग) कोयले की कम आपूर्ति के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता के अनुरूप कोयले की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के विभिन्न तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित कोयले की आवश्यकताओं तथा कोयले के वास्तविक प्रेषण के संबंध में कोल इंडिया लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(000 टन में)
(आंकड़े अनंतिम)

विद्युत गृहों के नाम	1993-94		1994-95 (फरवरी, 95 तक प्रगतिात्मक)	
	मांग	प्रेषण	मांग	प्रेषण
1	2	3	4	5
हरदुआगंज	1180	1153	999	482
पनकी	645	670	559	446
ओबरा	5870	5504	5317	3511
अनवारा	3445	3457	4318	5660
टांडा	839	584	857	615
परीचा	695	692	917	250
ऊंचाहार	1970	2178	1733	1116
सिंगरौली	8000	8970	8021	8248
रिहन्द	3710	4454	3933	3943
दादरी	900	1373	1270	1449

(ग) और (घ). कोल इंडिया लि. के अनुसार उत्तर प्रदेश के विद्युत गृहों को कोयले का प्रेषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांग से अधिक किया गया है। उसके पश्चात परीचा टी.पी.एस. आदि जैसे कुछ विद्युत गृहों को कोयले के संचलन में उनके अनुरक्षण के कारण रोक लगाई गई है।

कोयला कंपनियां वैगनों की उपलब्धता तथा कोयला आपूर्ति के वितरीत भुगतानों सहित समग्र अवरोधों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने की स्थिति में है। विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला प्रेषण का प्रबोधन दैनिक आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय बैठक में इस स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है। विद्युत क्षेत्र को कोयले के संचलन को रेलवे द्वारा अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। सामयिक पुनरीक्षा के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई, जहां कहीं आवश्यक हो, की जाती है।

[अनुवाद]

फ्रेंच फर्म के साथ समझौता

2557. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लि. ने त्रिआयामिक भूकम्पीय सर्वेक्षणों से संबंधित आंकड़ों पर आगे कार्यवाही करने के लिये किसी फ्रेंच फर्म के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते पर कितनी धनराशि व्यय होगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). आयल इंडिया लिमिटेड ने लगभग 1.59 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 302.2 वर्ग कि:मी. को समाहित करते हुए दो चरणों में त्रिआयामी आंकड़ा संसाधन के लिए मै. सी जी जी फ्रांस के साथ एक संयुक्त उद्यम मै. सी जी जी पैन इंडिया के साथ एक करार किया है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2558. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु सिंचाई परियोजनाओं के कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

(घ) विवरण-II संलग्न है।

(ङ) विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रुपये	लाभ हजार हेक्टेयर	केन्द्रीज जल आयोग में प्राप्त होने की तिथि	स्थिति
1	2	3	4	5	6
I.	**परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत की गयी एवं टिप्पणियों के अध्यधीन स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं**				
1.	बेबर फीडर लाभान्वित जिला :एटा	27.91	9.80 (अतिरिक्त)	9.9.88	परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया तथा 27.91 करोड़ रुपये की लागत पर 28 अप्रैल 1992 को इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मई, 1993 में राज्य सरकार को कुछ उपायों को क्रियान्वित करने की सलाह दी।
2.	जमानिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना, लाभान्वित जिला :गाजीपुर	39.81	31.82 (अतिरिक्त)	22.4.83	परामर्शदात्री समिति विचार किया गया तथा 39.81 करोड़ रुपये की लागत पर 28 अप्रैल, 1992 को इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
3.	मेजा बांध को ऊँचा करना, लाभान्वित जिले, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर	52.18	17.88 (अतिरिक्त)	31.3.92	26.3.93 को परामर्शदात्री समिति द्वारा संक्षिप्त टिप्पणी पर विचार किया गया और समिति ने 52.18 करोड़ रुपए की इस अंतिम लागत पर इस परियोजना को पूरा करने के वास्ते राज्य सरकार को परामर्श दिया। इस लागत में प्रतिपूरक वनरोपण की लागत शामिल है जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं तथा प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
4.	बाण सागर नहर लाभान्वित जिले : इलाहाबाद एवं मिर्जापुर	190.27 (बांध और सामान्य कार्यों की अंश लागत सहित)	150.13	16.6.89	परामर्शदात्री समिति द्वारा 190.27 करोड़ रुपए की लागत पर अनुपूरक टिप्पण पर विचार किया गया तथा 27 जनवरी, 1994 को इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाय।
5.	राजघाट नहर लाभान्वित जिले झांसी एवं ललितपुर	126.43	138.66 (अतिरिक्त)	27.9.88	परामर्शदात्री समिति द्वारा 126.43 करोड़ रुपये की लागत पर विचार किया गया तथा नवम्बर, 1993 में इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि वन स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाए।
6.	बुन्देलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करना,लाभान्वित जिले : इलाहाबाद, बांदा, झांसी, मिर्जापुर, ललित पुर एवं बनारस	57.37	23.78 (अतिरिक्त)	6.5.92	परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया तथा 24 जून, 1994 को आयोजित अपनी 58वीं बैठक में 57.37 करोड़ रुपये की लागत पर इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये, राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाये तथा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित की जायें।

1	2	3	4	5	6
7.	मौदा बांध लाभान्वित जिला: हमीरपुर	66.82	27.70	21.3.90	परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया तथा नवम्बर, 1979 में 26.75 करोड़ रुपए की लागत पर इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की जाए। लागत को 1991-92 के मूल्य स्तर पर 95.93 रुपये के लिए अंतिम रूप दिया गया। योजना की सिंचाई आयोजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति भी प्राप्त की जानी है।
	मध्यम				
1.	हिन्डन कृष्णी दोआब में खरीफ चैनल उपलब्ध कराना, लाभान्वित जिले : मेरठ एवं मुजफ्फरनगर	15.35	3.00	30.3.93	परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया तथा 15.53 करोड़ रुपए की लागत पर 27 जनवरी, 1994 को शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि वन भूमि शामिल न होने के संबंध में वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए तथा राज्य वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर ली जाए।
II.	**पत्राचार की जा रही परियोजनाएं**				
	वृहत				
1.	चित्तौड़ गढ़ जलाशय लाभान्वित जिला : गोण्डा	30.33	11.83	28.10.93	राज्य प्राधिकारियों द्वारा सिंचाई और लागत पहलुओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
2.	जरौली पम्प नहर लाभान्वित जिले : फतेहपुर एवं इलाहाबाद	27.54	46.45	8.11.93	इस योजना का केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों में मूल्यांकन किया जा रहा हैं।
3.	कनहर सिंचाई लाभान्वित जिला : मिर्जापुर	174.27	33.12	21.2.94	परामर्शदात्री समिति द्वारा 107.44 रुपए की लागत पर दिसंबर, 86 में आयोजित अपनी बैठक में पहले विचार किया गया था तथा इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि लाभ लागत अनुपात 1.00 से कम था। संशोधित रिपोर्ट फरवरी, 1994 में प्राप्त हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान तथा सिंचाई आयोजना पहलुओं पर व्यापक प्रारंभिक टिप्पणियों राज्य सरकार को भेज दी गयी है। वित्त (11/94), सिंचाई (1/95) तथा लागत (3/95) पर केन्द्रीय जल आयोग की विस्तृत टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं किन्तु उसका उत्तर अभी प्राप्त होना है।

राज्य सरकार को लौटाई गई सिंचाई परियोजनाओं का नाम

वृहत

1. मध्य गंगा नहर चरण -II
2. अनुपशहर शाखा आधुनिकीकरण
3. टिहरी जल उपयोग
4. चिल्लीमय पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना
5. अगर नहर आधुनिकीकरण
6. पूर्वी यमुना नहर आधुनिकीकरण
7. भगिन बांध
8. पंचाद बांध
9. चम्बल लिफ्ट
10. घग्घर नहर आधुनिकीकरण
11. किशऊ बांध

मध्यम

1. रसीन बांध

विवरण–II

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गयी उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रुपये	लाभ हजार हेक्टेयर	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6
	वृहत				
1.	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना फेज–I (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना)	467.76	36.688	–	योजना आयोग द्वारा 30.7.92 को अनुमोदित (सितम्बर, 1994 में विश्व बैंक सहायता समाप्त कर दी गयी)
2.	ग्यानपुर पम्प नहर लाभान्वित जिलें: इलाहाबाद, मिर्जापुर और बनारस	110.51	65.415	17.4.89	योजना आयोग द्वारा 2.4.92 को अनुमोदित की गयी।
	मध्यम				
1.	पथरई बांध परियोजना लाभान्वित जिला, झांसी	12.54	2.80	30.1.90	योजना आयोग द्वारा 21.7.92 को अनुमोदित की गयी।

विवरण–III

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गयी निधियां

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आठवीं योजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय 1992–93 योजना अयोग के कार्यदल द्वारा सिफारिश किया गया	1993–94 योजना अयोग के कार्य दल द्वारा सिफारिश किया गया	वर्ष 1994–95* के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध किया गया परिव्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी परियोजनाएं					
	वृहत					
1.	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना फेज–I	287.00	80.00	85.00	80.00	* वर्ष 1994–95 के लिए योजना आयोग के कार्यदल द्वारा कोई परिव्यय अनुमोदित नहीं किया गया । कालम (6) में
2.	ग्यानपुर पम्प नहर	54.30	5.00	3.00	1.50	दर्शाया गया परिव्यय वर्ष 1994–95 के लिए राज्य सरकार प्रस्तावों के अनुसार है।
	मध्यम					
3.	पथरई बांध	8.32	2.00	2.00	1.20	

[अनुवाद]

स्काई रेडियो सर्विस

2559. **श्री अनन्तराव देशमुख :**
डा. वसन्त पवार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्काई रेडियो सेवा को पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सेवा को पुनः शुरू करने से होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी हां। स्काई रेडियो चैनलों को निम्नलिखित वितरण के साथ पुनः शुरू किया जा रहा है :—

(1)	दिल्ली	8 चैनल
(2)	बम्बई	4 चैनल
(3)	कलकत्ता	4 चैनल
(4)	मद्रास	4 चैनल

तथापि, इन चैनलों का प्रचालन तक ही होगा जब टेलीविजन चैनल कार्य करेंगे।

(ग) उक्त सेवा से देश में श्रोताओं को अतिरिक्त कार्यक्रम विकल्प प्राप्त होगा।

पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्रीय बलों की तैनाती

2560. **श्रीमती विभू कुमारी देवी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में हत्या, लूट आदि की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं को बढ़ने से रोकने के लिये पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने केन्द्रीय बलों की तैनाती किये जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों में कितने अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). कुछ एक पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति, कुछ समय से अशान्त रही है। स्थिति से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से, आवश्यकता, उपलब्धता और देश के अन्य भागों से सुरक्षा बलों लिए आने वाली मांगों के आधार पर वहां केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण/स्तर बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी गयी हैं। गम्भीर रूप से प्रभावित राज्यों की सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी स्वीकृत की गयी है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

2561. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन के अतिरिक्त विवरण देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोयले के उत्पादन को अधिक मात्रा में न दर्शाये जाने संबंधी शिकायतों की आमतौर पर जांच सम्बद्ध कोयला कंपनियों द्वारा की जा रही है। इस संबंध में निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार कोयले के स्टाक का मापन प्रतिमाह स्वयं कोलियरी, क्षेत्रीय स्तर पर तिमाही सहायक कंपनी द्वारा छमाही और कोल इंडिया लि. के दलों द्वारा वर्ष में एक बार किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने कोल इंडिया लि. को कोयले के स्टाकों के मापन को अधिक सही रूप में तथा प्रमाणित किए जाने के लिए अपने दलों में बाह्य सर्वेक्षकों को सहयोजित किए जाने की सलाह दी है। कुछ मामलों में सरकार ने कोयले के स्टाकों में कमी होने संबंधी शिकायतों की विस्तृत रूप में जांच किए जाने के भी आदेश दिए हैं।

[अनुवाद]

रियायती दर पर गैस

2562. **श्री सुव्रत मुखर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने रियायती दर पर गैस दिए जाने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). उत्तर पूर्व में प्राकृतिक गैस की बिक्री रियायती मूल्य पर की जाती है। वर्तमान मूल्य पद्धति 31 दिसम्बर, 1995 तक वैध है। त्रिपुरा सरकार ने रियायती मूल्यों को जारी रखने का अनुरोध किया है।

तेल उत्पादों का उत्पादन और खपत

2563. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल उत्पादों के उत्पादन तथा

खपत का ब्यौरा क्या है और इनका देश में कितना उत्पादन हुआ तथा विदेशों से कितना आयात किया गया;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान तेल उत्पादों की अनुमानतः कितनी मांग होगी और इनका कितना उत्पादन होगा और सरकारी क्षेत्र, और संयुक्त क्षेत्र की भागीदारी से इनका कितना-कितना उत्पादन होगा और कितनी मात्रा में इनका आयात किया जाएगा।

(ग) क्या मध्यपूर्व के कुछ उत्पादक देशों ने देश में संयुक्त, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भागीदारी से तेल शोधक कारखानों की स्थापना में गहरी रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, खपत एवं आयात संबंधी ब्यौरे निम्नवत हैं :

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष/अवधि	पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन**	पैट्रोलियम उत्पादों का आयात	पैट्रोलियम उत्पादों की खपत
1991-92	48.35	9.44	56.97
1992-93	50.36	11.28	58.90
1993-94	51.08	12.08	60.81

* अनंतिम

** इसमें प्राकृतिक गैस से एल पी जी का उत्पादन शामिल नहीं है।

(ख) तेल मितव्ययिता बजट 1995-96 को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना है। 1996-97 तथा 1997-98 हेतु आयात योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि यह इस अवधि में स्वदेशी क्रूड उत्पादन, उपलब्ध शोधन क्षमता तथा उत्पाद हेतु समग्र मांग पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ). ओमान आयल कंपनी लिमिटेड ने क्रमशः भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन के साथ मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत में प्रत्येक 6 एम एम टी पी एस क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए 13 मार्च, 1993 को दो पृथक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। कुवैत पैट्रोलियम कारपोरेशन (के पी सी) कुवैत ने पूर्वी भारत रिफाइनरी परियोजना में इंडियन आयल कारपोरेशन के साथ तथा देश में एक ग्रास-रुट रिफाइनरी परियोजना के संबंध में कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी हेतु अभिरुचि दर्शायी है। इन कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने संबंधी बातचीत चल रही है।

फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा

2564. श्री रमेश चेन्नितला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माण को उद्योग के रूप में घोषित करने की कोई मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). फिल्म निर्माण को एक "उद्योग" घोषित करने की मांग समय-समय पर की जाती रही है। तथापि, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 केवल ऐसे कार्यकलापों पर लागू होता है जिनमें निर्माण प्रक्रिया निहित होती है। चूंकि फिल्मों का निर्माण एक निर्माण प्रक्रिया नहीं है इसलिए यह कथित अधिनियम जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, बोनस का भुगतान अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम आदि जैसे विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य श्रम नियम शामिल हैं, की नियमावली के अधीन नहीं है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

22565. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). स्वीकृति के लिए सम्बित पड़ी मध्य प्रदेश की 14 वृहद और 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 10 वृहद और 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है और ये परियोजनाएं सलाहकार समिति द्वारा इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों जैसे

पर्यावरण/ वन/पुनर्वास/पुनर्स्थापन स्वीकृति, राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने आदि की अनुपालना पर्यावरण/वन/पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना स्वीकृति, लाभ-लागत अनुपात आदि की पुनरीक्षा न किये जाने के कारण सलाहकार समिति ने एक वृहत और एक मध्यम सिंचाई परियोजना पर विचार आस्थगित रखा। शेष 3 वृहत और 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के साथ विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले सुलझाने हैं।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है और वन/पर्यावरण/पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना स्वीकृतियां यथास्थिति प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

पैट्रोल में मिलावट

2566. श्री प्रेम चन्द्र राम : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कुछ पैट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरूद्ध पैट्रोल में कुछ अन्य तेल मिलाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1994 और 1995 के दौरान राज्य वार ऐसे कितने पैट्रोल पम्पों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस तरह की मिलावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 1994 और 1995 के दौरान अब तक जिन पैट्रोल पम्पों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :-

राज्य	पैट्रोल पम्पों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
दिल्ली	1
हरियाणा	5
कर्नाटक	2
गुजरात	1
महाराष्ट्र	25
पंजाब	2
राजस्थान	3
तमिलनाडु	8
उत्तर प्रदेश	4
कुल	53

(ग) एम एस/एच एस डी में मिलावट को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में फरफरल मिलाने, घनत्व जांच, तेल कंपनियों के पदाधिकारियों द्वारा नियमित/अचानक निरीक्षण, चल प्रयोगशालाओं द्वारा अचानक निरीक्षणं और राज्य सरकार की प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा अचानक निरीक्षण जैसे उपाय विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और एम एस और एच एस डी नियंत्रण आदेश, 1990 के अन्तर्गत किए जाते हैं।

उल्लंघन के साबित हुए मामलों में डीलरशिप का प्रचालन निलंबित कर दिया जाता है तथा बार-बार उल्लंघन होने पर डीलरशिप समाप्त की जा सकती है।

[हिन्दी]

धारावाहिक पुनरीक्षण समिति

2567. श्रीमती शीला गौतम :
श्री तेज नारायण सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन धारावाहिकों की स्वीकृति के लिये क्या मानदंड तय किये गये हैं;

(ख) क्या अस्वीकृत धारावाहिकों का पुनरीक्षण करने के लिये कोई धारावाहिक पुनरीक्षण समिति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1993 और 1994 के दौरान पहले अस्वीकृत कर दिये गये कितने धारावाहिकों को पुनरीक्षण समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने के बाद स्वीकृति मिल गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) धारावाहिकों हेतु विस्तृत चयन प्रक्रिया निम्नलिखित है :

(1) कहानी-रूपरेखा और इसकी समसामयिक प्रासंगिकता।

(2) विषयवस्तु का निरूपण।

(3) तकनीकी दल की समग्र क्षमता; और

(4) दूरदर्शन के कार्यक्रमों की अपेक्षाओं के प्रति प्रासंगिकता।

(ख) और (ग). जी, हां। दूरदर्शन की प्रायोजकता स्कीम के अन्तर्गत मार्गनिर्देशों में उन निर्माताओं द्वारा अपील किए जाने की व्यवस्था है जिनके प्रस्ताव महानिदेशक, दूरदर्शन तथा दूरदर्शन द्वारा अनुरक्षित पैनल से कम से कम तीन गैर-सदकारी विशेषज्ञों (प्रस्ताव पर पूर्व में विचार करने वाले गैर-सरकारी विशेषज्ञों के अलावा) को शामिल करके गठित पुनरीक्षा समिति द्वारा जांच के दौरान रद्द कर दिए गए हैं।

(घ) दूरदर्शन को उक्त स्कीम के अन्तर्गत चयन समिति द्वारा रद्द किए गए किसी प्रस्ताव के पुनर्विचार हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

[अनुवाद]

बांधों का निर्माण

2568. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बांधों और भूकम्पों के बीच सही संबंधों के बारे में जानकारी अपर्याप्त है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को जलाशय में भूकम्पीय संभावनाओं और बड़े बांधों के निर्माण में विलम्ब से संबंधित मुद्दों की जांच करने हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विश्व भर में बांधों पर उपलब्ध सूचना से बड़े बांधों और भूकम्पों के बीच निर्णयात्मक रूप से कोई संबंध सिद्ध नहीं होता है।

(ख) जलाशय में भूकम्पीय संभावना सहित विभिन्न आधारों पर बड़े बांधों के निर्माण के विरूद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) किसी विशेष स्थान पर निर्मित की जाने वाली परियोजना का व्याप्ति क्षेत्र और आकार स्थलाकृति, जल उपलब्धता, क्षेत्र की जल वैज्ञानिक व भू-भौतिकीय विशेषताओं और सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र द्वारा विनियमित होता है। बांध के डिजाइन में भूकम्पीय पैरामीटर राष्ट्रीय भूकम्पीय डिजाइन पैरामीटर समिति की सिफारिशों के आधार पर होते हैं। इस समिति में विभिन्न संस्थानों से विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

बैराज का निर्माण

2569. श्री भगवान शंकर रावत : क्या जल संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने जल विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों और डिजाइन संबंधी केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को पूरा करने के बाद आगरा बैराज परियोजना के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु पुनः भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। अन्तर्राज्यीय मामलों और अभिकल्प पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की अतिरिक्त टिप्पणियों पर राज्य सरकार की अनुपालना प्राप्त होनी है।

(ख) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

मध्य प्रदेश को मिट्टी का तेल

2570. श्री खोलन राम जांगडे : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल आवंटित किया गया;

(ख) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से मिट्टी का तेल का कोटा बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश को आवंटित मिट्टी के तेल की मात्रा क्रमशः 382066 एम टी और 411534 एम टी हैं।

(ख) और (ग). मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आवंटन के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से भी अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि, उत्पाद उपलब्धता विदेशी मुद्रा और अत्यधिक राजसहायता की बाधाओं के कारण राज्यों की पूरी मांग को पूर्ण करना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश को 32820 एम टी मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जिसके कारण 1994-95 के लिए वार्षिक आवंटन 446055 एम टी तक बढ़ गया है। यह सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 3प्रतिशत समग्र वृद्धि के प्रति, 1993-94 पर 7.9 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

[हिन्दी]

बिहार में कल्याणकारी योजनाएं

2571. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बिहार राज्य सरकार से स्वीकृति के लिये प्राप्त हुई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बिहार राज्य में विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त धनराशि

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त धनराशि		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	अनुसूचित जातियों/अनु. जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	102.562	795.184	590.144
2.	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	20.16	5.97	65.80
3.	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक	7.50	2.00	9.91
4.	अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	72.98	25.27	40.44
5.	अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए होस्टल	311.96	40.78	70.77
6.	अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	7.50	2.00	8.57
7.	नागरिक अधिकार संरक्षण और अत्याचार अधिनियम का कार्यान्वयन	16.95	15.00	26.50
8.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास	350.00	312.51	-
9.	अनुसूचित जाति विकास निगम	76.89	86.25	113.52
10.	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2197.38	2096.54	2327.11
11.	आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	3211.49	3175.25	3497.39
12.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए होस्टल	-	-	* 1993-94 में 20 लाख रु. का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यह धनराशि निर्मुक्त नहीं की जा सकी क्योंकि 1990-91 में योजना के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई।
13.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	68.82	-	1993-94 में राज्य सरकार ने 20 लाख रु. के लिए एक और प्रस्ताव भेजा। राज्य सरकार को 68.82 लाख रु. की खर्च न की गई राशि में से 20 लाख रु. खर्च करने और शेष 48.82 लाख रु.

1	2	3	4	5
				की शेष राशि लौटाने की सलाह दी गई।
14.	आश्रम विद्यालय	-	-	1993-94 में 25 लाख रु. की धनराशि निर्मुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस पर सहमति नहीं व्यक्त की जा सकी क्योंकि यह विद्यमान आश्रम स्कूलों के नवीकरण के लिए थी जिसकी लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था।
15.	लघु वन उत्पाद निगम	-	50.00	-
16.	तेल और तिलहनों का विकास	-	17.39	योजना राज्य को स्थानान्तरित
17.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण			
	(क) टी.आर. आई	9.25	3.16	11.57
	(ख) फेलोशिपें	-	6.66	1.06
18.	संविधान का अनुच्छेद 275(1)	215.83	427.20	801.00
19.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण	10.16	6.74	-

[अनुवाद]

कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस का उत्पादन

2572. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री क्या बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड का कृष्णा गोदावरी बेसिन की तेल उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस 1.7 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन का व्यावसायिक उत्पादन जनवरी, 1996 से दोगुना हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी योजना के बारे में अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कुल कितनी लागत आएगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 के दौरान के.जी. परियोजना से ओएनजीसी का औसत गैस उत्पादन 1.73 एम एम एस सी एम डी था। 1996-97 के दौरान इस बेसिन से गैस उत्पादन की संभावना के लगभग 3.40 एम एम एस सी एम डी के स्तर तक होने का अनुमान है।

(ग) और (घ). के.जी. बेसिन में प्रगामी गैस विकास कार्यक्रम में विकास/अन्वेषण कूपों का वेधन, फलोलाइन्स बिछाना तथा सर्फेस गैस संभाल सुविधाओं का सृजन शामिल है।

(ङ) उपर्युक्त क्रियाकलापों संबंधी व्यय, क्रियान्वयन कार्यक्रम पर निर्भर करेगा तथा तदनुसार उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कोयले का लदान प्रभार

2573. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के रेल वैगनों तथा ट्रकों में लदान के प्रभार को कोयले के मूल्य में सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या भारत कोकिंग कोल लि. के प्रबंधक कोयले के व्यापारियों द्वारा खरीदे गये कोयले का ट्रकों में अपनी लागत पर लदान करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). जी, हां। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. का प्रबंधन यांत्रिक साधनों द्वारा कोयले का लदान करता है। किन्तु, उपभोक्ताओं के लिए स्वयं की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है, जबकि उनकी अपने कोयले को श्रमिकों द्वारा लदान करवाने की इच्छा होती है।

बकाया राशि

2574. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन पर उनके द्वारा लिये गये कोयले के भुगतान के रूप में भारी राशि बकाया है;

(ख) क्या इनमें से कुछ कंपनियां सरकारी क्षेत्र की हैं और 31 दिसम्बर 1994 तक प्रत्येक कम्पनी पर कितनी राशि बकाया थी; और

(ग) इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी 30 कंपनियां हैं जिनमें प्रत्येक से काफी मात्रा में (10 करोड़ रु. से अधिक की राशि) कोयले की देय बकाया राशि और उन्हें आपूर्ति किए गए कोयले की राशि बकाया है। इनमें से अधिकांशः कंपनियां 27 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार इन कंपनियों की ओर देय बकाया राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) कोल इंडिया लि. की देय बकाया राशि में कमी किए जाने के लिए को.इं.लि./सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों को विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति अग्रिम अदायगी अथवा साख पत्रों के एवज में ही आपूर्ति किए जाने की सलाह दी है।

(2) कोयला कंपनी राज्य विद्युत बोर्डों के साथ देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने और उन्हें अदायगी किए जाने के लिए सहमत किए जाने के लिए आवधिक रूप में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(3) दामोदर घाटी निगम, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के ऊर्जा बिलों के एवज् में समायोजन करके देय बकाया राशि की वसूली की जा रही है।

विवरण

31.12.1994 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं की ओर 10 करोड़ रु. से अधिक की देय बकाया राशि

उपभोक्ताओं के नाम	(करोड़ रु. में) (आंकड़े अनंतिम) 31.12.1994 को देय बकाया राशि		
	विवादित	अविवादित	जोड़
1	2	3	4
विद्युत गृह			
1. अहमदाबाद विद्युत कंपनी (ए.ई.सी.)	22.22	(-)0.54	21.68
2. आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड (ए.पी.एस.ई.बी.)	17.29	8.35	25.64
3. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी)	19.52	18.62	38.14
4. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस)	41.74	207.77	451.51
5. दुर्गापुर परियोजना लि. (डीपीएल)	11.61	121.36	133.17
6. दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.)	76.38	153.10	229.48
7. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू)	35.27	27.24	62.51
8. गुजरात विद्युत बोर्ड (जी.ई.बी.)	46.33	80.89	127.22
9. हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (एचएसईबी)	129.48	22.03	151.51
10. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी)	290.59	146.46	437.05
11. मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एमपीईबी)	22.95	37.30	60.25
12. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी)	113.73	94.83	208.56
13. उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड (ओएसईबी)	16.87	5.71	22.58
14. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी)	174.77	111.78	288.55
15. राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आरएसईबी)	30.16	32.54	62.10

	1	2	3	4
16.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यूपीएसईबी)	129.76	224.91	354.67
17.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीईबी)	136.70	44.75	181.45
18.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्लू.बी.एसईबी)	1.88	240.25	242.13
19.	पश्चिम बंगाल विद्युत डेवलेप. कंपनी (डब्लूबीएसडीसी)	7.93	300.96	308.89
	इस्पात संयंत्र			
1.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी.)	59.33	10.07	69.40
2.	राउरकेला इस्पात संयंत्र(आर.एस.पी.)	71.23	(-)24.17	47.06
3.	भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.)	91.79	11.56	103.35
4.	बोकारो इस्पात लिमिटेड (बी.एस.एल.)	47.13	1.49	48.62
5.	इस्को (इंडियन आयरन एंड स्टील कं.)	29.09	29.95	59.04
6.	विजाग इस्पात संयंत्र	26.77	17.95	44.72
	रेलवे			
1.	वेस्टर्न रेलवे	11.33	2.64	13.97
2.	सेंट्रल रेलवे	11.22	0.89	12.11
	अन्य सरकारी पार्टियां			
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	7.85	15.26	23.11
2.	एफ.सी.आई. (फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया)	10.41	34.32	44.73
3.	नेल्को (नेशनल ऐल्यूमिनियम कं.)	79.10	8.90	80.00

सिंचाई परियोजनाएं

2575. श्री राम टहल चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की मूल तथा नवीनतम अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर अनुमानतः कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुटाई जायेगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : आठवीं योजना में 158 वृहत, 226 मध्यम एवं 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ख) 70996.34 करोड़ रुपए की नवीनतम अनुमानित लागत के मुकाबले मार्च, 1995 तक इस पर 34157.28 करोड़ रुपए का व्यय होने की आशा है।

(ग) उपर्युक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 103 वृहत, 171 मध्यम एवं 21 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गई है। इनकी अनुमोदित लागत तथा नवीनतम अनुमानित लागत क्रमशः 11593.77 करोड़ रुपए एवं 48296.85 करोड़ रुपए है।

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 24.812 मिलियन हेक्टेयर की अनुमानित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

धारावाहिकों में अनियमितताएं

2576. श्री अमर रायप्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान किन-किन धारावाहिकों में प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं पाई गईं;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच हेतु भेजे गये मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन पर इन धारावाहिकों का प्रसारण कब से शुरू हो जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर द्वारा धारावाहिकों के चयन संबंधी कुछ अनियमितताओं का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

अनुवाद]

केन्द्रीय जल आयोग

2577. श्री जयनल अबेदिन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार क्षेत्रीयकरण योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियन्ता का कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कच्छ विकास बोर्ड

2578. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अंतर्गत कच्छ के लिए सांविधिक विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). जी हां, श्रीमान्। विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए गठित विकास बोर्ड, जिनकी स्थापना 9.3.94 को राष्ट्रपति के आदेशों के तहत की गयी थी, कि तरह कच्छ के लिए विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

चूंकि इसमें विभिन्न कानूनी और राजनीतिक जटिलताएं अन्तर्ग्रस्त हैं, अतः मामले में अंतिम निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की संशोधित सूचियां

2579. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद सभी राज्यों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की अलग-अलग संशोधित सूचियां निकालने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो ये सूचियां किन-किन राज्यों मे निकाली गई है;

(ग) शेष राज्य इन सूचियों को कब तक निकाल लेंगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) भारत सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के केवल उन जातियों एवं समुदायों जो मंडल आयोग की सूचियों और राज्य सरकारों की सूचियों दोनों में शामिल हों, को आरक्षण का लाभ दिए जाने संबंधी सरकारी निर्णय के संदर्भ में सरकार ने उन सभी राज्यों से अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों को अभिज्ञात/अधिसूचित करने का अनुरोध किया था जिनके पास उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख(यथा 16.11.92) तक ऐसी कोई सूची नहीं थी।

मंडल आयोग की आरक्षण संबंधी सिफारिशें अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में थी न कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में। अतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में मंडल आयोग की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं था।

(ख) और (ग). निम्नलिखित राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान का कार्य पूर्ण कर लिया है : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

मेघालय राज्य ने अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान का कार्य राज्य विधि आयोग को सौंपा है और पहचान कार्य की प्रक्रिया चल रही है। शेष राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और नागालैंड ने सूचना दी है कि अन्य पिछड़े वर्गों के पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन राज्यों में मुख्यतः आदिवासी आबादी है।

[हिन्दी]

रसोई गैस की एजेंसियां

2580. **श्री अरविंद त्रिवेदी** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में रसोई गैस एजेंसियों द्वारा मनमाने रूप से कार्य करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1994 और 1995 में अब तक दिल्ली और गुजरात में ऐसी कितनी एजेंसियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके विरूद्ध कोई कार्याही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की जाती है तथा यदि ये प्रमाणित हो जाती हैं तो चूक कर्ता

वितरकों के विरूद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसमें सावधानी, चेतावनी पत्र जारी करना दंड लगाना, डिस्ट्रीब्यूटरशिप को स्थगित करना एवं परिसमाप्त करना शामिल है।

(ख) दिल्ली एवं गुजरात के उन वितरकों के संख्या नीचे दी गई हैं जिनके विरूद्ध प्रमाणित शिकायतें मिली हैं।

	1994	1995 (जनवरी और फरवरी)
दिल्ली	43	6
गुजरात	14	1

बाटलिंग संयंत्र

2581. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में रसोई गैस सिलेंडर भरने के कई अवैध संयंत्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन अवैध संयंत्रों का पता लगाने के लिए कोई छापे मारे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पता लगाए गए ऐसे संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). समानान्तर विपणन योजना के शुरू करने के साथ ही निजी एजेंसियों को एल पी जी का आयात करने, इस प्रकार आयातित एल पी जी की बिक्री के लिए अपनी आधार भूत सुविधाओं तथा वितरण नेटवक्र के उपयोग/स्थापित करने की अनुमति दी गई है। एल पी जी का भंडारण तथा इसकी भराई विस्फोटक नियम से शासित होते हैं। अतः सभी एल पी जी भराई संयंत्रों को मुख्य विस्फोट नियंत्रक से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। गैर कानूनी एल पी जी भराई संयंत्र यदि कोई हों तो, विस्फोटक नियम का उल्लंघन करते हैं अतः मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर लागू नियमों के तहत उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

[अनुवाद]

जनजातीय उप-परियोजना का आवंटित धनराशि

2582. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को जनजातीय उप-परियोजना विभाग को परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति इस उप परियोजना से लाभान्वित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इनका क्या प्रतिशत है; और

(घ) इस संबंध में अन्य जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए योजना-वार प्रति वर्ष आवंटित की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है। कल्याण मंत्रालय राशि का आवंटन योजनावार करता है, आई.टी.डी.पी.-वार नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). सम्बद्ध राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-92, और 1993-94 के दौरान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित राशि

क्र.सं.	योजना का नाम	(रुपए लाख में) वर्ष		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	6835.01	6785.01	8117.65
2.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	445.24	880.80	1651.50
3.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के होस्टल	-	83.06	27.03
4.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के होस्टल	35.00	63.74	39.28
5.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	-	-	44.34

1	2	3	4	5
6.	लघु वन उत्पादों के कार्य के लिए राज्य सहकारी विकास निगमों को सहायता अनुदान	–	51.00	60.00
7.	तेल बीजों और वृष तेलों तथा वन मूलों का विकास	26.20	26.52	–
8.	अनुसन्धान और प्रशिक्षण	13.20	28.28	23.35
9.	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	338.88	53.81	357.61
	कुल	7693.53	7972.22	10320.76

स्वयंसेवी संगठन

2583. श्री शिव शरण वर्मा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1995 में देश में नशामुक्ति में लगे स्वयंसेवी संगठनों की क्या संख्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा इन संगठनों को राज्य वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) 31.1.1995 की स्थिति के अनुसार व्यसनियों को नशामुक्त करने और परामर्श के कार्य के क्षेत्र में 207 संगठन काम कर रहे हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि

क्र. सं.	राज्य का नाम	1991–92 के दौरान	1992–93 के दौरान	1993–94 के दौरान
1	2	3	4	5
1.	असम	1,87,427	1,13,150	1,14,150
2.	आन्ध्र प्रदेश	2,69,750	2,18,569	6,60,049
3.	बिहार	32,31,321	42,19,575	81,50,280
4.	गोवा	6,57,420	1,37,263	4,90,946
5.	गुजरात	29,30,360	23,08,810	45,95,358
6.	हरियाणा	45,70,098	30,43,704	48,98,462
7.	कर्नाटक	4,80,390	7,12,103	18,40,155
8.	केरल	22,29,540	23,92,787	63,83,274
9.	मध्य प्रदेश	30,71,959	15,61,609	14,39,368
10.	महाराष्ट्र	26,86,003	30,61,423	47,84,811
11.	मणिपुर	38,68,762	49,63,352	94,14,150
12.	मिजोरम	18,03,670	15,84,415	29,59,897
13.	मेघालय	2,49,100	1,12,900	शून्य
14.	नागालैंड	15,52,950	16,99,288	8,19,686
15.	उड़ीसा	16,67,365	24,77,111	50,46,428
16.	पंजाब	4,49,310	30,47,916	39,37,168
17.	राजस्थान	46,97,724	52,95,653	72,29,935

1	2	3	4	5
18.	सिक्किम	46,723	70,761	1,52,545
19.	तमिलनाडु	27,53,423	24,16,754	35,96,372
20.	त्रिपुरा	4,23,567	8,18,020	1,26,900
21.	उत्तर प्रदेश	43,08,677	1,01,77,750	1,22,12,791
22.	पश्चिम बंगाल	44,38,196	30,03,132	69,98,857
23.	जम्मू	5,39,400	2,72,135	3,38,751
24.	पांडिचेरी	2,21,400	1,22,580	1,18,796
	संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन			
1.	चंडीगढ़	57,800	3,11,013	5,20,370
2.	दिल्ली	61,51,200	80,42,587	7,35,368

हाइड्रोकार्बन

2584.श्री मनोरंजन भक्त : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री क्या बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने हाइड्रोकार्बनों की खोज की गई; और

(ख) महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बनों का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान 37 तेल व गैस क्षेत्रों की खोज की गई है, जिनमें से निम्नलिखित 17 खोजों को महत्वपूर्ण प्रकृति का माना गया है :

नंदीगांव, विजयपुरम, मात्तूर, पेरुनगलम, जी एस-29, जी एस-23, जीएस-15, गल्फ-डी, गल्फ-ए, बी-59, बी-127, सी-23,जी के 22 सी,बी-45, डब्ल्यू ओ-5, डब्ल्यू ओ-16 तथा सी-37।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2585. श्री दत्ता मेघे : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा सहायता प्राप्त कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इन परियोजनाओं को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). केन्द्र प्रायोजित स्कीमें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से तैयार की जाती हैं और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाता है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय इन स्कीमों को मानीटर करते हैं। योजना आयोग की इसके क्रियान्वयन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं हैं। तथापि योजना आयोग सामान्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के दौरान योजना स्कीमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है।

तस्करी और घुसपैठ के मामले

2586. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा तस्करी और घुसपैठ के अलग-अलग कितने मामले पकड़े गए;

(ख) उग्रवादी हिंसा में कितने जवान मारे गए;

(ग) पीड़ितों के आश्रितों को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) सीमा सुरक्षा बल को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) पकड़े गए मामलों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :

वर्ष	तस्करी के मामले	घुसपैठ के मामले
1993	30702	2445
1994	33702	2323

(ख) वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान उग्रवादी हिंसा में क्रमशः 123 तथा 94 सीमा सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए थे।

(ग) वित्तीय सहायता में, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक लाख रुपए का अनुग्रह पूर्वक सहायता का भुगतान, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुग्रहपूर्वक सहायता का भुगतान, बीमे का भुगतान तथा बच्चों के विवाह/शिक्षा के लिए अन्य सहायता तथा सिलाई की मशीनें आदि शामिल हैं।

(घ) सीमा सुरक्षा बल को और प्रभावी बनाने के लिए इसका आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण तथा उसकी संख्या में बढ़ोत्तरी एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

पैट्रोलियम उत्पाद

2587. डा.पी. वल्लल पेरुमान : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने पैट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई की लागत को कम करने हेतु कम दूरी की पाइपलाइन लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में कोई प्रमुख पाइपलाइन परियोजना शुरू करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). परियोजनाओं की आर्थिक साध्यता खपत केन्द्रों के स्थान तथा क्षेत्र में प्रस्तावित मांग प्रणाली आदि के आधार पर पैट्रोलियम उत्पादों के लाने ले जाने के लिए पाइपलाइन को निर्दिष्ट किया जाता है तथा उसके बारे में निर्णय लिया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस कनेक्शन

2588. डा. आर. श्रीधरन : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए;

(ख) क्या सरकार संसद सदस्यों की अनुशंसा पर उनके निर्धारित कोटे से भी अधिक बिना बारी के रसोई गैस कनेक्शन देती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाए गए मानदंड क्या है;

(घ) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों की अनुशंसा पर कुछ रसोई गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). वर्ष 1994 के दौरान सरकार के स्वविवेक पर कुछ मामलों में संसद सदस्यों तथा पूर्व सांसदों सहित तत्काल तथा उचित मामलों मे व्यक्तियों के अनुरोध अथवा जन प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों जन तथा समाज सेवकों एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों की सिफारिशों पर 84563 घरेलू एल पी जी कनेक्शन बिना बारी के जारी किए गए थे।

बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता

2589. श्री ललित उरांव : क्या **कल्याण मंत्री** क्या बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता के प्रसार हेतु 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान बिहार के दो आदिवासी जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता/साक्षरता के बाद के अभियानों के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी गई है :

जिले का नाम	वर्ष 1993-94 (रु.)	वर्ष 1994-95(रु.)
दुमका	1,40,29,000	1,04,00,000
रांची	-	1,61,00,000
	1,40,29,000	2,65,00,000

अग्नि शमन कंपनियां

2590. श्री पीयूष तीरकी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड ने आग बुझाने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके चयन के लिए मानदंड क्या हैं और उनके साथ किए गए करार की शर्तें क्या हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). प्रारंभ में अमरीका की मैसर्स नीलएडम्स फायर फाइटर्स इंक हौस्टन की मदद ली गई और बाद में आग बुझाने के लिए अमेरिका की मैसर्स एमरजैंसी रिसोर्सिज इंटरनेशनल इंक टैक्सास ने ओ एन जी सी की सहायता की।

(ग) मैसर्स नील एडम्स द्वारा बोली दी गयी दर न्यूनतम थी। इसको तथा उनके गत रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए, उन्हें यह संविदा की गयी तथापि जब वे इससे निकल गए तब आग को बुझाने एवं कूप का मुंह बंद करने के लिए मैसर्स एमरजैंसी रिसोर्सिज इंटरनेशनल इंक (ई आर आई), टेक्सास की सेवाओं का उपयोग किया जिनके पास पूर्व के रेड एडेयर कं. के वरिष्ठ कर्मचारी हैं।

अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा

2591. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "दि वी.आई.पी. सिक्योरिटी फोर्स होट्स अप कवर टू कवर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) और (ग). संरक्षित व्यक्तियों को मिलने वाली धमकियों के आधार पर, सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। सुरक्षा की आवश्यकता तथा सुरक्षा व्यवस्था के स्तर की सांविधिक समीक्षा की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

पैट्रोल का विकल्प

2592. श्री फूलचंद वर्मा : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोल के विकल्प की कोई खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विकल्प का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड के अन्तर्गत नामिक सदस्यता

2593. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों/सहकारी समितियों/संस्थाओं को नामिक सदस्यता प्रदान की गई;

(ख) इस परिसंघ के पास शेडों/गोदामों के निर्माण तथा ट्रकों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केरल के कितने जनजातीय लोगों के आवेदन पत्र लंबित हैं; और

(ग) इन आवेदन पत्रों को कब तक निबटा दिया जायेगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) केरल से किसी व्यक्ति/सोसायटी अथवा संस्थान ने ट्राइफेड की सामान्य सदस्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। अतः ऐसी सदस्यता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) ट्राइफेड किसी आदिवासी व्यक्ति को शेड/गोदाम के निर्माण के लिए अथवा ट्रक खरीदने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड में निवेश

2593. श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. में विभिन्न स्त्रोतों से कितना निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना निवेश किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा कुल कितनी मात्रा में कोयले की बिक्री हुई और इसका मूल्य कितना है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. ने कितना लाभ अर्जित किया; और

(ङ) गत तीन वर्षों के औसत वार्षिक लाभ के आधार पर कोल इंडिया लि. में किये गये निवेश से भविष्य में कब तक इसका प्रतिलाभ मिलेगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कोल इंडिया लि. में किए गए निवेश को नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रु. में)

	1991-92	1992-93	1993-94
ऋण	70	274	337
इक्विटी	277	96	शून्य
जोड़	347	370	337

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कोयले का उठान तथा उसकी कीमत नीचे दर्शायी गई है :-

उठान (मि.ट.)	198.17	208.38	216.53
कीमत (करोड़ रु. में)	6009.42	7560.25	8883.24

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान को.इं.लि. द्वारा कमाए गए लाभ को नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रु. में)

167.07	291.27	400.32

(ङ) विगत में को.इं.लि. को हुए संचयी घाटे की मात्रा को देखते हुए यह कहना संभव नहीं है कि भारत सरकार द्वारा को इं.लि. में किए गए निवेश से प्रतिलाभ कब तक उपलब्ध हो सकेगा।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर कन्नड़ कार्यक्रम

2595. **श्री के.जी. शिवप्पा :**
श्री वी. कृष्ण राव :
श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दूरदर्शन पर अन्य भाषाओं के कार्यक्रम की तुलना में कन्नड़ कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय की प्रतिशतता क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा किसी भाषा विशेष में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए कोई विशिष्ट समय आवंटित नहीं किया गया है।

बाढ़ नियंत्रण और समुद्र के भू-कटाव

2596. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्र के भू-कटाव संबंधी कोई योजना केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). संघ सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से बाढ़ नियंत्रण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि काकीनाड़ा पत्तन के निकट उप्पड़ा तट की सुरक्षा के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से वर्ष 1990-91 में प्राप्त समुद्री कटाव सम्बन्धी एक प्रस्ताव की जांच की गई थी और उसे आवश्यक संशोधनों के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेजा गया था।

गोदावरी नदी

2597. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने गोदावरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र की स्थल रूपरेखीय विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के वन क्षेत्रों में जल ग्रहण क्षेत्रों की स्थल रूपरेखा के बारे में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज

2598. **श्री एस.एम. लालजान वाशा** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल खोज के लिए संयुक्त उद्यमों को आमंत्रित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी कंपनी ने इस संबंध में अपनी रुचि दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसे कितने ब्लॉक सौंपे जाएंगे?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमा शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 1995 है। अब तक बोली प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन में एक ब्लॉक को प्रस्तावित किया गया है।

[हिन्दी]

विशेष सुरक्षा दल

2599. **श्री राजेश कुमार :**
डा. मुमताज अंसारी :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री बलराज पासी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विशेष सुरक्षा दल पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष सुरक्षा दल कानून में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संशोधनों से अनुमानतः कितनी धनराशि की बचत होगी?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष सुरक्षा दल द्वारा खर्च की गई धनराशि निम्न प्रकार है :-

1991-92	15.82 करोड़ रुपए (लगभग)
1992-93	16.02 करोड़ रुपए (लगभग)
1993-94	19.92 करोड़ रुपए (लगभग)

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

2600. श्री प्रेम चन्द राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के संबंध में स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). बिहार सरकार से सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर चार बड़ी योजनाएं तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई हैं। इन चार योजनाओं में से केवल एक परियोजना केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबित है। अन्य शेष परियोजनाएं विभिन्न कारणों की वजह से राज्य सरकार को लौटा दी गई हैं। इन चार योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है।

विवरण

सिंचाई परियोजनाओं (बिहार) के आधुनिकीकरण के मूल्यांकन की स्थिति का ब्योरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रुपए	लाभ हजार हेक्टेयर	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	**वृहत**				
	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना फेज-I	235.93	48.60	1/92	परामर्शदात्री समिति द्वारा 235.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का परियोजना पर नवम्बर, 93 में विचार किया गया था। समिति ने परियोजना को इस शर्त पर स्वीकार्य पाया कि बिहार सरकार द्वारा राज्य वित्त विभाग को सहमति तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएं।
2.	ढाका नहर आधुनिकीकरण	37.23	33.53	10/90	प्रारम्भ में 1446.50 लाख रुपए की लागत पर 18.600 हेक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक लाभ पहुंचाने वाली यह परियोजना 9/83 में प्राप्त हुई थी। इस परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन न किए जाने तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल न किए जाने के कारण राज्य सरकार को लौटा दिया गया था। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के साथ अक्तूबर, 90 में प्राप्त अद्यतन अनुमान को फरवरी, 91 में दोबारा लौटा दिया गया था क्योंकि इस परियोजना को योजना में शामिल नहीं किया गया था।

1	2	3	4	5	6
3.	कमला सिंचाई	11.49	39.84	4/82	यह परियोजना अप्रैल, 82 में प्राप्त हुई थी। इस योजना को केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी तथा राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी गई थी। राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है तथा इसलिए इसे नवम्बर, 86 में राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।
4.	करमनासा नहर आधुनिकीकरण	7.04	0.00	6/80	इस परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को अनुपालन न किए जाने के कारण राज्य सरकार को जनवरी, 1982 में लौटा दिया गया था।

[अनुवाद]

तेल का उत्पादन

2601. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान तेल का उत्पादन 32 मिलियन टन से अधिक होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में यह कितना अधिक होगा;

(ग) क्या 1995-96 के दौरान और अधिक तेल उत्पादन के लिए किसी ठोस कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 के दौरान 27.02 मिलियन टन कच्चे तेल उत्पादन की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष (1994-95) के लिए उत्पादन लक्ष्य 32.30 मिलियन टन है।

(ग) और (घ). जी हां देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने संबंधी कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(i) पायलट स्केल से पूर्ण स्केल क्षेत्रीय अनुप्रयोग के लिए कतिपय संवर्द्धित तेल प्रतिपूर्ति योजनाओं का विस्तार।

(ii) विस्तृत रीच वेधन, अनुप्रस्थ तथा नालिका छिद्र वेधन जैसी कुछ विशिष्ट प्रोद्योगिकियों का क्रियान्वयन।

(iii) जहां कहीं आवश्यक समझा जाए वहां अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना।

(iv) नई योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(v) विकास एवं इनफिल कूपों का वेधन तथा उन्हें जितनी जल्दी हो सके उत्पादन पर लगाना।

(vi) उपयुक्त दबाव अनुरक्षण संबंधी तरीकों, कामकाज संबंधी कार्यों तथा उत्पादन आधिक्यीकरण द्वारा रिजर्वायर की दशा का रखरखाव।

(vii) सरकार द्वारा कतिपय मध्यम-लघु आकार के क्षेत्रों को संयुक्त उद्यम कंपनियों/निजी पक्षकारों को प्रस्तावित करना।

[हिन्दी]

पुनर्वास संबंधी पैकेज

2602. श्री लाल बाबू राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में पुनर्वास संबंधी उन पैकेजों को लागू कर दिया गया है, जो 19 अक्तूबर 1990 को जारी सरकारी आदेश संख्या 9019/1486 सीपी/एल एस डब्ल्यू में उल्लिखित हैं;

(ख) यदि हां, तो संबद्ध कम्पनियों के नाम कम्पनी वार लाभार्थियों की संख्या और उनके पुनर्वास से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). कोयला परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि की वास्तविक कब्जा प्राप्त करने में महसूस की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, कोयला विभाग ने सोनपुर बाजारी ओपेनकास्ट परियोजना (पश्चिम बंगाल) के विस्थापित परिवारों के लिए स्वीकृत पुनर्वास पैकेज के लाभों को अक्तूबर, 1990 में जारी किए गए एक परिपत्र के माध्यम से सभी कोयला तथा लिग्नाइट परियोजनाओं तक बढ़ा दिया गया है। इस पैकेज को कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में जब कभी भी अवसर आता है, कार्यान्वित किया जा रहा है।

को.इं.लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लाभ-भोगियों की संख्या तथा व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :—

कंपनी का नाम	कोयला खान का नाम	पुनर्वासित परिवारों की संख्या (लाभ-भोगियों की संख्या)	किया गया व्यय (आंकड़े लाख रु. में)
1	2	3	4
ई.को.लि.	1. राजमहल	181	
	2. एस.पी. माइन्स	18	
	3. मुग्मा क्षेत्र	123	रु. 413.30
	4. काजोरा	20	
	5. सोनेपुर बाजारी	32	
भा.को.	1. ब्लाक-4 ओ.का.प.	70	
को.लि.	2. भंवरा साउथ ओ.का.प.	203	रु. 218.00
	3. कतरास परियोजना	19	
	4. ब्लाक-II ओ.का.प.	180	
	5. पी.बी. परियोजना	60	
से.को.लि.	1. उरीमरी	60	
	2. फुसरो जारंगडीह रेलवे डाईवर्जन	15	रु. 180.14 (डकरा को छोड़कर)
	3. राजरप्पा	110	
	4. पिपरवार	120	
	5. डकरा	34	
	6. अन्य	79	
वे.को.लि.	1. सस्ती ओ.का.	177	
	2. घुगुस ओ.का.	1120	
	3. हिन्दुस्तान लालपेथ ओ. का.	141	रु. 64.56
सा.इं.	1. कुसमुंदा ओ.का.प.	625	
को.लि.	2. गेवरा ओ.का.प.	883	
	3. डोला ओ.का.प.	50	
	4. धनपुरी ओ.का.प.	54	रु. 162.40
ना.को.लि.	1. झिंगुर्दा	54	
	2. दुधीचुआ	63	
	3. अलमोहरी	11	
	4. निगाही	394	रु. 256.31
	5. बीना-II	8	
	6. काकरी	393	
	7. खादिया	182	
म.को.लि.	1. लाजकुरा	76	
	2. लिलारी	39	रु. 158.51
	3. जगन्नाथ	7	

बी.सी.सी.एल. के साथ करार करने वाली फर्में

2603. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. में गत तीन वर्षों के दौरान जिन कंपनियों के पे लोडरों के उपयोग संबंधी करार किया गया उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) अप्रैल 1994 से आज की तिथि तक जिन कम्पनियों के पे लोडरों का उपयोग किया गया उसका ब्यौरा क्या है; और

ठेकेदार के कितने पे लोडर काम में लगे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. की ऐसी संविदा फर्मों जिनके पे-लोडरों को प्रयोग में लाया गया है, उनके संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अप्रैल, 1994 से आज की तारीख तक ऐसी संविदा फर्मों का ब्यौरा जिनके पे-लोडरों को प्रयोग में लाया जा रहा है, उक्त के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) चूंकि पे-लोडरों का नियोजन ठेकेदारों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, अतः भारत कोकिंग कोल लि. में प्रयोग में लाए जा रहे पे-लोडरों की संख्या के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

विवरण-I

ठेकेदारों/परिवहनकर्ताओं के नाम एवं पता	फर्मों का स्तर
1	2
1. मैसर्स प्रगति कैरियर्स (प्रा.) लि., सावित्री अपार्टमेंट, शास्त्री नगर, धनबाद	भूतपूर्व सैनिक कंपनी
2. मैसर्स एक्स-सर्विसमैन पाटिलीपुत्र कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., कैम्प : केसरगढ़, ओल्ड बंगलो, पो.आ. नुडखुरकी, धनबाद	-वही-
3. मैसर्स जयजवान कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., गांधी नगर, धनबाद	-वही-
4. मैसर्स राजकुमार एंड ब्रदर्श, [illegible] बाजार, पो.आ. बेरमो, जिला-बोकारो	निजी
5. मैसर्स ग्रानलक्ष्मी ट्रांसपोर्ट, [illegible] मोड़, पो.आ. सिजुवा, धनबाद	वही-
मैसर्स ट्रांसपोर्ट इंडिया, मटकोरिया, कतरास रोड, धनबाद	-वही-
मैसर्स कर्णपुरा ट्रांसपोर्ट कंपनी, [illegible] आई.पी. होटल के सामने, बैंक मोड़, धनबाद	-वही-
8. मैसर्स कानजोन कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., ब्लाक-4, गोविंदपुर एरिया,	भूतपूर्व सैनिक कंपनी
9. मैसर्स सैनिक गुड्स कैरियर्स, 14, गोविंद नगर, बेकार बांध, धनबाद	-वही-
10. मैसर्स इन्टर-स्टेट कोल कैरियर्स, कपरा टूटी, झरिया, धनबाद	निजी
11. मैसर्स यूनाइटेड कोल कैरियर्स, मेन रोड, धनबाद	-वही-
12. मैसर्स सान्द्रा बंसजोरा एम.पी.एस.एस.लि., पो.आ.बंसजोरा, धनबाद	को-आपरेटिव सोसाइटी
13. मैसर्स छोटानागपुर एम.पी.एस.लि., स्टेशन रोड, कुसुन्डा, धनबाद	-वही-
14. मैसर्स पैराडाईज़ ट्रांसपोर्टर (प्रा.) लि., कैम्प. आफिस, डी.वी.सी.पी. सुदामडीह, धनबाद	भूतपूर्व सैनिक कंपनी
15. मैसर्स सुमेरमल राजेन्द्र प्रसाद, जोरा फाटक रोड, पो.आ. धनसार, धनबाद	निजी
16. मैसर्स सचदेवा एंड सन्स, जोरा फाटक रोड, धनसार, धनबाद	निजी
17. मैसर्स बाबा ट्रांसपोर्ट कंपनी, दुर्गापुर झरिया, धनबाद	निजी
18. मैसर्स कॉन्टीनेंटल ट्रांसपोर्ट एंड कन्सट्रक्शन (प्रा.) लि., सावित्री आपार्टमेंट, धनबाद	निजी
19. मैसर्स ट्रांसपोर्ट इंडिया, मटकुरिया, धनबाद	निजी
20. मैसर्स सुरेन्द्र कंस्ट्रक्शन, 221, गंगा अपार्टमेंट, शांति भवन, बैंक मोड़, धनबाद	निजी
21. मैसर्स रावल ट्रांसकोन (प्रा.) लि., नजदीक : नार्थ तिसरा मॉडल स्कूल, पो.आ. खास-जीलगोरा, धनबाद	भूतपूर्व सैनिक कंपनी
22. मैसर्स कोलफील्ड्स भूतपूर्व एक्स-सर्विसमैन, को-आपरेटिव सोसाइटी, सुदामडीह, धनबाद	को-आपरेटिव (भूतपूर्व सैनिक)
23. मैसर्स बी.के. ट्रेडर्स, कतरास रोड, धनबाद	निजी
24. मैसर्स सौरव ट्रांसपोर्ट कं., गोपालका हाउस, क्रिकेड बाजार, पो.आ. कुसुंडा, धनबाद	निजी
25. मैसर्स ब्लैकगोल्ड ट्रांसपोर्टर (प्रा.) लि., पो.आ. कल्याणेश्वरी, दामागोरिया, बर्द्धमान पं. बंगाल)	भूतपूर्व सैनिक कंपनी

विवरण–II

ठेकेदारों/परिवहनकर्ताओं के नाम एवं पता	फर्मो का स्तर
1	2
1. मैसर्स प्रगति कैरियर्स (प्रा.) लि., सावित्री अपार्टमेंट, शास्त्री नगर, धनबाद	भूतपूर्व सैनिक कंपनी
2. मैसर्स एक्स-सर्विसमैन पाटिलपुत्र कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., कैम्प-केसरगढ़ ओल्ड बंगलो, पो.आ. नुढखुरकी, धनबाद	-वही-
3. मैसर्स जय-जवान कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., गांधी नगर, धनबाद	-वही-
4. मैसर्स श्री लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट, सिजुआ मोड़, पो.आ. सिजुवा, धनबाद	निजी
5. मैसर्स विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट, सिजवा ट्रांसपोर्ट, पो.आ. सिजुवा, धनबाद	-वही-
6. मैसर्स अरूणोदय कैरियर्स (प्रा.) लि., दुमरा मोड़, पो.आ. कानवागढ़, धनबाद	भूतपूर्व सैनिक कंपनी
7. मैसर्स बी.के. ट्रेडर्स, कतरास रोड, धनबाद	निजी
8. मैसर्स कियोनजोन कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., ब्लाक-4, गोविंदपुर एरिया,	भूतपूर्व सैनिक कंपनी
9. मैसर्स सैनिक कोल कैरियर्स (प्रा.) लि., 32, ट्रांसपोर्ट सैन्टर, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-35	-वही-
10. मैसर्स सान्द्रा बंसजोरा एम.पी.एस. एस. लि., मधुडीह मोड़, पो.आ. बंसजोरा, धनबाद	को-आपरेटिव सोसाइटी
11. मैसर्स छोटानागपुर एम.पी.एस.एस.लि., स्टेशन रोड, पो.आ. कुसमुंदा, धनबाद	-वही-
12. मैसर्स इन्टर-स्टेट कोल कैरियर्स, कपरापट्टी, मेन रोड, झरिया	निजी
13. मैसर्स पैराडाइज़ ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि., डी.ओ.सी.पी., सुदामडीह, धनबाद	भूतपूर्व सैनिक कंपनी
14. मैसर्स सांवर लाल राजेन्द्र प्रसाद, जोरा फाटक रोड, पो.आ. धनसार, धनबाद	निजी
15. मैसर्स विकोन ट्रांसपोर्ट कं. (प्रा.) लि., वी.आई.पी. होटल के सामने, बैंक मोड़, धनबाद	निजी
16. मैसर्स रावल ट्रांसकान (प्रा.) लि., नजदीक : नार्थ तिसरा मॉडल स्कूल, पो.आ. खास जीनागोरा, धनबाद	वही
17. मैसर्स जी.टी.एस. कोल-सेल्स, कतरास रोड, धनबाद	-वही-
18. मैसर्स सुरेन्द्र कंसट्रक्शन, 201, गंगा अपार्टमेंट, शांति भवन, बैंक मोड़, धनबाद	वही
19. मैसर्स न्यू सतनाम ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतकुरिया, कतरास रोड, धनबाद	-वही-
20. मैसर्स मालाकुमार इंजीनियर्स (प्रा.) लि., सावित्री अपार्टमेंट, शांति भवन, धनबाद	निजी
21. मैसर्स कोलफील्ड्स भूतपूर्व सैनिक ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव सोसाइटी, सुदामडीह, धनबाद	भूतपूर्व सैनिक को-आपरेटिव
22. मैसर्स बी.के.ट्रेडर्स, कतरास रोड, धनबाद	निजी
23. मैसर्स सौरव ट्रांसपोर्ट कं., गोपालका हाउस, पो.आ. क्रिकेंड बाजार, धनबाद	-वही-
24. मैसर्स ब्लैगोल्ड ट्रांसपोर्टर, (प्रा.) लि., दामागोरिया, पो.आ.कल्याणेश्वरी, बर्दवान (प. बंगाल)	भूतपूर्व सैनिक कंपनी
25. मैसर्स खुनटाटा ट्रांसपोर्ट, पुटकी बाजार, धनबाद	निजी

कोयला क्षेत्र

2604. श्री राम टहल चौधरी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान कोयला क्षेत्र में औद्योगिक संबंध सुधारने हेतु क्या प्रयास किए गये; और

(ख) इसके फलस्वरूप उक्त अवधि के दौरान उत्पादन में कितनी हानि हुई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. की कोयला कंपनियों में निम्नलिखित औद्योगिक

संबंधों की प्रणाली तैयार की गई है तथा इसका अनुपालन किया जा रहा है :—

मजदूर संघों एवं प्रबंधन के समान संख्या में प्रतिनिधियों सहित संयुक्त परामर्शदात्री समितियां कोलियरी/परियोजना क्षेत्र तथा कंपनी मुख्यालय स्तर पर कर्मचारियों का कल्याण, उत्पादकता, श्रमशक्ति विनियोजन, आदि जैसे आम हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यरत हैं।

कर्मचारियों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक कठिनाइयों पर विद्यमान मजदूर संघों के साथ भी द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया जाता है।

कोल इंडिया लि. के मुख्यालय स्तर पर कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति तथा उप-समितियां कार्यरत हैं। मजदूरी, परिलब्धि, अन्य सेवा संबंधी मामलों तथा कल्याण सुविधाओं के बारे में निर्णय लेती हैं। लम्बित पड़े पांचवे मजदूरी समझौते को अंतिम रूप देने तक 30.6.91 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन+निर्धारित मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की दर से अन्तरिम राहत दी गई है।

उपर्युक्त प्रणाली कोयला कंपनियों में सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

(ख) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों में स्थानीय मामलों के कारण हुई हड़तालों के फलस्वरूप गत छः महीनों के दौरान 21,758 टन कोयले के उत्पादन का घाटा हुआ है। इसके अतिरिक्त, कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं तथा राजनैतिक बंद के कारण कम रोके जाने के फलस्वरूप 1,55,095 टन कोयला के उत्पादन का घाटा हुआ है।

[अनुवाद]

बम्बई हाई में तेल भंडार

2605. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2016 ई. तक बम्बई हाई के तेल भंडार खाली हो जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तेल की खोज के काम में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सन 2016 तक बम्बई हाई ह्रासोन्मुख अवस्था में होगा।

(ख) कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आरंभ किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) पायलट स्केल से पूर्ण स्केल क्षेत्रीय अनुप्रयोग के लिए कतिपय संवर्द्धित तेल प्रतिपूर्ति योजनाओं का विस्तार।

(ii) विस्तृत रीच वेधन, अनुप्रस्थ तथा नालिका छिद्र वेधन जैसी कुछ विशिष्ट प्रोद्योगिकियों का क्रियान्वयन।

(iii) जहां कहीं आवश्यक समझा जाए वहां अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना।

(iv) नई योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(v) विकास एवं इन्फिल कूपों का वेधन तथा उन्हें जितनी जल्दी हो सके उत्पादन पर लगाना।

(vi) उपयुक्त दबाव अनुरक्षण संबंधी तरीकों, कामकाज संबंधी कार्यों तथा उत्पादन आधिक्यीकरण द्वारा निजवायर की दशा का रख रखाव।

(vii) सरकार द्वारा कतिपय मध्यम-लघु आकार के क्षेत्रों को संयुक्त उद्यम कंपनियों/निजी पक्षकारों को प्रस्तावित करना।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना

2606. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना पर एक सिंचाई "बाई-पास टनल" का निर्माण करने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त टनल का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग). सरदार सरोवर परियोजना पर प्रस्तावित सिंचाई बाई-पास टनल का निर्माण शुरू नहीं किया गया है क्योंकि यह पक्षकार राज्यों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा है।

प्रचार, गीत और नाटक एकक

2607. श्री एन.जे. राठवा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उनके मंत्रालय के अंतर्गत प्रचार विभाग के कार्यालय/एकक कहां-कहां पर हैं;

(ख) गुजरात में संगीत और नाटक एकक कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक एकक द्वारा कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन एककों पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) अहमदाबाद स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के गुजरात मे ।। क्षेत्रीय प्रचार एकक हैं- आहवा, अहमदाबाद, भावनगर, भुज, गोधरा, हिम्मतनगर, जूनागढ़, पालनपुर, राजकोट, सूरत और बडोदरा।

(ख) इस मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग का गुजरात में कोई कार्यालय नहीं है। पुणे स्थित प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या नीचे दी गई है :—

	कार्यक्रमों की संख्या	
वर्ष	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	गीत और नाटक प्रभाग
1991-92	7483	955
1992-93	6251	948
1993-94	4865	536

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा अपने गुजरात स्थित क्षेत्रीय प्रचार एककों तथा गीत और नाटक प्रभाग द्वारा राज्य में आयोजित कार्यक्रमों पर खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	व्यय	
वर्ष	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	गीत और नाटक प्रभाग
1991-92	26,12,080/-रु.	3,37,135/-रु.
1992-93	28,09,713/-रु.	4,46,820/-रु.
1993-94	31,96,373/-रु.	5,53,700/-रु.

[अनुवाद]

तेल के कुंए को ढकना

2609. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में परसलापुड़ी में आग वाले तेल कुंए को ढकने में नया तरीका अपनाया है;

(ख) क्या कुछ नए विशेषज्ञ बुलाए गये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). ओ एन जी सी ने यू एस ए के पेशेवर अग्निशामा कों की सहायता प्राप्त की। आरंभ में मैसर्स नील एडम्स फायर फाइटर्स इंक ह्यूस्टन की सेवाएं प्राप्त की गई और बाद में मैसर्स एमर्जेंसी रीसॉर्सिज इंटरनेशनल इंक टेक्सास ने आग बुझाने और कुंए को बंद करने में सहायता की।

[हिन्दी]

दिल्ली को राज्य का दर्जा

2609. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की जोरदार मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दे दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित एक संकल्प प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के लिए एक उपयुक्त ढांचे के प्रश्न पर "कमेटी ऑन रि-आर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली सैटअप", जिसे आम तौर पर बालकृष्णन समिति के नाम से जाना जाता है, द्वारा विचार किया गया। मामले पर, अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् समिति ने निष्कर्ष निकाला :—

"दिल्ली के ढांचे का पुनर्गठन, संघ के एक सम्पूर्ण घटक राज्य के रूप में किया जाना राष्ट्रहित और स्वयं दिल्ली के भी हित में नहीं होगा"।

इस सिफारिश को देखते हुए और चूंकि राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में केन्द्र सरकार को विशेष कार्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है, अतः व्यापक राष्ट्र हित में, दिल्ली को सम्पूर्ण राज्यत्व दिया जाना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को धनराशि

2610. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार आवेदकों ने कितनी धनराशि की मांग की है; और

(ग) 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

(एन.एस.एफ.डी.सी.) को पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान आबंटित राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपये में)
1992-93	10.00
1993-94	21.00
1994-95	63.77 (23.77 अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से)

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) एन एस एफ डी सी को 1995-96 के दौरान 65 करोड़ रुपए की राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है। योजना आयोग ने भी 1995-96 में आन्तरिक अतिरिक्त बजट संसाधनों के अधीन बाजार से ऋण के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा ब्याज सब्सिडी के लिए 4.25 करोड़ रुपये तक प्रावधान करने के लिए सहमति दी है।

विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से आवेदकों द्वारा मांगी गई पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार व राज्यवार निधि।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	योग
1	2	3	4	5	6
1.	असम	91.46	1121.13	128.23	1340.82
2.	आन्ध्र प्रदेश	93.23	3321.95	0.95	3416.13
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.80	0.00	2.80
4.	अंडमान और निकोबार	13.45	0.00	0.00	13.45
5.	बिहार	311.70	827.39	878.52	2017.61
6.	चंडीगढ़	0.00	160.70	0.00	160.70
7.	दिल्ली	114.00	383.27	28.62	525.92
8.	गुजरात	0.00	923.92	696.32	1620.24
9.	गोवा	12.67	18.84	4.56	36.07
10.	हरियाणा	53.00	34.25	10.80	98.05
11.	हिमाचल प्रदेश	232.78	46.50	355.40	634.68
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	126.61	33.10	159.71
13.	कर्नाटक	156.21	1278.46	847.38	2282.05
14.	केरल	605.56	206.63	0.00	812.19
15.	मिजोरम	865.45	273.62	581.81	1720.88
16.	मणिपुर	604.29	449.76	134.82	1188.87
17.	मध्य प्रदेश	656.00	2339.00	415.00	3410.00
18.	महाराष्ट्र	325.88	1866.86	1766.66	3899.40
19.	मेघालय	0.00	0.00	16.80	16.80
20.	नागालैंड	0.00	556.18	170.81	726.99
21.	उड़ीसा	221.61	494.62	21.35	737.58
22.	पंजाब	284.20	526.99	0.00	811.19

1	2	3	4	5	6
23.	पांडिचेरी	0.00	80.00	4.32	84.32
24.	राजस्थान	173.10	312.65	1653.93	2139.68
25.	त्रिपुरा	16.14	197.36	0.00	213.50
26.	तमिलनाडु	817.76	851.31	22.30	1691.37
27.	उत्तर प्रदेश	1148.05	0.00	893.40	2041.45
28.	पश्चिम बंगाल	292.33	329.23	54.66	676.22
	कुल	7088.90	16730.03	8659.74	32478.67

बाटलिंग संयंत्र

2611. श्री शिव शरण वर्मा : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र चल रहे हैं और यह कहां-कहां हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नांकित स्थानों पर 11 एल पी जी भरण संयंत्र कार्यरत हैं :—

— कानपुर
— मथुरा
— इलाहाबाद
— हरिद्वार
— बरेली
— लखनऊ
— कासना
— उन्नाव
— गोरखपुर
— वाराणसी

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कल्याणकारी योजनाएं

2512. श्री दत्ता मेघे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से महाराष्ट्र में कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या क्या है तथा उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) सहायता मंजूर किए जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) कितने आवेदन मंजूरी के लिए लंबित हैं; और

(ङ) ये आवेदन कब तक मंजूर कर दिए जायेंगे?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क)

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1993-94	90
1994-95	139
	229

(ख)

वर्ष	निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या	मंजूर की गई धनराशि (लाख रुपये में)
1993-94	63	192.13
1994-95 (अब तक)	77	239.56

(ग) यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विकास व समाज रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान निर्मुक्त करता है। संगठन को सोसायटी पंजीयन अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त न्यास अथवा किसी अन्य संस्थान के तहत पंजीकृत तथा संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्षों से कार्यरत होना चाहिए। आवेदन पत्र की संस्तुति संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जानी चाहिए। संगठन को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और उस स्थिति में होना चाहिए कि वह योजना पर किए जाने वाले कुल व्यय का कम से कम 10 प्रतिशत भाग वहन कर सके।

(घ) 89 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

(ङ) पात्र लम्बित आवेदन पत्रों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार चालू अथवा परवर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाएगा, जो संगठनों/राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण/सिफारिशें प्राप्त किए जाने के अध्यधीन होगा।

[अनुवाद]

हाइड्रोकार्बन परस्पेक्टिव (परिदृष्य) 2010

2613. श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने "हाइड्रोकार्बन परिस्पेक्टिव (परिदृष्य)-2010" शीर्षक से कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन के सदस्यों एवं शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्रचना पर एक "नीतिगत योजना दल" बनाया गया है। इस दल ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

फर्जी नोट

2614. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान गुजरात में पांच सौ रुपये के फर्जी नोट बनाने वाले किसी गिरोह का पता चला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गए और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जाएगी; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशालाएं

2615. श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी सरकारी क्षेत्र में कितनी कोयला धोवनशालाएं कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक धोवनशाला की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या ये कोयला धोवनशालाएं अपनी संस्थापित क्षमता के अनुरूप काम कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन धोवनशालाओं द्वारा संस्थापित क्षमता के कितने औसत का उपयोग किया गया और उससे कितना उत्पादन हुआ;

(ङ) क्या इन धोवनशालाओं की उत्पादन क्षमता के अल्प-उपयोग के कारण उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो रही है; और

(च) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान उत्पादन लागत में प्रति टन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). ऐसी 15 कोककर कोयला वाशरियां हैं, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 25.22 मिलियन टन की है, जोकि कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के अंतर्गत कार्यरत हैं। प्रत्येक के मामले में संचलन-योग्य क्षमता का उल्लेख करते हुए वाशरी-वार विवरण नीचे दिया गया है:—

वाशरियों के नाम	संचलन योग्य क्षमता
1	2
भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.)	
दुग्दा (I और II)	3.80
भोजूडीह	1.70
पाथरडीह	1.60
सुदामडीह	2.00
मूनीडीह	2.00
लोडना	0.40
बरोरा	0.42
महुदा	0.63
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.)	
कारगली	2.72
कथारा	3.00
सवांग	0.75
गिद्धी	2.00
राजरप्पा	3.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे.को.लि.)	
नंदन	1.20

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान कोल इंडिया लि. की वाशरियों की उपयोगिता औसत क्षमता और उनके उत्पादन को

नीचे दिया गया है :—

वर्ष	क्षमता की औसत उपयोगिता (प्रतिशतता में)	धुले हुए कोयले का उत्पादन (मिलियन टन में)
1992-93	67.76	9.273
1993-94	68.23	9.233

(ङ) और (च). इन वाशरियों की क्षमता उपयोगिता व्यावहारिक रूप में पिछले दो वर्षों के दौरान उसी स्तर पर चल रही है। अतः उत्पादन की लागत पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

[अनुवाद]

वार्षिक वर्षा

2616. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने आन्ध्र प्रदेश के खम्मन जिले, पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी में गोदावरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वार्षिक वर्षा संबंधी अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस क्षेत्र मे किसी अध्ययन के माध्यम से जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रति वाटरशेड वर्षा की मात्रा का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ). प्रश्न में जिन अध्ययनों की बात कही गई है, वे नहीं किए गए हैं। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग ने देश में फैले विभिन्न उप-अंचलों के अंतर्गत छोटे और मध्यम जलग्रहण क्षेत्रों के बाढ़ आंकलन के डिजाईन के लिए बाढ़ आकलन रिपोर्टें तैयार की हैं, जिसमें गोदावरी बेसिन का कुछ भाग भी शामिल है। इन रिपोर्टों में बाढ़ डिजाईन के आकलन पर पहुंचने के लिए एक प्रणाली विज्ञान की व्यवस्था है।

दक्षिणी गैस ग्रिड

2617. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी गैस ग्रिड इस समय किस चरण में है;

(ख) इस पर कितना व्यय किया जा चुका है; और

(ग) इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सरकार ने दक्षिणी गैस ग्रिड की अवधारणा को सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया है। दक्षिणी राज्यों से दक्षिणी भारत में गैस आधारित परियोजनाओं के स्थान और मांग का पता लगाने को कहा गया है। केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना के लिए एक व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन शुरू किया है। ठोस परियोजनाएं तैयार किए जाने के बाद इस पर होने वाले व्यय और इसे चालू किए जाने की तारीख के बारे में मालूम होगा।

तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

2618. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का देश में किन-किन क्षेत्रों में तेल की खोज करने का विचार है;

(ख) देश में प्रतिदिन तेल और गैस का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के अंत तक तेल और गैस के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) देश के विभिन्न परतदार (तलहटी) बेसिनों अर्थात् कैम्बे, ऊपरी असम, असम-अराकान फोल्ड बेल्ट, त्रिपुरा, कच्छ-सौराष्ट्र, कावेरी, कृष्णा-गोदावरी गंगाघाटी, राजस्थान, बंगाल, विंध्यान, सतपुरा, दक्षिण रीवा तटवर्ती भाग में तथा बम्बई तटवर्ती, कच्छ सौराष्ट्र, केरल, कोंकण, कावेरी, कृष्णा-गोदावरी, उत्तर पूर्वी तट, अपतटीय भाग बेसिनों में हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण जारी रखा जाएगा। कुछ सीमान्त क्षेत्र भी अन्वेषित किए जाएंगे जैसे गहरे समुद्र, गोंडावाना तलछट, दक्षिण साइनक्लाइस आदि।

(ख) अप्रैल-नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान देश में औसत तेल का उत्पादन 85,983 टन प्रतिदिन तथा प्राकृतिक गैस 53.48 मिलियन घन मीटर प्रति दिन रहा।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान तेल का अनुमानित उत्पादन स्तर 38.37 मि.मी. टन तक और गैस का 69.26 एम एम एस सी एम डी तक पहुंचने की संभावना है।

[हिन्दी]

पुलिस अकादमी की स्थापना

2619. श्री प्रेम चन्द राम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में पुलिस अकादमी की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम में आरक्षित पद

2620. श्री पीयूष तीरकी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों से भारतीय तेल निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आरक्षित पदों को नहीं भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, नहीं। 1 जनवरी 1995 को केवल 7 अ.ज. तथा 13 अ.जा.जा. रिक्तियों के संबंध में बैकलाग था।

(ग) विशिष्ट स्थानों पर विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पद नहीं भरे जा सके।

(घ) विशेष भर्ती अभियानों इत्यादि के माध्यम से बैकलाग को समाप्त करने के संबंध में प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के "पे लोडर्स"

2621. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. के पास इस समय कितने "पे लोडर्स" हैं;

(ख) इनमें से कितने "पे लोडर्स" चालू अवस्था में हैं;

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान खराब "पे लोडर्स" की मरम्मत पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) क्या मरम्मत किये गये सभी "पे लोडर" भारत कोकिंग लि. के थे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). 25.3.1995 की स्थिति के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. में कोयले के परिवहन तथा लदान कार्यों में 157 पे-लोडर्स कार्यरत थे और इसमें से 131 कार्यचालन स्थिति में थे।

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान खराब पे-लोडरों की मरम्मत पर किए गए व्यय को नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	व्यय (000 रु. में)
1991-92	3,88,69
1992-93	3,40,50
1993-94	3,54,31

(घ) जी, हां।

[अनुवाद]

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मेगा इश्यू

2622. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने 5000 करोड़ रुपये के मेगा इश्यू का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो मेगा इश्यू का तकनीकी एवं वित्तीय ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मेगा इश्यू की अद्यतन स्थिति क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन का वर्ष 1995-96 में अपने शेयरों के सार्वजनिक निर्गम का प्रस्ताव है। इस निर्गम के आकार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग). निर्गम के तकनीकी तथा वित्तीय ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कृषि क्षेत्र में निवेश

2623. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दशक की तुलना में कृषि क्षेत्र मे निवेश में कुल कितनी कमी आई है; और

(घ) इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप, 1980-81 की कीमतों पर अनुमानित, में सकल पूंजी निर्माण 1980 दशक के दौरान 1980-81 में 4864 करोड़ रुपये से घटकर 1989-90 में 4792 करोड़ रुपये हो गया और यह 1990 के दशक में बढ़कर 1993-94 में 5228 करोड़ रुपये हो गया है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान बागवानी, मात्स्यिकी, वर्षा सिंचित खेती, लघु सिंचाई के लिए आधारभूत संरचना का सृजन, फसल पश्चात प्रबंधन आदि जैसे कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों वाले क्षेत्रों के पक्ष में निवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित हैं।

एल पी जी भंडारण डिपो

2624. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1995 के "द संडे टाइम्स" (दिल्ली संस्करण) में "एल पी जी डिपोज थ्री रूल्स टु द विंडस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी की घनी आबादी वाले क्षेत्रों के बिल्कुल पास रसोई गैस भंडारों के स्थित होने संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). स्थानीय प्राधिकारी, फायर ब्रिगेड तथा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुबंधित नियम व विनियमों के अनुसार राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर उपलब्ध कराई गई भूमि पर एल पी जी गोदामों का निर्माण किया जाता है। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सोओआई) के प्रतिनिधियों द्वारा आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सांविधिक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया गया है। राजधानी में विभिन्न गोदामों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा निम्नलिखित सावधानियां अपनाई गई हैं:—

(i) एल पी जी भरे सिलेंडरों के संग्रहण के लिए सी सी ओ ई का वैध अनुमोदन।

(ii) गोदाम की चाहरदीवारी के चारों तरफ बाड़ा/पक्की दीवार तथा सुरक्षा दूरी का अनुरक्षण, अग्निशामकों का अच्छी स्थिति में होना।

(iii) प्रचालन के दौरान गोदा परिसर में कोई असुरक्षित कार्य नहीं।

(iv) क्षेत्र अधिकारियों द्वारा गादामों का नियमित निरीक्षण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाइसेंसधारी परिसर में कोई अतिक्रमण/असुरक्षित कार्य नहीं हुआ है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या

2625. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 16.48 तथा 8.08 प्रतिशत है। जनगणना के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के आंकड़े अलग से एकत्रित नहीं किए गए। फिर भी, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) ने अनुमान लगाया था कि अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 52 प्रतिशत है।

ए एम ओ सी ओ के साथ सहयोग

2626. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की एक कम्पनी ए एम ओ सी ओ ने भारत में संयुक्त उद्यम लगाने की किन्हीं योजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को ए एम ओ सी ओ से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने ए एम ओ सी ओ के साथ बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज हेतु सहयोग का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). अमोको, इन बोलीदाताओं में से एक है, जिन्होंने बम्बई हाई क्षेत्र से अतिरिक्त तेल वसूली के लिए बोली भेजी है।

धन जुटाना

2627. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के दूरदर्शन केन्द्रों को नयी-नयी योजनाओं के माध्यम से धन जुटाने का निर्देश देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

कृषि विकास

2628. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि के विकास के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष-वार और राज्य-वार सहायता की कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य ग अधिक सहायता मांगी है और इस संबंध में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ). राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता पूरे राज्यों को सम्पूर्ण वार्षिक योजनाओं के लिए एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र/उप क्षेत्र और योजनाएं निर्धारित हैं। राज्यों की वार्षिक योजना 1994-95 के लिए राज्य-वार सामान्य केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

सामान्य केन्द्रीय (फार्मूला आधारित) सहायता के सकल आबंटन

* : 1994-95

राज्य		(करोड़ रु.)
1	2	3
क. विशेष श्रेणी		
1.	अरुणाचल प्रदेश	306.84
2.	असम	898.67
3.	हिमाचल प्रदेश	386.37
4.	जम्मू व कश्मीर	839.83
5.	मणिपुर	248.37
6.	मेघालय	236.85
7.	मिजोरम	216.68
8.	नागालैंड	252.90
9.	सिक्किम	134.96
10.	त्रिपुरा	251.10
	जोड़ : क	3772.57
ख. गैर-विशेष श्रेणी		
1.	आंध्र प्रदेश	747.50
2.	बिहार	957.31
3.	गोआ	50.34
4.	गुजरात	281.55
5.	हरियाणा	198.71
6.	कर्नाटक	308.15
7.	केरल	384.88
8.	मध्य प्रदेश	567.83
9.	महाराष्ट्र	460.24
10.	उड़ीसा	379.90
11.	पंजाब	169.26
12.	राजस्थान	438.51
13.	तमिलनाडु	654.14
14.	उत्तर प्रदेश	1293.80
15.	पश्चिम बंगाल	524.64
	जोड़ : ख	7415.96
	जोड़ (क+ख)	11188.53

जी ए सी ए * विशेष समस्याओं के अंतर्गत सहायता सहित

यूरेनियम एवं आर.डी.एक्स. जब्त किया जाना

2629. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार "यूरेनियम, आर.डी.एक्स. सीज्ड फ्राम हाइड-आदट ऑफ मिर्धाज एबडक्टर्स" शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले के संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई जांच की है;

(घ) क्या जांच कार्य में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा अन्य खुफिया एजेन्सियों को भी शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). सरकार ने इस समाचार को देखा है। राजस्थान सरकार से प्राप्त

सूचना के अनुसार, श्री राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण के पश्चात् चलाए गए पुलिस अभियानों के दौरान, जयपुर के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के माडल टाउन क्षेत्र में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। श्री राजेन्द्र मिर्धा को मुक्त करा लिया गया और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का एक उग्रवादी मारा गया। माडल टाउन वाले मकान से बरामद सुरागों का अनुसरण करते हुए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का छिपने का एक अन्य ठिकाना जयपुर के वैशाली नगर क्षेत्र में खोज निकाला गया। इस मकान की तलाशी के दौरान आर.डी.एक्स. विस्फोटक सामग्री, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, एक ए.के.-56 राइफल्स डेटोनेटर और सीलबन्द चमड़े का थैला बरामद किया गया। थैले पर लिखा था "मेड इन यू.एस.ए.-स्टेट क्रिस्टलेट यू.आर. "235" एम.आर 1008-एटोमिक रिसर्च डिपार्टमेंट बेस-यूरेनियम-एक्सपाइरी डेट 1.11.2000"। इस सामग्री की जांच, परमाणु ऊर्जा प्रभाग के एक विशेषज्ञ द्वारा और बाद में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई द्वारा की गई। यह पाया गया कि यह सामग्री केशन एक्सचेंज रेजिन (आर्गेनिक प्रकृति की) की थी। इस सामग्री से कोई रेडियोधर्मिता निरस्त होती नहीं पाई गई और विशेषज्ञों ने राय प्रकट की कि पैकेट में यूरेनियम नहीं था।

अंतर्राज्यीय विवाद

2630. श्रीमती बिम्बू कुमारी देवी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राज्यीय विवादों के संबंध में ब्यौरा क्या है और इनके क्या कारण हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विवादों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). अन्त-र्राज्यीय सीमाओं के बारे में कुछ लम्बित विवाद है, जिसमें मुख्यतः एक तरह असम राज्य और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड अन्तर्ग्रस्त हैं। केन्द्र सरकार की विस्तृत नीति यह रही है कि अन्तर्ग्रस्त राज्यों को अपने मतभेद आपसी समझ-बूझ और सौहार्द के साथ और विचार-विमर्श के जरिए हल करना चाहिए। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में केन्द्र सरकार भी सहयोग करती है।

वानिकी/कृषि वानिकी परियोजनाएं

2631. श्री पीयूष तीरकी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राईफेड) ने राज्यों में वानिकी अथवा कृषि वानिकी परियोजनाओं को लागू करने और उनकी निगरानी करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां। इसने असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ सर्वेक्षण/अध्ययन किया है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने ट्राइफेड से अन्य क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण करने को कहा है।

विवरण

ट्राइफेड ने असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक महत्व की वानिकी/कृषि वानिकी परियोजनाओं से संबंधित कुछ सर्वेक्षण/अध्ययन शुरू किए हैं।

असम में किए गए एक अध्ययन के आधार पर ट्राइफेड ने फुलौनी, जिला कारबी और मुहर/हाथीकली, उत्तर असम की कछार पहाड़ियों/स्वायत्त जिला में जावा सिट्रोनेला पौधरोपण और आसवन परियोजनाएं स्थापित की हैं। ये परियोजनाएं वर्ष 1990-91 में शुरू की गई थीं। इन परियोजनाओं में जावा सिट्रोनेला तेल का व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू हो चुका है।

1989 में ट्राइफेड द्वारा महाराष्ट्र में गम कराया और नाइजर बीजों के मूल्य संवर्द्धन हेतु प्रसंस्करण एककों की स्थापना के उद्देश्य से एक संभाव्यता-पूर्व अध्ययन किया गया था। यद्यपि गम कराया और नाइजर बीज की उतार-चढ़ाव विपणन स्थितियों के कारण प्रसंस्करण एककों की स्थापना पर ध्यान नहीं दिया गया है। ट्राइफेड ने बम्बई बन्दरगाह से निर्यात किए जा रहे इन उत्पादों के भंडार के लिए भण्डार परिसरों की स्थापना की है।

मध्य प्रदेश में ट्राइफेड ने आदिवासियों के कृषि एवं वन उत्पाद के मूल्य संवर्द्धन हेतु विपणन क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जगदीशपुर में आदिवासी औद्योगिक परिसर स्थापित करने वास्ते संभाव्यता-पूर्व अध्ययन किया है। इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार से 21.55 एकड़ भूमि भी अर्जित की गई थी। तथापि, अनिश्चित विपणन संबंधी वातावरण सहित कई कारणों से इन परिसरों की अब तक स्थापना नहीं की गई है।

बिहार में, ट्राइफेड ने लाख विकास हेतु एक प्रारंभिक अध्ययन कराया था। ट्राइफेड ने 1992-93 में 41 ग्रामों के 200 आदिवासियों के बीच ब्रूड लाख का निःशुल्क वितरण पायलट आधार पर किया। व्यय की गई धनराशि लगभग 8.70 लाख रु. थी।

उत्तर प्रदेश में ट्राइफेड ने शहद प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना के लिए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरू किया था, तथापि, यह परियोजना व्यावसायिक रूप से उपयुक्त नहीं पाई गई।

इज़रायली कम्पनी के साथ समझौता

2632. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री विजय नवल पाटील :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) से साथ अपना करार रद्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. ने इजरायली कंपनी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). जी, नहीं। राष्ट्रीय तापीय निगम के विद्युत गृहों को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.), नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (ना.को.लि.), महानदी कोलफील्ड्स लि. (म.को.लि.) तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सा.ई.को.लि.) से कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के साथ 31 दिसम्बर, 1994 को एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस करार के संबंध में कोई विवाद नहीं है तथा करार के अनुसार कोयले की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) को.इं.लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार यूनाइटेड डेवलपमेंट इनकारपोरेटिड, जोकि इसनबर्ग ग्रुप ऑफ कंपनी, तेल अवीव, इजराइल का एक सदस्य के रूप में है, यमुनानगर तापीय विद्युत परियोजना को हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त रूप में प्रौन्नतम कर रही है। इस परियोजना के लिए कोल इंडिया लि. अथवा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. ने कोयला की आपूर्ति किए जाने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड

2633. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कई परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं या रोक दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. के अनुसार राष्ट्रीयकरण के समय से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में 52 खानों को मुख्यतया भण्डार समाप्त होने के कारण बंद कर दिया गया है। इनमें से कुछ खानों को आग, बाढ़, विपरीत भू-खनन परिस्थिति/अलाभकारी व्यवहार्यता, सुरक्षा उपायों तथा अन्य परियोजनाओं के साथ एकीकरण के पहलू को देखते हुए बंद किया गया है। इसके अतिरिक्त आठ अनुमोदित परियोजनाओं को भूमि की अनुपलब्धता, विपरीत भू-खनन परिस्थितियां प्रौद्योगिकी के पहलुओं तथा अन्य परियोजनाओं के साथ मिलाये जाने जैसे विभिन्न कारणों से निरस्त/वापस ले लिया गया है।

[हिन्दी]

कोयला राख

2634. श्री नवल किशोर राय :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कोयले की तुलना में देश में उत्पादित कोयले में राख की मात्रा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में उत्पादित किये जा रहे कोयला राख का प्रतिशत कितना है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भूमिगत खनन और खुले मुहाने के खनन से कितना कोयला प्राप्त हुआ है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग). भारतीय कोयला अपने अन्तर्निहित स्वरूप के कारण आयातित कोयले की तुलना में राख की उच्च प्रतिशतता रखता है। देश में उत्पादित कोयले में आमतौर पर राख की मात्रा 15 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के बीच में रहती है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कोयले को छोड़कर, जहां कि निम्न राख वाले कोयले का भी उत्पादन किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओपेनकास्ट तथा भूमिगत खानों से उत्पादित किए गए कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :—

(मिलियन टन में)

वर्ष	ओपेनकास्ट	भूमिगत	जोड़
1991-92	72.99	156.29	229.28
1992-93	73.54	164.72	238.26
1993-94	75.02	171.02	246.04

[अनुवाद]

गैस का आबंटन

2635. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित संयंत्रों को विशेष रूप से जगदीशपुर संयंत्र को अतिरिक्त गैस की आपूर्ति करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने अतिरिक्त गैस की आपूर्ति की जाएगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में गैस आधारित संयंत्रों को अतिरिक्त गैस की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रगान

2636. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मॉस्किटों रिपेलेंट के विज्ञापन को दूरदर्शन पर राष्ट्रगान की धुन के साथ प्रायोजित करना संविधान के अनुरूप एवं विधि सम्मत है;

(ख) क्या राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का वाणिज्यिक प्रचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है;

(ग) क्या राष्ट्रगान के उपयोग और गाने के संबंध में कोई मानक नियम हैं; और

(घ) यदि हां, तो दूरदर्शन पर इनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). हालांकि राष्ट्रीय गान के संबंध में कोई कानून नहीं है तथापि, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय गान के अविवेकी गायन या वादन को निरुत्साहित किया जाता है। प्रतीक और नाम (अनुप्रयुक्त उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु उपयोग को निषेध किया गया है।

(घ) दूरदर्शन को इस विषय में कानून/आदेशों का पूर्णतः पालन करने का निदेश दिया गया है।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र में निवेश

2637. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयला क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रु. में)

वर्ष	को.इं.लि. में पूंजीगत निवेश	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में पूंजीगत निवेश
1991-92	1459.84	188.28
1992-93	1808.47	406.45
1993-94	1687.92	544.98

तेल की खोज

2638. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995 के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज संबंधी कार्यक्रम में संयुक्त उद्यम लगाने हेतु कुछ प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इन प्रस्तावों की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यालय के अधीन तेल एवं गैस के अन्वेषण हेतु 28 ब्लाकों-18 तटीय और 10 अपतटीय, को प्रस्तावित किया है। मुख्य निबंधन और शर्तें निम्नवत हैं :—

- 25 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के बीच भागीदारी हितबद्धता के साथ संविदा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जोखिम भागीदारी।
- अन्वेषण अवधि के प्रथम चरण में एक भूकंपी विकल्प की संभाव्यता।

— कोई हस्ताक्षर/उत्पादन अधिलाभ/रायल्टी/उपदर अदायगी नहीं।

— उत्तरोत्तर राजकोषीय पद्धति।

— निगम कर के उद्देश्य से ब्लाकों की कोई रिंग फेन्सिंग नहीं।

— गैस विपणन हेतु संयुक्त उद्यम को स्वतंत्रता।

— अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर संयुक्त उद्यम के ठेका के हिस्से की खरीद।

— न्याय का प्रावधान।

(ग) और (घ). बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 सितम्बर, 1995 है।

[हिन्दी]

प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो सेन्टर

2639. श्री प्रेम चन्द राम :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में नए प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो सेंटर खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) राजस्थान और बिहार में कहां-कहां प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो सेंटर खोले जा चुके हैं और इन सेंटरों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान राजस्थान और बिहार में किन-किन स्थानों पर प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो सेंटर और रीजनल-न्यूज सेंटर खोले जायेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) हालांकि कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि पत्र सूचना कार्यालय सामान्यतया ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, जहां कार्यालय 60 या उससे अधिक समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

(ख) पत्र सूचना कार्यालय राजस्थान में जयपुर, जोधपुर तथा कोटा में और बिहार में पटना में विद्यमान हैं। ये कार्यालय राज्य स्तर पर केन्द्रीय सरकार के एक सूचना स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। वे स्थानीय प्रेस के लिए प्रेस सामग्री जारी करते हैं और सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के सबंध में फीड-बैक सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

(ग) 1995-96 के दौरान बिहार में रांची में पत्र सूचना कार्यालय स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। तथापि इसका कार्यान्वयन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। 1995-96 के दौरान राजस्थान और बिहार में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का क्षेत्रीय समाचार एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बी.सी.सी.एल. के अंतर्गत कोयले की खानें

2640. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी.सी.सी.एल. के अंतर्गत उन कोयला खानों का ब्यौरा क्या है जिनमें "पे-लोडर" के माध्यम से कोयले का लदान किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रणाली के फलस्वरूप कोयले के उत्पादन में कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांचा) : (क) और (ख). कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार कोयले का लदान भारत कोकिंग कोल लि. के अंतर्गत सभी कोलियरियों में पे-लोडरों द्वारा किया जाता है, केवल चार स्थलों को छोड़कर, जहां कि आमतौर पर बंद बैगन भेजे जाते हैं। यहां तक कि इन चार स्थलों पर भी लदान पे-लोडरों द्वारा किया जाता है, जब कभी उन्हें खुले बैगनों की आपूर्ति की जाती है। को.इं.लि. ने सूचित किया है कि सीमा के भीतर रेलवे द्वारा खाली अनुमेय समयावधि के दौरान पूर्ण वाक्स-एन का लदान केवल कर्मचारियों द्वारा तीव्रता से यंत्रीकृत लदान प्रणाली से संभव होता है जिसमें पे-लोडरों का प्रयोग भी शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

फरक्का बराज पर नौका सेवायें

2641. श्री जायनल अबेदिन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बराज परियोजना के फीडर नहर में कितनी नौका सेवायें कार्यरत हैं;

(ख) इस पर सरकार को वार्षिक रूप से कितना खर्च करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ नौका सेवाओं के स्थान पर उनकी जगह पुलों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख). फरक्का बराज परियोजना की पोषक नहर पर दस स्थलों पर मुफ्त नौका सेवाएं कार्यरत हैं, जिनपर प्रति वर्ष 41 लाख रुपए व्यय होता है।

(ग) से (ङ). फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पोषक नहर पर तीन पुलों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। इस पोषक

नहर पर दो और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नौका सेवाओं के स्थान पर पुलों का निर्माण पुलों तक पहुँच सड़कों के लिए निधियों और भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

12.00 मध्यान्ह

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता -दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही आपत्तिजनक वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। सबसे पहले मैं सदस्यों का आज के सहयोग के लिये धन्यवाद करता हूं। दूसरे, मेरी आपसे अपील है कि कुछ और सहयोग करें ताकि संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार सदन का अति महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य किया जा सके। मुझे इस तथ्य का पता है कि बहुत से सदस्यों को अनेक अच्छे मुद्दे उठाने है और मैं उनको अवसर भी देना चाहता हूं। परंतु यदि आप सब सहमत हों तो मैं आपको कल पूरा अवसर प्रदान करूंगा और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज मेरे साथ सहयोग करें ताकि सदन का कारोबार चल सके और दूसरे सदन को भेजा जा सके।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम इस वक्तव्य के बारे में बहुत उत्तेजित हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सबको कल अवसर मिलेगा। श्री शहाबुद्दीन जी आपको भी बोलने के लिये कल अवसर प्रदान किया जायेगा।

कुमारी ममता बनर्जी : इस देश पर इस ढंग से शासन नहीं चलाया जा सकता। महोदय इस वक्तव्य को देखें। महोदय, कोई भी जिम्मेदार नेता इस तरह के वक्तव्य किस तरह दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा। कृपया इस मुद्दे को आप कल उठायें।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया मुझे पांच मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी पांच मिनट में यह समाप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, आप सन्तुष्ट भी नहीं होंगे। मैं आपको अधिक समय दिये जाने में रुचि रखता हूं ताकि आप अपने सोचें समझें और मूल्यवान विचार अगले दिन हमें विस्तार में बता सकेंगे। आपको थोड़े समय में जल्दी में अपने विचार नहीं बताने हैं।

मुझे एक और अनुरोध करना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज भोजन-काल में भी उपस्थित रहकर सहयोग दें ताकि चारों विधेयक पारित किये जा सकें और दूसरे सदन को भेजे जा सकें? कल शुक्रवार है और इनको आज पारित किया जाना जरूरी है।

अब हम "सभापटल पर रखे गये पत्र" विषय लेंगे ।

12.01 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल इन्स्टीट्यूट फार दि विजुअली हैण्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि विजुअली हैण्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि विजुअली हैण्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7314/95]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फार दि फिज़िकली हैण्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार दि फिज़िकली हैण्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7315/95]

(5) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के सेवा निबन्धन और शर्तें) नियम, 1994, जो 14 फरवरी, 1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7316/95]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 1995-96 के लिये विस्तृत अनुदानों की मांगें

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : मैं वर्ष 1995-96 के लिये रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 1995-96 के लिये विस्तृत अनुदानों की मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7317/95]

कोयला मंत्रालय की वर्ष 1995-96 के लिये विस्तृत अनुदानों की मांगें

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : मैं वर्ष 1995-96 के लिये कोयला मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7318/95]

वर्ष 1995-96 के लिये जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि. के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1995-96 के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7319/95]

(2) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7320/95]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 692 (अ), जो 16 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुम्बई पतन न्यास कर्मचारी (आवास का आबंटन और अधिभोग) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7321/95]

पैट्रोलियम तथा खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन नियम 1995, आदि

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन नियम, 1995 जो 1 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 100(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7322/95]

(2) वर्ष 1995-96 के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7323/95]

(3) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 23 जून, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 23 जून, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7324/95]

वर्ष 1995-96 के लिये इस्पात मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मैं वर्ष 1995-96 के लिये इस्पात मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7325/95]

वर्ष 1995-96 के लिये डाक विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगें

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं वर्ष 1995-96 के लिये डाक विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7326/95]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि., बम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के पी. सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7327/95]

(2) वर्ष 1995-96 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7327क/95]

वर्ष 1995-96 के लिये महासागर विकास विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से वर्ष 1995-96 के लिये महासागर विकास विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7328/95]

वर्ष 1995-96 के लिये उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्रीमती कृष्णा साही की ओर से वर्ष 1995-96 के लिये उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7329/95]

भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, आदि

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गयी उद्घोषणा के खंड (ग) (IV) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (जम्मू-कश्मीर सरकार) के 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गयी उद्घोषणा के खंड (ग) (IV) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) जम्मू-कश्मीर सरकार के वर्ष 1991-92 के वित्त लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7330/95)

(दो) जम्मू-कश्मीर सरकार के वर्ष 1991-92 के विनियोग लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7331/95)

(3) वर्ष 1995-96 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों और संघ लोक सेवा आयोग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7332/95]

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों, और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाला एक विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग) के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आठवीं, नौंवी और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

आठवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 30 - सातवां सत्र, 1986
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7334/95]

(दो) विवरण संख्या 38 - नौवां सत्र, 1987
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7335/95]

(तीन) विवरण संख्या 40 - दसवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7336/95]

(चार) विवरण संख्या 36 - तेरहवां सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7337/95]

नौवीं लोक सभा

(पांच) विवरण संख्या 34 - दूसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7338/95]

(छः) विवरण संख्या 30 - तीसरा सत्र, 1990
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7339/95]

(सात) विवरण संख्या 25 - सातवां सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7340/95]

(आठ) विवरण संख्या 27 - पहला सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7341/95]

(नौ) विवरण संख्या 23 - दूसरा सत्र, 1991
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7342/95]

(दस) विवरण संख्या 22 - तीसरा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7343/95]

(ग्यारह) विवरण संख्या 20 - चौथा सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7344/95]

(बारह) विवरण संख्या 17 - पांचवां सत्र, 1992
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7345/95]

(तेरह) विवरण संख्या 16 - छठा सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7346/95]

(चौदह) विवरण संख्या 12 - सातवां सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7347/95]

(पंद्रह) विवरण संख्या 11 - आठवां सत्र, 1993
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7348/95]

(सोलह) विवरण संख्या 9 - नौवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7349/95]

(सत्रह) विवरण संख्या 6 - दसवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7350/95]

(अट्ठारह) विवरण संख्या 4 - ग्यारहवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7351/95]

(उन्नीस) विवरण संख्या 2 - बारहवां सत्र, 1994
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7352/95]

दसवीं लोक सभा

(2) वर्ष 1995-96 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7353/95]

वर्ष 1995-96 के लिये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के लिये विस्तृत अनुदानों की मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से वर्ष 1995-96 के लिये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7353क/95]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1995-96 के लिये विस्तृत अनुदानों की मांगें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : मैं वर्ष 1995-96 के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7354/95]

12.05 म.प.

प्राक्कलन समिति

विवरण

श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय-आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में बयासीवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (नौवीं लोक सभा) का आठवां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)-दूरसंचार के संबंध में प्राक्कलन समिति के चौथे प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का अठाइसवां प्रतिवेदन।

(3) गृह मंत्रालय-संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन प्रणाली के बारे में समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का चालीसवां प्रतिवेदन।

(4) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के संबंध में प्राक्कलन समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (10वीं लोक सभा) का तैंतालीसवां प्रतिवेदन।

12.05 म.प.

लोक लेखा समिति

अठासीवां नवासीवां इक्यानवेवां और तिरानवेवां प्रतिवेदन

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (1992-93) से अधिक व्यय और लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 60वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में अठासीवां प्रतिवेदन।

(2) जबलपुर स्थित ट्यूब बनाने के संयंत्र के बारे में नवासीवां प्रतिवेदन।

(3) शुल्क की प्रति अदायगी - प्रति अदायगी की धोखाधड़ी के बारे में इक्यानवेवां प्रतिवेदन।

(4) कर के संग्रहण एवं वसूली तथा मांगों के बकाया के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही के बारे में तिरानवेवां प्रतिवेदन।

12.06 म.प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : मैं सरकारी उपक्रमों के सामाजिक दायित्व और सामाजिक जवाबदेही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे।

12.06 ½म.प.

याचिका समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं याचिका समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी) प्रस्तुत करता हूं।

12.07 म.प.

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.07¼ मं.प.

पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

(एक) तेरहवां प्रतिवेदन

(दो) कार्यवाही सारांश

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लिमिटेड तथा कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड पर पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.07½ म.प.

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

नौवां प्रतिवेदन

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : मैं "धागा संकट" के बारे में वाणिजय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.07 ¾ म.प.

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नौर) : मैं भारतीय वायरल (संशोधन) विधेयक, 1994 के बारे में उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

12.08 म.प.

बिहार बजट, 1995-96

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं वर्ष 1995-96 के लिये बिहार राज्य की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7355/95]

12.08½ म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार), 1994-95

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं वर्ष 1994-95 के लिये बिहार राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7356/95]

12.09 म.प.

संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेन्शन (संशोधन) विधेयक**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

महोदय मैं व्यवस्था का अपना प्रश्न केवल इस कारण उठा रहा हूं कि सदन में पुरःस्थापित किये जाने वाले किसी भी विधेयक की प्रति सदस्यों को 2 दिन पहले मिल जानी चाहिये।

महोदय, मैंने ज्ञापन देखा है जो विधेयक के साथ दिया गया है। जब विधेयक 24 मार्च को तत्पर था, मंत्री महोदय को सदन में इसे पेश करने से कोई रोक नहीं सकता था, ऐसा 27 मार्च को किया जा सकता था। सरकार इस तरह की अनावश्यक बातें क्यों करती है जिनके लिये इसे स्पष्टीकरण करना पड़े? इस प्रकार मंत्री को भविष्य में अधिक सावधान रहने की सलाह दी जानी चाहिये। इसी दृष्टि से मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इसे पिछली तारीख से परिचालित माना जाने के लिये कहा जा रहा है।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय मैं संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1954 का और आगे संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मागंता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि ससंद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 का और आगे संशोधन करने का विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय मैं विधेयक* पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि नियम 377 के अन्तर्गत मामले कल लिये जायें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं*:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेन्शन अधिनियम 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेन्शन अधिनियम 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

** दिनांक 30 मार्च, 1995 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि 1905 एक, विनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड एक, विनियमन सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.11 म.प.

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1994-95-जारी

अध्यक्ष महोदय : हमने विस्तारपूर्वक बजट, लेखानुदानों अनुदानों की मांगों (सामान्य) तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा की है। हमें उन पर फिर से चर्चा करने का अवसर मिलेगा। हम उन पर विस्तार से चर्चा के लिए समय निकालना चाहेंगे किन्तु क्योंकि यह जरूरी है कि विधेयक लोक सभा से आज ही राज्य सभा को प्रेषित किया जाये। अतः यदि आप सब सहमत हों तो हम इसे अब पारित करेंगे।

मैं अब मांगें सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1-26, 28,29, 31-58, 60-68, 91, 93 और 95-99 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के विधेयक के संबंध में, कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित विधि में से लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा की स्वीकृति के लिए वर्ष 1995-96 के लिए लेखा अनुदान की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि	235,13,00,000	1,91,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	37,16,00,000	50,87,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	91,48,00,000	–
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	47,80,00,000	32,59,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	18,73,00,000	4,04,00,000
6.	उर्वरक विभाग	1063,72,00,000	40,85,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय		
7.	नागर विमानन विभाग	11,94,00,000	8,85,00,000
8.	पर्यटन विभाग	15,41,00,000	2,74,00,000
	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	4,45,00,000	15,00,000
	कोयला मंत्रालय		
10.	कोयला मंत्रालय	29,21,00,000	74,36,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
11.	वाणिज्य विभाग	105,89,00,000	14,42,00,000
12.	पूर्ति विभाग	5,45,00,000	–
	संचार मंत्रालय		
13.	डाक विभाग	372,69,00,000	12,31,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	1584,36,00,000	1159,17,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
15.	रक्षा मंत्रालय	337,80,00,000	3,42,00,000
16.	रक्षा पेंशनें	476,13,00,000	–
17.	रक्षा सेवाएं थल सेना	2140,49,00,000	–
18.	रक्षा सेवाएं नौ सेना	261,29,00,000	–
19.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	710,72,00,000	–
20.	रक्षा आयुध निर्माणियां	118,07,00,000	
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	–	1224,55,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	71,39,00,000	1,19,00,000
	विदेश मंत्रालय		
23.	विदेश मंत्रालय	191,81,00,000	7,84,00,000
	वित्त मंत्रालय		
24.	आर्थिक कार्य विभाग	579,70,00,000	27,67,00,000
25.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	112,96,00,000	59,99,00,000
26.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	132,14,00,000	1053,96,00,000
28.	राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	1416,46,00,000	79,17,00,000
29.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	–	49,00,00,000
31.	व्यय विभाग	2,28,00,000	–
32.	पेंशनें	165,94,00,000	–
33.	लेखा परीक्षा	66,85,00,000	–
34.	राजस्व विभाग	52,44,00,000	89,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	66,66,00,000	28,25,00,000
36.	अप्रत्यक्ष कर	100,80,00,000	35,95,00,000
	खाद्य मंत्रालय		
37.	खाद्य मंत्रालय	903,71,00,000	27,69,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	6,85,00,000	1,50,00,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
39.	स्वास्थ्य विभाग	181,84,00,000	61,23,00,000
40.	परिवार कल्याण	315,89,00,000	3,00,000
	विभाग गृह मंत्रालय		
41.	गृह मंत्रालय	47,38,00,000	2,70,00,000
42.	मंत्रिमंडल	8,44,00,000	–
43.	पुलिस	498,98,00,000	69,08,00,000
44.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	62,24,00,000	32,74,00,000
45.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	39,15,00,000	41,56,00,000

मांग की संख्या	मांग का नाम	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
46.	शिक्षा विभाग	450,42,00,000	9,00,000
47.	युवा कार्य और खेल विभाग	21,78,00,000	34,00,000
48.	संस्कृति विभाग	32,62,00,000	–
49.	महिला और बाल विकास विभाग	129,15,00,000	–
	उद्योग मंत्रालय		
50.	औद्योगिक विकास विभाग	130,43,00,000	23,00,000
51.	भारी उद्योग विभाग	3,33,00,000	39,92,00,000
52.	सरकारी उद्यम विभाग	27,00,000	–
53.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	109,17,00,000	50,89,00,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
54.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	22,31,00,000	3,14,00,000
55.	प्रसारण सेवाएं	215,50,00,000	50,36,00,000
	श्रम मंत्रालय		
56.	श्रम मंत्रालय	94,63,00,000	18,00,000
	विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय		
57.	विधि और न्याय	58,60,000	–
58.	चुनाव आयोग	55,00,000	–
60.	कम्पनी कार्य विभाग	2,73,00,000	1,00,000
	खान मंत्रालय		
61.	खान मंत्रालय	28,09,00,000	4,83,00,000
	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
62.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	37,39,00,000	4,01,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
63.	संसदीय कार्य मंत्रालय	29,00,000	–
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
64.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	13,46,00,000	33,00,000
	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
65.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	46,00,000	71,00,000

मांग की संख्या	मांग का नाम	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
66.	योजना	18,98,00,000	4,23,00,000
67.	सांख्यिकी विभाग	11,49,00,000	96,00,000
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	131,84,00,000	–
	विद्युत मंत्रालय		
69.	विद्युत मंत्रालय	95,87,00,000	469,31,00,000
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
70.	ग्रामीण विकास विभाग	2286,36,00,000	–
71.	परती भूमि विकास विभाग	17,80,00,000	–
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
72.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	64,31,00,000	6,00,00,000
73.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	67,01,00,000	1,50,00,000
74.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	16,09,00,000	–
	इस्पात मंत्रालय		
75.	इस्पात विभाग	81,00,000	48,26,00,000
	भूतल परिवहन मंत्रालय		
76.	भूतल परिवहन	6,36,00,000	8,10,00,000
77.	सड़कें	93,85,00,000	157,45,00,000
78.	पतन दीपस्तम्भ और नौवहन	30,12,00,000	45,38,00,000
	वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
79.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	91,54,00,000	4,51,00,000
	शहरी विकास मंत्रालय		
80.	शहरी विकास और आवास	85,77,00,000	32,93,00,000
81.	लोक निर्माण कार्य	60,46,00,000	32,52,00,000
82.	लेखन सामग्री और मुद्रण	23,51,00,000	92,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
83.	जल संसाधन मंत्रालय	61,67,00,000	4,56,00,000
	कल्याण मंत्रालय		
84.	कल्याण मंत्रालय	162,40,00,000	30,78,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
85.	परमाणु ऊर्जा	98,56,00,000	111,12,00,000
86.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	86,00,00,000	50,00,00,000

मांग की संख्या	मांग का नाम	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
87.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	26,44,00,000	3,59,00,000
	महासागर विकास विभाग		
88.	महासागर विकास विभाग	9,45,00,000	1,54,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग		
89.	अन्तरिक्ष विभाग	138,75,00,000	14,02,00,000
	संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
90.	लोक सभा	8,13,00,000	-
91.	राज्य सभा	4,16,00,000	-
93.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	6,00,000	-
	विधानमण्डल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
95.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49,43,00,000	29,41,00,000
96.	दादरा और नगर हवेली	10,75,00,000	3,33,00,000
97.	लक्षद्वीप	19,05,00,000	2,66,00,000
98.	चंडीगढ़	56,54,00,000	11,03,00,000
99.	दमन और दीव	9,45,00,000	2,48,00,000
	जोड़ (राजस्व/पूंजी)	17886,02,00,000	5442,30,00,000

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

> "कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से दी जायें।"

मांग संख्या 1 से 7, 9, 11 से 15, 17 से 25, 27, 29, 32 से 34, 36, 38 से 47, 50 से 56, 58 ,60, 63 से 65, 67 से 69, 71,72, 75 से 80, 82, 83, 88 से 90, 92, 94 से 98

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा की स्वीकृति के लिए वर्ष 1995-96 की अनुदानों की पूरक मांगें सामान्य

मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांगों की राशि राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3
1. कृषि	264,51,00,000	-
2. कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	3,12,00,000	73,90,00,000
3. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	18,63,00,000	-
4. पशु पालन और डेयरी विभाग	23,68,00,000	-
5. रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	1,00,000	7,81,00,000
पेट्रो-रसायन विभाग		
6. उर्वरक विभाग	75,00,00,000	-
7. नागर विमानन विभाग	69,90,00,000	-
9. नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	25,20,00,000	-
11. वाणिज्य विभाग	252,19,00,000	-
12. पूर्ति विभाग	78,00,000	-
13. दूरसंचार मंत्रालय	341,00,000	-
14. डाक सेवाएं	120,98,00,000	18,02,00,000
15. दूरसंचार सेवाएं	1,00,000	199,99,00,000
17. रक्षा पेशनें	14,84,00,000	-
18. रक्षा सेवाएं थल सेना	256,98,00,000	-
19. रक्षा सेवाए-नौ सेना	77,87,00,000	-
20. रक्षा सेवाए-वायु सेना	205,15,00,000	-
21. रक्षा आयुध निर्माणिया	35,84,00,000	-
22. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	102,11,00,000	-
23. पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,00,000	-
24. विदेश मंत्रालय	80,74,00,000	1,16,00,000
25. आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	12,86,00,000
27. वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	255,08,00,000	1075,60,00,000
29. राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	871,90,00,000	94,00,00,000
32. व्यय विभाग	-	1,82,00,000
33. पेंशनें	24,66,00,000	-
34. लेखा परीक्षा	7,73,00,000	-

1		2	3
36.	प्रत्यक्ष कर	33,00,00,000	45,00,00,000
38.	खाद्य मंत्रालय	1100,28,00,000	–
39.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	–	1,00,000
40.	स्वास्थ्य विभाग	185,88,00,000	2100,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	222,76,00,000	214,00,000
42.	गृह मंत्रालय	13,35,00,000	–
43.	मंत्रिमंडल	10,04,00,000	–
44.	पुलिस	60,99,00,000	3,00,000
45.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	–	20,94,00,000
46.	अन्य क्षेत्रों की सरकारों का अन्तरण	5,00,00,000	–
47.	शिक्षा विभाग	173,25,00,000	–
50.	महिला और बाल विकास विभाग	57,00,000	–
51.	औद्योगिक विकास विभाग	3,00,000	–
52.	भारी उद्योग विभाग	1,00,000	60,11,00,000
53.	सरकारी उद्यम विभाग	25,00,000	–
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	1,00,000	–
55.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	6,50,00,000	1,00,000
56.	प्रसारण सेवाए	32,92,00,000	–
58.	विधि और न्यास	1,39,00,000	–
60.	खान मंत्रालय	1,58,00,000	–
63.	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2,11,00,000	–
64.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	–	552,08,00,000
65.	योजना	–	9,00,00,000
67.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	22,00,000	–
68.	विद्युत मंत्रालय	–	2,00,000
69.	ग्रामीण विकास विभाग	200,01,00,000	–
71.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	12,26,00,000	–
72.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	16,17,00,000	267,00,000
75.	भूतल परिवहन	57,00,000	4,00,00,000
76.	सड़कें	174,84,00,000	69,00,00,000
77.	पतन, दीपस्तम्भ और नौवहन	77,74,00,000	3,00,00,000
78.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	–	106,50,00,000
79.	शहरी विकास और आवास	25,60,00,000	21,01,00,000
80.	लोक निर्माण कार्य	47,38,00,000	26,71,00,000
82.	जल संसाधन मंत्रालय	–	6,89,00,000
83.	कल्याण मंत्रालय	4,90,00,000	23,77,00,000
88.	अन्तरिक्ष मंत्रालय	20,00,00,000	–
89.	लोक सभा	6,08,00,000	–
90.	राज्य सभा	3,83,00,000	–
92.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	2,00,000	–
94.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,00,00,000	1,00,000
95.	दादरा और नगर हवेली	50,00,000	2,01,00,000
96.	लक्षद्वीप	2,56,00,000	1,07,00,000
97.	चंडीगढ़	14,22,00,000	–
98.	दमन और दीव	30,00,000	3,09,00,000
	जोड़	5162,35,00,000	2567,54,00,000

12.13 म.प.

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995**

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य हाथ में लेंगे। अब विनियोग विधेयक पेश किया जायेगा।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपलब्ध होने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : पहले इसे पुरःस्थापित हो जाने दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की तरफ से कोई आवजेक्शन नहीं होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज आप बहुत सुन्दर सहयोग कर रहे है प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय

** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 2 दिनांक 30.3.95 में प्रकाशित

राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति है।

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं ** :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

" कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपलब्ध होने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैंने एप्रोप्रिएशन बिल पर वोट ऑन अकाउंट के संबंध में दो बातों के बारे में नोटिस दिया है, इस बारे में मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। पहली जो डिमांड 35 है इसमें वित्त मंत्री जी जरा ध्यान दें, मैंने उनको नोटिस भी दिया है। इसमें एक नये आइटम पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है।

[अनुवाद]

यह खाने की कुछ नई वस्तुएं हैं जिन्हें कुछ स्थानों पर छूट दी गई है।

[हिन्दी]

अब इसमें कौन सा एग्जम्प्ट किया है? इसमें लिखा गया है कि नमकीन, जिसमें भुजिया और चबेन का एग्जम्प्ट किया है। अब नमकीन का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है और यह अंग्रेजी शब्द नहीं होने के कारण हिन्दुस्तान में जितने बड़े पैमाने पर मिठाइयां बनाने वाले हैं, वे चूड़ा बनाते हैं क्योंकि मराठी में चूड़ा, गाठिया बोलते हैं। अब जो इस प्रकार की चीजें बनाते हैं उन सब पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि नमकीन का अंग्रेजी शब्द न होने के कारण हमारे यहां महाराष्ट्र में गाठिया, समोसा बनाने वाले तथा जितने भी इस प्रकार के मिठाइयां बनाने वाले हैं उन सबको नोटिस दिया गया है कि इन चीजों पर 20 परसैंट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर ऐसा होगा तो सारी जगहों पर गड़बड़ी होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो नमकीन चीजें हिन्दुस्तान में बनती हैं जैसे चकली है और भी इस तरह की चीजें हैं जो अलग-अलग नाम से पुकारी जाती हैं उन सब पर एक्साइज ड्यूटी लग गई है। इस प्रकार से नोटिस दिया गया है और इस व्यवसाय में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। इसलिए मैं इस बारे में वित्त मंत्री जी से खुलासा चाहता हूं कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वे एग्जम्प्ट होनी चाहिए। ऐसे मिठाई वालों को कोई नोटिस नहीं देना चाहिए। इस समय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं है लेकिन स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर यहां बैठे हैं वह इस बारे में उत्तर दें, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं उत्तर बाद में देंगे।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, हमारा विचार रसगुल्ला, समोसा, गुलाब जामुन और इस प्रकार की अन्य वस्तुओं जैसी मिठाईयों पर शुल्क लगाने का नहीं है। मैं इस मामले में जांच कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.20 म.प.

विनियोग विधेयक, 1995**

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में

* राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुरःस्थापित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश के समय प्रस्तुत किया गया।

** भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2, दिनांक 30.3.1995 में प्रकाशित ।

से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं * :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री मनमोहन सिंह : में प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.22 म.प.

लेखानुदानों की मांगें (रेल), 1995-96 और अनुदानों की अनुपूरक तथा मांगे (रेल), 1994-95

अध्यक्ष महोदय : अब सदन पुनरक्षित कार्यसूची की मद संख्या 36 तथा 37, अर्थात लेखानुदानों की मांगे (रेल) तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर एक साथ विचार करेगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1-14 और 16 के सामने दिखाए गये मांगें शीर्षो के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिये था, के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाये"।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 की अनुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	लेखा अनुदान की मांग की राशि सदन द्वारा स्वीकृत
1.	रेलवे बोर्ड	3,19,33,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	18,46,69,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	122,34,86,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	256,64,36,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	190,27,72,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	273,19,17,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	134,59,16,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	221,72,35,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	951,66,83,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	607,20,90,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	98,42,87,000
12.	विविध संचालन व्यय	122,84,60,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	330,17,23,000
14.	निधियों में विनियोग	1005,83,33,000
15.	परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	7,50,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	213,28,41,000
	रेलवे निधियां	1828,42,52,000

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनाधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

मांग संख्या 1,2,8,13,15, और 16

(व्यवधान)

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 1995-96 अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की पूरक मांग की राशि
1.	रेलवे बोर्ड	1,15,00,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	1,54,00,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	29,08,55,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	50,11,50,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों की अदायगी और अति-पंजीकरण का परिशोधन	8,00,00,000
16.	परिसम्पत्तियां- खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय पूंजी	119,02,81,000

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या अप्रैल, 1995 से उपनगरीय रेल गाड़ियों के यात्रियों के लिये किरायों में कोई वृद्धि होगी अथवा नहीं। हमने एक कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं भी यही बात उठाना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल लेखानुदानों की मांगें (रेल) तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर मतदान है। आपको इस पर चर्चा के लिये पर्याप्त अवसर मिलेगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री महोदय, चर्चा सुनने के बाद निर्णय करें।

श्री बसुदेव आचार्य : वह इससे सहमत नहीं हैं। हमने उपनगरीय यात्री गाड़ियों के लिये किरायों में वृद्धि के विरूद्ध एक कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : लेखानुदानों पर मतदान जारी आ रही परियोजनाओं के बारे में आगे है। इस पर कार्रवाई की सीमा बहुत सीमित है। जहां तक अनुपूरक अनुदानों का संबंध है आपको केवल जिस गतिविधि का उल्लेख किया जा रहा है उससे संबंधित राशि पर ही चर्चा करनी है।

श्री राम नाईक : हम विनियोग विधेयक पर बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : विनियोग पर नहीं। हम आपको रेलवे पर बोलने के लिये पर्याप्त समय देंगे।

श्री राम नाईक : महोदय, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि रेल मंत्री ने उपनगरीय यात्रियों के सीजन टिकटों में पिछले तीन सालों में 109 प्रतिशत वृद्धि की है। यदि इस अवस्था पर इसी बात का उल्लेख नहीं कर सकते हैं तो हमें अब बोलने का अवसर मिलेगा?

श्री बसुदेव आचार्य : हमने इस पर कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके ही बोलें।

श्री राम नाईक : हम रेल मंत्री से यह उत्तर सुनना चाहते हैं कि कम से कम एक महीना किरायों में वृद्धि नहीं की जायेगी। मैं विशेष रूप से उपनगरीय रेलवे का उल्लेख इस कारण कर रहा हूं चूंकि मुम्बई तथा कलकत्ता के सभी संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को भी यह अभ्यावेदन दिया है कि इसमें वृद्धि नहीं होनी चाहिये। इसलिये इस वृद्धि से भी यह बहुत ही जरूरी है कि उपनगरीय यात्रियों पर किसी भावी बढ़ौत्तरी का असर नहीं होना चाहिये।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : इस सदन में चर्चा किये बिना किराये किस तरह से बढ़ाये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह समझते हैं कि लेखानुदान पर मतदान के समय आप ऐसा कर सकेंगे।

श्री अनिल बसु : किरायों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हमें उत्तर मिल जायेगा।

श्री अनिल बसु : हमें इसका विरोध करना है। हमने इस पर कटौती प्रस्ताव रखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें उत्तर मिलेगा। श्री दिघे मैं एक बात जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : बाद में इस पर चर्चा से क्या लाभ? उनको यह आश्वासन देना चाहिये कि जब तक बजट पर चर्चा न हो जाये इसे लागू नहीं किया जायेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ममता जी कृपया संक्षेप में बोलें।

कुमारी ममता बनर्जी : जी, मैं संक्षेप में ही बोलूंगी। हमारे सामने कोई टिक्कत नहीं है क्योंकि सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। परन्तु समस्या यह है कि यह आम जनता की समस्या है, विशेष रूप से आम यात्रियों की बात है जो प्रतिदिन यात्रा करते हैं, चाहे वे बम्बई, कलकत्ता अथवा मद्रास के हों। अतः मैं अनुरोध करती हूं कि मंत्री महोदय पहली अप्रैल से किराए न बढ़ायें। चर्चा के बाद, निर्णय लेने के बाद और सभी माननीय सदस्यों को विश्वास में लेने के बाद मंत्री महोदय निर्णय कर सकते हैं। परंतु यदि मासिक सीजन टिकट की

कीमत में वृद्धि की गई तो इसका जनता पर असर पड़ेगा क्योंकि उनके वेतन में वृद्धि नहीं हो रही है। यदि आप हर बार इसमें वृद्धि करेंगे तो इससे समस्या पैदा हो जायेगी। अतः इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिये।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अनुरोध करता हूं कि अनुदानों की मांगों तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगे जो अब पेश की जा रही हैं, नए कर अथवा किरायों में वृद्धि नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम जो कुछ सदन के सामने रख रहे हैं उसमें यह मुद्दा नहीं आता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। यह क्या है? बिना समझे आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह सुझाव दे रहा था कि जब विनियोग का प्रश्न सदन के सामने आए, इन सब मसलों पर उस समय चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : परतु एक बात है। सदस्यों को आशंका है कि आम बजट को पारित किए बिना आप रेल किरायों में वृद्धि कर देंगे। क्या ऐसा किया जा रहा है और यदि ऐसा किया जा रहा है तो आज आपका विचार क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब व्यवधान न डालें।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : हम खर्चे के लिये संसद के समक्ष आते हैं। जहां तक संसाधन जुटाने का प्रश्न है। यह विशेष लेखा मतदान तथा अनुपूरक अनुदानों के बारे में किराये अथवा भाव बढ़ाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो अगले बजट में होगा। सदन को अवसर मिलेगा ...

अध्यक्ष महोदय : बजट पारित हो जाने के बाद आप ऐसा करेंगे। ठीक है यह ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, अब कोई प्रश्न नहीं है। आपको इस बारे में खुशी होनी चाहिये। आपको उनको धन्यवाद देना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो इसमें आपको नुकसान पहुंचेगा। मैं अब वर्ष 1995-96 के लिए सभी लेखा अनुदानों की मांगें संयुक्त रूप से सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह हैं :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1-14 और 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिये था, के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनीध राशियां भारत को संचित निधि में से लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं वर्ष 1994-95 के लिये अनुदानों को अनुपूरक मांगें (रेल) सदन के मतदान के समय प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1,2,8,13,15 और 16 के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.32 म.प.

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1995**

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्षजी, मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सबर्बन रेलवे हाइली सब्सिडाइज्ड है। आपने जो आंकड़े दिये हैं उसके आधार पर 1993-94 में मुम्बई सबर्बन सर्विसेज को 53.55 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। इस बात का खयाल रखते हुए आपने किराया बढ़ाया है, वह अलग बात है, लेकिन हमारी जो मांग है वह यह है कि मुम्बई में एक आटोनोमस कार्पोरेशन सबर्बन सर्विसेज के लिए होना चाहिए। इसके बारे में आपको फैसला करना चाहिए।

** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 2, दिनांक 30 मार्च, 1995 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उन्हें इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया बतानी चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : जैसा कि सदन जानता है कि रेलवे ने भाड़ा दर समानीकरण की मंजूरी दी थी। इस्पात बनाने वाले एककों के आसपास के इलाके से इस्पात की आवाजाही के लिए वास्तविक भाड़ा लिया जाता है, परंतु दूर स्थिति इलाकों से पुरानी दरों पर ही किराया लिया जा रहा है और उत्पादन लागत तथा रेल भाड़े के आधार पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि पूर्वी क्षेत्र को मिलने वाले लाभ पर इस भाड़ा समानीकरण के कारण असर पड़ना जारी है।

क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि पूर्वी क्षेत्र के साथ किया जा रहा इस तरह का भेदभाव आने वाले वर्गों में नहीं रहने दिया जायेगा?

श्री शरद दिघे (बम्बई-उत्तर मध्य) : जहां तक बम्बई में सीजन टिकटों के मूल्य बढ़ाने का प्रश्न है रेलवे को इस बारे में दो तर्क हैं। पहला तर्क यह है कि उपनगरीय रेलवे घाटे में चल रही है। परंतु आंकड़ों से यह पता चलता है कि जहां तक बम्बई उपनगरीय रेल का संबंध है यह बिल्कुल घाटे पर नहीं चल रही है। यह हमेशा लाभ पर चलती रही है, जहां तक बम्बई उपनगरीय रेलवे का संबंध है हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की प्रवृत्ति रही है।

दूसरा प्रश्न सबसिडी देने के बारे में है। उनका कहना है कि उपनगरीय रेलों के किराये पर बहुत अधीक सबिसिडी दी जाती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सभी विकासशील देशों में, जहां तक महानगरों का संबंध है, उनके लिये हमेशा भारी सबसिडी दी जाती है। मैं रेलवे की स्थायी समिति के पांचवे प्रतिवेदन का उदाहरण देकर सभी कुछ बता सकता हूं। प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 पर यह बताया गया है कि ब्रिटिश रेलवे 22.4 प्रतिशत, स्विस फेडरल रेलवे 37.5 प्रतिशत, जर्मन रेलवे 51.2 प्रतिशत तथा फ्रांस द्वारा 42.3 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है। अतः हमेशा यह कहते रहने में कोई तुक नहीं रहता कि उपनगरीय रेलों के लिये भारी सबसिडी दी जा रही है। उनको कुछ हद तक तो किरायों पर सबसिडी देनी जरूरी होती है। विश्व भर में यह होता है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, श्री शरद दिघे ने सबसिडी का जो प्रश्न उठाया है, मैं उससे शुरू करता हूं। इस बात को स्वीकार किया जाये अथवा नहीं किया जाये। वास्तविकता यह है कि सारी उपनगरीय प्रणाली के लिये भारी सबसिडी दी जाती है। बम्बई में दो रेलवे हैं। यदि एक में कुछ लाभ होता है तो दूसरी में हानि होती है।

श्री शरद दिघे : जी, नहीं। हर साल घाटे में कमी आ रही है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मेरे मित्र ने विभिन्न विकसित देशों के साथ तुलना की है। वहां पर सामाजिक लागत को सरकार वहन करती है। इस बात को भी उनको समझना चाहिये।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ भेदभाव करने की बात का भी उल्लेख किया गया है। महोदय, मेरे विचार से मुझे ऐसा कुछ नहीं है। यदि इस बारे में कोई बात है तो उसकी जांच करेंगे और चर्चा के सामने सब बातें आपके सामने रखेंगे।

जहां तक श्री राम नाईक द्वारा उठाये गये मुद्दे की बात है मैं यह कहूंगा कि हम विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं। हमें बम्बई उपनगरीय यातायात की परेशानियों की जानकारी है। हमने बजट पेश किया है, जिस पर बाद में चर्चा होनी है और इस बीच स्थायी समिति भी इस पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें पेश करेगी। इन्हे मिलने पर हम उन पर विचार करेंगे। यह केवल लेखानुदान पर मतदान तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में है। मैं नहीं समझता कि मैं इस अवसर पर बारे में अधिक कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थायी समिति के सर्वसम्मत प्रस्ताव को नहीं मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे नहीं लेते हैं लेकिन उस पर डिस्कशन के लिये वक्त दे देंगे।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है :

> "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकलने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकलने का उपलब्ध कराने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

> "खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अगे बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुनःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, विनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अगं बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, विनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये"।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.38 म.प.

विनियोग (रेल) विधेयक, 1995**

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और निनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुरः स्थापित

** दिनांक 30.3.1995 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खंड2, में प्रकाशित।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्रधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्रधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव-स्वीकृत हुआ।

12.42म.प.

जम्मू-कश्मीर बजट, 1995-96 सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगे (जम्मू-कश्मीर), 1995-96 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें-जम्मू कश्मीर, 1994-95

अध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में दो मदों का उल्लेख है। एक जम्मू-कश्मीर से संबंधित है और दूसरा बिहार से संबंधित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, अब हमारे पास पर्याप्त समय है। अब तक हमने काफी तेजी से काम किया है। बिहार के बजट के लिये कुछ समय नियत किया जाना चाहिये ताकि माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा ले सकें।

अध्यक्ष महोदय : हम अनुमति देंगे। यदि आप सहमत हैं तो हम अब जम्मू-कश्मीर बजट, लेखा अनुदान तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर) पर सामान्य चर्चा करेंगे। जम्मू-कश्मीर का बजट पारित करते समय, यदि आपकी सहमति हों तो हम पूरी चर्चा कर सकते हैं।

बिहार बजट पर भी हम लेखानुदान पर कुछ चर्चा करेंगे और अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर हम थोड़ी सी सामान्य चर्चा करेंगे तथा बिहार का सामान्य बजट पारित करते समय, यदि आप सहमत हों, तो पूरी चर्चा करेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, बिहार के बजट को आज न लें।

अध्यक्ष महोदय : हमें तो इसे आज ही लेना है।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय मेरा एक अनुरोध है। यह विधेयक विचारार्थ राज्य सभा को प्रेषित किये जाने हैं। महोदय यह अच्छा होगा कि यदि आप चर्चा के लिये समय सीमा तय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हम जम्मू-कश्मीर का बजट पारित कर रहे हैं। अब केवल बिहार का बजट शेष है। मेरा विचार है कि संसद सदस्य निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और देखेंगे कि विधेयक 5.30 बजे तक पारित कर दिया जाये ताकि यह राज्य सभा को भेजा जा सके।

अब मैं वर्ष 1995-96 के लिये अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर) 1995-96 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1996 के समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिये, या के संबंध में कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान की मांगें (जम्मू और कश्मीर)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
		राजस्व (रु.)	पूंजी (रु.)
1	2	3	4
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	10,60,70,000	4,55,20,000
2.	गृह विभाग	120,50,62,000	2,83,91,000
3.	योजना और विकास विभाग	1,89,91,000	85,83,000
4.	सूचना विभाग	2,24,57,000	28,11,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	54,11,81,000	29,48,93,000
6.	विद्युत विकास विभाग	218,41,23,000	145,82,37,000
7.	शिक्षा विभाग	167,02,61,000	8,18,78,000
8.	वित्त विभाग	90,87,45,000	92,50,000
9.	संसदीय कार्य विभाग	83,70,000	-
10.	विधि विभाग	4,96,99,000	-
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	19,81,85,000	30,06,09,000
12.	कृषि विभाग	39,98,22,000	32,03,88,000
13.	पशु पालन विभाग	22,32,83,000	5,59,36,000
14.	राजस्व विभाग	39,26,17,000	1,02,25,000

1	2	3	4
15.	खाद्य पूर्ति और परिवहन विभाग	21,57,94,000	276,90,14,000
16.	लोक निर्माण कार्य विभाग	63,03,08,000	34,21,93,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	74,06,42,000	13,39,45,000
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	13,95,75,000	2,14,80,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	13,28,69,000	31,20,98,000
20.	पर्यटन विभाग	5,07,84,000	6,56,22,000
21.	वन विभाग	22,96,45,000	13,10,51,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	30,47,49,000	19,87,44,000
23.	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल-आपूर्ति	37,66,50,000	23,62,22,000
24.	सम्पदा, आतिथ्य और नयाचार, बाग और उद्यान विभाग	6,85,60,000	1,36,50,000
25.	श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग	5,35,16,000	8,82,75,000
26.	मत्स्य पालन विभाग	2,11,67,000	1,14,28,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	25,53,08,000	6,34,87,000

अध्यक्ष महोदय : अत मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों 1994-95 के लिए (जम्मू और कश्मीर) सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांगों 1 से 7, 9, से 14, और 17 से 27 के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशिया जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1994-95 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू और कश्मीर)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान संबंधी मांगों की राशि	
		राजस्व (रु.)	पूंजी (रु.)
1	2	3	4
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	6,01,04,000	6,88,06,000
2.	गृह विभाग	13,76,56,000	–
3.	योजना और विकास विभाग	23,04,37,000	–
4.	सूचना विभाग	13,88,000	10,45,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	3,77,10,000	–
6.	ऊर्जा विकास विभाग	57,79,40,000	–
7.	शिक्षा विभाग	25,63,63,000	–
9.	संसदीय कार्य विभाग	8,23,000	–
10.	विधि विभाग	1,33,60,000	–
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	5,21,47,000	–
12.	कृषि विभाग	30,46,09,000	4,19,26,000
13.	पशु पालन विभाग	5,41,32,000	83,79,000

1	2	3	4
14.	राजस्व विभाग	4,08,25,000	3,32,62,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	30,90,88,000	2,90,25,000
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	25,06,71,000	-
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	3,63,12,000	8,05,55,000
20.	पर्यटन विभाग	5,23,69,000	-
21.	वन विभाग	11,66,61,000	7,76,53,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	7,09,55,000	-
23.	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल-आपूर्ति विभाग	4,95,02,000	11,52,55,000
24.	सम्पदा, आतिथ्य और नयाचार तथा बाग और उद्यान विभाग	1,75,36,000	-
25.	श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग	1,24,60,000	-
26.	मत्स्य पालन विभाग	72,87,000	51,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	1,56,42,000	4,18,41,000

12.45 म.प.

जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :*

मैं प्रस्ताव करता हूं : *

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

** दिनांक 30.3.1995 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.48 म.प.

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1995**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.51 म.प.

बिहार बजट, 1995-96 सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (बिहार), 1995-96 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार)—1994-95

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 49,50 तथा 51 को एक साथ लेंगे ताकि एक ही चर्चा में हम सब पर विचार कर सकें क्योंकि मुद्दे एक ही हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1,3 से 15,17,19 से 47 के संबंध में 31 मार्च, 1996 के समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियां से अनधिक राशियों बिहार राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

** दिनांक 30.3.1995 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 के लिये लेखा अनुदानों की मांगें (बिहार)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान संबंधी मांगों की राशि	
		राजस्व (रुपये)	पूंजी (रुपये)
1	2	3	4
1.	राज्य विधान मंडल	7,80,03,600	-
2.	राज्यपाल एवं लोक-सेवा आयोग	-	-
3.	मंत्रिपरिषद, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन	1,38,15,00,600	-
4.	न्याय प्रशासन एवं अन्य सामाजिक सेवाएं	21,04,72,933	30,34,367
5.	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण	49,93,14,000	-
6.	दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत	16,34,66,600	-
7.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6,79,12,100	37,00,000
8.	राज्य उत्पाद शुल्क	4,55,02,000	
9.	बिक्री-कर	6,86,12,800	
10.	राजकोष और लेखा प्रशासन	4,29,64,600	-
11.	मुद्रण	4,77,41,000	-
12.	पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	1,22,14,39,600	-
13.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	-	4,10,00,000
14.	वाहनों पर कर	1,25,27,600	-
15.	सड़क परिवहन	8,25,33,333	3,08,66,667
16.	अन्तर्देशीय जल परिवहन	-	-
17.	अन्य परिवहन सेवाएं	3,44,267	1,93,33,333
18.	ब्याज, अदायगियां और लोक ऋण	-	-
19.	पुलिस और अन्य प्रशासनिक	1,96,88,46,300	-
20.	जेल	11,29,12,000	-
21.	भवन निर्माण	19,08,87,267	4,66,16,333
22.	नागर-विमानन	34,49,000	-
23.	सड़कें और पुल	40,09,32,667	27,92,33,333
24.	आवास	15,40,000	9,00,60,000
25.	शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं तथा कला और संस्कृति	6,23,53,82,833	8,28,81,667
26.	चिकित्सा एवं लोक-स्वास्थ्य	1,46,51,72,633	6,06,66,667
27.	परिवार कल्याण	48,51,86,300	-
28.	जलापूर्ति और सफाई	35,39,82,667	46,49,83,333
29.	शहरी विकास	12,90,57,300	8,43,20,000
30.	सूचना और प्रचार	2,39,59,300	-
31.	पर्यटन	1,23,99,667	1,08,99,933
32.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,40,84,81,267	77,33,333
33.	पोषाहार	10,09,33,300	
34.	श्रम और रोजगार	18,19,63,600	-
35.	कृषि	72,67,75,333	81,66,667

1	2	3	4
36.	भू और जल संरक्षण	82,97,57,600	8,56,42,000
37.	पशुपालन	26,89,13,300	–
38.	डेयरी विकास	3,23,24,300	15,00,000
39.	मीन उद्योग	4,45,85,833	1,66,667
40.	वानिकी, वन्य जीवन और बागान	30,66,86,600	–
41.	खाद्य भंडारण, भंडागारण और नागरिक पूर्ति	7,41,37,000	–
42.	सहकारिता	18,38,05,667	13,35,52,933
43.	ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार	1,40,25,21,600	46,93,00,000
44.	वृहद् और मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, कमान क्षेत्र का विकास और बाढ़-नियंत्रण	39,11,29,967	1,21,26,33,333
45.	विद्युत	46,13,33,367	1,16,75,33,333
46.	उद्योग, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	20,05,17,500	16,68,53,300
47.	खानें और खनिजें	4,69,82,300	–

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1, 3 से 11, 13, 19 से 21, 23, 25 से 30, 32, 34 से 377, 40, 42, 43, 45, और 46 के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में सदांय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां बिहार सरकार की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये"।

लोक सभा की स्वीकृति की लिए प्रस्तुत वर्ष 1994-95 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान संबंधी मांगों की राशि	
		राजस्व (रु.)	पूंजी (रु.)
1	2	3	4
1.	राज्य विधान मंडल	3,09,98,000	–
3.	मंत्रिपरिषद, निर्वाचन, सचिवालय सामान्य सेवाएं आर्थिक सेवाएं जिला प्रशासन	60,30,70,058	–
4.	न्याय प्रशासन एवं अन्य सामाजिक सेवाएं	56,79,726	–
5.	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण	17,61,026	–
6.	दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत	7,28,899	–
7.	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1,10,000	–
8.	राज्य उत्पाद शुल्क	13,00,000	–
9.	बिक्री-कर	1,30,000	–
10.	राज्य कोष और लेखा प्रशासन	50,865	–
11.	लेखन सामग्री और मुद्रण	85,00,000	–
13.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	40,70,000	–
19.	पुलिस और अन्य प्रशासनिक सेवाएं	28,64,69,624	–
20.	जेल	5,07,07,500	–
21.	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	–	4,73,775
22.	सड़कें और पुल, सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	1,30,575	3,46,31,050

1	2	3	4
25.	सामान्य शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति, शिक्षा, खेल कला और संस्कृति के लिये उधार	78,59,72,640	7,46,180
26.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	4,27,95,904	–
27.	परिवार कल्याण	1,18,47,000	–
28.	जलापूर्ति और सफाई, जलापूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	30,000	3,47,42,000
29.	शहरी विकास, शहरी विकास के लिये उधार	10,19,25,942	5,11,57,082
30.	सूचना और प्रचार	1,27,43,551	–
32.	अनु. जातियों, ज.जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण अनु.जा.,जन. जा.और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6,86,66,458	15,00,00,000
34.	श्रम और रोजगार	7,47,625	–
35.	कृषि कार्य, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि कार्यों के लिए ऋण	19,13,59,896	14,55,00,000
36.	लघु सिंचाई	2,16,000	–
37.	पशुपालन	1,07,000	–
40.	वानिकी और वन्य जीवन	56,38,437	–
41.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, सहकारिता के लिये उधार	–	3,29,39,000
42.	ग्रामीण रोजगार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,10,85,90,000	–
43.	ऊर्जा	4,30,90,00,000	–
44.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार, उपभोक्ता उद्योगों के लिए उधार	4,41,16,000	8,13,00,000

[हिन्दी]

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : अध्यक्ष जी, जहां तक बिहार राज्य के बजट का सम्बन्ध है, उसके डाक्यूमेंट्स हमारे पास आज ही आये है जिन्हें इतने कम समय में अच्छी तरह देखना संभव नहीं था लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जिन परिस्थितियों में वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मार्च के प्रथम सप्ताह में बिहार में चुनावों का काम पूरा किया जा सकता था परन्तु हमारे चीफ इलैक्शन कमिश्नर के आदेशों पर बार-बार इलैक्शनों की तारीखें चेंज की गयीं और इस तरह बिहार का तथा बिहार की आम जनता का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं यहां केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे देश में जितने आतंकवाद से ग्रस्त राज्य हैं, जिनमें कश्मीर और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के कुछ राज्य भी शामिल हैं, उनमें आज जिस तरह से आतंकवाद का दुष्प्रभाव साधारण लोगों पर पड़ रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं, हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिये। मैं यहां बिहार के कुछ क्षेत्रों में जबर्दस्त फैले आतंकवाद के सवाल पर नया रूप धारण करने पर जोर नहीं दे रहा हूं लेकिन आपके जरिये केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिहार में जनतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर चुनी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं था, क्या वह सरकार वहां बनी नहीं रह सकती थी, क्या ऐसी परिस्थितियां वहां नहीं थीं कि बिहार में विधान सभा के चुनाव निश्चित समय पर कराये जा सकें। लेकिन ऐसा काम नहीं किया गया।

मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अनेक पिछड़े लोगों को, जिनमें ज्यादातर गरीब हैं, अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है। उन लोगों को मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव से बहुत उम्मीदें हैं कि वे ही उन्हें न्याय दिला सकते हैं और यही कारण है कि उन्होंने मुख्य मंत्री के पक्ष में अपना मत दिया है लेकिन चीफ इलैक्शन कमिश्नर और केन्द्र की सरकार ने हर तरफ से कोशिश की कि वे फिर से बिहार में सरकार न बना सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार चीफ इलैक्शन कमिश्नर के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। उसने चीफ इलैक्शन कमिश्नर को अपनी मनमानी करने की इजाजत कैसे दे दी। बिहार के चुनावों के मामलों में अपने मन के मुताबिक काम करने की उन्हें कैसे खुली छूट दी गई। इसलिये मैं बिहार के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा अपनाये गये रूख का विरोध करता हूं।

बिहार में हुये चुनावों के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। जो नतीजे बिहार से मिल रहे हैं, उनसे पता चलता है कि लाख कोशिश करने के बावजूद, जनता दल वहां सबसे आगे बना हुआ है जब कि उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिये हर तरह से कोशिश की गयी। क्या केन्द्रीय सरकार ने कभी इस बात को सोचा है कि बिहार में जितनी

पिछड़ी जातियां हैं, उनकी भावनाओं के प्रतिकूल जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चुनावों को रोकने की कोशिश की गयी ताकि जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार फिर से सत्ता में न आ सके, क्या वहां आतंकवाद फिर से भड़क उठने की संभावना नहीं थी। वहां की जनता ने केन्द्रीय सरकार की सारी कोशिशों को नामंजूर कर दिया है।

जहां तक बिहार की पापूर कांस्टीटूएंसी का सवाल है, क्या यह सत्य नहीं है कि वहां बी एस एफ के जवानों को बूथ में दखल करके, जो राजनैतिक दल यहां केन्द्र में सत्तारूढ़ हैं, उसके पक्ष में मतदान करने के लिये नहीं कहा गया और क्या उन्होंने इस तरह चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दिया? क्या इस तरह बिहार के साथ मजाक नहीं किया गया? हमारे सुरक्षा बल निष्पक्ष चुनावों में सहायता के लिये भेजे जाते हैं और बिहार में भी भेजे गये लेकिन वहां बी एस एफ के जवानों ने बूथों पर दखल करके रिगिंग की, बूथों पर हमला किया और एक वर्ग विशेष, मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों को रोका गया, क्या इससे वहां साम्प्रदायिक भावनाएं भड़क उठने की संभावना नहीं बढ़ गयी थी।

मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि पूर्णिया लोक सभा चुनाव के लिये अचानक चीफ इलैक्शन कमिशनर ने जब 15 मार्च को चुनाव कराने का आदेश दिया था और जहां 1991 की वोटर लिस्ट के मुताबिक चुनाव होने थे लेकिन बाद में 1995 की वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने के लिये, एक तरफ विधान सभा के चुनाव, और दूसरी तरफ लोक सभा को चुनाव पुरानी लिस्ट के अनुसार करवा रहे हैं, यह कैसे हुआ, नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी है और हम सब स्थिति का जायजा ले रहे थे। फिर पांच दिन बाद चुनाव 20 तारीख के लिए नियत कर दिया। क्या यह जनतंत्र के साथ मजाक नहीं है? हम यह भी जानते हैं कि 65 प्रतिशत से कम मतदान होने का यही कारण है, क्योंकि वोटरों को पता ही नहीं चला कि किस दिन वोट डाले जाने हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं गया जिले के बारे में कहना चाहता हूं। हम यहां सदन में बैठकर महिलाओं पर अत्याचार रोकने की चर्चा करते रहते हैं और हमेशा इस मामले में सहानुभूति के साथ विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि यहां से जो चुनाव के लिए पुलिस भेजी गई, उसने गया जिले के आदिवासी महिलाओं और जनजातीय महिलाओं पर अत्याचार किए और जुल्म ढहाए। जो पुलिस शांतिपूर्ण चुनाव करने में सहायता के लिए केन्द्र ने भेजी उसने वहां जाकर ऐसे काम किए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और दोषी लोगों को दंडित किया जाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस बजट का विरोध करता, लेकिन एक सांवैधानिक संकट पैदा हो गया है और इसका समर्थन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं इसका समर्थन तो करता हूं, लेकिन साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर जल्दी से जल्दी चुनी हुई सरकार के हाथ में राज्य का काम सौंपे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि बिहार को केन्द्र सरकार बहुत समय से नैगलैक्ट कर रही है जिसके परिणामस्वरूप आज वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और बजट यहां पास करने पर मजबूर होना पड़ा है, यदि इसी प्रकार से बिहार राज्य की उपेक्षा बरती गई, तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकारिया आयोग द्वारा राज्य-केन्द्र संबंधों के अनुसार पुनः राज्य को दिए गए अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए और केन्द्र सरकार को ज्यादा आर्थिक अधिकार राज्यों को देने के साथ-साथ इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि राज्यों को और ज्यादा आर्थिक सुविधाएं किस प्रकार दी जा सकती हैं।

इन्ही शब्दों के साथ मैं, बिहार राज्य के बजट और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का, चूंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए सांवैधानिक संकट से राज्य को बचाने के लिए समर्थन करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्रीय सरकार द्वारा सदन में बिहार राज्य का जो बजट पेश किया गया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे तो गत दो दिनों से हम यहां पर बिहार के सम्बन्ध में ही चर्चा को सुन रहे थे और सदन की कार्यवाही में व्यवधान आ रहा था और अन्ततः सदन को कार्यवाही को चलने नहीं दिया गया।

बिहार में जो सांवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है, उसके कारण वहां का बजट यहां लाकर पास कराने की मजबूरी हो गई है। यह सांवैधानिक संकट, चुनाव का जो समय बढ़ाया गया, उसके कारण पैदा हुआ है।

1.00 म.प.

मुझे इस सदन में आने का कई बार मौका मिला। मैं यहां पर ग्यारह साल से हूं। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जब परिचय पत्र बनाने का सवाल उठा था तो हमने यहां उसका काफी विरोध सुना था। लगभग सभी पार्टी के सदस्यों द्वारा विरोध किया गया था। ऐसा देखने में आता है कि हम निष्पक्षता नहीं चाहते और इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है। हम आयोग को जितनी भी गाली दें लेकिन आयोग ने निष्पक्षता के लिए कदम उठाया था कि चुनाव लोकतंत्र का स्तम्भ है। वह हिल गया है इसलिए आज चुनाव नाम की चीज नहीं रह गई है। सवाल यह उठता है कि यह किसने किया। कांग्रेस पार्टी 40 साल से राज में रही है लेकिन अब जब लोग इनके हाथ से निकलकर दूसरी तरफ चले गए तो इनके सामने संकट आ गया। यदि ये शुरू से ही निष्पक्ष चुनाव करवाते तो आज देश में यह स्थिति नहीं होती। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, गुजरात में हुए, उड़ीसा में हुए लेकिन किसी भी राजनैतिक पार्टी के सदस्य ने यह नहीं कहा कि वहां बूथ कैपचरिंग हुई है । क्या कारण है जो बिहार में इतना हंगामा हुआ? हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, यह देशभक्ति का सवाल है। लेकिन यहां किसी को देशभक्ति नहीं सिखाई गई, सिर्फ स्वार्थ सिखाया गया है। पहले एक देश का राजा दूसरे देश के राजा पर फौज के जरिए

कब्जा करता था लेकिन आज गलत लोगों के जरिए राज किया जाता है। बिहार की स्थिति बिगाड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है और अब जब इनके हाथ से सारी जनता निकल गई तो यह रो रही है। ये गरीबों और मुसलमानों को लेकर राज चलाते थे लेकिन आज दोनों पक्ष इनके हाथ से निकल गए। वे क्यों निकल गए।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र आपका राज्य है। वहां ऐसी पार्टी को राज दिया गया जिससे बहुत खतरा है। जैसे गुस्से में व्यक्ति अपने आपको फांसी लगा लेता है, वही हालत महाराष्ट्र में हुई है। यह किसने करवाया है। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहते लेकिन यह कहना चाहते हैं कि चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस पार्टी का भी बहुमत होगा, उसे तुरन्त सरकार बनाने दें और राष्ट्रपति शासन खत्म करें।

मैं अपने क्षेत्र जहानाबाद की बात कहना चाहता हूं। उस क्षेत्र के लिए यदि केन्द्र सरकार को पैसा बढ़ाना पड़े तो अलग से दे। वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है जिसका परिणाम यह है कि वहां समानान्तर सरकार भी बनी हुई है। जो सरकार फांसी देती है, सजा में हाथ काट देती है, नाक काट देती है, वह सरकार काम कर रही है। उस सरकार को खत्म करने के लिए वहां शिक्षा को दुरूस्त किया जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में सैंकड़ों गांव है जो पिछड़ी और हरिजन जाति के हैं। उनकी आबादी 1000-1200 है लेकिन वहां बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं हैं। मैंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी सबको लिखकर दिया कि बिहार सरकार पर दबाव डाला जाए। कांग्रेस ने इतने सालो तक राज किया लेकिन गरीबों के गांवों में स्कूल नहीं बना सकी। उसका कारण यह था कि उनको जानवर बनाकर रखा जाए ताकि वे चुनाव को नहीं समझें।

वह जाहिल और जानवर बना रहे। मैं बार-बार इस सवाल को उठाता रहा हूं कि प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध यहां से पैसा देकर खासकर इन इलाकों में करवाना चाहिए, जैसे घोसी, कुर्पी, करपी, घनरूआ एवं मसौढ़ी। वहां अनुसूचित जाति की हजार-हजार की जनसंख्या है। वहां धनरूआ में एक औरंगपुर गांव है, जहां 1000 से ज्यादा जनसंख्या है लेकिन वहां आज तक पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह पटना जिले में है और मेरी कांस्टीट्वेंसी में पड़ता है। हमने कितना ही यहां पर कहा, बराबर यह तकलीफ सुनाई लेकिन यह राज्य सरकार का मामला है, इस कारण कुछ नहीं हुआ। अब जो बजट केन्द्र सरकार के हाथ में आया है, उसमें उसको चाहिए कि इस काम के लिए करोड़ों रुपया दे। जहां पर विद्यालय नहीं खुले हैं, जहां पढ़ाई-लिखाई नहीं हो रही है, जहां बच्चे एकदम जानवर बने हुए है। वहां सब नौजवान उग्रवाद में चले जा रहे हैं और वहां जाकर सब लोग गुरिल्ला युद्ध सीख रहे हैं तो आखिर में कल उनका क्या होगा। कल उस इलाके का क्या होगा? कल उस इलाके में मिलिट्री जायेगी और गांव-गांव में बैठेगी। उसपर कितना खर्च होगा, उसकी कोई चिन्ता नहीं है लेकिन आज इस खर्च को आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, जबकि पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हर सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा देना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, सारी चीजों को सुरक्षा देना, आबरू को सुरक्षा देना। लेकिन वहां सरकार ने यह नहीं किया है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब आपके हाथ में यह बजट आ गया है इसलिए मैं यहां कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार यहां से पैसा दे। खासकर इसलिए कि इन सब इलाकों में विद्यालय खोले जा सके और लड़कों की पढ़ाई की बात की जा सके।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों के बारे में आप लोग बराबर यहां कुछ न कुछ लाते हैं, बहस करते हैं लेकिन उन लोगों के ऊपर जो सारे अत्याचार बिहार में यह कहीं और होते हैं, क्या इन अत्याचारों को खत्म नहीं किया जा सकता है? इनको खत्म किया जा सकता है। इसके लिए मैंने कई सुझाव दिये हैं। अगर इन लोगों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था सरकारी खर्च पर हो, उनके लिए गांव-गांव में आवासीय विद्यालय खोलकर पढ़ाई की व्यवस्था की जाय तो उसमें आपको 20 साल लगेंगे लेकिन 20 साल के बाद आपको लोक सभा में कोई कहने वाला नहीं आयेगा कि हां, उन लोगों पर जुर्म और अत्याचार हुआ है, क्योंकि वह लोग पढ़-लिख जायेंगे, अपना हक जान जायेंगे, सारी चीजों को जान जायेंगे। तब उनको दबाने वाला खत्म हो जायेगा, दबाने वाले की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए हम यह कहेंगे कि कांग्रेस ने जितना पाप किया है, आज उसको इसका प्रायश्चित करना है। वह यह प्रायश्चित करे, क्योंकि आज भी जो रिजल्ट आ रहा है, उससे कांग्रेस की नींद खुलनी चाहिए। अगर इसपर भी कांग्रेस की नींद नहीं टूटती है तो कांग्रेस जबरदस्ती किसलिए देश पर भार बनी हुई है, इसको अपनी इच्छा से राज छोड़ देना चाहिए।

बिहार के बजट का हम समर्थन करते हैं। हम टी.एन. शेषन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं कि इस एक व्यक्ति ने इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत गालियां सुनी, उनकी बहुत निन्दा हुई, लेकिन उन्होंने सचमुच में राष्ट्रभक्ति का काम किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो राष्ट्र के हित के लिए सोचे, अपने हित के लिए नहीं सोचे, वही ठीक है।

यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मेरे विचार से यह दिन इस देश के संसदीय लोकतंत्र के लिये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुख का दिन है क्योंकि यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमें ऐसे राज्य के बजट पर विचार करना पड़ रहा है जिसमें विधान सभा के पांच साल के कार्य काल के पूरा हो जाने के बाद भी विधान सभा का गठन इस कारण नहीं हो सका है कि चुनाव नहीं हुआ अथवा जैसा कहा जा रहा है चुनाव नहीं कराये जा सके।

हमारा सारा संविधान संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है जिसे चुनावों के माध्यम से बनाये रखा जाता है और उन चुनावों के जरिए जनता अपना निर्णय देती है और केन्द्र तथा राज्यों में सरकारों का गठन होता है। मैं आदर के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही गंभीर स्थिति है, एक खतरनाक संकेत है और भविष्य में यदि इसी प्रकार चलना है तो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को जबरदस्त धक्का लगेगा। हमारे सांवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है, उसकी नींव को कमजोर बनाया जा

रहा है और इस तरह की गतिविधियों और इस तरह के निर्णय से मूल ढांचे को ही नष्ट किया जा रहा है। जब कि राज्य में चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं क्योंकि जो लोग चुनाव कराने के लिये उत्तरदायी हैं वह समय पर चुनाव कराने में असमर्थ हैं। मुझे हैरानी है कि भविष्य में क्या होगा। किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति हो सकती है।

महोदय संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा था? वह हमारे देश के महान सपूतों में से एक थे। उन्होंने इकट्ठे बैठकर काफी समय तक सोच विचार कर निर्णय किया, विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों पर विचार किया और एक ऐसी प्रणाली तैयार की जो हमारी प्रकृति, हमारी विचारधारा तथा हमारे उद्देश्यों के अनुकूल है। उन्होंने बहुत सोच समझ कर हाउस आफ कामन्स के आधार पर सरकार की संसदीय प्रणाली के स्वरूप को चुना जिसमें मंत्रीमंडल होगा तथा सरकार की कार्यावधि पांच वर्ष होगी। यह सपष्ट है कि उसी अवधि के भीतर चुनाव कराये जाने चाहिये। हमारे संविधान में स्वतन्त्र, स्वशासी प्राधिकारी की बात भी शामिल की गई है। परंतु वह प्राधिकारी, जिसे चुनाव आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसे संविधान के अन्य भागों को भी ध्यान में रखना है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि संविधान का पूरी तरह से अनुपालन किया जाये। वह ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेगा जिसके अनुसार संविधान कार्य न कर सके। यह नहीं हो सकता कि संविधान अथवा संविधान के उपबन्ध किसी एक व्यक्ति अथवा किसी प्राधिकारी की स्वेच्छा पर निर्भर हों अथवा किसी राज्य में चलने वाली परिस्थितियों के बारे में उसके स्वयं के विचारों के आधार पर यह निर्णय हो कि चुनाव आयोजित कराये जायेंगे अथवा नहीं कराये जायेंगे।

महोदय हमारे देश में दलगत शासन प्रणाली है। संसदीय लोकतंत्र में दलगत शासन प्रणाली होती है। परंतु महोदय इस सांवैधानिक प्राधिकरण ने कभी भी किसी दल से अथवा किसी अन्य से कोई सलाह ली। जिस समय यह सांवैधानिक संकट पैदा किया जा रहा था, हमें उसी समय आशंका थी और जब इस सदन ने अपने विचार व्यक्त किये उस समय आपने भी एक-दो विचार व्यक्त किये थे क्योंकि यह एक ऐसा विषय था जो इस देश में लोकतंत्र के हरेक समर्थक के मन में रोष पैदा कर रहा था। कोई भी खुश नहीं था और कोई भी खुश नहीं है मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। परंतु जब उस रोष को यहां पर व्यक्त किया जा रहा है तो कोइ उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। महोदय समय आ गया है और मैं विनम्रतापूर्वक आप से अपील करता हूं कि इस देश की निर्वाचित सर्वोच्च संस्था के अभिरक्षक होने के नाते इस मामले में मार्गदर्शन करें।

महोदय, इस मामले को इस तरह का एक अकेला मामला ही नहीं माना जाना चाहिये। भविष्य में भी इसी तरह की बातें होने का खतरा है। लोकतंत्र की अवधारणा कैसी होनी चाहिये। भविष्य में किस तरह से कार्यवाही होनी चाहिये? चुनाव किस प्रकार आयोजित किये जायें? विभिन्न सांवैधानिक प्राधिकारियों और अभिकरणों के बीच आपसी संबंध कैसे होने चाहिये। कार्यपालिका की अपनी भूमिका है। संसद का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। चुनाव आयोग की भी अपनी अलग भूमिका है। इसी तरह न्यायपालिका की भूमिका है परंतु हमें उस पर यहां विचार नहीं करना है। परंतु महोदय जब तक समन्वय नहीं होगा तथा इन महत्वपूर्ण निकायों एवं संगठनों के बीच आपसी तालमेल नहीं होगा मुझे डर है कि इतने वर्षों के बाद हम ऐसी स्थिति की ओर जा रहे हैं जिससे इस देश में पूरी तरह से संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जायेगा।

महोदय, कुछ दिन के लिये हम अपना विरोध प्रकट करते रहे हैं। हम इसको छिपा नहीं रहें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हमारे लोकतंत्र के लिये खतरनाक हैं। अतः हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यह आपकी सहमति के अनुकूल नहीं है। मैं इस बात को समझता हूं। हमने जानबूझकर तथा सोच समझकर यह किया है क्योंकि हम अपने विचार बताना चाहते थे। परंतु हम संवैधानिक संकट नहीं पैदा करना चाहते हैं। इसी कारण से हमने कहा "हम सारे वित्तीय कार्य को पूरा करने में सहयोग करेंगे और समझौते पूर्व हमने इसे पारित कर दिया"। परंतु यदि हमने समुचित ढंग से और पूरे जोर शोर से अपना विरोध प्रकट न किया होता तो हम अपने दायित्व में असफल रहे होते। अतः हमने ऐसा किया।

महोदय, मेरा सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस मामले को दलगत राजनीति के नजरिये से न देखें और पक्षपात से ऊपर उठकर सोचें। अंततः इस बात का कोई मतलब नहीं होगा कि कौन सत्ता में आयेगा और कौन सत्ता से बाहर जायेगा। यह नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति को सबसे ऊपर रख दिया जाये और वही फैसला करेगा अथवा नहीं करेगा कि और उसी के फैसला करने पर अथवा फैसला करने में असफल रहने पर इस देश में संसदीय लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करेगा। इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः मैं नम्रता से आपसे अपील करता हूं कि इस मामले में नेतृत्व प्रदान करें।

महोदय, मुझे इस सभा का सदस्य रहने का काफी समय से अवसर मिला हुआ है। परंतु यह पहला मौका है जब किसी राज्य में चुनाव समय पर न कराये जा सकने के कारण उत्पन्न स्थिति में उस राज्य का बजट पारित कर रहे हैं। पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर विधान सभा का विघटन हो जाने पर भी चुनाव आयोजित नहीं किये जा सके। सभा अचानक भंग नहीं हुई है। यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे बताया जाये। परंतु यह पहली बार है कि इस तरह की बात हुई है क्योंकि चुनाव समय पर आयोजित नहीं कराये जा सके हैं। वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा और संसद को राज्य सरकार का बजट पास करने पर अपना समय व्यतीत करना पड़ा। यह अच्छी बात नहीं है। यह खतरनाक संकेत हैं। मेरे विचार से यह लोकतंत्र विरोध है। यह संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के विरूद्ध है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिये तैयार की है। हमें उसके प्रति उचित गंभीरता दिखानी चाहिये ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति न पैदा हो।

महोदय, मैं एक बार फिर से इस मामले में आपसे अपील करना चाहता हूं। मेरे अनुसार असंतोषजनक प्रतिक्रिया को देखने के बाद मैं चाहूंगा कि इस पर समुचित चर्चा होनी चाहिये - चाहे वह इस सभा

में न हो। ऐसे मामलों में सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रिया है। मैं समझता हूं कि महोदय इस स्थिति में केवल एक ही रास्ता है कि आप इस मामले कुछ कदम उठायें। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मसला माना जाये और इसे केवल बिहार का ही अथवा लालू यादव का मामला नहीं माना जाना चाहिये। यह इस देश में लोकतंत्र के भविष्य का और लोकतंत्र के उन अधिकारों के समुचित प्रयोग का मामला है जो अधिकार संविधान निर्माताओं तथा हमारे पूर्वजों ने हमें दिये हैं।

अतः इस संसदीय लोकतंत्र के प्रभावी एवं जीवंत ढंग से कार्यकरण के लिये, संविधान निर्माताओं के विचारों, सपनों तथा आकांक्षाओं के अनुरूप इसे बचाने के लिये ऐसी स्थिति को फिर से नहीं पैदा होने दिया जाना चाहिये। हमें इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कदम उठाने चाहिये। केवल यहां बैठे रहना तथा पैदा होने वाली स्थिति के बारे में तदर्थ प्रतिक्रिया दिखाना ही पर्याप्त नहीं है। मेरा इतना मात्र अनुरोध है और मैं इस सदन के सभी दलों से अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : अध्यक्ष महोदय, हम शायद पहली बार बिहार के लिए लेखानुदान पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। यह स्थिति कैसे पैदा हुई इसकी बहुत लम्बी कहानी है, इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज बिहार सारे देश में प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से 22वें स्थान पर आ गया है। आखिर, 47 वर्ष आजादी के होने के बाद भी यह स्थिति कैसे पैदा हुई? बिहार को प्रकृति ने दो भागों में बांटा है और दोनों भाग बहुत ही समृद्धशाली है। इसके एक भाग में समतल मैदान हैं, नदियां हैं, जिनमें साल भर पानी रहता है परंतु इतना होने के बावजूद भी बिहार में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्षों से सोन नवीकरण के लिए योजना चल रही है परंतु आज तक उसका आधा काम भी नहीं हुआ है। दक्षिण का जो पठारी भाग है वह भगवान की कृपा से खनिज से भरा हुआ क्षेत्र है और साथ ही साथ वहां वन्य पदार्थ भी बहुत अधिक मात्रा में हैं परंतु उसके बावजूद उस क्षेत्र के जो जनजाति के लोग हैं वहां गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

आखिर बिहार की यह स्थिति कैसे पैदा हुई। 47 वर्षों तक जितनी भी सरकारें बनीं, उन्होंने बिहार की उन्नति के लिए क्या किया। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बिहार में ब्रिटिश काल में 65 चीनी मिलें थी, सब बंद हो गई हैं। ब्रिटिश काल के 8-10 जूट के कारखाने थे, वे सब बंद हो गए हैं। नए कारखाने वहां पर नहीं खोले गए, बरौनी नालंदा आदि में एक दो कारखाने नए खोले गए, लेकिन वे सब बंद होने की स्थिति में हैं, यह स्थिति आज बिहार की है। पहले के उद्योग बंद पड़े हैं और आजादी के बाद जो उद्योग बिहार सरकार के पैसे से खोले गए, वे भी बंद हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान आर्थिक हालात बिहार में पैदा हो गई। केन्द्रीय सहायता के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, यह दृष्टिकोण सरासर गलत है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमको जो अनुदान यहां से मिलता है, उसका उपयोग हम नहीं कर पाते। बिहार में ट्राइबल-सब-प्लान चलता है, योजना मद में से 25 प्रतिशत् बिहार में ट्राइबल-सब-प्लान के लिए मिलता है, इसके पश्चात केन्द्रीय सहायता भी मिलती है, लेकिन आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि इतना पैसा होने के बाद भी वहां पर प्राथमिक शालाएं नहीं हैं, विद्यालय भवन नहीं हैं, पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती है, अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं। अनुमंडलीय रैफरल अस्पतालों में डाक्टर बहाल हैं, लेकिन दवाइयां नहीं हैं, जो बिस्तर हैं, उन पर रोगी सो नहीं सकता है, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, 10 साल से खंभे लगे हुए हैं, लेकिन तारे नहीं लगाई गई हैं और शायद सरकारी रिकार्ड में विद्युतीकरण हो गया होगा, लेकिन अभी तक उन स्थानों पर बिजली नहीं आई है और दूसरी तरफ केन्द्रीय सहायता का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। पीने के पानी के लिए जो नलकूप लगाए जाते हैं, महीनों तक उनमें हैंडल नहीं लगाए जाते, बच्चे खेलते समय उनके अंदर मिट्टी और पत्थर डाल देते हैं और वे खराब पड़े रहते हैं। यह आज के बिहार का चित्र है कि आज वहां पर क्या स्थिति है।

आज बिहार की लेखानुदान मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए था। बिहार सरकार 15 मार्च तक थी, उसके पहले वहां पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह काम समय पर नहीं हो सका। हमारे पठारी क्षेत्र में समय पर चुनाव हो गया, वहां पर चुनावों का कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में कई बार चुनाव की तारीखें बढ़ानी पड़ीं, लेकिन यह सब अनावश्यक नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग होता है, 10 आदमी जाकर सारे वोट डाल आते हैं और गरीब आदमी को वोट देने का मौका नहीं दिया जाता। इस बार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत प्रयास किया, ताकि गरीब तबके के लोग भी वोट डाल सकें।

अध्यक्ष महोदय, आज बिहार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत भयानक है और इनमें सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार को विचार करना चाहिए। जो लेखानुदान की मांगें यहां पर प्रस्तुत की गई है, उनका हम समर्थन करते हैं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहुत दुख भारी मन से यहां पर बोल रहा हूं, क्योंकि एक नई परंपरा यहां पर पड़ गई है, जिसके दोषी हम लोग हैं। सरकार तो चाहती है कि लोक सभा का सामना कम से कम करना पड़े, मगर पिछले दो दिनों से जिसे तरह से बिहार में बूथ कैप्चरिंग होता है, उसी तरह से लोक सभा को कैप्चर कर लिया गया था और आप भी लोक सभा की कार्यवाही चलाने में असहाय हो गए थे। जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अधिकारों में कटौती हुई है। हम बजट पर बोलना चाहते थे, हम रेलवे बजट पर बोलना चाहते थे, लेखानुदानों की मांगों पर बोलना चाहते थे, लेकिन दो दिन बरबाद होने से आज यहां पर हमको आइज ही सुनाई दे रहा है, नोज सुनने को नहीं मिल रहा है। आपने चैंबर में बुला कर पता नहीं क्या जादू कर दिया है और सारे प्रस्ताव पास करवा लिए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन मेरे जैसा साधारण, कम पढ़ा-लिखा आदमी बोले तो समझ में आ सकता है, लेकिन बड़े

सीनियर लोग भी यहां पर आलोचना कर रहे हैं। सोमनाथ जी बहुत सीनियर और पुराने नेता हैं, लेकिन एक ही आदमी की आलोचना।

कोई भी मामला हो उसका निशाना मुख्य चुनाव आयुक्त ही बनता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो क्यों नही पहचान-पत्र बनवाए गए, क्यों बहानेबाजी की गई। यहां पर इसी सदन में अब्दुल गफूर साहब ने कहा कि वहां तो हर साल बाढ़ आती है, हर साल कुछ होता है, यह बहाना लगाकर कभी भी पहचान-पत्र नहीं बनेगा। पहचान-पत्र जानबूझकर नहीं बनाए गये।

आज मैं लालूप्रसाद जी यादव के एक बयान को उद्धृत करना चाहता हूं। आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। लगता है कभी-कभी आदमी बहुत दिनों के बाद अच्छी बात भी कहता है। आज उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को धन्यवाद दिया है। उन्होने कहा है कि उनके कारण गरीब लोगों को वोट डालने का हक मिला है और मतदान अच्छा हो गया। तो फिर गाली क्यों दे रहे थे? जिस समय पहचान पत्र की बात चल रही थी तो बिहार के मुख्य मंत्री कह रहे थे कि यह पैसा तो विदेशों में जा रहा है। उनका बयान खुद मैंने टी. वी. में सुना है। वह कहते थे कि यह जो पहचान-पत्र पर खर्चा आयेगा, यह सारा पैसा विदेशों को चला जाएगा। यह जो मुख्य चुनाव आयुक्त है यह विदेशी एजेंट है। इस प्रकार की बातें मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठकर बोलना और हर समय मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना करना, यह बात समझ में नहीं आती है। अध्यक्ष जी, इस मामले में तो हमें मुख्य चुनाव आयुक्त को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होने बिहार में प्रयास करके वोट डलवाने का प्रबंध किया। हालांकि शत-प्रतिशत वह भी उसमें सफल नहीं हुए। अभी भी गड़बड़ हुई है।

11 तारीख को चुनाव में बूथ-कैपचरिंग हुई, मारामारी हुई, जबरदस्ती वोट डलवाए गए। उसके बाद ही तारीखें बदली गयी। अध्यक्ष जी, मैं सरकार से केवल अपना कष्ट और दुःख कहना चाहता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 15 मार्च को जब विधान सभा की अवधि समाप्त हो गई थी तो क्यों इन्होंने उसको आगे बढ़ाया? मैं आज आपके सामने खुला चार्ज लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस, जनता दल और वामपंथी दलों के गठबंधन के आधार पर यह हुआ। यह इनके आपसे में समझौते हैं। सदन में तो कल मुर्दाबाद हो रही थी लेकिन अंदर ही अंदर इनकी दोस्ती भी चालू है। मैंने तो यह भी सुना है कि इनका समझौता हुआ है कि विधान सभा में तुम और लोक सभा में हम। इस तरह के समझौते हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में यही हो रहा है। इस प्रकार अपनी-अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए यह सब हो रहा है। प्रधान मंत्री अपनी कुर्सी बनाए रखना चाहते हैं इसलिए लालूप्रसाद यादव जी से समझौते कर रहे हैं। लेकिन देश को अधिक दिनों तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : शिव-सेना और बी.जे.पी. का गठबंधन..**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : शिव-सेना और बी.जे.पी. का तो खुले-आम गठबंधन है। हमने घोषणापत्र अपना साझा किया। लेकिन आप तो बाहर मुर्दाबाद कहते हैं और अंदर कमरे में हाथ मिलाते हैं। आप लोगों की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है।

श्री पवन कुमार बंसल : माइनोरिटीज को उन्होंने ... **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (: बंसल जी, क्षमा करें, आपको दो ही चीजें आती हैं - माइनोरिटीज-मैजोरिटीज। आपको पता ही नहीं कि माइनोरिटीज क्या है? हिन्दुस्तान में काहे की माइनोरिटीज।

श्री पवन कुमार बंसल : जिन लोगों ने खत्म करने की बात की है आप उनके साथ है ... **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : बंसल जी। हिन्दुस्तान में अगर माइनोरिटीज-मैजोरिटीज की बात करनी है तो अमीरी-गरीबी की बात करो। आपने इस बहम को पैदा करके लोगों के दिमाग खराब कर दिए हैं। आप केवल वोट की खातिर माइनोरिटीज की बात करते हैं। आप देश को टुकड़ों में बांट रहे हैं। आज बिहार में जो कुछ हुआ है उसके दोषी लालूप्रसाद यादवजी तो हैं ही, उनसे ज्यादा आप लोग दोषी हैं। आप लोगों ने यह जहर पैदा किया है, बिहार आपने जलाया है। बिहार में लॉ एंड आर्डर की स्थिति जो खराब हो गयी है, जो अव्यवस्था वहां पैदा हो गयी है उसको ज्यादा हवा आपने दी है। आपने बिरादरी के आधार पर लोगों को टिकट दिए हैं।

आपने वहां बिरादरी के आधार पर सोच पैदा की। उसका परिणाम यह रहा कि आज बिहार बिरादरी के आधार पर टुकड़ों में बंट गया है। यह देश एक है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज। इनका भाषण इससे लम्बा हो जायेगा।

श्री राजवीर सिंह : मैं तो खत्म ही कर रहा हूं, लेकिन ये लोग बीच में बोलते हैं तो भाषण लम्बा हो जाता है।

श्री पवन कुमार बंसल : बिरादरी के विषय में भी आपने वी. पी. सिंह जी के साथ खुलकर समझौता किया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पवन जी, आपको प्रसन्नता होनी चाहिये कि आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : बंसलजी सुना है वकील हैं, यह वकालत भी करते हैं...

अध्यक्ष महोदय : उनके ऊपर भाषण नहीं करना है।

श्री राजवीर सिंह : उन पर नहीं करना है, लेकिन वह बीच में बोलते हैं इसलिए जवाब देना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले हमारे एक मित्र यहां बोल रहे थे, उन्होंने भी अल्पसंख्यकों के बारे में कहा, बल्कि उन्होंने तो मुसलमानों और दलितो के बारे में बोला। इसको बार-बार कहकर आप मुसलमानों की भावनाओं को दुखी कर रहे हैं,

गरीबों के दिलों में उनकी भावनाओं के अंदर भय पैदा कर रहे हैं। यह क्रिया-कलाप करके आप उनकी सुरक्षा और संरक्षण के ठेकेदार बनना चाहते हैं। यह देश संविधान के आधार पर चलता है। यह देश मुसलमान-हिन्दू के आधार पर नहीं चलता है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : ठाकरेजी ने क्या कहा है?

श्री राजवीर सिंह : शहाबुद्दीनजी, आप ठाकर साहब पर बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ बिहार पर ही बोलें।

श्री राजवीर सिंह : ये लोग कहते हैं कि ठाकरे साहब रिमोट कंट्रोल है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं तो रात को हर मुख्य मंत्री फोन करता था कि मैडम कल ड्यूटी पर आना है या नहीं। अगर कोई सदस्य अपनी राय देता है तो इसमें गलत क्या है? अगर कहीं बी.जे.पी.-शिव सेना की सरकार बन जाये तो आप ऐसी बात कहते हैं, वरना आप कुछ नहीं बोलते हैं। संजय गांधी के बारे में देख लो, वे तो दूसरी ही शक्ति थे, लेकिन उनके बारे में आप नहीं बोलते थे। आप दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने को देखें। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वे दूसरों की खिड़कियों पर पत्थर नहीं मारते हैं। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर बिहार के बजट पर चर्चा कर रहे हैं, मैं इसका समर्थन करती हूं। सप्लीमेंटरी डिमांड्स के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि बिहार में जो परिस्थिति पैदा हुई है, यहां कई माननीय सदस्यों ने उस पर चर्चा की है। हमारे कई साथियों जैसे सुब्रतो मुखर्जी, सोमनाथजी और बी. जे.पी. के सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। यह बात ठीक है कि कुछ दिनों से सदन में कोई काम नहीं हुआ। बिहार में चुनाव आयोग ने कितनी फोर्स भेजी, उन्होंने क्या गलती की, शोषण का शासन चल रहा है, इन कई विषयों पर सदस्यों ने कहा और क्रिटिसाइज किया। पिछले दो दिनों से हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन सदन में कोई काम नहीं हो रहा था। आपने भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यह पूछना चाहती हूं कि अगर हम जीतें तो हाउस चलने देंगे, वरना नहीं, क्या यह सही है? अगर कुछ लोग खड़े होकर सदन में व्यवधान डालें और सदन नहीं चले तो यह कोई लोकतांत्रिक परम्परा नहीं है। चुनाव आयोग एक आटोनोमस बाडी है, उसके खिलाफ यहां कुछ नहीं बोला जा सकता है। जब उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र के चुनाव हुए तो यहां कोई कुछ नहीं बोला। आपको सोचना चाहिए कि बिहार के इस चुनाव के दौरान 83 लोग मारे गये। यहां तक कि वहां मतगणना के समय पर उम्मीदवार को मारा गया, उस पर भी कोई कुछ नहीं बोला। आज बिहार में कानून और व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इसमें केन्द्र सरकार की भी गलती है। वह इसलिए कि अगर 15 तारीख को ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन केन्द्र सरकार ने ऐसा नहीं किया।

इसी के लिये नहीं किया है लेकिन बिहार में कांस्टीट्यूशनल क्राईसिस बन गया था और 31 मार्च तक यदि बजट पास नहीं किया जायेगा तो बिहार की आम जनता के लिये पैसा नहीं जायेगा।

[अनुवाद]

चुनाव के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

[हिन्दी]

लेकिन उसके पहले नहीं किया था। अगर कोई फायदा लेना चाहते थे तो हम लोगों को इसको पहले करना चाहिये था। सोमनाथ बाबू ने अच्छी बात की है। वे लोग अच्छी बात तभी कहते हैं, जब उनके फेवर में ईश्यू रहता है और जब खिलाफ में रहता है तो नहीं बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग त्रिपुरा में इलेक्शन्स चाहते थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट को इलेक्शन करने देना चाहिये लेकिन केअर टेकर सरकार को तोड़ कर इलेक्शन कमिशन को डेट पोस्टपोंड करने के लिये दिया। इसी प्रकार बिहार में प्रेजीडेंट रूल बनाकर बिहार में इलेक्शन्स किये हैं और त्रिपुरा में कहा गया कि प्रेजीडेंट रूल लगाकर करेंगे?

[अनुवाद]

बिहार में 83 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। परंतु उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। त्रिपुरा में चुनावों से पहले कितने लोग मरे? वहां केवल पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उनके पास आंकड़े नहीं हैं। उनको कुछ जानकारी नहीं हैं। मैं इन बातों के बारे में जानती हूं। हम मौकाए वारदात पर गये हैं। मैं इन बातों के बारे में इस कारण जानती हूं क्योंकि बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है। हम बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में जानते हैं क्योंकि हमने इन राज्यों का कई बार दौरा किया है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सच नहीं है कि बिहार में जो स्थिति पैदा हुई है, मैं चाहती हूं कि चुनाव के बाद निर्वाचित सरकार पदग्रहण करे। उनको समुचित ढंग से काम करना चाहिये।

[हिन्दी]

बिहार में क्या होता है? वह पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब दुखी लोग हैं, लोग बाहर काम ढूंढने के लिये जाते हैं, वहां पर न कोई इंडस्ट्रीज है, न कोई डेवलेपमेंट है, न कोई शिक्षा है। कोई 1980 के एग्जामिनेशन का मामला है उसे 1985 में एग्जामिन किया जायेगा, यह कोई तरीका है? यदि कोई महिला एफआईआर लॉज कराने के लिये पुलिस स्टेशन जायेगी तो नहीं की जाती है। यह बिहार की स्थिति है। इसलिये बिहार की सरकार को लूट कर खाना नहीं चाहिये। यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देगी और वह उसका मिसयूज करेगी, फंड्स प्रापर्ली यूटिलाईजेशन न करके डायवर्ट कर देगी तो स्टेट आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि कोई स्टेट पालिटिक्स में आगे बढ़ सकती है तो डेवलेपमेंट में क्यों नहीं? तो केन्द्र सरकार की ओर से जो फंड्स जायेगा, उसका प्रापर्ली यूटिलाईजेशन होना चाहिये। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि केन्द्र सरकार या फाईनेंस मिनिस्ट्री हर साल जो फंड्स भेजे उसका ऑडिट होना चाहिये। आप डरते हैं, इसलिये ऑडिट नहीं

मांगते हैं। आप सब स्टेट्स से मिलजुलकर रहते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, इसलिये जो फंड्स

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना, पी.एम. फंड्स, आई.आर.डी.पी., डी.ए.डी. पी., जनजातीय विकास निधि, स्वरोजगार योजना

[हिन्दी]

आदि में राज्यों को दिये जाते हैं, उनका प्रापर यूटिलाईजेशन होना चाहिये। यदि उस फंड्स को दूसरी जगह डायवर्ट किया गया है तो उसके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? यह रुपया केन्द्र सरकार का है, आम जनता का है। इसलिये उस पैसे का हिसाब मिलना ही चाहिये। आज करप्शन इतना हो गया है कि पैसा लूट कर खा जाते हैं, उनके खिलाफ कोई बन्दोबस्त नहीं करते हैं। इसलिये कि पालिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतकर पावर प्राप्त करना चाहती हैं। आज मसल पावर और मनी पावर इतनी बढ़ गयी है कि पीपुल्स पावर नहीं रही। बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भेजी गयी जिसे घुसने नहीं दिया गया और इस तरह से इलेक्शन कमिशन का इंस्टीट्यूशन नीचे रह गया। बिहार पुलिस ने रिगिंग किया। यदि राष्ट्रपति शासन पहले हो जाता तो सारा इलेक्शन इम्पार्शल होता। आज भी लोग बोलते हैं कि बिहार में इम्पार्शल इलेक्शन नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप खत्म करिये क्योंकि इसको दूसरे हाऊस में जाना है और कल फ्राईडे है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी।

[हिन्दी]

एक बात सच है कि जो यहां से पुलिस बिहार भेजी गयी उसने महिलाओं का रेप किया है जिसका इन्वैस्टिगेशन होना चाहिये। साथ ही हमारे बिहार में 8 आदिवासी महिलाओं पर भी रेप हुये हैं, उसकी भी जांच होना जरूरी है। बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट, अनएम्प्लायड यूथ प्राब्लम, प्रयमरी शिक्षा के लिये राज्य सरकार केन्द्र पर निर्भर रहती है, उसके लिये राज्यों को रिसोर्सेज बनाने होंगे क्योंकि आज कुर्सी पर हैं तो कल नहीं रहेंगे लेकिन आम जनता तो हमेशा रहेगी। आप इलेक्शन में रिगिंग कर सकते हैं लेकिन आम जनता के दिल को रिंग नहीं कर सकते हैं। मैं इस बजट का समर्थन करते हुये कहना चाहूंगी कि आप इलेक्शन कमिशन जैसे इंस्टीट्यूशन को बदनाम मत करें।

[अनुवाद]

चुनाव आयोग स्वतन्त्र संस्था है। इसे समुचित ढंग से काम करने दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) **:** अध्यक्ष जी, बिहार के बजट पर आज इस सदन में हम विचार कर रहे हैं। अत्यंत विशेष परिस्थिति में यह बजट इस सदन के सामने आया है। बिहार में पिछले दिनों में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो कुछ हुआ है वह देश के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है जिसके ऊपर बहुत गंभीरता से इस सदन को सोचना चाहिये कि ऐसी स्थिति फिर देश में नहीं आए। यह पहली बार हुआ है कि एक विधान सभा का पूरा पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले वहां चुनाव नहीं कराया जा सका और फिर वहां वह सरकार जो पांच साल सत्ता में थी, उसे बाद में भी रहना पड़ा और चुनाव को लेकर काफी बड़ी हलचल देश में पैदा हुई, इस सदन में भी हुई और लोगों के मन में भी हुई। मैं समझता हूं कि इस बात पर आज कुछ मौलिक प्रश्न देश के सामने उपस्थित हो गए हैं और इन तमाम चुनावों से उपस्थित हो रहे हैं जिसके ऊपर हमको आज विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष जी, इस बात से पूरा सदन और देश सहमत है कि प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि जो हमारे मतदाता हैं, उनको निष्पक्ष रूप से और बिना किसी डर और भय के अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है और उनको उसका इस्तेमाल करना चाहिये। इसी बात को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा चिन्ता पैदा हुई। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि बिहार में ऐसा दुर्भाग्य हो गया था, आज से नहीं, पिछले पांच सालों से नहीं बल्कि कई वर्षों से बिहार के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे और वहां बूथ-कैप्चरिंग की परंपरा बन गई थी। वहां कुछ गैंग ऑपरेट करते थे खास तौर से चुनावों के बीच में और लोगों की मजबूरी हो जाती थी कि अगर एक उम्मीदवार एक गैंग का इस्तेमाल करता था तो उसके मुकाबले में लोगों को भी दूसरे गैंग का इस्तेमाल करना पड़ता था। बम, कट्टा, बल-प्रयोग और गलत किस्म से वोट दिलाने की परंपरा, लोगों को डराने-धमकाने की परंपरा बिहार में कई वर्षों से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बना रही थी और मैं समझता हूं कि यह बिहार के लिए ही नहीं, सारे देश के लिए चिन्ता की बात थी, लेकिन इस बार के चुनावों से एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे देश के प्रजातंत्र के सामने पैदा हो गया है। मैं समझता हूं कि शायद चुनाव आयोग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिहार में ऐसी स्थिति का उनको सामना करना पड़ेगा, वरना बिहार में समय रहते पांच साल के समय के अंदर ही अलग से चुनाव करा लिये जाते। मैं समझता हूं कि बिहार की व्यवस्था के बारे में चुनाव आयोग का यही मूल्यांकन सही साबित नहीं हुआ और उस स्थिति का पता चुनाव आयुक्त को वहां जाने के बाद ही पता चला वरना वे बिहार का चुनाव समय रहते ही करा लेते चाहे जितनी पुलिस देनी पड़ती, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिये जो कुछ भी व्यवस्था करनी पड़ती। मैं समझता हूं कि अलग से किया जाना चाहिए था और पांच साल पूरे होने से पहले बिहार की विधान सभा गठित हो जानी चाहिए थी। उसके न होने के कारण यह कठिनाई पैदा हुई। यह सिर्फ संवैधानिक कठिनाई पैदा नहीं हुई बल्कि तमाम पार्टियां और उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव के जो खर्चे निर्धारित थे, अनावश्यक रूप से उनके ऊपर वह बढ़ा। चुनाव अगर दो-चार दिन भी टाल दिया जाता तो उम्मीदवार के लिए काफी परेशानी हो जाती है। चुनाव की तिथियां वहां टाल दी गई और उम्मीदवारों और पार्टियों को अनावश्यक रूप से भारी परेशानी का मुकाबला करना पड़ा।

श्रीमन्, एक सवाल पैदा होता है। मैं समझता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि एक नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाकर उसको ठीक से कार्यान्वित किया जाए।

अगर प्रजातंत्र को इस देश में मजबूत करना है, खर्चे को कम करना है, निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, समय से चुनाव कराने हैं तो मैं समझता हूं कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाना चाहिए जो कोड ऑफ कण्डक्ट बनाये और उसे केवल चुनाव के वक्त ही लागू नहीं करे, क्योंकि चुनाव के वक्त तो इलेक्शन कमीशन काम करता है, बल्कि पूरे पांच साल स्थायी रूप से लागू कर यह देखें कि किस प्रकार से पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें, किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव हो सके, उनका चुनाव खर्चा देखें, पार्टियों को सरकार भी खर्च दे सकती है।

आज चुनाव मंहगा होता जा रहा है। इसके बाद भी यदि चुनाव समय से नहीं हो पायेंगे या चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो हमारा प्रजातंत्र कमजोर होगा। इसलिए यह जरूरी हो गया है। यह भी जरूरी है कि चुनाव सुधार पर संजीदगी से विचार किया जाना चाहिए। पिछले चुनाव में जो घटनाएं इस देश में हुई है उनमें किस तरह से सुधार की जरूरत है, केवल सुधार की ही नहीं बल्कि उसको किस तरह से मजबूती से कार्यान्वित किया जा सके, उसके लिए क्या मशीनरी होगी, इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा भारत देश सन् 1947 को आजाद होने व 1950 में संविधान लागू होने के बाद एक विशाल देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, यहां सबसे ज्यादा मतदाता रहते हैं, यहां सबसे ज्यादा हमारा समाज पेचीदगियों से भरा हुआ है, यहां सबसे ज्यादा निरक्षर लोग रहते हैं। लेकिन सारी मुसीबतों के बावजूद इस देश में प्रजातंत्र कामयाब रहा है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। यह प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है और मतदाताओं की व राजनैतिक समझदारी है, आम आदमी की परिपक्वता है। इसलिए हमारे मतदाता जो निर्णय करता है वह शिरोधार्य होता है। उस निर्णय से हम कुछ सीखते भी हैं, नसीहत भी लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सबसे चुनौतियों भरे दौरे में पहुंच गए हैं। राजनैतिक अस्थिरता का जो खतरा हमारे देश में दिखाई पड़ता है, डेढ़ साल सरकारें चलेंगी, उनके कोई सिद्धांत व कार्यक्रम नहीं होंगे और इसी प्रकार से टूटती रहेंगी तो हमारे देश में एक राजनैतिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो सकता है। अगर हम उस भंवर में फंस गए, उस तूफान में फंस गए तो इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह अस्थिरता पैदा हो जाय तभी हम विचार करें, इसके बजाय समझदारी यह है कि उस खतरे को भांपकर कैसे उसका मुकाबला कर सकें, कैसे हमारे देश को राजनैतिक अस्थिरता से बचाये, इस पर विचार करना है। वरना न तो आर्थिक नीतियां लागू हो सकेंगी, न सामाजिक प्रगति हो सकेंगी, न हम इस देश के भविष्य के बारे में कुछ बात निश्चित रूप से कह सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सदन को, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय संसदीय मंच है, एक संस्था है, उसके ऊपर गौर करना चाहिए। हमारी राजनैतिक पार्टियां, जो प्रजातंत्र की बुनियाद होती हैं, उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिए।

बिहार के मामले में इलेक्शन कमीशन की आलोचना हुई है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का मूल्यांकन गलत था वरना तो इस बात को सभी स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो कुछ किया वह निष्पक्ष चुनाव हो सके, लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके इसलिए किया। उसमें कुछ कठिनाइयां भी आई, आलोचना भी हुई और मैं समझता हूं कि इसके बाद भी अच्छी बात हुई। इस देश में चुनाव निष्पक्ष हो सके, मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इस पर संसदीय पार्टियों, हमारे देश के बुद्धिजीवियों और हमें विचार करना चाहिए कि हमारे जितने अब तक के अनुभव हैं, उनकी रोशनी में, दुनिया के दूसरे देशों ने भी यही किया है। फ्रांस में पहले रिपब्लिक के बाद, दूसरा रिपब्लिक बना और उसके विधान में संशोधन हुआ। उसके बाद तीसरा रिपब्लिक भी बना। चीन ने अपने विधान में संशोधन किया। सोवियत रूस ने भी अपने विधान में संशोधन किया। आज फिर रूस अपने विधान में संशोधन कर रहा है। मैं समझता हूं कि अमेरिका, इंगलैंड और जापान भी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। उनके सामने सामाजिक क्षेत्र में चुनौतियां हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी चुनौतियां हैं और मूल्यों के क्षेत्र में भी चुनौतियां हैं। सारी दुनिया आज एक नई दुनिया के रूप में उभर रही है। तकनीकी, स्पेस और कम्प्यूटर ने एक नया इंसान पैदा कर दिया है। यही नहीं आर्थिक जीवन में भी चुनौतियां हैं। जहां एक नया इंसान पैदा हुआ है, वह अपने सम्मान के लिये, अपने अधिकारों के लिये, सत्ता में भागीदारी के लिये भी संघर्षशील है, संघर्ष कर रहा है और इसलिये सबको इस पर विचार करने की जरूरत है।

आज डा. नेलसन मंडेला का प्रादुर्भाव हमारे लिये एक नई रोशनी है। ऐसा नहीं है कि चारो ओर अंधेरा ही अंधेरा है। शक्ति के बल पर, सत्ता के बल पर, गलत मूल्यों के बल पर,, अब इंसान को दबाया नहीं जा सकता। यासिर अराफात का प्रादुर्भाव भी यही सिद्ध करता है कि अब नये इंसान को दबाया नहीं जा सकता। यदि उसके साथ अन्याय होगा, उसके मौलिक अधिकारों और मूल्यों का हनन होगा, मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान के आम लोग भी जाग रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। यहां पर किसी माईनौरिटी या मैजोरिटी का सवाल नहीं है, जैसा अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे बल्कि हर हिन्दुस्तान का नागरिक जो इस देश में पैदा हुआ है, उसके साथ न्याय हो, उसके साथ इन्साफ हो, उसकी सत्ता में भागीदारी हो, उसका आदर हो और किसी भी तरीके से उसे डराया धमकाया न जाये, भय का वातावरण न बनाया जा सके, मैं समझता हूं कि आज इन बातों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

अंत में, अध्यक्ष जी, मैं आपको भी एक बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप भी चिन्तित हैं और दूसरे कामों के अलावा आपने बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है ताकि लोग सोचें, खाली सहायता करने कि लिये नहीं, बल्कि लोग सोचें। मैं समझता हूं कि आपकी चिन्ता देश की चिन्ता है, सदन की चिन्ता है और इन बातों पर हमारे देश के लोग विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) : धन्यवाद, महोदय कि आपने मुझे बिहार के बजट पर होने वाली चर्चा में भाग लेने का मौका दिया हमारी पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की ओर से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम संविधानिक संकट के नाम पर पैदा हुई विशेष परिस्थितियों में एक राज्य विशेष के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें बदल कर इस तरह की परिस्थितियां और हालात पैदा किए। केन्द्रीय सरकार की समय पर स्थिति से निपटने में असफलता के कारण इस प्रकार की परिस्थितियां और हालात पैदा हुए हैं। यह कोई अभीष्ट स्थिति नहीं है।

बिहार राज्य के बजट पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना अनुचित, अलोकतांत्रिक और स्वैच्छिक है। केन्द्रीय सरकार ने संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट किया है। यह संविधान की हत्या है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश को केवल एक व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिये, चाहे वह व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : यह बहुत ही दुख का विषय है कि जो बजट बिहार विधान सभा द्वारा पारित किया जा सकता था वह इस सभा के द्वारा पारित किये जाने के लिये इसके सन्मुख रखा गया है। इस कारण मुझे बहुत चिंता है क्योंकि हमने अपना यह विचार व्यक्त किया था कि निर्धारित समय को बारबार परिवर्तन किया जा रहा है। हमने यहां पर अपनी चिंता व्यक्त की है। हमारी चिंता बिल्कुल ठीक है। जनता ने भी हमारे विचारों का समर्थन किया है क्योंकि यह बजट इस महीने की 15 तारीख से पहले पारित कर दिया जाना चाहिए था परंतु चुनाव आयोग के द्वारा की गई स्वैच्छिक कार्यवाही के कारण ऐसा नहीं हो सका। चुनाव आयोग एक सांविधानिक प्राधिकरण है। मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता। मैं इस सांविधानिक प्राधिकरण पर छींटाकशी भी नहीं करना चाहता। परंतु अब उचित समय आ गया है कि यह सभा इन बातों पर विचार करें कि यदि संविधानिक प्राधिकरण स्वयं संविधान के द्वारा तय की गई सीमाओं से बाहर जाकर कार्यवाही करने लगे तो इस सभा को क्या कदम उठाने चाहिये, क्या कार्यवाही करनी चाहिये, क्या सीमाएं हैं। संविधानिक प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार के सनक भरे कदम उठाये जा रहे हैं। हमें विचार करना है कि इस संविधानिक प्राधिकरण, चुनाव आयोग पर किस तरह नियन्त्रण रखा जाये। इन सभी बातों पर यहां पर विचार करने की जरूरत है।

चुनाव परिणामों के जो संकेत मिल रहे हैं उनसे पता चलता है कि जो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी और जिसे बर्खास्त किया गया था..*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. मुमताज अंसारी : मैं जानता हूं कि यह संविधानिक प्राधिकरण है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये आपको समूचित सूचना दिये बिना उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये।

(व्यवधान)

डा. मुमताज अंसारी : मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। परंतु संविधान के सभी औचित्यों तथा अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया और मनमाने ढंग से इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। चुनाव 15 मार्च 1995 से पहले आयोजित नहीं कराये गये। यदि चुनाव आयोजित करा दिये जाते और परिणाम घोषित कर दिये गये होते तो इस महीने की 15 तारीख से पहले लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार बन सकती थी। अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा इस अवधि के दौरान वहां पर इतने अधिक अत्याचार तथा ज्यादतियां की गई हैं जैसा कि कुमारी ममता बनर्जी ने उल्लेख भी किया है। समाचार पत्रों में तथा अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है कि अर्द्ध सैनिक बलों ने कम से कम 100 महिलाओं के साथ छेड़खानी की है। महोदय यह सवाल उठाया गया है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपको इसकी सारी जिम्मेदारी लेनी होगी।

डा. मुमताज अन्सारी : मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह सब कहने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मुद्दे पर बोलें।

डा. मुमताज अंसारी : मैं मध्य बिहार में था। वहां पर पुलिस अधिकारियों के पास एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।

अध्यक्ष महोदय : उस पर न्यायालय विचार करेगा। आपको यह बात समझनी चाहिये कि आप संसद सदस्य हैं। आप अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते।

डा. मुमताज अंसारी : वहां पर जो अर्द्ध-सैनिक बल तैनात किए गए थे, जिनकी राज्य सरकार ने मांग की थी और जिनको राज्य के हर कोने में तैनात किया गया था उनको भी यह समझना चाहिये कि उनके लिये क्या सीमायें हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि केवल एक महिला से भी छेड़खानी हो तो यह भी हम सभी के लिये चिंता की बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

डा. मुमताज अंसारी : परंतु अर्द्ध-सैनिक बलों ने सैकड़ों महिलाओं के साथ छेड़खानी की और अनेक तरह की ज्यादतियां की गई।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप की यह बात गलत सिद्ध हुई तो आपके विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय की यह घटना है उस समय श्री लालू यादव मुख्य मंत्री थे...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अनावश्यक है। आप दूसरे मुद्दों पर बात करें। यदि किसी अकेले व्यक्ति के साथ भी दुर्व्यवहार होता है तो यह चिंता का विषय है। हम इसे समझ सकते हैं। आप इस बात को छोड़ दें और आप दूसरे मुद्दों को लें।

डा. मुमताज अन्सारी : धन्यवाद महोदय। वहां इस प्रकार की बातें हुई। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पिछले चार महीनों से वहां पर चुनाव चल रहे हैं। देश के इतिहास में चुनावों में कमी भी इतना लम्बा समय किसी दूसरी जगह नहीं लगा। इस राज्य के साथ इस तरह की ज्यादती हुई है और चुनाव आयोग की निरंकुशता तथा सनद भरी कार्यवाही से अनेक दिक्कतें आई हैं। सड़कों पर वाहन तक नहीं चल रहे थे। उस राज्य के लोगों को आवश्यक वस्तुएं तक नहीं मिल रहीं थीं। लगातार चार महीने जनता को दिक्कतें सहन करनी पड़ी। यह बहुत चिंता का विषय है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी भावनाओं, हमारे रोष को चुनाव आयोग तक पहुंचाया कि संसद सदस्य बहुत उद्वेलित हैं।

2.00 म.प.

और इसी कारण आपके द्वारा चुनाव आयोग को समझाये जाने पर वहां मतदान की गिनती की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने अपने विचार व्यक्त किये। बस इतना ही है।

डा. मुमताज अंसारी : धन्यवाद। हमारे रोष के बारे में चुनाव आयोग को सूचित किया गया और अब गिनती जारी है तथा चुनाव परिणामों के संकेत भी पता लग रहे हैं। अनेक सदस्यों ने सरकार की लोकप्रियता को चुनौती दी। पिछली सरकार अर्थात् लालू यादव की सरकार को भी बहुत से विपक्षी सदस्यों ने चुनौती दी। माननीय सदस्य, श्री चन्द्रजीत यादव ने सरकार के विरूद्ध यह आरोप लगाया कि उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात नहीं किया जा रहा तथा चुनाव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि अब आयोजित किए गए चुनाव...

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने यह बात नहीं कही है।

डा. मुमताज अंसारी : आपने अभी-अभी ऐसा कहा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने इस तरह नहीं कहा।

डा. मुमताज अंसारी : मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

जनता ने अपना मत व्यक्त कर दिया है। चुनाव सुधार होने चाहिये। हम चुनाव सुधारों से भाग नहीं रहे हैं। पहले जब संसद का सत्र चल रहा था तो चुनाव सुधार विधेयक लाया गया था और हम उसके समर्थक थे। परंतु अन्ततः इसे वापस ले लिया गया। अब भी यदि उस तरह का चुनाव सुधार विधेयक लाया जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और हम उसे समर्थन देने को तैयार हैं। हम सरकार तथा चुनाव आयोग द्वारा जो भी चुनाव सुधारों हेतु कदम उठाये जाते हैं उनका समर्थन करेंगे। परंतु किसी भी राज्य के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। बिहार में चूंकि गैर-कांग्रेस सरकार का शासन था अतः इसके साथ अनेक मामलों में भेदभाव किया गया। उसके साथ चुनावों के बारे में ही भेदभाव नहीं किया गया बल्कि वित्तीय सहायता के बारे में इसके साथ भेदभाव किया गया। जहां तक वित्तीय सहायता का संबंध है बिहार सरकार को 600 करोड़ रु. मंजूर किये गये किन्तु उसे खत्म कर दिया गया। जहां तक औद्योगिक विकास तथा कृषि विकास का संबंध है इस राज्य के साथ भेदभाव किया गया है। इस राज्य के साथ खनिज संसाधनों तथा बन संसाधनों के बारे में भेदभाव किया गया। वहां पर खनिज संसाधनों तथा बन संसाधनों की भरमार है। वहां की उपजाऊ भूमि सारे देश के लिए खाद्यान्न पैदा कर सकती है। बिहार के उत्तरी भाग में जलोढ भूमि भी उपलब्ध है। यदि इसे उपयोग में लाया जाये इसमें सारे देश के लिये अनाज पैदा किया जा सकता है। परंतु इन संसाधनों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार चूंकि बिहार के साथ वित्तीय सहायता के बारे में भेदभाव कर रही है और देश के उस भाग को अपेक्षित वित्तीय सहायता रिलीज नहीं की जा रही है अतः यह गरीबी में डूबा है, गरीब है और इसका अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं हुआ है। अतः मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार को वित्तीय सहायता के मामले में, विकास के मामले में और खनिज एवं बन सम्पदा के विद्रोहन के मामले में बिहार के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिये। आप यदि इस बजट को केवल पारित कर रहे हैं तो मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

डा. मुमताज अंसारी : किन्तु मेरा सुझाव है कि इसके बाद चुनाव आयोग, जो सांविधानिक प्राधिकरण है, के द्वारा इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिये और सभा को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिये। यदि किसी प्रकार का कोई संविधानिक संकट है जो संविधानिक प्राधिकरण के द्वारा पैदा किया जा रहा है और एक बार यदि इस संविधानिक प्राधिकरण के द्वारा गेंद को सीमाओं से बाहर फैंक दिया जाता है तो यह देखना इस सभा का दायित्व तथा कर्तव्य है कि इस गेंद को फिर से वापिस लाया जाये और यह भी देखा जाये कि इस प्रकार के सांविधानकि प्राधिकरण पर भी नियंत्रण लगाया जाये। इस प्रकार के सांविधानिक प्राधिकरण पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायें ताकि उनके द्वारा अपनी अधिकारों तथा सीमाओं का उलंघन न किया जाये। ये मेरे सुझाव है।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि यदि अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के साथ किसी राज्य में ज्यादतियां और अत्याचार किये जायें तो उनके लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिये और इस प्रकार के बलों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार की बातों की पेचीदगियां नहीं समझ रहे हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा. मुमताज अंसारी : मैं इस बात को समाप्त करता हूं। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार को हर प्रकार की वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। आप उसे बजरीय समर्थन दे रहें हैं परन्तु साथ ही विशेष वित्तीय सहायता भी रिलीज की जानी चाहिये क्योंकि पिछले चार महीनों से सारा विकास कार्य रुका हुआ है। यह सारा काम गल्तियों के कारण रोक दिया गया है और यह गल्तियां ऐसे एक प्राधिकारी की हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप उस पर आपत्ति करेंगे और उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा। इसी कारण मुझे डर लग रहा है। बिहार के विकास के लिये विशेष सहायता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये और एक सांविधानिक प्राधिकारी की गल्ती के कारण राज्य को जो नुकसान पहुंचा है बिहार को विशेष सहायता देकर उस नुकसान को पूरा किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आम चर्चा पर बाद में उत्तर दे सकते हैं।

मैं अब वर्ष 1995-96 के लिये लेखानुदानों की मांगें (बिहार) मतदान के लिये रखूंगा :

प्रश्न यह है :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ में दिखाई गई मांग संख्या 1,3 से 15, 17, 19 से 47 के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां बिहार राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब वर्ष 1994-95 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगे (बिहार) मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई मांग संख्या 1,3 से 11, 13, 14 से 21, 23, 25 से 30, 32, 34 से 37, 40, 42, 43, 45 और 46 के संबंध में 31 मार्च 1995 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां बिहार राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.07 म.प.

बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1995 की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।*

मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

> "खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

** दिनांक 30.3.95 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.10 म.प.

बिहार विनियोग विधेयक, 1995**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।*

** दिनांक 30.3.95 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित प्रस्तुत।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये बिहार सरकार की संचित निधि में से कुछ और कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिये बिहार सरकार की संचित निधि में से कुछ और कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : इतना कुछ कर लेने के बाद हमें भोजन अवकाश करना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय और क्या कार्य शेष बचा है?

अध्यक्ष महोदय : हमें अभी-अभी विधेयक पारित करने हैं। हम भोजनकाल के पश्चात् उनको लेंगे।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : क्या अब भोजन अवकाश होगा।

अध्यक्ष महोदय : इतना सब काम करने के बाद हमें केवल 'भोजन' की ही जरूरत नहीं है परन्तु 'भोजन-काल' की आवश्यकता है। सभा 3.15 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

2.12 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 3.15 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

3.20. म.प.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 3.20 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय मेरा एक अनुरोध है। अगला विधेयक श्री कमल नाथ का है। उनके निजी सचिव ने सूचना भेजी है कि उनको किसी की मृत्यु हो जाने के कारण अचानक दिल्ली से बाहर जाना पड़ा है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि कार्य सूची में दर्ज अगले विधेयक को लिया जाये जिसे श्री जी. वेंकट स्वामी पेश करेंगे।

सभापति महोदय : क्या इसके लिये सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

3.21 म.प.

कपास परिवहन निरसन विधेयक** राज्य सभा द्वारा यथा-पारित

सभापति महोदय : अब हम कार्य सूची की मद संख्या 53-कपास परिवहन निरसन विधेयक पर विचार करेंगे।

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं *:

> "कि कपास परिवहन अधिनियम, 1923, को निरसित करने वाले राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाये।"

** दिनांक 30.3.95 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सभापति महोदय, कपास परिवहन अधिनियम, 1923 को 23 फरवरी, 1923 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम विशिष्ट इलाकों में पैदा हुए उत्तम किस्मों के स्टैपल कपास की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये इसके परिवहन को प्रतिबन्धित करने और नियंत्रित करने के लिये बनाया गया था। कपास के उत्पादन में कई गुणा वृद्धि तथा विपणन एवं खपत के ढांचे में हुए परिवर्तनों को देखते हुए कताई मिलों को कपास समय पर मिलने तथा निर्बाध परिवहन में इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण बाधाएं आ रही थीं।

देश के औद्योगिक जोनों के भीतर पूरी तरह से संपीडित कपास के लाने-ले जाने पर लगे विनियम को हटाने तथा मिलों को कपास की पूर्ति समय पर सुनिश्चत कराने के लिये इस अधिनियम को निरस्त करना जरूरी समझा गया। प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिये है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कपास परिवहन अधिनियम 1923, को निरसन करने वाले राज्य सभा द्वारा यथा पारित, विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति जी, अभी सदन के सम्मुख मंत्री जी के द्वारा प्रस्तत कपास परिवहन निरसन विधेयक 1994 देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत सामान्य है लेकिन मुझे इस अवसर पर कवि बिहारी का एक दोहा याद आ रहा है कि "सतसैयां के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गम्भीर"। माननीय मंत्री जी ने जो एक पंक्ति का, दो पंक्ति का विधेयक सदन के सामने रखा है और कहा है कि जो कानून अंग्रेजी राज्य के अंदर बना था उस कानून को निरस्त करने के लिए यह कानून लाए हैं, लेकिन मान्यवर, यह गम्भीर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। चाहे अबोहर-फाजिल्का का किसान हो, चाहे गंगानगर का किसान हो या पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण कहीं का भी किसान हो, जहां भी कपास पैदा होती है उसकी मेहनत के मुकाबले में उसको मूल्य नहीं मिलता है। इन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन पहले वाले कानून के द्वारा थी। मान्यवर, अंग्रेजों के अपने स्वार्थ थे। कपास तो हिन्दुस्तान पैदा करता था लेकिन जाता था इंग्लैंड के अंदर कपड़ा बनाने के लिए और फिर कपास कपड़ा बनकर हिन्दुस्तान के अंदर बड़ा मंहगा बिकता था।

उनका उद्देश्य केवल मात्र धन कमाना था। यहां पर कृषि मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे मेरी बात को ध्यान से सुनें। जैसे आप अन्य फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, मैं चाहता हूं कि कपास के मूल्य के बारे में भी आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। अभी कुछ समय की बात है हमारे देश में कपास पैदा हुई तो उसमें कीड़ा लग गया जिसके कारण किसानों को जितनी आमदनी होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि जो

कपास 2200-2300 रुपये के भाव बिका करती थी, वह 200 रुपये में भी बिक नहीं सकी। आप इसके अबाध लाने-ले जाने के लिए यह बिल लाये हैं और आपने यह भी कहा है कि हम इसकी गुणवत्ता को बनाये रखना चाहते हैं जिससे सही माल कताई मिलों तक पहुंचे। इसके साथ आपको कपास के किसानों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।

कभी-कभी कपास का उत्पादन बहुत हो जाता है और कभी-कभी निर्यात पर पाबंदी लगा दी जाती है। परिणाम यह होता है कि निर्यात रुक जाने के कारण उसका स्टाक हो जाता है। इससे विदेशों में हमारी साख गिरती है। पिछली दिनों हमारी कपास की उपज कम हुई थी, उसमें बीमारी लग गई थी जिसके कारण उसका निर्यात रुक गया। इससे विदेशों में हमारी साख को धक्का लगा और जापान तथा अमरीका ने प्रयास किया कि इस मामले में हिन्दुस्तान को ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया जाये। मेरी मांग है कि कपास पैदा करने वाले किसानों के ऊपर मार न पड़े, उनको अपनी उपज का जायज मूल्य मिले। कभी इसमें रोग लग जाता है तो उसकी दवा भी काफी महंगी आती है, वैसे भी कपास की फसल काफी खर्चीली होती है, मैं चाहूंगा कि जो कीटनाशक दवाएं इसमें इस्तेमाल होती हैं। वे किसानों को रियायती मूल्य पर मिलें। इसके स्टाक को ज्यादा नहीं करना चाहिए और किसान को इसको बेचने में छूट मिलनी चाहिए। कपास की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और उसकी शुद्धता को बनाये रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। पहले तो अंग्रेजों का इसमें निहित स्वार्थ था। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चहिए। कताई मिल हों, हैंडलूम मिल हों, या पावरलूम हों, वे कई बार स्टाक इकट्ठा कर लेती हैं और कपड़ा सप्लाई नहीं करती हैं, यह भी उचित नहीं है। आप रूई के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पाबंदी दूर करना चाहते हैं, वह किस सीमा तक लगाना चाहते हैं? क्या किसान अपनी सुविधानुसार कपास को अपनी मंडियों में बेच सकेगा, मिलों को बेच सकेगा या कृषि उपज मंडी समिति द्वारा बेच सकेगा, या फिर बिचौलिये बीच में आकर उसको नुकसान तो नहीं पहुंचायेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

इसमें भी उदारीकरण की नीति काम कर रही है। जो नई आर्थिक नीति आई है उसके अंतर्गत आप किसान का भी मुक्त संचालन और निर्बन्धन व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से बढ़ायें तो अच्छी बात है।

उससे कम्पटीशन होगा ही लेकिन इसमें भी भारतीय कपास की शुद्धता, श्रेष्ठता और गुणवत्ता बनी रहनी चाहिये। कई बार देखा गया है कि सरकार हथकरघा के नाम पर ऊल-जुलूल निर्णय कर लेती है जिससे कपास उत्पादनकर्त्ताओं को नुकसान होता है और उनको अपनी उपज का मूल्य पूरा नहीं मिलता है। हमारे देश में कई एन टी सी की मिलें बंद हैं परिणामस्वरूप उसमें काम करने वाले मजदूरों की दशा दयनीय बनी रहती है। सरकार मिलों को समय पर कपास नहीं देती है, मिलें सिक हो जाती हैं और फिर मजदूरों की छंटनी आरम्भ हो जाती है। कई दफा तालाबंदी भी हो जाती है और मजदूरों से दस्तखत करके उनको घर भेज दिया जाता है। इस बारे में भी मंत्री जी स्पष्ट करें कि एन टी सी मिलों और कताई मिलों को समय पर कपास की आपूर्ति की जाये। हथकरघा पावरलूम के सामने कताई के धागे का संकट पैदा न हो, इसके बारे में निर्धारित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो उदारीकरण की नीति अपनायी गयी है उसमें खुला व्यापार भी चाहते हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने स्टाक करने के नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया। यह किस कारण से किया गया? जैसा मैंने कहा कि कपास का दाम 2200-2300 रुपये था, वह गिर कर 200-300 रुपये पर आ गया। इस सब नुकसान का कौन जिम्मेदार है? सरकार का नोटिफिकेशन, जिसको कैंसिल कर दिया गया।

श्री जी. वेंकटा स्वामी : आप पूरा मालूम करके बोलिये।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं मालूम करके ही बोल रहा हूं। मैं, उत्तर हो या दक्षिण हो, सबके लिये कह रहा हूं। उत्तर और दक्षिण दोनों के लिये ऐसे संगठन बने हुये हैं उन लोगों ने कपास उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये ज्ञापन दिये हैं जिनपर आपको गौर करने की आवश्यकता है ताकि कपास का उत्पादन और अधिक किया जाये, वरना उत्पादन घट जायगा तो एक्सपोर्ट में नुकसान होगा क्योंकि निर्यात हमारे व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है।

सभापति महोदय, यह कपास परिवहन विधेयक, 1923 का है जिसे संशोधन करने के लिये लाया गया है। पहले तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था और इसे खत्म करना है और इस नये कानून के जरिये आप कंट्रोल हटाना चाहते हैं ओर जो बातें इसमें दी गयी हैं उन बातों को निर्बाध रूप में खुली छूट देना चाहते हैं तो कपास उत्पादन करने वाले किसानों के हितों की रक्षा की जाये, यह सरकार से मांग करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : सभापति जी, यह जो बिल कपड़ा मंत्री जी लाए हैं इसके लिए मैं उनका धन्यावाद करता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि यह किसानों के हित में एक अच्छा कदम है। 1923 में यह बिल अंग्रेजों ने पास किया था और अब तक यह उनकी निशानी के रूप में रहा। यह जितना पहले खत्म हो जाता उतना अच्छा होता। मगर देर से लाने के बाद भी यह एक अच्छा कदम है और मैं इसके लिए मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

कपास हमारी कैश क्रोप है और यह ठीक है कि यह कुछ इलाकों में होती है और यह जहां होती है वहां किसान इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। हम सबको यह भी पता है कि जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद किसानों की एक बहुत बड़ी शिकायत कपास के बारे में रही है कि उनको उसकी ठीक कीमत नहीं मिलती। इसके लिए सरकार को समय-समय पर सपोर्ट प्राइस अनाउंस करना पड़ा जिससे किसानों को मदद मिलती रहे। इसके लिए कॉटन कार्पोरेशन भी बनाया गया। अभी रावत जी बता रहे थे कि कॉटन मानचेस्टर और लंकाशायर जाती थी ताकि वहां कपड़ा बने और फिर हमारे देश में

आए। कॉटन का क्रेज सारी दुनिया में बढ़ रहा है और पॉलियेस्टर का क्रेज कम हो रहा है। इसके लिए किसान जो कपास उगाता है, उसको न सिर्फ अच्छी कीमत मिलनी चाहिए बल्कि उसको हौसला होना चाहिए कि अगर वह दूसरी क्रॉप छोड़कर कपास उगाएगा तो उससे उसको आमदनी होगी और देश में भी खुशहाली आएगी।...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : आप कपास कहें या कॉटन ही कहें। हमारे कृषि मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि क्या वे बताएंगे कि कॉटन और कपास में क्या अंतर है?

सभापति महोदय : ये तरीका ठीक नहीं है।

श्री उमराव सिंह : अगर माननीय सदस्य को समझ में नहीं आता तो मैं कपास ही कहता हूं। मैं कह रहा था कि यह किसानों के हित में बहुत अच्छा कदम है। इससे जहां कपास की मिलें हैं उनको सहूलियत होगी और व्यापारियों को भी सहूलियत होगी कि वे किसी इलाके से भी कपास ले जा सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि यह अंग्रेजों की लीगेंसी को रिपील करने का अच्छा मीज़र लिया गया है।

सभापति जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने आधा काम किया है और आधा काम अभी बाकी है। कपास का मूवमेंट चल रहा है तो यह काम हो गया मगर कपास के ऐक्सपोर्ट की इजाजत नहीं मिली। कपास ऐक्सपोर्ट करने से उनको और कीमत मिल सकती है और उससे किसानों को और भी फायदा हो सकता है जिससे किसान कपास की ज्यादा पैदावार की तरफ लग सकते हैं। कपास की ज्यादा पैदावार होने से कपास का सपोर्ट प्राइस बढ़ेगा जिससे देश और किसानों को फायदा होगा। इसलिए मैं मंत्री जी को कहूंगा और कृषि मंत्री बलराम जी को भी कहूंगा क्योंकि इनके इलाके में भी बहुत कपास होती है।

उन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कॉटन के एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें तो मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में कॉटन की कमी नहीं रहेगी। अगर बीज की कमी पड़े तो पंजाब सारे देश की कमी पूरी कर सकता है। और दूसरी पैदावार, जैसे-ऑयलफीड हैं, सनफ्लॉवर है, इनकी पैदावार बढ़ी है।

मैं कहना चाहूंगा कि कॉटन पर कीड़ा लगने से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि उनके इलाके में कीड़े लग गये हैं और फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि क्रॉप इंश्योरेंस को प्रायोरिटी पर लेकर फैसला किया जाय ताकि किसानों को उनकी फसलों के नुकसान से बचाया जा सके। मेरा मानना है कि सारी क्रॉप्स के लिए तो हम यह लागू नहीं कर सकते लेकिन कैश क्रॉप्स के लिए तो यह बहुत लाजिमी है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू किया जाय।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसान को स्टॉक के आधार पर ऋण मिलना चाहिए। यदि किसान कपास को आते ही मार्केट में ले जाय तो उसको उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता। किसान के पास इतने साधन नहीं होते कि वह उसका स्टॉक [illegible] न तो गोदाम हैं और न ही और कोई साधन हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि कॉपरेटिव या दूसरे बैंकों के माध्यम से उसकी उपज को बंधक करके उनको ऋण दिलाया जाय ताकि किसान जब कपास का भाव बढ़े उस वक्त उसको बेचकर अच्छा पैसा कमाये।

सभापति महोदय, यहां एन.टी.सी. मिल की बात कही गयी है। यह बात सही है कि यह मिल पुरानी है और इसके आधुनिकीकरण की जरूरत है। मेरा कहना है कि जब तक कॉटन का बाई-प्रोडक्ट नहीं होगा, कपड़ा नहीं बनेगा, धागा नहीं बनेगा तब तक किसानों को पूरी कीमत नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि उन मिलों का आधुनिकीकरण करके जितना अच्छा कपड़ा देश में बनना चाहिए, वह कपड़ा बने और वह कपड़ा एक्सपोर्ट भी हो। इसलिए एन.टी.सी. मिल का आधुनिकीकरण किया जाय और उसकी जो मशीनरी पुरानी हो गयी है उसका भी रिप्लेसमेंट किया जाय। सभापति महोदय, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, पंतनगर में हैं, पंजाब की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की है, इन्होंने कॉटन की न्यू वैराइटीज ढूंढने में अच्छा काम किया है। कई जगह पर उन्होंने नये-नये बीज भी निकाले हैं। इससे किसानों का फायदा हुआ है क्योंकि कपास जितनी नफीस होगी उसके भाव उतने ही अच्छे मिलेंगे, उसका कपड़ा भी अच्छा बनेगा।

सभापति महोदय, इस किसान विरोधी बिल को रिपील करने के लिए जो बिल लाये हैं उसका मैं पुरजोर समर्थन करना चाहता हूं और जो भी पुराने अंग्रेजों के समय के बिल पड़े हैं, जिनमें हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम कहां ट्रेड कर सकते हैं, फ्री-मूवमेंट कर सकते हैं। हमारे जिस कानून में इस किस्म के प्रावधान हैं, वे सब रिपील होने चाहिये ताकि सारे देश में कॉटन का एक भाव हो और किसान उसका फायदा उठा सकें।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, विधेयक अपने वर्तमान रूप में निश्चित रूप से एक तकनीकी विधेयक है परंतु मेरे विचार से इसमें कुछ बहुत ही मूलभूत प्रश्न उठाये गये हैं।

कपास एक ऐसी वस्तु है जिसका असर केवल उत्पादक पर ही नहीं होता, इससे केवल कपड़ा उत्पादक अथवा बुनकरों पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि इससे आम आदमी भी प्रभावित होता है, क्योंकि यह एक आम उपभोक्ता वस्तु है। अतः जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें वास्तव में इस असमंजस की स्थिति पर भी विचार करना है कि कपास उत्पादकों एवं बुनकरों के हितों के बीच, मिल क्षेत्र के बीच तथा अन्त में उपभोक्ता के हितों के बीच किस तरह से सामन्जस्य स्थापित किया जाये। वास्तव में हर कोई सूती कपड़ों का उपभोक्ता है। इनमें जनसंख्या का 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत वह भाग भी सम्मिलित है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहता है। यदि मेरी याददाश्त ठीक है तो आजादी के बाद से इस देश में कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि नहीं हुई है। शायद इसमें कुछ सीमान्त कमी ही आई है। इससे पता चलता है कि इस देश के निर्धन लोग आज

भी वास्तव में इस स्थिति में नहीं है कि वह मानव शोभा की मांग के अनुरूप कपास का कपड़ा खरीद सकें। अतः हमारे समाज के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहां पर रेखा खींची जाये। निश्चित रूप से कपास के उत्पादक को प्रोत्साहन के रूप में लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिये। यदि मूल्यों में गिरावट आती है तो उनको लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये कोई तंत्र होना चाहिये। इसी कारण से भारतीय कपास निगम का गठन किया गया था। परंतु तब तर्क के लिये यह कहना कि कपास के निर्यात की खुली अनुमति होनी चाहिये या आयात पर प्रतिबन्ध होना चाहिये, मेरी समझ में नहीं आता। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से कपास के मूल्यों में इस तरह वृद्धि होगी कि यह आम बुनकर और इस प्रकार आम आदमी के लिये पहुंच से बाहर हो जायेगी। अतः हमें कपास की समस्याओं पर विचार करने से पहले इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है।

मैं निश्चिंत नहीं हूं किन्तु मैंने हाल में एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि कपास में एक छोटा सा घोटाला हुआ था। कपास की जानबूझ कर जमाखोरी की गई जिसके कारण मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिला और मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो गई, जिसके कारण बुनकरों को कपास की सप्लाई पर असर पड़ा है। मैं नहीं जानता कि यह सूचना किस हद तक ठीक है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस मामले के तथ्यों की सदन को जानकारी दें। यह एक प्रकार की चेतावनी है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि कपास के संबंध में पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती अर्थात कपास उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनके हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि इसके कारण सूती कपड़ा कहीं आम आदमी की पहुंच से बाहर न हो जाये।

यहां पर एक और प्रश्न भी पैदा होता है। सन 1923 के बाद जब यह कानून अधिनियमित किया गया था–इससे यह मतलब नहीं है कि मैं इस कानून का समर्थन कर रहा हूं, इसके पीछे कोई तर्क और आधार रहा होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय हमें बतायें कि उस स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ जिससे इस कानून को जारी रखना तर्कहीन बन गया, यह केवल जानकारी के लिये ही है। परंतु मैं तो सारे देश को एक साझा बाजार माने जाने का समर्थक हूं। वास्तव में, अनेक वर्ष पहले जब मैं अमरीका में था और जब यूरोप एक साझा बाजार बनाये जाने की दिशा में कदम उठा रहा था, मुझे कुछ अत्यंत प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया गया था कि "आपको तो अपने एक स्वयं के साझा बाजार का लाभ प्राप्त है। उस समय हमारी जनसंख्या 50 करोड़ थी–किन्तु आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं।" अतः मैं विशेष रूप से आम उपयोग की वस्तु के संबंध में कपास जिसका आधार है, मैं इस पक्ष में हूं कि देशभर में इसकी निर्बाध आवाजाही की अनुमति होनी चाहिये। यही कारण है कि जब माननीय मंत्री द्वारा व्यक्त आरम्भिक विचारों में उन्होंने 'जोन' शब्द प्रयुक्त किया, तो मुझे कुछ परेशानी हुई है। क्या उनका विचार देश को कुछ जोनों में बांटने का है अथवा क्या वह देश भर में कपास की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि कपास की कीमत में एक रूपता आ सकें?

कुछ साथियों ने यहां पर निर्यात स्वतंत्रता के पक्ष में विचार व्यक्त किए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमें कपास का आयात भी करना है और निर्यात भी क्योंकि कपास इस्पात की तरह ऐसी जिन्सों में से एक है जहां आप उन सभी किस्मों और मानकों को पैदा नहीं कर सकते जिनकी हमें जरूरत होती है। कुछ ऐसे फाईबर, जो हमारे पास फालतू हैं, उनका निर्यात करना होगा और ऐसे फाईबर, जिनकी हमें जरूरत है, उनका आयात करना होगा ताकि उचित मिश्रण तैयार हो सके। अतः हमें सीजन विशेष के बाद निर्यात की जाने वाली मात्रा के संबंध में कुछ सरकारी नियन्त्रण सुनिश्चित करना होगा जबकि निर्यात तंत्र पर इतने नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हमें इस मूल बात को ध्यान में रखना चाहिये कि कपास का भाव एक निश्चित सीमा से ऊपर न जाये। मैंने पहले भी यह बात कही है।

एक अन्य बात भी है जिसका हमें ध्यान रखना है। एक ऐसा वक्त था जब सीमित प्रौद्योगिकी के कारण सूती कपास मिलें देश के कुछ भागों में ही स्थित थीं। जब कभी आप कच्चे माल से शुरू होकर अन्तिम उत्पाद तक जाते हैं तो हमेशा एक आर्थिक सुविधा पैदा होती है कि कहां और किस बिन्दु पर आप मशीनरी की स्थापना करें। उदाहरण के रूप में तेल रिफाइनरी की स्थापना तेल क्षेत्र में की जाये या तेल की खपत वाले इलाके में अथवा सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कपास का उत्पादन करने वाले इलाकों में की जाये अथवा उपभोग क्षेत्रों में। कपास के मामले में पहले जलवायु संबंधी कुछ आधार थे जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण आज अप्रासंगिक हो गये हैं। प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के कारण आज यह बात अप्रासंगिक हो गई है और वास्तव में आज आप एक आर्थिक रूप से सक्षम कपड़ा मिल की स्थापना विश्व में किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि सहारा रेगिस्तान में भी कपड़ा मिल स्थापित की जा सकती है। अतः मेरा यह सुझाव है कि चूंकि कपास भी आम खपत की वस्तु है और चूंकि भारत एक बड़ा देश है। अतः सरकार को सूती कपड़ा उद्योग का विकेन्द्रीकरण करने पर और इनकी स्थापना अलग-अलग स्थानों पर करने पर जोर देना चाहिये, ताकि इससे देश के सभी भागों में आम उपभोक्ता की जरूरत वाले सूती कपड़े की कीमत में कमी आयेगी। जहां तक संभव हो और जहां तक व्यावहारिक हो, हमें स्थानीय रूप से पैदा हुई कपास अथवा नजदीकी भागों से लाई गई कपास के बीच को आर्थिक संतुलन स्थापित करना चाहिये और मिल से निर्मित कपड़े को मिल के आस पास के बाजारों में ही बेचा जाना चाहिये। ऐसी दीर्घकालिक योजना बनाई जाये ताकि देश के सभी लोगों को पूरे देश में समान मूल्य पर तथा समान मात्रा में सूती कपड़ा मिल सके।

इस विधेयक के कारण यह विचार मेरे मन में उत्पन्न हुए हैं। मूलरूप से मैं देशभर में कपास की निर्बाध आवाजाही का समर्थक हूं, परंतु उसके साथ कपास उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य का आश्वासन होना चाहिए। हमारे देश में लाखों बुनकर हैं, उनको उस कपास से वंचित नहीं किया जाना चाहिये जिसकी उनको जीविका उपार्जन के लिये जरूरत है। अंत में, उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर उसकी

जरूरत के मुताबिक मात्रा में सूती कपड़ा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया जाना चाहिये। उसे जरूरत के मुताबिक कपड़ा उचित मूल्य पर मिलना चाहिये।

मुझे विश्वास है कि माननीय कृषि मंत्री तथा माननीय कपड़ा मंत्री इस बात की ओर ध्यान देंगे कि व्यापक राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों के हितों के बीच सामन्जस्य स्थापित हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी; वैसे इस बिल पर मुझे कुछ खास बोलना नहीं था, लेकिन इस बिल का सहारा लेकर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि कपास उद्योग से हमारे देश में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और देश की एक अच्छी-खासी आबादी सरोकार रखती है। चाहे कपास की खेती करने वाले किसान हों, या फिर खेती के बाद तैयार होकर कपास जब मिलों में जाता है, तो उनमें काम करने वाले लोग हों, हमारे देश की आम जनता इससे सम्बन्धित है।

सभापति महोदय, सरकार ने जो नयी आर्थिक नीति बनाई है उसके अन्तर्गत, चूंकि हमारे यहां वस्त्र उद्योग और कपास की खेती बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है और आजादी से पहले भी हमारा मुल्क इस मामले में बहुत उन्नति पर था, जैसा कि कहा जाता है ढाका की मलमल न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि विश्व में अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध थी। एक बार की बात है कि औरंगजेब की लड़की सात बार अपने शरीर पर ढाका की मलमल लपेट कर दरबार में गई, तब भी वह बिना वस्त्र के प्रतीत होती थी, तो हमारे देश में इतनी हाई टैक्नीक उस समय थी। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई है और खुशनसीबी यह है कि राज्य सभा में सरकार ने पेटेंट कानून बनाने सम्बन्धी विधेयक वापस ले लिया गया है।

खतरा इस बात का है कि कपास की खेती के मामले में उसका कहां तक इस्तेमाल होगा और कहीं वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में तो नहीं दे दिया जाएगा। इसलिए इस बिल पर बोलते हुए मैं सरकार का ध्यान इस ओर जरूर दिलाना चाहूंगा कि इस उद्योग को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल से बचाएं। आप अभी उन्हें देने जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता खेती समेत हिन्दुस्तान के सारे उद्योग उनके जिम्मे सौंपने की बात हो रही है। इसलिए मैं सरकार को कौशान करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल में इस उद्योग को नहीं दिया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.बी. सिदनाल (बेलगाम) : मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन काल के दौरान उनकी अपनी खपत के लिये और अपनी सुविधानुसार एक क्षेत्र विशेष की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये बनाया गया था। अब स्वाधीनता के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है और देर से ही सही, यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय मंत्री कपास की निर्बाध आवाजाही के लिये इस विधेयक को लाये हैं। आजाद देश में सभी कृषि उत्पादों को उनकी आर्थिक ऊंचाई तक जाने के लिए खुली आवाजाही की छूट होनी चाहिये।

कपास हमारे देश में पैदा होने वाली महत्वपूर्ण कृषि वस्तु है। इसकी खेती सिंचित तथा गैर-सिंचित इलाकों में की जाती है। उर्वरक सब्सिडी न होने के कारण किसान को बहुत हानि हो रही है। अब दी जाने वाली सब्सिडी अपर्याप्त है और किसान उत्पादन नहीं बढ़ा सकता। अतः सब्सिडी में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये। परंतु आज यह कहा जा रहा है कि बड़े किसानों और छोटे एवं सीमान्त किसानों में अन्तर है। जैसा कि आप जानते हैं काश्तकारी अधिनियम पुरःस्थापित होने के बाद अनेक राज्यों में, विशेषरूप से कर्नाटक तथा हमारे देश के दक्षिणी भाग में इसे पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया गया है। बड़े किसान के पास केवल 50 एकड़ खुश्क भूमि है और 10 एकड़ सिंचाई वाली भूमि है। यह हालत 20 साल पहले थी परंतु अब उनके पास मुश्किल से 2-3 एकड़ भूमि है। अब कोई बड़ा किसान नहीं है इस नाते अन्तर नहीं होना चाहिए। कृषकों को खूब सब्सिडी दी जानी चाहिये। कृषक अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि कृषि वर्षा, परिवहन विपणन तथा बाजार पर निर्भर है। किसान के पास गोदामों की सुविधा नहीं है कि वह अपना उत्पादन उसमें जमा करके उसे उस समय बेच सके जब बाजार में भाव अच्छे मिल रहे हों। उसमें जमाखोरी करने की भी क्षमता नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है।

कपास एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है और यह रोजगार प्रधान उत्पाद है। कपास की एक गांठ हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करेगी और खेत से मिल तक और फिर बाजार तक उनको भोजन मुहैया कराती है। परंतु जब कच्चे कपास की बिक्री की जाती है, किसानों को जो मूल्य दिया जाता है वह बहुत कम होता है। कीटनाशकों के भाव बहुत ऊंचे हैं और मेरे इलाके में जब तक आप टैम्पो अथवा ट्राली उपलब्ध न कराएं आपको श्रमिक नहीं मिलते। कपास का भाव 2 सालों के लिये ऊंचा रहता है परंतु तीसरे साल उसमें फिर से गिरावट आ जाती है। अतः हमने सरकार से समर्थन मूल्य का अनुरोध किया।

4.00 म.प.

समर्थन मूल्य इतना अपर्याप्त है कि उससे वे अपना गुजारा मुश्किल से कर सकते हैं। वास्तव में हमारे कृषि मंत्री स्वयं एक विशेषज्ञ किसान हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि समर्थन मूल्य बढ़ायें ताकि उनको कम से कम अपने निर्वाह के लिये पैसा मिल सके। अन्यथा किसान अपनी जमीन को बेचे बिना अपना पेट नहीं भर सकता। खुश्क खेती में तो और भी दिक्कतें हैं। सिंचित क्षेत्रों में मजदूरी के अतिरिक्त वह उर्वरक का बहुत महत्व होता है।

जहां तक कीटनाशकों का संबंध है, उनको गलत तरीकों से बेचा जा रहा है और हर जगह नकली कीटनाशक बेचे जा रहे हैं। वास्तव में अनपढ़ और नादान किसानों को कुछ जानकारी नहीं होती और वे इस बारे में कुछ नहीं समझते। वह इनको खरीद कर फसलों पर

छिड़कता है परंतु उनका असर नहीं होता। कीटनाशी दवाओं का कीड़ों पर कोई असर नहीं दिखाई देता। यह बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और नकली बीज बेचने वालों और पैदा करने वालों को सजा देनी चाहिये। कम से कम गुणवत्ता तो सुनिश्चित करनी ही चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेलगाम जिले का बेलोगंल तालुक सारे कर्नाटक में कपास के उत्पादन में सबसे ऊपर है। परंतु अब उत्पादन में गिरावट आती जा रही है। उपरोक्त कारणों से उत्पादन में कमी आती जा रही है। उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और साथ ही आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। किसानों को इसे काले बाजार में खरीदना पड़ता है। ऐसी अनेक बातें हैं। इन सबका अंत कब होगा?

कई बार हम देखते हैं कि कपास के भाव ऊंचे हैं। लोग यह कहने लगते हैं कि "देखो किसान अमीर आदमी बन रहा है।" वास्तव में यदि आप उसकी उत्पादन लागत का आंकलन करें तो उसका लाभ बहुत कम रह जाता है। उस गरीब आदमी को तो उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। उसका सारा परिवार खेत पर काम करता है। हालांकि वह कहता है कि उसे प्रति एकड़ 3000 रु., 2000 रु. या 1000 रु. की आय हो रही है परंतु वास्तव में उसने, उसके बच्चों तथा उसके पूरे परिवार ने जो श्रम किया है-उसे वह जोड़ता ही नहीं। अतः इन बातों पर विचार करने की जरूरत है।

कपास हमारे देश में सोने की खान की तरह है। यदि कपास की ठीक ढंग से खेती की जाये, यदि उत्पादन का समुचित प्रबंध किया जाये तो मेरे विचार से कृषक गरीब नहीं होगा। कपास सभी को रोजगार देती है। हम सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात से कितनी आय अर्जित कर रहे हैं? सूती वस्त्र स्वास्थ्य के लिये भी उपयोगी है। पोलिस्टर किस्म का कपड़ा स्वास्थ्य के लिये अच्छा नहीं है। विदेशी बाजारों में सूती कपड़े की बड़ी मांग है। अतः सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये और कपास के उत्पादन को पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

घटिया बीज धड़ाधड़ बिक रहे हैं। इसका पता तब चलता है जब उसकी उपज कम हो जाती है। उस स्थिति में वह असहाय हो जाता है। जब वह बीज विक्रेता के पास जाता है और कहता है कि उसके बीज खराब हैं, अच्छी किस्म के नहीं हैं तो उसको बताया जाता है कि बीज तो अच्छी किस्म के हैं परंतु उसने उर्वरकों का उपयोग नहीं किया होगा या और कोई कमी बता दी जाती है। अर्थात सारा दोष उसके सिर मढ़ दिया जाता है। इसका नुकसान किसान को होता है। उसको अपूर्णीय घाटा होता है। आमदनी का कोई और जरिया नहीं है जिससे वह इसकी क्षतिपूर्ति कर सके।

कपास का उत्पादन करने वाले किसान की यह स्थिति है। अतः बीजों की समुचित गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिये। इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश में वे केवल बीजों को सील कर उसे कोई ब्रांड नाम देकर बेच देते हैं। हमारे देश में और अन्य देश में नोट भी नकली चलते हैं, बीजों की तो बात ही क्या है। किसी भी विक्रेता द्वारा नकली बीज बेचना बहुत आसान काम है। अतः सरकार को इस ओर गंभीर रूख अपनाना चाहिये और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तन्त्र होना चाहिये कि ऐसा करने वाले को पकड़कर जेल में डाल दिया जाये। इस उद्देश्य से एक विशेष कानून बनाया जाना चाहिये। आज कृषि में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है।

इस विधेयक को लाने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं मंत्री महोदय को अनुरोध करता हूं कि इन सभी बातों का प्रबन्ध ठीक ढंग से किया जाये।

जहां तक गुणवत्ता बनाये रखने का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि आर्थिक उदारीकरण के बाद बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में आ जायेंगी और वे मिलें भी स्थापित करेंगी और उस समय उर्वरकों तथा श्रमिकों की कमी के कारण उत्पादन अपर्याप्त होगा।

मैं कृषि उपकरणों तथा उनके उपयोग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। खेती का यन्त्रीकरण संभव नहीं हो सका है जिसका कारण है जनसंख्या में वृद्धि तथा भूमि संबंधी कानूनों के कारण भूमि का टुकड़ों में बंट जाना। यदि हम कृषि का यन्त्रीकरण नहीं करेंगे तो हम अच्छे उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते। ट्रैक्टरों की कीमत बहुत ज्यादा है। इसे कम किया जाना चाहिये। कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिये। यदि नहीं निकाला जा सका, तो आशानुकूल उत्पादन नहीं होगा।

सरकार को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये। कृषि पर समुचित निगरानी के लिये एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये। गोदाम सुविधा का भी बहुत महत्व है। सभापति महोदय, आप पंजाब से आए हैं और आप जानते हैं कि इस देश में सर्वाधिक उत्पादन के बावजूद हम उसे संभाल नहीं सकते हैं। पंजाब के अमीर किसान भी उत्पादन को रख नहीं सकते क्योंकि उनके पास भी भण्डारण सुविधाएं नहीं हैं। इसकी ओर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

अंत में जहां तक समर्थन मूल्यों का संबंध है, श्री सैयद शाहाबुद्दीन ने कहा है कि मूल्य एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने चाहिये। उन्होंने यह नहीं बताया कि 'निश्चित सीमा' क्या है। मैं नहीं जानता कि उनको खेती का कोई अनुभव है और क्या वह जानते हैं कि किसान कितनी मेहनत करता है, लागत लगाता है और उसे क्या कितनी मुआवजा मिलता है और अनुमानित अधिकतम अथवा न्यूनतम मूल्य क्या होगा? यदि आप किसी पांच तारा होटल में जाते हैं तो आप आंखें मूंदकर बिल अदा कर देते हैं और सैकड़ों रुपये बख्शीश में देकर भी पछतावा नहीं करते। परंतु यदि किसान के लिए खरीद भाव में 5 रु. या 10 रु. बढ़ा दिये जायें या वसूली बढ़ा दी जाये, तो वह सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति होगा। गांव तथा शहर के बीच कितनी विसंगति है जो बढ़ती ही जाती है। हमें लोगों की मानसिकता को बदलना होगा ताकि वह अधिकाधिक धन कमाने के प्रति प्रेरित हो सकें। अन्यथा देश सम्पन्न नहीं बन सकता। हालत यह है कि दिल्ली अथवा बम्बई में रहने वाले लोग तो करोड़पति बन जाते हैं।

गांव का किसान भिक्षापति बनता है। हम कितनी बड़ी असमानता पैदा कर रहे हैं। इसका समुचित प्रबन्ध करके यह देखना जरूरी है कि कृषि में भी व्यवस्था हो। कृषि पर बहुत ज्यादा लोग निर्भर हैं। कृषि में कई पीढ़ियां काम करती आ रही हैं। दादा, पड़दादा, पुत्र, पौत्र, तथा उसका भी पुत्र सब धरती पर काम में लग जाते हैं। इस तरह कृषि पर काफी लोग निर्भर हैं। उद्योगों की स्थापना करके लोगों की इस पर निर्भरता को कम करने की जरूरत है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। श्री जी. वेंकट स्वामी बहुत अच्छे मंत्री हैं, वह उदार हैं, किसानों के हिमायती हैं और निर्धनों के भी हिमायती हैं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि समर्थन मूल्यों में वृद्धि की जाये।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बजट की सब्सिडी की 5000 करोड़ रु. की राशि से बढ़ाकर 7000 करोड़ रु. अथवा ज्यादा किया जाये।

जब कृषक उत्पादन बढ़ाता है तो उद्योग को कच्चा माल मिलता है। यदि देश को कृषि में आगे आना है तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाना होगा। चीन, इज़राइल, और जापान में कृषि की ओर पहले ध्यान दिया गया और कृषि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हासिल की, परंतु भारत कृषि पर निर्भर होते हुए भी कृषि में सुधार नहीं ला सका है।

मैं इस विधेयक को लाने के लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। कपास तथा अन्य वस्तुओं की निर्बाधन आवाजाही के कारण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, कपास अधिनियम, 1923 को हटाने का जो बिल भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, यह एक सराहनीय कदम हैं। लेकिन यह बिल पहले ही आ जाना चाहिये था। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह छोटा बिल है लेकिन 1923 में जब यह बिल अंग्रेजों ने बनाया था, तो इसका उद्देश्य छोटा नहीं था, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था। उस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा बनाने वाला देश था। अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा उद्योग को समाप्त करने का षडयंत्र रचा और उसी षडयंत्र के तहत यह 1923 का कानून बनाया गया था। जैसा मैंने पहले कहा कि इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था। कुछ दिनों को छोड़कर 45 साल से कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता रही लेकिन इस तरफ कांग्रेस पार्टी का ध्यान नहीं गया। मैं समझता हूं कि आपका ध्यान ऐसे विषयों पर कभी नहीं जाता, हिन्दुस्तान के साढ़े सात लाख गांव में बसने वाले लोगों को रोजगार दिलाने वाले, देश को खुशहाल करने वाले उद्योग की ओर नहीं जाता। जैसे शहाबुद्दीन साहब ने कहा, यह केवल किसानों से संबंधित सवाल नहीं है। इसमें किसानों से संबंधित सवाल हैं। कारखानेदारों से संबंधित सवाल हैं। और बुनकरों से संबंधित सवाल हैं। किसानों और मजदूरों को किस तरह से उचित और लाभकारी मूल्य मिल जाए इसकी तरफ भी इस एक्ट में कुछ ध्यान आप देते तो मैं समझता हूं कि किसान को कपास पैदा करने में ज्यादा मदद मिलती।

उत्तर प्रदेश और बिहार का गंगा का मैदान दुनिया का सबसे ऊपजाऊ क्षेत्र है, वहां कपास की खेती बहुत होती थी। अंग्रेज महाराष्ट्र और गुजरात आदि क्षेत्रों में यहां से कपास खरीदकर ले जाते थे। यहां से वे सस्ते में ले जाते थे और लोगों को कपड़ा महंगे दामों पर खरीदने के लिए विवश होना पड़ता था। गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई जब प्रारम्भ हुई तो सबसे पहले उन्होंने चर्खे के माध्यम से लोगों की आवश्यकता के लिए कपड़ा बनाया जाए, इस ओर ध्यान दिलाया था। उस समय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। ढाका की मलमल की बात अभी विजयभाई ने कही थी उसी तरह से बनारस की साड़ी की बात थी। हमारा भदोई क्षेत्र जो है वहां भी बुनकर लाखों की तादाद में हैं। बिहार के मधुबनी जिले में भी लोग कपड़ा बनाते हैं, बनारस के लोग भी कपड़ा बनाते हैं लेकिन सरकार का ध्यान उन लोगों की मूल समस्याओं की ओर कभी नहीं जाता। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

मैं चाहता हूं कि जो बुनकर काम करते हैं उनको उचित पारिश्रमिक मिल सके, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि वह दिन में थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन उनकी बस्तियों में रोशनी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर आप बिजली की व्यवस्था कर दें तो वह रात को भी काम करके कुछ ज्यादा कमा सकता है और अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकता है। गुलामी के दिनों से वे लोग यही बुनकरी का काम कर रहे हैं। 1923 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था तब भी ये लोग गरीबी की अवस्था में जी रहे थे और आज भी उनकी हालत वैसी ही है। मंत्री जी अगर इस कानून को बनाकर हिन्दुस्तान के किसानों और बुनकरों के जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं तो उनको उचित पारिश्रमिक मिले, इसकी भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। अगर यह काम आप कर देंगे तो यह उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा।

आज गांवों में किसान कपास की खेती करते हैं। लेकिन आपने कभी इस पर विचार नहीं किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार का गंगा का वह इलाका, जहां कि कपास एक समय बहुत होती थी, वहां के किसानों ने उसकी खेती क्यों बंद कर दी। वह इसलिए बंद कर दी, क्योंकि उनको इससे काफी घाटा होने लगा था। उसकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में तो वे ही लोग उसकी कपास को खरीद लेते थे, भले ही कम मूल्य पर खरीदते थे। अगर सरकार उनकी कपास के मूल्य उचित रूप से निर्धारित करती और उनको कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती, तो उस गंगा के मैदानी इलाके के किसान ज्यादा तरीके से उत्पादन कर पाते और इसको बंद नहीं करते। कपास परिवहन एक्ट को हटाने का ही सवाल नहीं है,

यह बुनकरों और मजदूरों से भी सम्बन्धित सवाल है। इसके साथ ही साथ उपभोक्ताओं से भी सम्बन्धित सवाल है। वह इसलिए है कि आपके मन में यह भावना आई होगी कि 1923 में जो कानून बना था उसके चलते हिन्दुस्तान के लोगों को कपड़ा महंगी दर पर उपलब्ध हुआ। जो लाभ वे लेते थे, वे उसको अपने देश भेजे देते थे। इसके लिए आप जो 1994 के बिल को कानून बनाने जा रहे हैं इसमें कम से कम अंग्रेजों का कानून न आने दें। क्योंकि उसके द्वारा हमारा जो शोषण होता था, वह अब न हो सके। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं उनको सस्ते मूल्य पर कपड़ा मिले, यही हमारी नीति होनी चाहिए। आपको तो जानकारी है ही कि गांव में रहने वाले लोग पैंट, कोट नहीं पहनते । मेरा कहना यह है कि आप कम से कम पैंट-कोट बनाने वाले कपड़ा मिलों को सीमांकित ही कर देते और जो धोती पहनने वाले लोग हैं, उनके लिए इस कपड़े का मूल्य निर्धारित कर देते तो बहुत बड़ा भला इस देश के मजदूरों का और गांव के लोगों का हो जाता। इससे बुनकरों की जीवनचर्या में भी फर्क आ जाता।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि उदारीकरण के चलते आप यह बिल लाये हैं, यह ठीक है, मैं उदारीकरण का पूरा समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि सरकार इससे देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।

लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि उदारीकरण नीति के अन्तर्गत आप जिन विदेशी कम्पनियों को यहां बुला रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लें। कर्नाटक में एक व्यापारी को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं की गयी जिसने एक हजार करोड़ रुपये का समझौता किया। श्री सोम भाई चावला नाम का आदमी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। बेनामी सरकार के चन्द्रस्वामी के लोगों ने उसको गिरफ्तार करवाया। उसकी जमानत कराई गयी फिर सी बी आई की इन्क्वायरी करने का आदेश कर दिया गया।

श्री उमराव सिंह : सभापति महोदय, मुझे इनकी बात पर आपत्ति है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं तो उदारीकरण नीति की बात कह रहा हूं। विदेशी कम्पनियों को यहां बुलाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि आप उनकी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे या गांव के गरीब किसान, बुनकर और मजदूर के लिये कोई योजना बनायी है या 1923 के कानून को हटाने की कोई योजना बनायी है तो यह सफल होने वाली है। इस देश में काम करने वाले लोगों पर इस नीति को जब तक लागू नहीं करेंगे या उनको इस घेरे में नहीं लेंगे, तब तक उदारीकरण की नीति आपके देश में सफल होने वाली नहीं है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कपास को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिये बिल लाये हैं और इस प्रकार किसान दूसरी जगह तक कपास ले जायेगा, मैं समझता हूं कि इसका अच्छा परिणाम निकलेगा।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर कपास पैदा होती है, उसके पास ही कपड़ा मिलें लगाये जाने की योजना होनी चाहिये, ताकि किसानों को फायदा मिले। उस कपास को निर्बाध गति से ले जाने में उसके मजदूरों को भी काम मिलेगा। पहले किसानों को कपास सुदूर क्षेत्रों में ले जानी पड़ती थी और इसके पीछे अंग्रेजों की रणनीति यह थी कि किसानों को गरीब बनाया जाये तो आप इस मुद्दे पर ध्यान देंगे। आप जिस कानून को बनाने जा रहे हैं, उसका महत्व तभी रहेगा यदि आप अपने उद्देश्य से भटक न जायें। जिस प्रकार आप 1923 के कानून को बदलकर 1994 का बिल बनाने जा रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि कई वर्षों के बाद कोई और सरकार आप द्वारा बनाये गये इस कानून को बदलने के लिये इसी प्रकार का बिल लाये जिस प्रकार आज आपको विवश होना पड़ रहा है। उस समय इस सदन में आप द्वारा पारित प्रस्ताव को हटाकर नया लायेगी तो इसकी विश्वसनीयता नहीं रह जायेगी।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले पुनः निवेदन करूंगा कि जब तक हिन्दुस्तान के किसानों, मजदूरों, बुनकरों की खुशहाली नहीं होगी तब तक इस विधेयक का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात 2-3 मिनट में समाप्त कर दूंगा। आज देश में काटन के भाव बढ़ गये हैं कि मिलें बंद होने लगी हैं। पिछले 2 वर्षों तक तो हिन्दुस्तान में जितना कॉटन पैदा होता था, उसके मुकाबले विश्व में इतना काटन नहीं हो सकता है।

लेकिन आज हम कपास पैदा नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र में कॉटन परचेज की मोनोपली खत्म होनी चाहिए। कॉटन सीसीआई या एनटीसी ले सकती है। मैं आपसे विनती करता हूं कि वह मोनोपली खत्म होनी चाहिए। सब जगह रेट्स एक समान होने चाहिए जिससे छोटे किसानों को फायदा मिल सके। आज कपास न मिलने के कारण बंबई की बहुत सी मिलें बंद है और बहुत से मजदूर भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कॉटन के भाव कंट्रोल कीजिए और बंद हुई मिलों को पुनः चालू कीजिए जिससे जो गरीब मजदूर है उनको कुछ फायदा हो। आप वस्त्र उद्योग को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। अगर कपास सही नहीं होगी तो मिल वाले कैसे सही माल बना सकते हैं? अगर उसमें कचरा आ जाएगा तो जो मॉडर्न मशीनें होंगी उसमें कपास अटक जाएगी तो वे कपड़ा कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप इस बारे में सोचें। आपने मुझे बोलने के लिए के मौका दिया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, यह बहुत ही साधारण और किसी को क्षति न पहुंचाने वाला विधेयक है जिसका उद्देश्य 1923 के अधिनियम को अर्थात कपास परिवहन अधिनियम

1923 को निरस्त करना है। करीब 72 वर्ष पूर्व एक विधेयक पारित किया गया था जो बाद में कपास परिवहन अधिनियम, 1923 बना।

उस समय की स्थिति क्या थी? उसके 24 वर्षों के पश्चात हमारा देश स्वतन्त्र हुआ। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आगमन 1923 से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। सन् 1920 में उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरूद्ध आंदोलन आरंभ किया जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता था। भारत में सूती कपड़ा की एक परम्परा है, इसका एक इतिहास है। गांधी जी यह कहा करते थे-वह केवल कहने मात्र के लिये ही नहीं कहते थे परंतु वास्तव में उनका यह विश्वास था कि "एक धागे के ऊपर भारत की स्वाधीनता झूल रही है"। इसके पीछे क्या तर्क था? महोदय आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में कपास की खेती हुआ करती थी और वह कपास इंग्लैण्ड अर्थात विदेश भेज दी जाती थी। इसे इंग्लैण्ड में मान्चेस्टर बर्किंघम आदि स्थानों पर भेजी जाती थी। कपड़ा मिलें भारत के कपास की प्रतीक्षा कर रही होती थीं। कपड़ा बनाने के लिये वहां की मिलों को वह कपास दी जाती थी और वहां पर तैयार कैपड़ा फिर भारत में आता था। हम बहुत अधिक कीमत अदा करके उसे खरीदते थे।

ब्रिटिश शासन के संरक्षण में ब्रिटेन के व्यापारी भारतीय किसानों का शोक्षण कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाना था और कपास व्यापार उनके शोषण का एक हिस्सा थी, जैसा कि आप जानते हैं। विपक्ष के कुछ सदस्य भी बुनकरों तथा कपड़ा श्रमिकों की मुश्किलों का उल्लेख कर रहे थे। गांधी जी ने इस सभी वर्गों को ओर ध्यान दिया था वह उनकी स्थिति पर चिन्तित थी। विशेष रूप से अहमदाबाद की कपास मिलों के मजदूर विरोधी रवैये पर उन्होंने सत्याग्रह भी किया था। कुछ हालातों में उन्होंने मजदूर संघ की गति-विधियों में भी हिस्सा लिया था। गांधी जी के लिए कोई क्षेत्र अछूता नहीं था। इस तरह गांधी जी को उस बात में विश्वास था जिसको हम कहते हैं "कारीपिन्डा कुरी खाआ" जिसका अर्थ है कि वह अब्बल खामों जिसे हाथ के द्वारा न कि मिलों के द्वारा तैयार किया गया हो। इसके पीछे आर्थिक तर्क है। आज के संदर्भ में भी हमारे देश में इसकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो गई है, जहां पर आज 90 करोड़ लोग रह रहे हैं और जहां पर हम बेरोजगारी तथा गहरी पैठ हासिल कर चुकी गरीबी के बारे में चिंतित हैं। इस प्रकार इसकी प्रासगिकता आज भी समाप्त नहीं हुई है। यही गांधीवादी दर्शन तथा गांधीवादी अर्थव्यवस्था है। हाथ से तैयार चावल खाओं और हाथ से बुना कपड़ा पहनो और इसी तरह उन्होंने चर्खा लागू किया। आप चर्खे के महत्व को जानते हैं और कैसे तथा कितनी पवित्रता के साथ उन्होंने चर्खे से व्यवहार किया। उन्होंने इस बारे में सुझाव दिया और हमने उसे स्वीकार कर लिया। उससें पहले चर्खे को राष्ट्रीय राष्ट्रध्वज में स्थान मिला और फिर कांग्रेस के ध्वज में यह निश्चित है कि बाद में हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। चर्खे का स्थान अशोक चक्र ने ले लिया। सूती कपड़ा व्यापार का इतना अधिक महत्व था और यह हमारी परम्परा थी और यह अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। इसके पीछे आर्थिक दर्शन है। यह पृष्ठभूमि है।

यह बहुत ही साधारण तथा बहुत ही अहानिकर विधेयक है। यह स्वाभाविक है कि इस पृष्ठभूमि में ब्रिटिश लोगों का दृष्टिकोण अपने हितों को सुरक्षित करने का था। कपास को देश में किसी अन्य स्थान पर ले जाने की अनुमति नहीं थी। कपास और खाद्यान्नों के परिवहन पर अनेक प्रतिबन्ध थे। इसका उत्पादन लागत खरीद मूल्य तथा उत्पादकों को अदा किये जाने वाले मूल्य पर असर पड़ा। इसका उसके साथ सम्बन्ध है। कुछ वर्ष पहले जब मैं उड़ीसा विधान सभा का सदस्य था मुझे याद है कि खाद्यान्नों के एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन पर रोक थी। खाद्यान्न का परिवहन केवल जिले के भीतर ही करने की अनुमति थी और सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस के बिना इसे परमिट अथवा लाइसेंस के बिना जिले की सीमाओं से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय यह जरूरी था क्योंकि उस समय सरकार को एक विशेष भाव पर गेहूं खरीदने की जरूरत थी और यदि इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाये जाते तो उस भाव पर खाद्यान्नों की खरीद बहुत मुश्किल होती।

दूसरी ओर सरकार का दायित्व है कि विशेषरूप से कमजोर वर्गों को उचित अथवा सस्ते भाव पर सप्लाई सुनिश्चित की जाये। मुझे खुशी है कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध हर जगह से हटा लिये गये थे। अब खाद्यान्न देशभर में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति है। इस तरह इस विधेयक को निरस्त करना काफी समय पहले जरूरी हो गया था। अतः यह एक स्वागत योग्य कदम है।

मैं अब गुणवत्ता का उल्लेख करता हूं। विधेयक के उद्देश्यों में भी मानक बनाये रखने के महत्वों का उल्लेख किया गया है। इस पहलू की दीवार खड़ी कर दी जानी चाहिये। स्वतन्त्र एवं बाजार के लिये अनुकूल अर्थव्यवस्था में भी गुणवत्ता बनाये रखने का बहुत महत्व है। अन्यथा आप मुकाबले में नहीं खड़े हो सकते। मेरा पुनः अनुरोध है कि इस पहलू की जांच की जाये।

जहां तक भारतीय कपडे का संबंध है, उनकी देशभर में ख्याति है। यूरोप, रूस तथा विश्व के अन्य भागों में विभिन्न बाजारों में हम देखते हैं कि भारतीय कपड़ा बहुत लोकप्रिय है। परंतु स्थिति की विडम्बना यह है कि आज विदेशी कपड़े धड़ल्ले के साथ भारतीय बाजारों में बिक रहे हैं। इसका बाजार की प्रक्रिया तथा बाजारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है।

इसके अतिरक्त मैं रूग्ण यूनिटों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे कपड़े उद्योग में स्वास्थ्य की स्थिति अलग-अलग है। सभी अच्छी हालत में नहीं हैं। कुछ मिलें रूग्ण हैं। यह पक्की बात है कि मजदूरों को संरक्षण देने के लिये कांग्रेस सरकार ने निजी क्षेत्र से रूग्ण मिलों के नियन्त्रण को अभिग्रहण किया है। बम्बई और गुजरात में निजी मिल मालिक तथा प्रोप्राइटर मिलों को रूग्णता की स्थिति में ले जाते थे और बाद में सरकार उनका अभिग्रहण कर लेती थी। यह

स्थिति अभी भी चल रही है। यह सच है कि आधुनिक मिलों की हालत काफी बेहतर है। यहां पर मैं बेकार हो चुकी प्रौद्योगिकी के साथ चलने वाली रूग्ण मिलों की बात कर रहा हूं। हमें इस रूग्णता का मुकाबला करना है और हमें इन मिलों का आधुनिकीकरण करना है।

मैं इस संदर्भ में यह बताना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य क्षेत्र में इस प्रकार की एक मिल है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र झारसुगुडा में है।

मैं हटकर मिल की बात कर रहा हूं। मजदूर मुसीबत में हैं और उनको उनकी मजूरी भी नहीं मिल रही है। 80 के दशक में कांग्रेस सरकार ने अनेक कताई मिलें स्थापित की थीं। जनता पार्टी सरकार के शासन काल में एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई जिससे सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कताई मिलें गैर-सरकारी लोगों को बेच दीं। तब गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों ने इन यूनिटों को रूग्णता की स्थिति में ले जाना शुरू कर दिया। तब सरकार को इनका अधिग्रहण करना पड़ा। गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों ने सरकारी क्षेत्र की मिलों को कैसे खरीदा जब तक कि ऐसी मिलें लाभ पर चलने की स्थिति में नहों और कुशल प्रबंध के साथ लाभ कमाने की स्थिति में न हों। यह बहुत स्वाभाविक है कि ये मिलें लाभ अर्जित करेंगी। इस प्रकार माननीय मंत्री अपने दृष्टिकोण में बहुत प्रगतिशील हैं और उनको मजदूरी की स्थिति की भी बहुत चिंता है। मैं बुनकर समुदाय के विकास एवं समृद्धि के बारे में उनकी चिंता की सराहना करता हूं। संख्या की दृष्टि से कृषक समुदाय के बाद बुनकर समुदाय का ही नम्बर हैं। परन्तु आधुनिकीकरण के कारण इस वर्ग की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। वह अन्यों से मुकाबले करने की स्थिति में नहीं हैं। एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उनको राज्य की ओर से करघों की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है परंतु यह योजना ठीक ढंग से चल नहीं रही है। राज्य सरकार इस योजना को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं कर रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन योजना का पुनरीक्षण किया जाये और यदि आवश्यकता हो, तो राज्यों के कपड़ा मंत्रियों की बैठक बुलाई जाये जो इस क्षेत्र के प्रभारी हैं और इस बात पर चर्चा की जाये कि बुनकरों की स्थिति में किस प्रकार से सुधार लाया जाये।

शाहबुद्दीन जी ने इससे जुड़े मजदूरों के विभिन्न वर्गों के हितों की बात की है। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि यदि कपास के लिये अधिक भाव दिये गये तो तैयार उत्पाद की कीमत में वृद्धि हो जायेगी। इस स्थिति में एक रास्ता बचता है। इसके परिणामस्वरूप देशभर में कपास के भावों में उतार-चढ़ाव आयेगा। पहले जनता कपड़ा तैयार किया जाता था। मेरे विचार से उस कपड़े को लठ्ठा कहा जाता था। इसका उपयोग जनता के द्वारा किया जाता था। अब भी सबसिड़ी वाला कपड़ा तैयार किया जा सकता है और सबसिडी की रकम उनके कीमती कपड़ों में समायोजित की जा सकती है। अतः इस बात के लिये रास्ता निकाला जा सकता है कि विभिन्न वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि समय आ गया है कि सभी प्रवृत अधिनियमों का पुनरीक्षण किया जाये। ऐसे अनेक पुराने कानून हैं जिनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। ऐसे अनेक कानून हैं जिनको सरकार को अल्मारियों में रख दिया गया है। ऐसे कानून आज की परिस्थितियों में अपनी प्रासगंकिता खो चुके हैं परंतु वे अभी भी सांविधिक पुस्तकों में बने हुए हैं। वे न्याय प्रणाली को और भी जटिल बना रहे हैं। अतः भारत सरकार को ऐसे सभी कानूनों की समीक्षा करनी चाहिये और जो आज की परिस्थितियों में अपनी प्रासंगकिता खो चुके हैं। उन कानूनों को कानून की पुस्तकों से निकाल बाहर किया जाना चाहिये।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे (विजयवाड़ा) : इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने मित्र उड़ीसा के सांसद अथवा अन्य माननीय सदस्य उन परिस्थितियों के बारे में जो कुछ कह चुके हैं, जिनमें पिछला कानून बनाया गया था। और माननीय मंत्री द्वारा दिये गये इस स्पष्टीकरण के बारे में, कि किन परिस्थितियों में इस कानून का निरसन किया जा रहा है, कुछ दोहराना नहीं चाहता। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव में कपास उत्पादकों के बारे में उतनी ही चिंतित हैं जितनी चिंता वह कपड़ा मिल मालिकों के बारे में दिखा रहे हैं।

माननीय मंत्री का संबंध भी मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश से है। महोदय बहुत ही दुख के साथ मैं आपको यह बता रहा हूं कि गुन्टूर तथा प्रकाशम जिलों के किसानों ने इस देश के लिये भारी योगदान किया है। इन जिलों के किसानों ने बहुत ही उत्साह के साथ कपास की खेती आरंभ की और देश को कपास के आयातक देश के स्थान पर कपास का निर्यातक देश बना दिया। महोदय उनके द्वारा अदा किये गये भारी मूल्य के एवज में सरकार ने उनके बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की है। मैंने आठवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. राजीव गांधी जी से तथा श्री एडुआर्डो फैलीरो से उस समय अनुरोध किया था, जिस समय कुछ महिलाओं सहित लगभग 60 कपास उत्पादकों ने आत्महत्या कर ली थी और कहा था कि उनके मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनके ऋण माफ कर दिये जायें। परंतु महोदय हम तत्कालीन सरकार को विश्वास नहीं दिला सके थे।

4.46 म.प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

श्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली तथा किसानों के मित्र श्री देवीलाल की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने किसानों के ऋण समाप्त करने का हिम्मत भरा निर्णय लिया जिसके कारण उन जिलों के कपास उत्पादकों को राहत मिली थी। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि वे अपनी औरतों के सोने के आभूषण बेचने की तैयारी कर रहे थे। मैं माननीय मंत्री से, जो एक विनम्र एवं कमजोर वर्ग के साथ संबंधित है, और जो कमजोर वर्गों के हितों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, अनुरोध करता हूं कि किसानों के हितों के सरंक्षण के लिये सभी आवश्यक

कदम उठायें। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कपास उत्पादकों को भारतीय कपास निगम में प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर वास्तव में विचार कर रहे हैं। क्या भारतीय कपास निगम में कपास उत्पादकों का एक भी प्रतिनिधि है? वे सब व्यापारी हैं। वे वास्तव में कपास उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैं किसी व्यक्ति विशेष में रूचि नहीं रखता। मेरा सुझाव यह है कि देश के भिन्न-भिन्न भागों के कपास उत्पादकों को भारतीय कपास निगम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करें। पंजाब और हरियाणा में मीडियम तथा छोटे स्टेपल के कपास की खेती की जाती है जबकि लम्बे तथा अति-लम्बे स्टेपल कपास की खेती आन्ध्र प्रदेश में की जाती है। इस तरह सभी राज्यों को इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

मैं कपास उत्पादकों के साथ हो रहे एक अन्याय को भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब श्री राजीव गांधी ने दीर्घावधि कपड़ा नीति तैयार की थी तो हमें प्रसन्नता हुई थी। जब लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ के साथ मैं इण्डोनेशिया गया था तो हमें बताया गया था कि उन्हें रूई की बहुत अधिक जरूरत है और उन्हें हमारी रूई पसन्द भी है, परंतु वह इस बारे में आश्वस्त नहीं थे। रूई की खरीद के यदि आर्डर दिये जायें तो वह आर्डर पूरे किये जायेंगे अथवा नहीं। इस तरह की स्थिति में सरकार ने दीर्घावधि कपड़ा नीति तैयार की थीं। रूई की कम से कम पांच लाख टन मात्रा का निर्यात किया जाना—निर्धारित किया गया था। किन्तु मिल मालिकों, कपड़ा क्षेत्र के बड़े लोगों—जो अधिकतर बड़े लोग हैं—के दबाव में आकर सरकार ने उनकी मांग को मानकर निर्यात कोटे पर प्रतिबध लागू किए अथवा स्टाफ सीमा को घटाया आदि जैसे नियम उठाये। इनका उद्देश्य रूई की कीमतों में कमी लाना था। हर साल जब रूई को बाजार में आवक शुरू होने को होती है रूई सलाहकार बोर्ड कुछ आंकड़े पेश करता है तथा दूसरा रूई संगठन कुछ अन्य आंकड़े बताता है। इस तरह की स्थिति बताई जाती है कि रूई की बहुलता है। उनका उद्देश्य यह होता है कि किसान इससे कम भाव पर अपनी कपास बेचे।

क्या गारमेन्ट्स, टैक्सटाईल अथवा बड़े उद्योगों द्वारा बेचे जाने वाले कपड़े के भावों के बारे में कोई नियन्त्रण है? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। जब कपास के भाव गिर भी जाते हैं तो ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आती जब मिल मालिकों ने अपने उत्पादों के भावों में कमी की हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। वे भारी लाभ कमाने के लिये हमेशा अपने भाव बढ़ाते रहते हैं। वह लाभ कमा रहे होते हैं किन्तु फिर भी किसानों की लागत पर वह और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। सरकार को इस बात को देखना चाहिये कि इस तरह की बातें न हों और कई की एक निश्चित मात्रा का हर साल निर्यात किया जाये ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में हमारे देश का नाम रहे। रूई बार कई कारणों से यदि उत्पादन में बहुत अधिक कमी हो जाये और हमें रूई की जरूरत हो तो उस स्थिति में, यदि सरकार रूई की एक दो तीन लाख गांठों का आयात भी करे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मैं एक और बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने निश्चित रूप से अनेक हथकरघा बनुकरों के लिये अनेक योजनाओं की घोषणा की है और आपने बताया है कि आप बुनकरों को सैकड़ों करोड़ रुपये की सहायता दे रहे हैं। परंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वयं आपके ही दल के एक वरिष्ठ सदस्य, जो स्वाधीनता सैनानी भी रहे हैं तथा इस समय दूसरे सदन के सदस्य हैं और जिन्होंने प्रो. एन.जी. रंगाय्या के गतिशील नेतृत्व के अधीन भी काम किया है, वह अब तक यह कह रहे थे कि आप इतने अधिक वक्तव्य दे रहे है और व्यापारी यह समझते हैं कि सरकार हथकरघा बुनकरों को इतनी सुविधाएं दे रही है कि उनको बहुत लाभ हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण हैं। परंतु यह सुविधाएं अथवा लाभ गांवों अथवा छोटे नगरों में गरीब हथकरघा बुनकरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप इसकी जांच करें।

श्री जी. वेंकट स्वामी : राज्य सरकारें इसे कार्यान्वित नहीं कर रही हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूं?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत सरकार जब राजकोष से हजारों करोड़ रु. रिलीज कर रही है तो यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो राज्य सरकार चला रहा हो यह सुविधाएं तथा लाभ हथकरघा बनुकरों तक पहुंचे। इस बारे में आवश्यक कदम उठायें जाने चाहिये।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आप यहां पर कानून में संशोधन कर दें और मैं इसे सीधा यहां से कार्यान्वित करूंगा।

श्री शोभनाद्रीठश्वर राव वाड्डे : आप कानून पेश करें। ...**(व्यवधान)** आपने इसमें रूचि ही नहीं दिखाई है। आप कपास परिवहन अधिनियम को निरस्त करने का विधेयक तो लाये हैं। परंतु उसकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं तैयार हूं।

सभापति महोदय : ऐसे कोई सुझाव न रखें जिनके कारण भविष्य में आपके लिये दिक्कतें खडी हों।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : हमने देश में जहां देश की 33 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी की रेखा से नीचे रहती है, राजसहायता प्राप्त दरों पर उनको धोतियां और साड़ियां उपलब्ध कराये जाने से वास्तव में राहत मिलेगी। इसके साथ ही, इससे हथकरघा बुनकरों को भी लाभ पहुंचेगा।

किसानों का हित गरीब लोगों के हितों के विपरीत नहीं है। यह मिलों के बड़े-बड़े लागे रास्ते में बाधा बनते हैं। मेरा सुझाव यह है कि कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हुए आप उनके उत्पाद अर्थात धोतियां तथा साड़ियां खरीद कर उनको भी राहत पहुंचा सकते हैं और इन उत्पादों को राजसहायता प्राप्त भावों पर गरीब लोगों को बेच सकते हैं। इस तरीके से आप उन लोगों को अधिक काम तथा अधिक आय दे रहे हैं ताकि वे अच्छी जीविका अर्जित कर सकें।

मैं अंत में फसल बीमा योजना के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वह योजना प्रत्यक्ष रूप से आपके अधीन नहीं है। किन्तु उसके बारे में श्री बलराम जाखड़ से बात करें। अब तक कपास फसल बीमा योजना के अधीन नहीं आती है। आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादक कीटनाशकों का अनुभव बहुत ही दुखद है। कपास उत्पादक तथा उर्वरकों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। दुर्भाग्य से व्यापारियों के गलत कार्यों के कारण उनको अच्छी किस्म के कीटनाशक नहीं मिलते और कई बार तो उर्वरक भी घटिया मिलता है।

अतः किसानों को काफी परेशानी हो रही है। कपास को भी विस्तृत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाये।

मैं अंत में माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि किसानों के हितों के संरक्षण के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जायें। ताकि उनको उचित भाव मिल सके। जब तक जरूरी न हो रूई का आयात नहीं किया जाना चाहिये। आपके वक्तव्य देने मात्र से कीमतों में गिरावट आ जायेगी और ये बड़े-बड़े सूती मिलों के मालिक कम भावों पर इसे खरीद लेंगे। उनको इस तरह का मौका न दें। आप किसानों को अपनी बात कहने दें तथा अपने हकों के लिये लड़ने का मौका देने हेतु उनको भारतीय रूई निगम के बोर्ड में प्रतिनिधित्व दें।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय मुझे बोलने का मौका दिया जाने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं कपास परिवहन अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित करने वाले विधेयक राज्य का समर्थन करती हूं।

हालांकि यह विधेयक 1923 में पारित किया गया था इसको निरस्त करने में काफी देरी हो गई है। किन्तु फिर भी कुछ न करने से यह बेहतर है। मेरे विचार से कपास उत्पादकों को इससे लाभ होगा। कपास उत्पादकों तथा बुनकरों के हितों को संरक्षण देने के लिये ऐसा बहुत पहले किया जाना चाहिये था। सदन को एकमत होकर इस निरसन विधेयक का समर्थन करना चाहिये। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि एक ऐसा विस्तृत विधेयक लाया जाये जिससे कम से कम बुनकरों को राहत मुआवजा तथा बीमा योजना का लाभ मिल सके। हमारे देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र, बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा कुछ अन्य भागों में 40 प्रतिशत जनता विशेष रूप से किसान और बुनकर कपास उद्योग पर निर्भर है। परंतु समस्या यह है कि हम उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दे रहे जिसके परिणमस्वरूप वास्तविक किसानों को तो उचित समय पर राजसहायता भी नहीं मिल पाती।

यह सच है कि आप केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को गरीब किसानों एवं गरीब बुनकरों को राजसहायता देने के लिये पैसा भेजते हैं। मैं जानती हूं कि मेरे राज्य में क्या होता है। मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानती। परंतु मेरे अपने राज्य में नादिया, मुर्शिदाबाद और बर्दवान जिलों में लाखों बुनकरों को, जो इस वर्ग में आते हैं, बिचौलियों के कारण राजसहायता का यह पैसा नहीं मिल रहा है। वह बिचौलिये राजसहायता का यह पैसा बड़ा बाजार क्षेत्र, मार्किट क्षेत्र में दे देते हैं और तब अमीर लोग सारी रूई खरीद लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि गरीब लोगों को राजसहायता नहीं मिलती और उनको अधिक मूल्य पर रूई खरीदनी पड़ती है। इस समस्या के कारण बुनकरों को बहुत कठिनाई हो रही है। अतः जब आप पैसा भेजते हैं तो कोई ऐसी निगरानी प्रणाली भी होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत यह देखा जा सके कि किसानों के लिये जो राजसहायता दी गई है, वह उचित समय पर उन तक पहुंचे और उचित तरीके से उन तक पहुंचे ताकि उनको परेशानी न हो ...(व्यवधान)

श्री जी. वेंकट स्वामी : वह राजसहायता सूती यार्न के लिये नहीं हैं ...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : कपास के लिये भी राजसहायता दी जानी चाहिये। आपके पास मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग और किसानों एवं बुनकरों के लिये राजसहायता देने के लिये पैसा नहीं है। मैं उच्च मध्यम वर्ग और अमीर लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं किसानों की बात कर रही हूं जो समाज के गरीब वर्ग से हैं। इन लोगों के लिये मैं अपील करती हूं कि सरकार द्वारा कपास के लिये राजसहायता देने की नीति होनी चाहिये। यार्न के संबंध में भी जिन लोगों को राजसहायता नहीं मिल रही हैं जो उसे पाने के हकदार हैं। क्या आप इस बारे में जांच करेंगे और देखेंगे कि भविष्य में इस तरह की बात न हो? यदि आप लोगों को कोई राहत देते हैं और यदि वह राहत उन तक नहीं पहुंचती है तो उसके दिये जाने की जरूरत क्या है? पैसा देने की कोई जरूरत नहीं हैं। अतः राजसहायता का यह पैसा उचित समय पर लोगों तक पहुंचना चाहिये। सरकार में निगरानी प्रणाली एवं निगरानी तंत्र होना चाहिये ताकि आप इस तंत्र के लिए ब्यौरों का पता लगा सकें। मैं इसके लिये किसी को दोष नहीं दे रही। हमारे देश में बहुत दलाल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा इस तरह के काम करते हैं। अतः ऐसे लोगों के विरूद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

आपने कपड़ा नीति तय की है और आप कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण भी करना चाहते हैं। परंतु इसमें एक समस्या है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बहुत सी राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलें हैं।

5.00 म.प.

इस बात की सराहना की जायेगी कि दोनों राज्यों के सदस्यों ने एन टी सी मिलों की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है। इन एन टी सी मिलों में अथवा कपड़ा मिलों में कर्मचारियों को कई बार वेतन नहीं मिलता। समस्या यह है कि आधुनिकीकरण योजनाएं सरकार के हाथों में हैं और यदि सरकार उचित समय पर इनमें काम शुरू नहीं करती तो मिलें दिवालिया हो जाती हैं। सरकार इसके लिये मजदूरों को दोषी ठहराती है। अतः सरकार को यह देखने के लिये उचित समय

पर कार्यवाही करनी चाहिये कि मिलें दिवालियां होने की स्थिति में न आयें।

हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि हम 21 वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। हमारी प्रौद्योगिकी, हमारा आधुनिकीकरण कार्यक्रम मजदूरों को समुचित प्रशिक्षण हासिल करने में सहायक बने ताकि वह इन मिलों को ठीक तरीके से चला सके। परंतु समस्या यह है कि सरकार एन टी सी मिलों की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रही है। इसी कारण बम्बई तथा बंगाल की मिलों को नुकसान हुआ है। मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानती किन्तु इन दोनों राज्यों की मिलों को अभी नुकसान पहुंच रहा है। यह एन टी सी मिलें सीधे सरकार के अधीन हैं। पैसे की कमी के कारण कुछ एन टी सी मिलों को बन्द भी किया जा रहा है। माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें ताकि आधुनिकीकरण किया जा सके और एन टी सी मिलों के मजदूरों को उनके वेतन उचित समय पर मिल सकें ओर वे उचित ढंग से काम कर सकें।

एक समुचित आधारभूत ढांचा तथा कार्य संस्कृति भी पैदा की जाने की जरूरत है ताकि उद्योग को ठीक ढंग से खड़ा किया जा सके। केन्द्रीय सरकार को, राज्य सरकारों को तथा एन टी सी मिलों के मालिकों को समुचित दिशा निर्देश देने चाहिये, क्योंकि कई स्थानों पर वे नियमों का उल्लघंन करते हैं। वे सरकार की बात नहीं सुनते। वे निधि अथवा ई एस आई का वह पैसा जमा नहीं करते जो कर्मचारियों को ओर से जमा करानाया होता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हाथों में बहुत से कानून तो हैं परंतु समुचित कार्यान्वयन अथवा कार्यान्वयन न हो पाने के कारण जनता को नुकसान पहुंचता है।

मैं ब्यौरे में नहीं कुछ कहना चाहती क्योंकि मुझे इस विशेष विधेयक के बारे में बहुत कम जानकारी है। परंतु जैसा कि मैंने कहा है मैं चाहती हूं कि बुनकरों के हितों को सरंक्षण प्रदान किया जाये और एन टी सी मिलों को कपास पर दी जाने वाली राजसहायता दी जाये। कमजोर वर्गों के हितों को सरंक्षण देने के लिये एक व्यापक विधेयक भी पेश किया जाये।

यह बहुत अच्छा विधेयक है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि इसे निरस्त किया जाये। मैं इस विधेयक को लाने के लिये माननीय मंत्री को बधाई देती हूं। इनके साथ ही मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि कुछ ही समय में एक व्यापक विधेयक लायें ताकि बुनकर तथा किसान दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर आत्म-निर्भर बन सकें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : कपास परिवहन निरसन विधेयक, 1994 इसका नाम है। 1923 में यह कानून बना था और इतने दिनों के बाद इसकी तरफ सरकार का ध्यान गया है। प्रत्येक माननीय सदस्य ने कहा है कि इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था। सबसे पहली बात तो यह है कि कपास हमारे यहां के कुछ क्षेत्रों में काफी मात्रा में पैदा होता है और काफी मात्रा में किसान इसमें लगे हुए हैं। महाकवि तुलसीदास ने कपास की तुलना संत के चरित्र से की है। उन्होंने कहा है कि "साधु चरित निज सरिस कपासा"। साधु का चरित्र कपास की तरह होना चाहिए। हमारे यहां इतना महत्व कपास को दिया गया है। कपास की गुणवत्ता में वृद्धि करके हम विदेशी-मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। इसलिए किसानों की सहायता करके हमें अच्छी कपास पैदा करनी चाहिए, जिससे हम उसे विदेशों में भेजकर विदेशी-मुद्रा कमा सकें।

सरकार को इस पर भी गौर करना जरूरी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे गुणवत्ता की बात है। गुणवत्ता नहीं रहने के कारण हमें बाहर से माल मंगाना पड़ता है। ऐसा कब तक चलेगा? किसान में इतनी क्षमता नहीं है कि इसका भंडारण कर सके। इसलिए वह कच्चा माल सस्ते में बेच देता है। इसके चलते किसान ज्यादा लाभ नहीं कमा पाता है। किसान का, जो उत्पादकता का खर्चा है, वह भी कभी-कभी उसे नहीं मिलता है। जब कभी भाव बढ़ जाते हैं तब उसे जरूर थोड़ा फायदा मिल जाता है। लेकिन इसमें भी नुकसान है, क्योंकि ज्यादा भाव होने के कारण जो कपड़ा बनेगा, वह महंगा होगा। इसलिए आपको भावों में एकरूपता लानी चाहिए। उसको खाद, डीजल आदि चीजें जो मिलती हैं, उनका दाम निर्धारित हो जाये तो किसान को कपास के उत्पादन से कुछ मुनाफा मिल सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोचती है। कभी उसने किसान के उत्पादन के बारे में चिन्तन ही नहीं किया है। हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि हम कृषि के मामले में सब कुछ हैं और खुद खेती करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा किसान को नहीं मिला। सवाल उठता है कि किसानों के फायदे के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। अगर सोचा होता तो जरूर उस बारे में सरकार बिल लाती। अब किसान भी समझ गया है कि यह सरकार हमारी शत्रु है, तभी वह आपको इस मुकाम पर ला रहा है। यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इतने दिनों तक सरकार की नींद नहीं खुली, अब जाकर खुली है।

कपास के जरिये कितने लोग जिंदा हैं, यह भी आपको देखना चाहिए। हमारे बुनकर इसी पर निर्भर हैं, लेकिन आज उनकी हालत बहुत दयनीय है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी सहायता के लिए जो धन जाता है वह बिचौलिये खा जाते हैं। यह सत्य है। हमारे बिहार में बुनकर घरों में बुनाई करते थे। लेकिन उनका भी काम बंद है। उनको ऋण देने के लिए जो को-आपरेटिव बनाई थी, वह भी काम नहीं कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार ने अपने राज में इसको भी निगल लिया। इसकी जगह दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े शहरों में रोजगार उपलब्ध करा दिये।

श्री जी. वेंकट स्वामी : जो पैसा बिहार को दिया, वह दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया, ऐसा क्यों हुआ, यह भी देखें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : पांच वर्ष तक लालू की सरकार रही, लेकिन उसके पहले तो आपकी सरकार थी, उसी ने वहां को-आपरेटिव का विनाश किया। अगर को-आपरेटिव को नहीं खाते तो वहां के

बुनकर भूखे नहीं मरते। उनको इसके माध्यम से ऋण मिलता और वे कुछ करते। आपने कितने गलत काम देश के लोगों के साथ किये हैं, इसे आप स्वीकार करें या नहीं, लेकिन जनता अब इसे समझ रही है और अब वह इन्साफ कर रही है।

आप जो यह बिल लाये हैं, यह एक अच्छा बिल है, इसका हम समर्थन करते हैं।

लेकिन आज जो हालात है आपने उसके बारे में नहीं सोचा क्योंकि यदि आपने किसानों के बारे में या खेती के बारे में सोचा होता तो आज ये हालात नहीं बनते। किसानों में बेकारी नहीं बढ़ती। आज के किसान के बच्चे काटन उत्पादन में इसलिये नहीं जाना चाहते क्योंकि उसका मूल्य उसको सही नहीं मिलता है। वह चाय की दुकान करना चाहता है और इसका कारण क्या है, यह आपको सोचना चाहिये। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। इस नाते यदि किसानों को सिंचाई संबंधी सुविधायें मिली होतीं जो फैक्टिरयों को ऋण के आधार पर आज मिल रही हैं तो किसानों को भी फायदा मिलता। आज तो सभी वित्तीय संस्थान फैक्टिरयों को ऋण दे रहे हैं लेकिन किसान अपनी पूंजी लगाता है और उत्पादन का उचित मूल्य न मिलने पर वह निराश हो जाता है। इसलिये आप लोगों ने जो गलतियां की हैं, वे माफी के लायक नहीं है। आप किसानों की गुणवत्ता को देखें और मिलों का आधुनिकीकरण करें। कपास नहीं मिलने के कारण वे बंद हो जाती हैं। मजदूर बैठ जाता है और आप कहते हैं कि मिल में घाटा हो रहा है। इसलिये कहूंगा कि आप अकुशल हैं, असक्षम हैं। यदि आप कुशल होते तो मिलें बंद नहीं होतीं। चाहे बंगाल हो, बिहार हो या महाराष्ट्र हो। आपकी गलत नीति के कारण ये मिलें बंद हो जाती हैं। आपको इतने साल हो गये सरकार में रहते रहते लेकिन आपकी आंख नहीं खुली और आपने समझा कि यह देश आपका है लेकिन अब जनता संभल गयी है कि यह देश उसका भी है।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल (शोलापुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी कपास परिवहन निरसन विधेयक, 1923 लाकर जो 1994 का विधेयक लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां पर कपास का उत्पादन अधिक होता है। ब्रिटिशकाल में यहां पर एक एक्ट बना था कि जिस स्टेट में काटन पैदा हो केवल वही इस्तेमाल किया जायेगा दूसरी जगह नहीं किया जायेगा। अब आपने उस आऊट डेटेड बिल में चेंज लाने का निश्चय किया है, इसके लिये मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आज के जमाने में टैक्सटाईल मिल की संख्या बढ़ने वाली है और हर स्टेट में बढ़ भी रही है। साथ ही नये पावरलूम्स बन रहे हैं मगर एक विशिष्ट एरिया में काटन नहीं जाता है तो उसका इस्तेमाल नहीं रह पाता। इससे किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। इस संबंध में यहां पर जो कुछ कहा गया है मैं उनको दोहराना तो नहीं चाहता लेकिन 2-3 बातें कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज हमारे देश को एक करोड़ 40 लाख काटन गांठों की जरूरत है जबकि उत्पादन होता है एक करोड़ 20 लाख गांठों का। इस समय कमी 20 लाख गांठ की है जिस कारण से गत दो वर्षों से काटन के रेट बढ़ रहे हैं। इसका रास्ता निकालने के लिये सरकार को कदम उठाना होगा। काटन एक्सपोर्ट करने के लिये बयान दिया और काटन इम्पोर्ट करने के लिये भी इजाजत दी तो कोई न कोई मार्ग निकला। मंत्री जी ने अपने विभाग के प्रति पूरी जिम्मेदारी रखते हुये कार्य किया है जिसके लिये मैं उनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं।

यह बहुत अच्छा काम किया है, मगर राव साहब ने कुछ बातें कही हैं जो गलत हैं। आज देश को कॉटन की जितनी जरूरत है वह कम होने की वजह से रेट्स बढ़ रहे हैं। उसके लिए काटन का इंपोर्ट करने की जरूरत है। इस उद्योग में लैगे हुए सभी लोगों का मानना है कि आप काटन ऐक्सपोर्ट मत करो, यार्न ऐक्सपोर्ट मत [illegible] फेब्रिक्स ऐक्सपोर्ट करो जिससे इस देश के गरीब वर्कर्स को काम मिले और देश को इससे ज्यादा मुनाफा मिले। इसलिए काटन ऐक्सपो[illegible] बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज इसको इंपोर्ट करने की जरूरत है ताकि करोडों वर्कर्स जो इसमे लगे हैं उनको कुछ ज्यादा काम मिल सके। इससे किसान को सही भाव मिलेगा और इससे किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि आज किसान को सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा प्राइस मिल रहा है। ऐसी हालत में काटन की शार्टेज होने की वजह से, यार्न के रेट्स बढ़ने से हैण्डलूम और पावरलूम इंडस्ट्री सफर कर रही है। इनके लिए मंत्री जी ने कुछ रास्ता निकाला है। हैण्डलूम का जो यार्न यूज़ होता है उसके लिए सरकार 15 रुपए प्रति किलो सबसिडी दे रही है। बहुत अच्छी स्कीम मंत्री जी चला रहे हैं मगर इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए। कई स्टेट्स में यार्न पर सबसिडी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सभी स्टेट्स को हैण्डलूम यार्न पर, जो सबसिडी दे रहे हैं, उस ओर ध्यान देना चाहिए।

आज काटन मिलों में पब्लिक सेक्टर में एन टी सी है जिसकी देश में कम से कम 124 मिलें हैं लेकिन उसमें से 110 ही काम कर रही हैं। उनके मॉडर्नाइजेशन की स्कीम सरकार के पास है। उनके लिए बहुत बड़ी कोशिश की गई और 2005 करोड़ रुपए की एक मॉडर्नाइजेशन स्कीम केबिनेट के पास है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करे। इससे वर्कर्स को लगातार काम मिलेगा। यह निर्णय सरकार को जल्दी लेना चाहिए। हैण्डलूम और पावरलूम के बारे में 4 तारीख को अहमदाबाद में हैण्डलूम पावरलूम बोर्ड की एक मीटिंग होने वाली है। उसमें मंत्री जी कुछ ऐलान करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि हैण्डलूम और पावरलूम हमारे टेक्सटाइल के बहुत बड़े सेक्टर हैं जिसमें हर वर्ष नये पावरलूम बढ़ते जा रहे हैं। उनको राहत देने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए ताकि उनका फाइनेन्स हो सके, सही दामों में यार्न मिले और उनको ऐक्सपोर्ट के लिए ऐक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जरूरत है। सरकार, जो

निर्णय इसमें ले रही है, वह भी ठीक है। इससे सरकार का हैण्डलूम पावरलूम इंडस्ट्री के बारे में सही नजरिया पता चलता है। मैं इसका समर्थन करता हूं और सरकार को बिल लाने के लिए फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, यद्यपि इस विधेयक पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और विधेयक देखने में इतना मासूम लगता है कि इसके बारे में कुछ कहा जाए अथवा नहीं, लेकिन 1923 का यह विधेयक अप्रासंगिक और अव्यावहारिक है। न केवल यही एक ऐसा विधेयक है, जिसको अप्रासंगिक कहा जा सकता है, अपितु कई ऐसे कानून आज भी प्रचलित हैं जो ब्रिटिशर्स के समय में या पराधीनता के काल में बने थे, जिनकी आज उपयोगिता नहीं रही और जो आवश्यक भी नहीं हैं, लेकिन वे कानून आज भी बने हुए हैं। आज इस बिल पर बोलते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उन सबकी समीक्षा की जानी चाहिए और इस प्रकार जितने भी अनावश्यक और निरूपयोगी कानून हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए ताकि उन कानूनों के जंजाल में हम न फंसे रहें।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है, यद्यपि मैंने कहा कि यह एक पंक्ति का निरसन का विधेयक है, इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि इसका संबंध सीधे किसानों से है, बुनकरों से है, कपड़ा मिल में काम करने वाले लाखों श्रमिकों से है इसलिए उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है।

इसलिए उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। सरकार द्वारा कपास उत्पादकों के हितों की दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं की गयी हैं, जिसमें कपास निगम एक संस्था है जो उनके हितों को देखती है। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि कपास निगम को किसानों के हितों का संरक्षण करना चाहिए वह पिछले दिनों से इसमें असमर्थ है। गत साल का ही उदाहरण लीजिए। कपास की कीमतों में गिरावट आयी। किसान को कपास निगम से अपेक्षा थी लेकिन वह उसे खुलता ही रहा, निगम गायब था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि कपास निगन किसानों के हितों की रक्षा करे। यह बात सही है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में कपास का उत्पादन होता है लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा के बैल्ट में अच्छी किस्म के कपास का उत्पादन होता है जो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हम विदेशी मुद्रा प्राप्त होने के लोभ का संवरण नहीं कर पाते और अपनी आवश्यकता को दरकिनार कर देते हैं। हम अपने यहां की आवश्यकता के अनुसार आज भी उतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

पिछले दिनों कपास की पैदावार के लिए जो दवाइयां आवश्यक होती हैं, उन दवाइयों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। रासायनिक उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई है, सिंचाई व बिजली की दरों में भी वृद्धि हुई है इसलिए पिछले दिनों सोयाबीन, ईसबगोल, गन्ना जैसी जो कैश क्रॉप्स हैं उनके दाम तो बढ़े हैं लेकिन कपास के नहीं बढ़े हैं। यद्यपि गन्ना उत्पादक भी पीड़ित हैं, उनको भी संरक्षण नहीं मिल रहा है। चीनी का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं। गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए गये और परिणामस्वरूप धड़ाधड़ चीनी मिलें बंद हो रही हैं। वैसे ही कपड़ा मिलें भी बंद होंगी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनेक मिलें बंद हुई हैं और प्राय : वे कपड़ा मिले बंद हैं जो एन.टी.सी. द्वारा संचालित हैं यह एन टी सी की देखरेख में संचालित की जाती हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी भेंट की थी, इन मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए जिस किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो वह सहायता दी जानी चाहिए। सरकार ने एक पैकेज प्रोग्राम निकाला लेकिन वह पैकेज प्रोग्राम श्रमिकों को मान्य नहीं है। कुछ पर श्रमिकों ने सहमति दी है लेकिन आमतौर पर उन पर सहमत नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार उनको अधिकाधिक सहायता दे तभी वे ठीक प्रकार से काम कर सकती है, अन्यथा मिलें बंद होने से लाखों श्रमिक बेकार हैं और रोजगार की एक नयी समस्या खड़ी हो रही है।

मैं इस बिल का लाभ लेते हुए इन बातों को यहां उठा रहा हूं। मैं पिछले दिनों का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं चाहता था कि इसके लिए फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसकी कोई योजना है या नहीं? पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कपास उत्पादकों की फसल नष्ट हो गयी और जब उन्होंने इसकी शिकायत राज्य सरकार को की, तो राज्य सरकार ने कहा कि कितने प्रतिशत नुकसान हुआ और दवाइयों में कितने प्रतिशत मिलावट थी। मुझे आश्चर्य होता है कि दूध में एक बूंद मिलावट होने पर भी मिलावट मानकर उसको दण्डित किया जाता है लेकिन दवाइयों में 40–50 प्रतिशत मिलावट थी उन्हें दण्डित नहीं किया गया। उतनी राहत उनको देने की बात की गयी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी और ऐसे उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे तो किसानों के हितों का संरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कोई नीति निश्चित की जाय।

सभापति महोदय, अभी जो बरसात हो रही है यह असामयिक है।

चना खेतों में खड़ा था, नष्ट हो गया। कपास, गेहूं, और अफीम की खेती पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। जब जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं तो हमारा किसान एकदम परेशान हो जाता है। वे कपास की फसल को भी अत्यधिक प्रभावित करती हैं। आज देश में अधिक से अधिक कपास पैदा करने की आवश्यकता है।

अभी मेरे मित्र रासा सिंह जी रावत राजस्थान का उदाहरण देते हुये कुछ बातें कह रहे थे कि उनके यहां किसान कैसे परेशान हैं। मैं जानना चाहता हूं कि डब्ल्यू टी ओ के साथ आपका जो समझौता हुआ है, विश्व व्यापार संगठन नामक जो नया शब्द हमारे सामने आया है, जो रचना सामने आयी है, उसके जरिये कपास के बारे में या कपड़ा नीति के बारे में क्या हमारी कोई सुनिश्चित नीति होगी या दूसरी वस्तुओं

के आदान-प्रदान के बारे में कोई सुनिश्चितता है या नहीं। क्या इसके कारण किसानों की पीड़ा कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ जायेगी। आज हमारा कपास उत्पादक चिन्तित है। हमारे अन्य किसान भी चिन्तित हैं कि आखिर हमारा क्या होगा। हमारे किसान ने मेहनत करके इतने श्रेष्ठतम बीजों का उत्पादन करके दिखाया है कि आज बाहर के देशों में उसकी बहुत मांग है लेकिन अब बीज बाहर से आयेगा। हमारी अच्छी किस्म की कपास बाहर जा रही है तथा एक के बाद एक नई किस्में भी तैयार हो रही है और उनकी मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि किसानों के हित की संरक्षा के बारे में विचार करना आवश्यक है। किसानों के हित को और खासकर बुनकरों के हित को किसी भी स्थिति में अनदेखा नहीं किया जाना चाहिये।

आज हालत यह है कि बुनकरों को समय पर सूत नहीं मिलता। यदि उन्हें 50 काउन्ट या 60 काउन्ट का सूत चाहिये तो उन्हें 110 या 120 काउन्ट का सूत दिया जाता है। जो सूत उन्हें चाहिये वह नहीं मिलता जबकि वे इतने सुपर फाईन किस्म के सूत का प्रयोग नहीं कर सकते। कोर्स कपड़ा तैयार करने के लिये जिस सूत की जरूरत होती है, वह उन्हें नहीं मिलता।

मैंने पहले ही कहा कि मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता लेकिन इस समय का लाभ उठाते हुये माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां हथकरघा क्षेत्र में काम करने वाले, पावरलूम पर काम करने वाले, मिलों में काम करने वाले और बुनकरों के हितों की संरक्षा होनी चाहिये।

इस समय सदन में कृषि मंत्री जी मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि कपास उत्पादकों के हितों का भी सरंक्षण किया जाना चाहिये। जहां आप वर्तमान बिल को रिपील करने जा रहे हैं लेकिन शीघ्र ही कोई एक समेकित या काम्प्रिहैंसिव बिल सदन में लायें जिसमें कपास उत्पादकों और बुनकरों के हितों की संरक्षा की व्यवस्था हो।

आपके सामने श्रमिकों की समस्याएं जो रोज आती रहती हैं, चाहे रतलाम की सज्जन मिल के संबंध में हो, हुकमचन्द टैक्सटाइल मिल के बारे में हो, एन.टी.सी. मिलों के बारे में हो या अन्य किसी मिल के बारे में हो। राजस्थान की कुछ मिलों के बारे में भी रोज नई समस्याएं सामने आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि ये समस्याएं उत्पन्न ही न होने पायें और उनके बारे में कोई सुनिश्चित नीति निर्धारित करके कोई योग्य व्यवस्था की जा सके। इस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं लेकिन उनके जो सुपरिणाम सामने आने चाहिये, वे परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके कदमों के परिणाम भी सामने आने चाहिये और इस मामले में जितने अवरोध हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिये। जैसे एक कहावत है - देर आयद दुरूस्त आयद - क्योंकि आप जो नये आर्थिक सुधार करना चाहते हैं, आप जिस उदारीकरण की नीति पर चल रहे हैं, वह आपकी मजबूरी है और उसी क्रम में आप इस बिल को सदन में लाये हैं.... (व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह : आपका मतलब है कि डब्ल्यू टी ओ इन्हें मजबूर कर रहा है।

डा. रामजी नारायण पांडेय : हां, इनकी मजबूरी है क्योंकि धीरे-धीरे ये नियंत्रण समाप्त करते जा रहे हैं। इस बिल को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये अन्यथा इसे एक साल पहले, दो साल पहले या उससे भी पहले लाया जा सकता था। जब मजबूर होकर डब्ल्यू टी ओ के कारण आप इस विधेयक को सदन में लाये हैं तो मैं चाहूंगा कि देश के किसानों के हितों की संरक्षा के लिये भी आप मजबूरी दिखायें, हमारे किसानों के हितों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिये। बुनकर और हथकरघा क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मजदूरों के हितों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिये।

श्री वी. वेंकट स्वामी : सभापति जी, वैसे तो सदन में जो बिल लाया गया है, वह बहुत छोटा है, सिर्फ चार सफों का है, जिस पर तकरीबन 12-13 माननीय सदस्यों और हमारे मित्रों ने अपनी ओपीनियन दी है। मुझे खुशी है कि टैक्सटाइल मिनिस्ट्री में जो काम हो रहा है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया और अपने सुझाव हमें दिये। इसके अलावा मेरी मिनिस्ट्री में जितनी खामियां हैं, उन पर भी माननीय सदस्यों ने नजर डाली है, जिसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

देश-हित, बुनकर-हित, किसान, गरीब, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और जो इस देश में 40 प्रतिशत की संख्या में रहते हैं, उनका जिक्र यहां पर माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में किया है। इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि लगभग ढाई साल पहले मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया है और बुनकरों के बारे में जो यहां चर्चा हुई है, उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में बुनकरों के कल्याण के लिए 300 करोड़ रूपए थे, मैंने इस मुद्दे को प्रधान मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे देश में कृषि श्रमिकों के बाद सबसे बड़ी संख्या इन बुनकरों की है और वे करोड़ों की तादाद में हैं, इसलिए इतने रुपए से इनका कल्याण नहीं हो सकता है। अतः उनके लिए कुछ और करना चाहिए। मेरे इस विचार को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री महोदय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1838 करोड़ रुपये बुनकरों के कल्याण के लिए रखे। इनके कल्याण के लिए इसमें से रूरल डवलपमेंट के माध्यम से 690 करोड़ रुपये, जिसके तहत आई.आर.डी. में 3 लाख 27 हजार करघे देने तथा ट्राईसम योजना के अन्तर्गत बुनकरों को ट्रेनिंग देने आदि का कार्यक्रम बनाया है। जो बुनकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से अलग प्रकार के काम देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त हैंक-यार्न की उपलब्धि में इनको बहुत कठिनाई होती थी, उसको सुलभ करने का भी प्रयास किया गया है। आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक बुनकर परिवार, जिसमें उसकी बीवी और बच्चे भी काम करते हैं, उनकी मासिक आय 300 रुपए बैठती है, जबकि गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की आय 11(४) रुपए प्रति मास से भी कम है। यानी ये लोग गरीबी की रेखा से नीचे

जीने वालों से भी नीचे लटके हुए हैं। इनकी उन्नति के लिए हम अनेक स्कीमें लाए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों से कह-कह कर बड़ी मुश्किल से इन लोगों के कल्याण के लिए स्कीम बनवाकर मंगवाई उनको यहां से स्वीकृत करवा कर भेजा, परन्तु आश्चर्य और अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकारें उन स्कीमों को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं। इसके अलावा आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? इन स्कीमों को इम्पलीमेंट करने के बारे में हमने बार-बार प्रदेश के मंत्रियों के साथ बैठकें कीं और कहा कि इनको इम्पलीमेंट करिए। प्रधान मंत्री से भी राज्य सरकारों को बार-बार कहलवाया और मुख्यमंत्रियों की यहां बैठक बुलाकर भी अनुरोध किया कि बुनकरों के कल्याण की योजनाओं को आप कार्यान्वित कीजिए क्योंकि ये लोग गरीबी और भूख से मर रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं।

अभी ममता बनर्जी ने बताया कि भारत सरकार से बंगाल में पैसा जा रहा है, लेकिन वहां बुनकरों के फायदे के लिए वह पैसा खर्च नहीं हो पाता है। बिहार के अंदर पैसा जाता है, लेकिन उसको दूसरे कामों पर डायवर्ट कर दिया जाता है। बुनकर तड़प रहे हैं और सरकार के खजाने में जैसे ही यहां से पैसा जाकर जमा होता है, वह दूसरे कामों पर डायवर्ट कर दिया जाता है।

श्री राजवीर सिंह : बिहार और बंगाल दोनों सरकारों के साथ आपकी दोस्ती है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : क्रिटिसिज्म करो, लेकिन भूखे इंसान के सामने जाकर करो। आप पालिटिक्स की बातों को छोड़िए। जो सचाई है उसको एप्रीशिएट कीजिए।

श्री राजवीर सिंह : मंत्री जी, हम एप्रीशिएट कर रहे हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं जो कह रहा हूं, वह केवल अन्य राज्य सरकारों के बारे में ही नहीं कह रहा हूं। मैं तो सभी के लिए कह रहा हूं जिनमें कांग्रेस-शासित राज्य भी हैं। मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि राज्य सरकारें बुनकरों के हितों के, जो कार्यक्रम भारत सरकार से स्वीकृत होकर गए हैं, उनको इम्पीलमेंट नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें 90 प्रतिशत बुनकर हैं। उनकी भूख को, उनकी तड़प को, उनके पेट के अंदर की आग को देखिए। हम उनके कल्याण के लिए स्कीमें यहां से बनाकर भेजते हैं और राज्य सरकारें उनको कार्यान्वित नहीं करती है। हम मजबूर हैं क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने बहुत रास्ते निकाले हैं।

उनको किसी न किसी तरह से हैंक-यार्न पहुंचे। हमने तीन हजार सैन्टर्स को हैंक-यार्न सप्लाई किया, पांच सौ सैन्टर्स को डाई सप्लाई करने के लिए कहा। लेकिन वे उसपर अम्ल नहीं करते हैं।

ममता जी ने कहा कि बीच के लोग खा रहे हैं। मुझे राजीव गांधी की बात याद आती है कि पार्लियामेंट से हजारों-करोड़ों रुपये सैंकशन होकर जाते हैं लेकिन उसमें से गरीबों को 15 प्रतिशत से भी कम मिलते हैं, बीच में खाने वाले बहुत हैं। 1836 करोड़ रुपये का भी यही आलम है।.... **(व्यवधान)**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : आप जो कह रहे हैं कि इतना है, उतना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का जन्म तो आपने ही दिया। .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, कृपया ऐसा न कहें। मैं अब सदस्यों को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : प्रैक्टिकल इम्प्लीमैनटेशन के लिए मुझे माननीय सदस्यों की सहायता चाहिए। हम गरीबों और बुनकरों के लिए जो रुपया देते हैं, आप उसे अम्ल करवाने की कृपा करें। ... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : आपने अच्छी बात बताई, हम उसे ऐप्रोशिएट करते हैं। आप माननीय सदस्यों को यह इनफॉर्मेशन दीजिए कि कौन-कौन से स्टेट को कितना रुपया भेजा है और किस राज्य सरकार ने उसे इस्तेमाल नहीं किया है।

[अनुवाद]

ताकि हम राज्य सरकारों के साथ भी मामला उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : ममता जी ने जो सजैशन दिया, मैं कल ही माननीय सदस्यों को इनफार्मेशन देता हूं कि हमने किस-किस राज्य में कितने हजार सैन्टर्स कायम किए और स्कीम बनाकर दी। किसानों के लिए मुझे भी हमदर्दी है क्योंकि मैं भी गरीब खानदान का हूं। मैं जानता हूं कि किसान कितनी तकलीफ से खेती करता है और उसके बाद सोचता है कि कब यह मार्किट में जाएगा। आपने और तेलुगु देशम के सदस्यों ने भी कहा कि कॉटन ग्रो करने वाले किसानों को तकलीफ है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले किसानों को सी.सी.आई. की तरफ से सपोर्ट प्राइस मिला करता था। माननीय सदस्यों ने बताया कि वी.पी. सिंह के समय में करीब 260 किसान खुदकुशी करके मर गए। भगवान की कृपा है कि श्री नरसिंह राव के बाद से वह नौबत नहीं आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो साल पहले जे-34 का सपोर्ट प्राइस 985 रुपये प्रति क्विंटल था और आज 2,225 रुपये है। 126 प्रतिशत इनक्रीज हुआ है। यह किसानों के लिए फायदे की बात है।.... **(व्यवधान)**

श्री उत्तमराव देवराव पाटील (यवतमाल) : सपोर्ट प्राइस और मार्किट प्राइस में बहुत अन्तर है। सपोर्ट प्राइस भी मार्किट प्राइस के मुताबिक बढ़ना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री जी. वेंकट स्वामी : यदि सपोर्ट प्राइस कम हो जाए तो सी. सी.आई. को खरीदना चाहिए, वह प्राइस मैंने बताया है।

एफ-414 का सपोर्ट प्राइस 1000 रुपये था और आज 2,345 रुपये हैं। इसी तरह से डी.सी.एच. 32 का सपोर्ट प्राइस 1300 रुपये था और आज 2,775 रुपये है। ऐसे बहुत से रेट्स हैं।

यानि किसानों को पिछले साल और इस साल अच्छा प्राइस मिल रहा है मगर माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है, अगर है तो. .. **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : आप इसमें कन्फ्यूज मत करिये। सपोर्ट प्राइस और मार्किट प्राइस दो चीजें होती हैं। आप बताइये कि सपोर्ट प्राइस में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है? मार्किट प्राइस जब दो हाजार रुपये है और सपोर्ट प्राइस 900 रुपये है तो आप सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं?

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : जैसा मंत्री जी ने कहा कि वी.पी. सिंह के राज में 200 रुपये था और अब 900 रुपये है लेकिन उस समय वीवर मर गया था।

श्री श्रीकान्त जेना : आप एक मिनट सुन लीजिए। 200 रुपये जब सपोर्ट प्राइस थी तो उस समय मार्किट प्राइस क्या थी? प्रोपोर्सनेटली मार्किट प्राइस अगर बढ़ती है तो सपोट प्राइस भी बढ़ती है। आप बताइये के आपका यार्डस्टिक क्या है?

श्री जी. वेंकट स्वामी : हर साल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और टैक्सटाइल मिनिस्ट्री टोटल प्राइस का हिसाब-किताब करके सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। उसके बाद अगर बाजार भाव सपोर्ट प्राइस के नीचे आता है तो फौरन गवर्नमेंट उसका प्रोड्यूस खरीदती है ताकि किसान को तकलीफ न हो। मार्किट रेट कितना बढ़ा है, मैं आपको बताता हूं। 1990 में यह सपोर्ट प्राइस के ऊपर चला गया तो आपने अखबारों में वीवर्स की स्टारवेशन डैथ के बारे में पढ़ा। आप मझे बताइये, अंभी प्राइस उससे दो गुना हो गया, जबकि पहले 1300-1400 के भाव पर ही स्टारवेशन डैथ हो गई थी, लेकिन आज प्राइस 2200 से 2700 रुपये तक है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको नीचे भी देखना पड़ेगा। कॉटन कहां से शुरू होती है, कॉटन किसान के उगाने से लेकर बुनकर तक, उसके बाद पावरलूम से लेकर मिल ओनर तक और गरीब कंज्यूमर तक, जो खरीदने वाला देश में 40 परसेण्ट विलो पावर्टी लाइन है, पर जाकर रुकती है। इसमें प्राइस राइज को देखना पड़ेगा और किसान के साथ-साथ उस गरीब को भी देखना पड़ेगा कि देश में कपड़ा पहनने वालों के लिए उसका क्या प्राइस इन्क्रीज हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : यदि मंत्री महोदय सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। यदि आप श्री मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे तो उसमें बनुकरों की हालत का वर्णन किया गया है। उसको देखकर आप स्वयं अपने वक्तव्य का प्रतिवाद करेंगे क्योंकि उनकी हालत बदली नहीं है।

सभापति महोदय : वह एक आम मामला है। हमें उसका उल्लेख नहीं करना चाहिये। हम आर्थिक सर्वेक्षण पर विचार नहीं कर रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मैं तो केवल उनसे पूछ रहा था कि मंत्रालय द्वारा समर्थन मूल्य कम करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है और क्या यह बाजार भाव से जुड़ा है अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैंने आपको सारी बात बताई थी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और टैक्सटाइल मिनिस्ट्री मिलकर हर साल इसका सर्वे करते हैं। उसके बाद सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है। उसके ऊपर मार्किट प्राइस जो बढ़ता है, वह मैंने आपके सामने रखा। आप यह मान लीजिए, आप किसी किसान से बात कीजिए कि वह खुश है या नहीं है। अगर खुश नहीं है ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होनी चाहिये। जब एक ओर मांग है और दूसरी ओर उत्पादन गिर रहा है तो निश्चित रूप से बाजार तो उठेगा ही।.. **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया इस प्रश्न का उत्तर नहीं दें। आप इसे स्पष्ट कर चुके हैं। कृपया जारी रखें। इन बातों की ओर न जायें।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं इसके बाद प्राइसेज पर आता हूं। मैंने जो भी पिक्चर आपके सामने रखी, वह इसीलिए रखी कि यह आपकी जानकारी में आये कि एक तरफ कंज्यूमर है, जो हिन्दुस्तान का गरीब आदमी कपड़ा सस्ता मांगता है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि उसको धोती खरीदने में, शर्ट लेने में मदद करो। आपको मालूम है, मैं पंडित जी को कह रहा हूं, कि पिछले साल प्राइस बढ़ते ही हैंक यार्न पर 15 रुपये किलो की दर से सब्सिडी देकर हमने 30 करोड़ रुपये की मदद दी। ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है क्या, जो आपने आज उन बुनकरों की मदद के लिए दिया है?

आज यहां मैं एनाउंस कर रहा हूं कि कल ही हमारा डिसीजन हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको एग्री किया है। हमने उनको बताया है कि यार्न का प्राइस बढ़ रहा है तो अब बुनकर कैसे जियेंगे तो उसके लिए 20 रुपये पर किलो सब्सिडी वीवर को कल से मिलेगी, वरना वह मर जायेगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : उसको मिडिलमैन खा जायेंगे, वह उसको नहीं मिलेगा।

श्री जी. वेंकट स्वामी : यह हम कर रहे हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैंने वह बता दिया है। स्टेट गवर्नमैंट इसका इम्पलीमेंट करेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस तरह से व्यवधान न डालें, कृपया इस तरह से टिप्पणियां न करें। कृपया मंत्री महोदय की बात सुनें। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे समझने की कोशिश करें। किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं और नई योजनाएं घोषित की जा रही हैं। आप इसकी सराहना क्यों नहीं करते हैं?

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : सभापति महोदय, एन.टी.सी. मिलों के बारे में यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। मैं ट्रेड यूनियन से आया हूं। मैं जानता हूं कि असल में ये मिलें चल सकती हैं या नहीं? मैं 6 महीने इस काम में लगा रहा और कई इंडस्ट्रीज में विजिट किया। वहां 100, 120, 130 और 150 साल पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी। इंटरनेशनल मार्किट में कैसे कम्पीट कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे अच्छा हो सकता है, इन सब पर हमने सोच-विचार किया।

पूरे हिन्दुस्तान में 122 एन.टी.सी. की मिलें हैं। ममता जी कह रही थी कि बंगाल और बम्बई में हैं। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हैं। हिन्दुस्तान की बहुत सी जगहों में 122 मिलें फैली हुई हैं।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश का नाम भी बतायें।

श्री जी. वेंकटस्वामी : उत्तर प्रदेश बहुत पापुलर स्टेट है। इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिये मैंने टैक्सटाइल रिसर्च ऐसोसिएशन की सहायता ली। सिटरा, बिहरा, अरीरा, निटरा को हमने एन.टी.सी. की तरफ से पैसा देकर रिसर्च कराया। इन मिलों का आधुनिकीकरण हो सकता है या नहीं, यह वायबल इंडस्ट्री हो सकती है या नहीं, यह हमने देखा। मोहन रावले जी हमारे मंत्रालय की मीटिंग में आते हैं और भी संसद सदस्य इसमें हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में प्लान गया है जिनसे इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है। इस पर 2005 करोड़ रुपये का खर्चा था। सारी की सारी 122 इंडस्ट्रीज के आधुनिकीकरण का प्लान हमने सबमिट किया। इसके बाद लेबर मिनिस्ट्री में त्रिपक्षीय मीटिंग हुई। उसमें पूरे हिन्दुस्तान की ट्रेड यूनियन्स के मैम्बर आये। इस पर 6 महीने तक चर्चा करने के बाद हम ऐग्री हुए। विदआउट गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट माडर्नाइजेशन करने के लिये एक प्रपोजल हमने पुट अप किया है। वह कैबिनेट के सामने कंसीडरेशन के लिये गया हुआ है। मैं ऑनरेबल मैम्बर्स को विश्वास दिलाता हूं कि उसको 15 दिन या एक महीने में कैबिनेट की मंजूरी मिल जायेगी। जितनी भी एन.टी.सी. की मिलें हिन्दुस्तान में हैं, उनका हम आधुनिकीकरण करेंगे।

वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे। इसमें टैक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अच्छा ऐग्रीमेंट किया है और टैक्सटाइल इंडस्ट्री के फायदे के लिये किया है। दिसम्बर में बायलैटरल टॉक में यू.एस.ए. और यूरोपियन मार्किट के साथ बहुत अच्छा एग्रीमेंट हुआ। मैंने प्रेस के जरिये भी आपको इसकी सूचना दी थी। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि हमारा एक्सपोर्ट टारगेट इस साल 9 बिलियन डालर का है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट 33 परसैंट है। मैंने जब इस मिनिस्ट्री का चार्ज अपने हाथों में लिया था तो यह 12 हजार करोड़ था। यह आज 30 करोड़ तक पहुंच गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि बायलैटरल ऐग्रीमेंट के बाद टैक्सटाइल मिलों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम कामयाब होगा। एन.टी.सी. मिलें अच्छा प्रोडक्शन करना प्रारम्भ कर दें, उसके बाद भारत सरकार प्राइवेट सिल्क मिलों का भी आधुनिकीकरण करेगी। इससे इंडिया सारी दुनिया में टैक्सटाइल ट्रेड में नम्बर वन बनेगा।

यह जो 9 बिलियन डालर का इस वर्ष टारगेट था, जिसको हमने प्राप्त किया और अगले वर्ष इसके 12 बिलियन डालर से भी पार होने की आशा है। अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा तो टैक्सटाइल इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी।

सभापति महोदय, यह ट्रांसपोर्ट का बिल बहुत मामूली है, इसको अंग्रेज उस जमाने में लाए जब महात्मा गांधी ने चरखे का काम शुरू किया, बंगाल में अच्छी रूई न पहुंच सके, इसलिए यह कानून अंग्रेजों ने बनाया। मैंने आने के बाद इसकी जांच की और देखा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, जब उदारीकरण हो गया है, सारे देश में हमारा कॉटन जा सकता है, तो इसको हम क्यों रखें, इसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए मैं इस बिल को लाया हूं। मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि टैक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों में आप सब की मदद हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा देश के गरीबों का, बुनकरों का, पावरलूम वर्कर्स का, मिल वर्कर्स का, किसान का, सबका भला कर सकेंगे। .... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, किसान और बुनकर के बीच में बैलेंस करने का काम सरकार का है। यदि दाम बढ़ा तो बुनकर मरेगा, दाम गिरा तो किसान मरेगा। इसलिए दोनों में बैलेंस करने की टैक्सटाइल मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है। इसको बैलेंस करने से ही देश के गरीब का फायदा, देश का फायदा होगा, जो गरीब का कपड़ा बेचता है, उसका फायदा होगा, बुनकर का फायदा होगा।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह बिल आपके सामने रखा है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसको पास करेंगे।

श्री मोहन रावले : मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि एन.टी.सी. ने अभी तक 100 करोड़ रुपया सी.सी.ए. और महाराष्ट्र कॉटन फेडरेशन को नहीं दिया है, इसलिए ये संस्थान मुंबई की कॉटन मिल्स को कॉटन नहीं दे रहे हैं, तो आप यह पैसा देने वाले हैं या नहीं?

श्री जी. वेंकट स्वामी : अब देखों शिवसेना की सरकार आते ही इन्होंने पैरवी शुरू कर दी है। मोहन रावले को सब जानते हैं। एन.टी.सी. में पैसा नहीं है, इसलिए आधुनिकीकरण स्कीम लाए हैं, इनका बहुत सहयोग इस काम में रहा है। अगर पैसा आया तो जब मॉडर्नाइजेशन होगा, तो वे भी पब्लिक सेक्टर के संस्थान हैं, उनका पैसा हम जरूर देंगे।

प्रा. रासा सिंह रावत : क्या स्टाक के बारे में नोटीफिकेशन सरकार वापिस लेगी?

श्री जी. वेंकट स्वामी : उसको तो वापिस ले लिया है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : सभापति महोदय, जब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, तक तब बंगाल के बंद मिलों को आप रूई भेजेंगे या नहीं?

श्री जी. वेंकट स्वामी : बंगाल के बारे में माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, मिल बंद करके किसी वर्कर का वेज रोका है तो मुझको बताइए। मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम हमारे सामने है, माननीय सदस्या जानते हैं, हम बिठा कर भी वेज दे रहे हैं। ... **(व्यवधान)**

श्री उत्तमराव देवराव पाटील : सभापति महोदय, महाराष्ट्र में कॉटन मोनोपली एक्ट है, जिसके तहत वहां का कॉटन बाहर नहीं जा सकता है और सारा कॉटन राज्य सरकार खरीदती है। यह जो एक स्कीम कांग्रेस सरकार लाई है, जो कि किसानों में बहुत पापुलर है। इस एक्ट के पास होने से महाराष्ट्र कॉटन मोनोपली एक्ट पर क्या असर होगा?

श्री जी. वेंकट स्वामी : इस एक्ट का और महाराष्ट्र कॉटन मोनोपली एक्ट का आपस में कोई संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब इस विधेयक पर चर्चा समाप्त होती है। अब हम विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

> "कि कपास परिवहन अधिनियम, 1923 राज्य सभा द्वारा यथा पारित का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 1

संक्षिप्त नाम

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, -

> "1994 के स्थान पर 1995 प्रतिस्थापित किया जाये।

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, -

> "पैंतालीसवां" के स्थान पर "छयालीसवां" प्रतिस्थापित किया जाये।

(श्री जी. वेंकट स्वामी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : हमारे पास पांच मिनट का समय शेष बचा है, परंतु कार्यसूची समाप्त हो चुकी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का उनके द्वारा दिये गये योगदान के लिये धन्यवाद करता हूं।

5.58 म.प.

लोक सभा शुक्रवार, 31 मार्च, 1995/10 चैत्र, 1917 (शक) के पूर्वान्ह 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।